छत्तीसगढ़ विधान सभा की अशोधित कार्यवाही



(अधिकृत विवरण)



पंचम विधान सभा त्रयोदश सत्र

बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2022 (फाल्गुन 25, शक सम्वत् 1943)

[अंक 08]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2022 (फाल्गुन 25, शक सम्वत् 1943) विधानसभा पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत हुई। (अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए।)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हरा दिवस है।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बता चुके हैं कि दिन के हिसाब से पहनते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों से नाराज़गी तो नहीं है ?

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी ड्रेस बह्त अच्छी लग रही है।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोद्य जी दिन के हिसाब से पहनते हैं।

जन घोषणा पत्र में स्वास्थ्य कर्मी व मितानिनों के सम्बंध में की गई घोषणा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. (*क. 1159) श्री डमरूधर पुजारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राज्य सरकार द्वारा आत्मसात जन घोषणा पत्र, 2018 में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कर्मी व मितानिनों के सम्बंध में क्या-क्या घोषणाएं की गई थीं, इनमें कितनी घोषणाएं पूर्ण हैं और कितनी अपूर्ण को कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : जानकारी संलग्न प्रपत्र ¹ अनुसार। शासन के निर्णय अनुरूप घोषणाओं को पूर्ण किया जा रहा है। समय सीमा बताया जाना संभव नही है।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जन घोषणापत्र में है और आपने 5 हजार मितानिनों की नियुक्ति घोषणा की थी, जिसमें मात्र 1199 मितानिनों का चयन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह असत्य वादा कब तक पूरा होगा ?

¹ परिशिष्ट "एक"

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,इनका प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा आत्मसात जन घोषणा पत्र, 2018 में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कर्मी व मितानिनों के सम्बंध में क्या-क्या घोषणाएं की गई थीं, वह पूरा चार्ट दिया है यह 52, 53 के उसमें है और कितने-कितने लोगों की भर्ती हो चुकी है और कितना किया जाना है और क्या प्रक्रियाधीन है और क्या नहीं हो सकता, इसमें यह पूरा लिखा हुआ है।

श्री डमरूधर पुजारी: - माननीय अध्यक्ष महोदय, मितानिनों को 5 हजार रूपये मासिक वेतन के साथ में कमीशन की राशि दिये जाने का वायदा किया था। मितानिनों के द्वारा लगातार आन्दोलन, धरना प्रदर्शन करने के बाद भी आज तक 5 हजार रूपये वेतनमान नहीं हुआ है, यह कब तक करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रियाधीन है।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब स्वास्थ्य मंत्री जी सुपेबेड़ा गये थे तो उन्होंने सुपेबेड़ा में वायदा किया था। सरगुजा, सुपेबेड़ा में हवाई एम्बुलेंस की सुविधा कब तक प्रारंभ की जायेगी ? कि हवाई एम्बुलेंस घोषणा बनकर रह जाएगी ? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सुपेबेड़ा गये थे और माननीय राज्यपाल महोदया भी गईं थीं, उसमें माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी। हमारे सुपेबेड़ा की जनता कीडनी की बीमारी से परेशान है वहां कब तक हवाई एम्बुलेंस की सुविधा कब तक प्रारंभ की जायेगी ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जन घोषणा पत्र से संबंधित है, यह सुपेबेड़ा से नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है कि स्वास्थ्य का विषय अपनी जगह है और जन घोषणापत्र अपनी जगह है। यह जो आपने परिशिष्ट दिया है आप परिशिष्ट में 2 और 3 पढ़ लीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नजदीक ही वहां कार्यरत स्टाफ के लिए आवास का प्रावधान किया जायेगा तािक आपातकाल के समय तुरंत ईलाज मिल सके और अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में नये स्वास्थ्य केन्द्रों खोले जाएंगे, आपने 06 कहा है तो प्रदेश में कितनी जगह स्टाफ बने और आपातकालीन सेवाएं शुरू हुई ? दूसरा ये अधिक जनसंख्या का मापदण्ड क्या है ?जिसके तहत आपने नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला है ? मेरे यहां भी अधिक जनसंख्या, density भी ज्यादा है, अध्यक्ष जी के यहां सब हैं तो अधिक जनसंख्या में 06 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये तो उसका मापदण्ड क्या है ? अधिक जनसंख्या का अभिप्राय क्या है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 9, 2, 3 यह किसका है, जरा आप बताईये ? आपने 9, 2, 3 कहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने परिशिष्ट का क्रमांक 2 और 3 कहा है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में 2 और 3 में लिखा हुआ है कि नियमित चिकित्सा अधिकारियों की रिक्त 423 पदों पर भर्ती की कार्यवाही पूर्ण की गई है, आप कौन सा वाला बता रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको 4 नंबर पेज का जो विषय है उसके नीचे क्रमांक 2 और 3 है परिशिष्ट के 4 नंबर पेज का बता रहा हूँ। मैंने क्रमांक 2 और 3 का पूछा है। वहां कार्यरत स्टाफ के लिए कितने स्टाफ क्वार्टर बन गये और आपातकाल सेवाएं कौन-कौन सी शुरू हुईं हैं? और अधिक जनसंख्या से मतलब क्या है? यहां अधिक जनसंख्या तो बहुत जगह है, density जो है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 वें वित्त आयोग में शहरी स्वास्थ्य केन्द्र को प्रारंभ किया जा रहा है और आई.पी.एच.एस. मापदण्ड के अनुसार जनसंख्या के मापदण्ड हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आई.पी.एच.एस. मापदण्ड स्वीकार किया है क्या ? यह पूरे प्रदेश में लागू है या कब से लागू है ? यह कौन-कौन से स्तर में लागू है, यह बता दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, छोडिए, वह बतायेंगे।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है। क्या आप लोगों ने इन मितानिन बहनों को कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के चलते कोई प्रोत्साहन राशि महीने के हिसाब से देने की घोषणा की है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मितानिनों को आनलाईन पेमेंट का सिस्टम है। इस प्रकार की, मैं जानकारी दे रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अकबर साहब क्या है, अब आप अलग-अलग उत्तर दे रहे हो तो सामने आकर उत्तर दे दीजिए न। हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आप सामने आकर उत्तर दें।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह परंपरा अनुसार आपस में बात नहीं कर सकते। अकबर जी, परंपरा ऐसी है कि आप सीधे बात नहीं करते सकते कि ऐसा लिखकर दीजिए। (हंसी)

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं इन डायरेक्ट कह लेता हूं। (हंसी) मितानिनों को प्रोत्साहन राशि दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। छन्नी चंदू साह्।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास राष्ट्रीय मिशन संचालक का एक पत्र है। मितानिन को कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी गयी है, मेरे पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक पत्र है जिसमें आपने मितानिन बहनों को एक हजार रूपए प्रतिमाह, 6 महीने देने तक बात कही थी। यह पत्र भी है लेकिन अभी तक उन बहनों को नहीं मिला है और जो आशा बहनें हैं, उनको 500 रूपए प्रतिमाह 6 महीने तक देने की बात कही थी, वह राशि उनको अभी तक नहीं मिला है। यह राष्ट्रीय

स्वास्थ्य मिशन का पत्र है। जो सभी जिला मुख्यालय, चिकित्सा मुख्यालय, स्वास्थ्य अधिकारी को भेजे गये हैं, उनको यह पत्र प्राप्त हुआ है लेकिन उनको राशि नहीं मिली है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और अब तक तीन माह का दिया जा च्का है।

अध्यक्ष महोदय :- बाकी सप्लीमेंट्री में चर्चा कर लेना।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया है। यह माना जाएगा कि जितनी भी घोषणाएं किए हैं, उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब वह सरकार का हिस्सा हो गया है, पहले वह कांग्रेस की पार्ट रही है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपने दिल से लगा लिया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, अब जो घोषणा है, प्रश्नों में पूछा है कि आपने कितनी घोषणा को पूरा किया है, कितने को पूरा नहीं किया। उसमें मंत्री जी ने कहा है कि चार्ट है, आप देख लीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं हमारे बिलासपुर में सिम्स मेडिकल कॉलेज संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है। उसमें हमारे पास स्टाफ नर्स नहीं हैं और स्टॉफ नर्स नहीं होने के कारण वहां की व्यवस्था बदहाल है। बहुत दिक्कत आ रही है, स्टॉफ भी परेशान हैं। इसमें ए.एन.एम. और स्टाफ नर्स की नियुक्ति की जो बात आई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप नियुक्तियां करेंगे तो बाकी अस्पतालों में भी पूर्ति हो जाएगी तो आप यह नियुक्तियां कब तक करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, जल्दी से जल्दी करेंगे। अध्यक्ष महोदय :- छन्नी चंदू साहू ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह इनके जनघोषणा पत्र का विषय है। विनियोग भी आया है और आत्मसात किया है। आपने तो दिल से लगाया है। जब दिल से लगाया है तो दिल से दूरी क्यों ? आप अभी इसको पूरा करने की घोषणा कीजिए। बहुत जल्दी, व्यवस्था की अविध बताईए, दो महीने तीन महीने में करेंगे। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

🥠 अजय चंद्राकर :- आप अवधि बताईए। जल्द से जल्द की अवधि बताईए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी। प्लीज-प्लीज। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिशीघ्र का क्या मतलब है, आपका तीन साल निकल गया। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय :- आप सुन लीजिए। एक तो वह भारसाधक मंत्री हैं। असली मंत्री आ जाएंगे तब उठाईएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वह सरकार की सामृहिक जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं असली मंत्री की बात नहीं है। अब असली मंत्री तो यही हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, सबसे पावरफ्ल सबसे आलस मंत्री हैं और। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, भारसाधक ने भार उठाया है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, तीन साल से घोषणापत्र में (व्यवधान) तो तीन साल से (व्यवधान) आप पहले यह बताईए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यूनिवर्सल हेल्थ की बात की है। क्या आपने यह स्कीम लागू कर दी है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- एक मिनट, मैं इनका जवाब तो दे दूं।

श्री नारायण चंदेल :- आप बह्त जल्दी को परिभाषित कर दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, चलिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री महोदय, होना है, उसको घोषणा कर दो, उनके लिए गिफ्ट हो जाएगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप लोग बैठिए न। मैं बोल रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम लोग बैठ गए। आप पूरा समय ले लें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आत्मसात का मतलब क्या होता है। आत्मसात का मतलब अपने आप में समाहित करना। यानी मन मस्तिष्क में इसको बनाए रखना है। इसको करना है। अब इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप अभी घोषणा करो, अभी करो, यह क्या बात हुई। आप उसका मतलब जान लीजिए न। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप तीन साल से बोल रहे हैं। अब आप इसके बाद थोड़ी आने वाले हैं। (व्यवधान)

🥠 मोहम्मद अकबर :- तीन साल का क्या मतलब है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज-प्लीज। बैठिए। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- आत्मसात का मतलब यह नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज बैठिए-बैठिए । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका जवाब ही नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये न, मैं उनको बोल रहा हूं । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- इसमें पूरा जवाब आ रहा है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- कोई जवाब नहीं आ रहा है । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- आत्मसात का मतलब क्या है ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप बस जल्दी से जल्दी बोल रहे हैं । हमें समय-सीमा बताईये । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- इसमें कोई समय-सीमा नहीं है । आप कैसी बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- बिल्कुल है । आप लोगों ने ऐसे ही करते-करते 3 साल निकाल दिये । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- आत्मसात का मतलब यह नहीं है (व्यवधान) अपने आपको रोककर रखना है, जो हम कर रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चितये-चितये, छोडिए । (व्यवधान) छन्नी साहू जी आप पूछिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज नहीं । आपका और है, आपका आगे पूछ लीजियेगा।(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप उसमें पूछ लीजियेगा न । बजट में चर्चा होगी तब पूछ लीजियेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक प्रश्न का निवेदन कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार छ.ग. के हर नागरिक को सर्वजन स्वास्थ्य गुणवत्ता ईलाज की सुविधा नि:शुल्क दी जायेगी और ब्रेकेट में लिखा है यूनिवर्सल हेल्थ केयर ? क्या यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू हो गया ? कई जगह घूमने गये थे।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी बातें लिखी गयी हैं उसमें से कुछ पूरी हो गयी है और कुछ प्रक्रिया में है । वह आने वाले समय में होगा यही तो उत्तर में दिया हुआ है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप यह तो बता दीजिये कि आप यह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम कब तक लागू कर देंगे, आपने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के लिये लिखा है । आप इसके लिये फॉरेन भी गये । अध्यक्ष महोदय :- चितये, आपने पूछ लिया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेश यात्रा भी किये और विदेश यात्रा से आने के बाद में अधिकारियों को लेकर के गये थे । सवा 3 सालों तक का समय निकल गया । इसमें न तो उसका हाथ-पैर निकल रहा है और न कुछ निकल रहा है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- ये सवा 3 सालों तक क्या करते रहे ? (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- आप लोगों ने तो अपने घोषणा पत्र का पालन नहीं किया । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिये । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब आ ही नहीं रहा है । एक भी जवाब नहीं आ रहा है । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- इनका भी घोषणा-पत्र था ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जन घोषणा पत्र का एक भी जवाब नहीं आ रहा है और हम तो उम्मीद करते थे कि मंत्री जी के पूरे जवाब आयेंगे । एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे संतुष्ट हों इसलिये फिर से बोल रहे हैं कब तक नियुक्ति होगी यह बता दीजिये ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन मंत्री जवाब दे रहे हैं । इतने लोग एक-साथ खड़े हो रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग यह मानकर चलते हैं कि कि अकबर साहब बहुत प्वाइंटेड उत्तर देते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आपने कहा कि एक प्रश्न पूछने दीजिये ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोगों के घोषणा पत्र का क्या हुआ यह बतायें।

अध्यक्ष महोदय :- चिलये-चिलये । बैठिये । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है इसलिये हम बहिर्गमन करते हैं । मंत्री जी जवाब देने में असफल हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनकी नीयत नहीं है ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये।)

समय :

<u>बहिर्गमन</u>

11.12 बजे

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष, श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के काउंटर

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

2. (*क. 1178) श्रीमती छन्नी चंदू साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्तमान में छतीसगढ़ राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान के कितने काउंटर हैं ? कृपया जिलेवार देशी/ विदेशी मदिरा दुकान की अलग- अलग जानकारी देवे ? (ख) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2018-19 से 2021-2022 के 15 फरवरी तक कितने प्रूफ लीटर शराब की खपत हुई ? कृपया वर्ष वार देशी/विदेशी मदिरा दुकान की काउंटरवार जानकारी देवें ? (ग) प्रति वर्ष राज्य में शराब की खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होती हैं?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में देशी मिदरा दुकान के 422 काउंटर, कंपोजिट मिदरा दुकान के 370 काउंटर, विदेशी मिदरा दुकान के 656 काउंटर तथा प्रीमियम मिदरा दुकान के 43 काउंटर हैं। जिलावार देशी/विदेशी मिदरा काउंटर संख्या की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ 2 अनुसार है। (ख) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2018-19 से 2021-2022 के 15 फरवरी तक देशी/विदेशी मिदरा खपत की वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।मिदरा दुकान एक पूर्ण ईकाई होने के कारण खपत (बिक्री) का परिकलन काउंटरवार न होकर दुकानवार किया जाता है। (ग) प्रतिवर्ष राज्य में शराब की खपत में बढ़ोतरी का कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है।

श्रीमती छन्नी चंद् साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे प्रदेश का जो प्रश्न लगाया था उसमें मुझे जानकारी मिली है । मैं अपने पूरे प्रदेश में तो नहीं जाउंगी लेकिन अपने गृह जिला राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक के आंकड़े बताना चाहूंगी । जिसमें मंत्री जी ने जानकारी दी है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसमें प्रश्न पुछिए ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छुरिया में वर्ष 2018-19 में 3 लाख 52,559 प्रूफ लीटर खपत हुई । जिसमें 2020-21 में 1 लाख 61,339 प्रूफ लीटर की खपत हुई और अचानक से...।

² परिशिष्ट "दो"

समय :

11.13 बजे

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन में प्रवेश किया।)

श्री अजय चंद्राकर :- कोई घोषणा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- उनको डिस्टर्ब मत करिये, थोड़ा पूछने दीजिये ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अचानक से वर्ष 2021-22 में खपत बहुत ही कम हो गयी । इसके लिये में आदरणीय मंत्री जी और हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी लेकिन मुझे यहां समझ में नहीं आ रहा है कि दुकान बढ़ा दिया गया, काउंटर बढ़ा दिया गया तो में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि राजस्व की कमी ऐसा कम क्यों आया ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उसके आधार पर उसमें यह परिणाम आ रहा है ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू: - माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर होता है कि अवैध तरीके से मादक पदार्थों का अभी तेजी से बढ़ाव हो रही है। मैं एक महिला विधायक हूं और हम अपने क्षेत्र में एक महिला होने के नाते महिला लोग ही ज्यादा उम्मीद करते हैं और महिलाओं का कहना है कि इन मादक पदार्थों की वजह से किसी की मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, किसी का परिवार उजड़ जाता है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि जिले में आबकारी विभाग के जिला अधिकारी के संरक्षण में जो मादक पदार्थ अगर अवैध तरीके से चल रहा है क्या उसमें अंक्श लगायेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कवासी लखमा जी इस सदन में उपस्थित रहते हैं । जवाब माननीय मंत्री जी देते हैं, एक-बार, दो बार, तीन बार हो गया लेकिन कहीं कोई परंपरा, आपकी व्यवस्था है । इसमें आपकी व्यवस्था आ चुकी है ।

श्री अजय चंद्रांकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसमें अव्यवस्था दी है। हम उस मंत्री का पूरा सम्मान करते हैं, वे सदन से बाहर चल दें, छुट्टी ले लें । आपने ही व्यवस्था दी है । हम आपकी व्यवस्था का ही यहां सदन में लागू हो यह मांग करने के लिये खड़े हुए हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- या तो फिर यह निर्देश जारी हो जाये कि सारे विभागों का उत्तर माननीय अकबर साहब देंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- और यदि प्रश्न भी लगातार 3 लगते हैं तो फिर से ड्रॉ होता है। वे लगातार कितने प्रश्नों का उत्तर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, कवासी लखमा जी आप कुछ कहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे तो दूसरे के में तो बहुत काय-काय करते हैं। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह विधान सभा की परंपरा है कि किसी मंत्री का 3 प्रश्न लगातार आ जाये तो ड्रॉ होता है। ये कितने प्रश्न का उत्तर देंगे ?

श्री कवासी लखमा :- ते च्प रह न।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर दे रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। दे रहे हैं। आप बैठिए तो सही।

श्री अमितेश श्क्ल :- शर्मा जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप शांत बैठिए।

श्रीमती छन्नी चंद् साहू: - माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि हम महिला विधायक हैं। क्षेत्र में महिला विधायक होने के कारण महिलाएं ज्यादा उम्मीद करती हैं। अवैध तरीके से मादक पदार्थों का सेवन होता है, जिससे कई महिला बहनों की मांग उजड़ जाती है। कई परिवार बिखर जाते हैं तो मंत्री जी से मैं यह कहना चाहती हूं कि जो अवैध तरीके से मादक पदार्थों का सेवन हो रहा है, बिक्री हो रही है, उसमें अंकुश लगायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- बताइए।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, महिला सदस्य हैं, वे बोल रही हैं कि अवैध दारू बेच रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बह्त बढिया। आप ऐसा उत्तर दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- राजनांदगांव जिले में लगातार अवैध दारू में बहुत प्रकरण बनाये हैं। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि अवैध दारू बंद हो। हमारी सरकार का ऐसा उद्देश्य है। लगातार राजनांदगांव जिले में बह्त प्रकरण पकड़े हैं और बंद करने का पूरा प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा उत्तर दिया करें। (मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा प्रश्न है। होली में भी कुछ काम करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- संतराम नेताम जी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नेताम साहब, आज काकर ऊपर गाज गिरही ?

बस्तर संभाग में छत्तीसगढ़ मेडिकल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संविदा उपअभियंता को कार्यपालन अभियंता का प्रभार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. (*क. 678) श्री सन्त राम नेताम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या बस्तर संभाग में छत्तीसगढ़ मेडिकल कार्पोरेशन लिमिटेड में संविदा उपअभियंता को कार्यपालन अभियंता के प्रभार में रहने के दौरान आर्थिक अनियमितताओं के आरोप में थाना पखांजुर, जिला कांकेर

में तथा थाना बीजापुर, जिला बीजापुर में उक्त अधिकारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है? यिद हाँ तो विभाग के दवारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :जी हाँ। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कापॅरिशन लिमिटेड, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक/9110/सी.जी.एम.एस.सी.लिमि./प्र.सं./N-ADM-292/2022, दिनांक 03.02.2022 के द्वारा श्री आकाश साहू, उप अभियंता, निर्माण संभाग को नियुक्ति शर्तों की कंडिका क्रमांक "16" के तहत् निगम द्वारा एक माह का अग्रिम वेतन देकर, उनकी सेवाएं को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने संबंधी कार्यवाही की गई है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि छत्तीसगढ़ में मेडिकल कार्पोरेशन लिमिटेड में आकाश साहू संविदा सब इंजीनियर है, को कब से एस.डी.ओ. और ई.ई. का प्रभार दिया गया था और किस नियम के तहत दिया गया था ? तथा वर्तमान में कौन-कौन उच्च पदों पर संविदा इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आकाश साहू उप अभियंता के पद पर संविदा वेतनमान के आधार पर 19000 रूपये समेकित मासिक एकमुश्त वेतन पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 3 वर्ष के लिए उसे संविदा निय्क्ति दी गई है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि जब आपने उसे सब-इंजीनियर पोस्ट पर पदस्थ किया, जबिक मेरी जानकारी के अनुसार जब एक ही पद में उसे सब-इंजीनियर पदस्थ किया है तो एस.डी.ओ. और उससे भी बढ़कर ई.ई. का प्रभार देना उचित नहीं है। मैं यही जानना चाहता हूं कि सब-इंजीनियर को आपने और देने के बाद उस आकाश साहू ने बिना बिल के फर्जी बिल से 2 जनरेटर की मतलब 30 लाख रूपये की खरीदी की। बीजापुर और पखांजूर में जिनके खिलाफ में एफ.आई.आर. भी हुआ है और यह पूरे प्रदेश में चल रहा है। मेरा यह कहना है कि आप संविदा नियुक्ति करके इस प्रकार से करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वर्तमान में मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी भी सब इंजीनियर को फिर एस.डी.ओ. का प्रभार दिया गया है, देवराज गुप्ता को। तो देवराज गुप्ता को आप..।

श्री अजय चन्द्राकर :- नाम नहीं लेते।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं यह कहता हूं कि आप एस.डी.ओ. को हटायेंगे क्या और आप कब तक हटायेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें ई.ई. का प्रभार कभी नहीं दिया गया और एस.डी.ओ. ए.ई. का प्रभार भी कभी नहीं दिया गया। अनियमितता की जांच हुई और जांच के बाद इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद। सौरभ सिंह जी।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, एक और अंतिम प्रश्न मैं करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय :- अब तो बर्खास्त हो गया। अब क्या पूछोगे ?

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, बर्खास्त से मतलब नहीं है। सवाल इस बात का है। उन्होंने तो निकाल दिया। एफ.आई.आर. हुआ, निकाल भी दिये। मेरा यह कहना है कि सब इंजीनियर पोस्ट को आप ई.ई. का प्रभार दे रहे हो। आप क्यों प्रतिनियुक्ति में रेग्यूलर को नहीं दे रहे हैं ? मेरा दूसरा अंतिम प्रश्न है।

श्री धर्मजीत सिंह :- पूरे प्रदेश में सब इंजीनियर लोग ही चीफ इंजीनियर बने हैं। रेंजर लोग डी.एफ.ओ. बने हैं।

श्री संतराम नेताम :- मैं वही तो नियम जान रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- बाबू लोग बड़े-बड़े पद पर बैठे हैं। ऐसा चल ही रहा है। अब आपकी सरकार में ऐसा चल ही रहा है तो आप क्या करेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- धर्मजीत भैया, हम तो चाहते है जैसे मंत्री लोग प्रभार में हैं न वैसे ही म्ख्यमंत्री के प्रभार में अकबर जी आ जाये। हमारी श्भकामनाएं हैं।

श्री संतराम नेताम :- मेरा अंतिम सवाल है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, जल्दी करिए। प्रश्न पृछिए।

श्री संतराम नेताम :- ऐसा हाउसिंग बोर्ड का ई.ई है, जो यहां पर एस.ई. बनकर बैठा है, उसे आप कब तक इन्हीं के चलते पूरे प्रदेश में मैं बताना चाहूंगा। मेरे पास आंकड़ा भी है। सभी जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। तो इन्हें, एस.ई. को कब तक मूल विभाग में भेजेंगे?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न से संबंधित जो बात थी उसकी जानकारी दे दी गई है । उसको ई.ई. का प्रभार कभी नहीं दिया गया ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, पूरे सवाल पर गोलमोल जवाब आया है, आप खुद सुन रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं देख रहा हूं।

श्री संतराम नेताम :- एक भी प्रश्न का सही ढंग से जवाब नहीं आया है । मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न करके समाप्त करता हूं ।

<mark>-अ</mark>ध्यक्ष महोदय :- आपका पिछला प्रश्न भी अंतिम था ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, बीजापुर और पखांजूर में मात्र 50 बिस्तर का शिशु अस्पताल बन रहा है । पखांजूर में साढ़े 6 करोड़ का अस्पताल बना है, उसका भवन घटिया क्वालिटी का बना दिया गया है । यहां शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से रिपोर्ट आई है, उसमें अमानक पाया गया है, घटिया । उस बिल्डिंग में जिसमें साढ़े 6 करोड़ रूपए लग रहे हैं, उसकी जांच कराएंगे क्या ?

श्री अजय चंद्राकर :- सत्तारूढ़ दल के विधायक ने भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग किया है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. हो गई है, उसे बर्खास्त किया जा चुका है, इसके अलावा और क्या कार्रवाई हो सकती है ?

श्री अजय चन्दाकर :- अतिसंवेदनशील मंत्री ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि यह तो जनरेटर खरीदी के मामले में एफ.आई.आर हुई है, मैं जिस दूसरे विषय की बात कर रहा था । जनरेटर मामले में तो आपने एफ.आई.आर. कर दी और सेवा से भी बर्खास्त कर दिया लेकिन अस्पताल भवन जो साढ़े 6 करोड़ से बना और इसे तकनीकी लोगों ने अमानक घोषित किया, जहां पानी टपक रहा है, जहां बच्चे नहीं जा रहे हैं, यह मानव से जुड़ा हुआ मुद्दा है । ऐसे समय पर यदि सही उत्तर नहीं आएगा तो हम लोग क्यों आएंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जांच कराएंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- जांच करा दीजिए ना । जांच करा दीजिए, बात खत्म हो गई।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, अभी अमानक रिपोर्ट नहीं आई । यदि आप कह रहे हैं तो हम चेक करवा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, सौरभ सिंह जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने जो घटिया शब्द का इस्तेमाल किया है, उधर मंत्री जी को वह खटिया सुनाई दे रहा है । आप इधर घटिया बोल रहे हैं तो वह उधर खटिया समझ रहे हैं । उनको बोलो की स्तरहीन काम है, यदि आपके पास उसकी रिपोर्ट है तो मंत्री जी को दे दीजिए ।

जांजगीर चांपा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वंटीलेटर की खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. (*क. 13) श्री सौरभ सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :(क) जांजगीर चाम्पा जिले में वर्ष 2021 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस-किस मद के अन्तर्गत प्राप्त
राशि से किस-किस कम्पनी का वेंटिलेटर कब-कब खरीदा गया हैं ? (ख) खरीदी की गई एजेंसी का नाम
एवं किये गये भुगतान की जानकारी देवें ?

-पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब"पर दर्शित है।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ. और सी.एस.आर. मद से 5 करोड़ 7 लाख रूपए का वेंटीलेटर खरीदा गया है । 2 सप्लायर्स ने सप्लाई किया है, जिस भी कंपनी का सप्लाई किया है । मैं

³ परिशिष्ट "तीन"

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस-किस दर से सप्लाई किया गया है और कुल कितने वेंटीलेटर खरीदे गये ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, कंपनी का नाम ड्रेगर, संख्या 8, श्रेय कार्पोरेशन । वेंटीलेटर का मॉडल ड्रेगर है । सप्लाई करने वाला श्रेय कार्पोरेशन, दिनांक 01.05.2021, 01 नग । दूसरा, एलाइड, संख्या 10, श्रेय कार्पोरेशन रायगढ़, दिनांक 01.05.2021, 01 नग । उसके बाद, इसमें पहले वाले में प्रति नग की कीमत है 12 लाख, 99 हजार 200 । दूसरा वाला, 20 लाख, 83 हजार, 200, तीसरा वेसमेट कंपनी संख्या 10, मेसर्स मल्टी इंटरनेशनल रायपुर, दिनांक 04.06.2021, इसकी कीमत है 21 लाख, 24 हजार । कुल 5 करोड़, 45 लाख, 926।

श्री सौरभ सिंह :- कुल कितने खरीदे गये ?

श्री मोहम्मद अकबर :- क्ल संख्या 28 ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, 28 वेंटीलेटर खरीदे गये हैं और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । इसमें दो प्रकरण हैं । जो 14 दिसम्बर, 2021 को विधान सभा में यह जानकारी दी गई है कि जांजगीर-चांपा जिले में 2 और 3, कुल 5 वेंटीलेटर खरीदे गये हैं । यह क्या भ्रामक जानकारी आ रही है ? आप बोल रहे हैं कि कुल 28 नग और विधान सभा के पिछले सत्र में 14 दिसम्बर, 2021 को जानकारी आई है कि जांजगीर-चांपा जिले में कुल 07 वेंटीलेटर खरीदे गये, तो फिर बाकी वेंटीलेटर का क्या हो रहा है ? क्यों नहीं दिया जा रहा है, कहां है वे वेंटीलेटर ?

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है कि कितने वेंटीलेटर खरीदे गये और कितने में खरीदे गए ? तो कितने खरीदे गये, कितने में खरीदे गये, किसके द्वारा खरीदे गये, कब खरीदे गए, क्या कीमत में खरीदे गये यह पूरा बता चुका अब वहां स्टॉक में है या नहीं, यह अभी कैसे बताया जा सकता है ?

श्री सौरभ सिंह :- मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। स्टॉक है या नहीं, यह तो बताना ही पड़ेगा या फिर कोई ले गया, 28 वेंटीलेटर को कहां उठाकर ले गया । यह गंभीर मामला है, पैसे का दुरूपयोग है । कोरोनाकाल में जनता के पैसे का सर्वत्र दुरूपयोग । कोरोना में आपदा को कैसे अवसर में बदला गया, इसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैनपाट कार्निवाल की तरह, कोरोना कार्निवाल हो रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खरीदी की जो प्रक्रिया थी, वह किस प्रक्रिया से खरीदी की गई है?

श्री मोहम्मद अकबर :- कोटेशन के आधार पर।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटेशन के आधार पर खरीदी की गई। कितने लोगों का कोटेशन सप्लाई हुआ था। दो सप्लायर हैं। दो सप्लायर्स हैं, जिन्होंने सप्लाई किया। अलग-अलग कंपनियां हो सकती हैं। तीन कंपनी और दो सप्लायर हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ जी, आप बता दो यदि कोई अनियमितता हुई हो । उसके बारे में आप सीधा-सीधा पूछिये न।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं उसी में तो आ रहा हूं। दो सप्लायर्स व तीन कंपनियां से सप्लाई किया गया। आपने ही बताया है कि 12 लाख रूपये में खरीदा गया है, 30 लाख रूपये में खरीदा गया है, 31 लाख रूपये में खरीदा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने प्रक्रिया में आपने बताया कि कोटेशन के आधार पर खरीदा है। कितने कंपनियों की कोटेशन आई थी? दोनों खरीदी में किस-किस कंपनी की कोटेशन आई थी?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्रांड अलग-अलग है, कंपनी अलग-अलग है। वही कार 5 लाख में भी है और वही कार 50 लाख में भी है। तो इसमें एक ड्रेगर का है, एक एलाईट का है। अलग-अलग कंपनी का है तो उसकी कीमत अलग-अलग है। तो उसके हिसाब से खरीदा गया है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यही तो घुमाने का मामला है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा और आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सिंगल कोटेशन के तहत यह खरीदा गया है। ऐसा ही सिटी स्केन का मशीन भी जांजगीर-चांपा में खरीदा गया है। पिछली विधान सभा में प्रश्न लगाया गया था। सिंगल कोटेशन के तहत खरीदा गया है और मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। सिंगल कोटेशन के तहत खरीदा गया है और सिंगल कोटेशन के आधार पर एक ही कंपनी से तीन अलग-अलग रेटों पर खरीदा गया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, क्या इस पूरे प्रकरण पर जाचं करवायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप जांच करायेंगे या मैं जांच कराउंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आपके गृह जिला का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप जांच करवायेंगे तो आप करवा दीजिये नहीं तो मैं जांच करवाता हूं?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले जानकारी दे देता हूं। बाकी फिर आसंदी का सम्मान है, जैसा आप चाहे।

अध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आने दीजिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी आप जवाब दीजिये न।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में भण्डार क्रय नियम, आपातकाल के समय में भण्डार क्रय नियम में छूट होता है। तो निश्चित रूप से एक कंपनी से कोटेशन दिलाकर इसको क्रय किया जा सकता है। फिर भी माननीय सदस्य की चिंता है और आपकी चिंता है तो आप जांच करा लें।

अध्यक्ष महादेय :- चिंता इस बात की है कि आप कह रहे हैं 28 वेंटिलेटर खरीदी हुई है। विधायक जी कह रहे हैं सिर्फ 5 है, तो बाकी के कहां है? सवाल इस बात का है कि 28 वेंटिलेटर खरीदे गये तो कहीं न कहीं होना चाहिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का जो विधानसभा में जो प्रश्न है, वह स्टॉक के ऊपर नहीं है कि कौन कहां है। वह केवल इसलिए है कि वह केवल खरीदी की प्रक्रिया के ऊपर है। तो खरीदी की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। लेकिन यदि माननीय सदस्य को तसल्ली नहीं है, यदि वे जांच कराना चाहते हैं। तो ठीक है, उसमें जांच करा लेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा में जांच हो जाय। अध्यक्ष महोदय :- चलिये, देखेंगे समय-सीमा में जांच हो सके। श्री नारायण चंदेल।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिले में डी.एम.एफ. मद का लगातार दुरूपयोग हो रहा है और इसके जो पहले कलेक्टर महोदय थे, यह उनके द्वारा खरीदी की गई है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो कोरोना काल वेंटिलेटर की खरीदी की गई है, उसमें अभी कितने बंद हैं और कितने चालू हैं? और जांच कब तक जो जायेगा? यह बता देंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वेंटिलेटर बंद है या चाहू है, यह इस समय कैसे बताया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप अभी नहीं बता सकते। डॉ. रेणु अजीत जोगी।

कोविड 19 उपचार में आयुष्मान योजनांर्गत ईलाज

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

■ 5. (*क. 203) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कोविड 19 उपचार में 1 मार्च, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक आयुष्मान योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही एवं दुर्ग जिले के कितने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज किया गया है? अस्पताल वार मरीजों की संख्या बताएं? (ख) उक्त अविध में कितने निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत कोरोना मरीजों का ईलाज नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त

हुई है? इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) उक्त अविध में विभाग के पास छत्तीसगढ़ के कितने निजी अस्पतालों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? इनमें से कितनी शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही हुई है?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :(क) प्रश्नांकित अविध में आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग जिले के 92 निजी अस्पतालों में कोरोना ईलाज किया गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही में जानकारी निरंक है। अपस्ताल वार मरीजों की संख्या संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) प्रश्नांकित अविध में 02 निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत कोरोना मरीजों का ईलाज नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही संलग्न प्रपत्र "ब"अनुसार। (ग) प्रश्नांकित अविध में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत पंजीकृत 09 निजी अस्पतालों की 13 शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों पर अस्पतालवार की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र "स"अनुसार।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैंने आयुष्मान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के संबंध में प्रश्न किया है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा है कि कितने प्रतिशत कोरोना काल में आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में कोरोना मरीजों के ईलाज के लिये कितने बिस्तर आरक्षित किए गए थे?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मार्च, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक का आयुष्मान योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जिले के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के ईलाज के लिए अस्पताल वार जानकारी पूरे चार्ट परिशिष्ट में है। अस्पताल के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें पूछना चाहते हैं तो बता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- टोटल बता दीजिये। अस्पताल में कुल कितने बेड थे, वह यह जानना चाहती हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- टोटल।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- इस परिशिष्ट में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में सबसे अधिक और अन्य छोटे-छोटे जिलों में एक से दस मरीजों का ईलाज किया गया है। यानि 20 प्रतिशत कोरोना बेड कहीं भी आरक्षित नहीं थी और इससे योजना का मूल उद्देश्य कैश लेस सर्जरी थी कि मरीज को कैश नहीं देना पड़े। यदि वह गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो उनको आयुष्मान योजना के तहत सारी स्विधाएं मिले। जो

⁴ परिशिष्ट "चार"

ए.पी.एल. हैं, उनको 1100 रूपया प्रति बैड के अनुसार सुविधा दी जाए और फिर भी यहां मात्र एम्स में आयुष्मान योजना का सही ढंग से पालन हो रहा है। कल ही मेरे घर में काम करने वाले व्यक्ति, वह स्वयं जाकर एम्स में अपनी सास का ईलाज कराये। यानी यह अस्पताल अपने आप ही पॉपुलर हो रहा है क्योंकि यहां आयुष्मान योजना का सही ढंग से पालन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न क्या करना चाहती हैं ?

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न कर रही हूं कि 20 प्रतिशत आरक्षण किसी भी अस्पताल में नहीं किया, जबिक वह प्रधानमंत्री की योजना थी। मात्र 1 से 10 और विशेषकर मैं जानना चाहती हूं कि गौरला, पेण्ड्रा, मारवाही, उस जिले में जानकारी निरंक आई है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या वहां वेंटिलेटर की सुविधा है ? क्या किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर या कोरोना के ईलाज की कोई सुविधा है ? क्योंकि उनको सिर्फ आइसोलेशन में दूर-दराज में किसी हॉस्टल, आदिवासी हॉस्टल में रख दिया जाता है तो कृपया इसके बारे में भी बताएं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर 50 प्रतिशत से शत प्रतिशत तक का मरीजों के आरक्षण किया गया था। इसके अलावा आप जो गौरेला, पेण्ड्रा, मारवाही की जानकारी चाहते हैं तो उसमें शासकीय अस्पताल में व्यवस्था थी। निजी अस्पताल में व्यवस्था नहीं थी। तीसरी बात यह कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत कोरोना मरीजों की ईलाज नहीं किये जाने की जो शिकायत थी, वह दो अस्पतालों की थी। एक, एन.एच.एम.एम.आई. नारायणा (रायपुर) और दूसरा, कार्ला बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी (रायपुर)। इन दो की शिकायत थी और दोनों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- मैं माननीय मंत्री जी से फिर से पूछना चाहूंगी कि क्या पेड्रा, गौरेला, मारवाही जिले वेंटिलेटर की सुविधा है या नहीं है ? और किस अस्पताल में है ?

श्री मोहम्मद् अकबर :- जी, सुविधा है।

श्री सौरभ सिंह :- नहीं है तो जांजगीर से ले जाइयेगा। वहां बहुत सारा वेंटिलेटर है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- और यह भी बता दूं िक जो शिकायत मिली थी तो उसके अंतर्गत सरगुजा के दो अस्पतालों का पंजीयन निलंबित िकया गया और साथ में कोरबा जिले को भी सरकारी योजनाओं से वंचित िकया गया। मैं अंत में यही पूछना चाहूंगी िक जो नोडल अधिकारी आयुष्मान योजना का संचालन या देख-भाल करते हैं, एक डॉक्टर हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूं। पर उनके भी दो अस्पताल चलते हैं तो वह निष्पक्ष तरीके से इसकी जानकारी देने में संभवत: असमर्थ रहते हैं तो क्या आप। अब तो कोरोना नहीं है और मैं आशा करती हूं िक भविष्य में भी नहीं होगा। ऐसे में उचित निरीक्षण करके उसकी वीडियो रिकार्डिंग भी होनी चाहिए थी और जिन अस्पतालों में आयुष्मान योजना

का लाभ दिया जा रहा है तो कम से कम वहां एक बोर्ड तो लगा ले कि इस अस्पताल में आयुष्मान योजना के द्वारा पेमेंट करने का प्रबंध है और यदि हेल्पलाइन नंबर भी नहीं मिल रहा है तो बोर्ड में बड़ा-बड़ा ऐसा लिख दिया। मैं आपसे यह निवेदन करूंगी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बालक के विभाग में ही मत लगे, ऐसा मैं सोचता हूं और बालक के विभाग की चर्चा भी मुझे आज शुरू करनी है ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी वे बालक नहीं है, मंत्री के रूप में बैठे हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष जी, अजय जी, थोड़ा सरल-सरल प्रश्न पूछना, आज मंत्री जी को बुखार चढ़ा हुआ है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पूछने दो, इनके पास कोई विशेष प्रश्न तो नहीं रहता है । कुछ भी इधर-उधर की बातें पूछते रहते हैं ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, होली परसों है । होली का रंग तो आपके ऊपर नहीं चढ़ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए, समय मत खराब करिए ।

प्रदेश में राजकीय विश्वविद्यालयों में कक्षा प्रारंभ व परीक्षा आयोजन के दिशा-निर्देश [उच्च शिक्षा]

6. (*क्र. 375) श्री अजय चन्द्राकर : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दिनांक 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालय में कक्षा प्रारंभ करने तथा परीक्षा आयोजित करने के संबंध में कोई निर्देश दिया गया है? यदि हां तो क्या दिया गया है? यदि नहीं तो इसके संबंध में कैसे संचालन किया जा रहा है? (ख) क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की कटौती की गयी या की जाने वाली है? यदि हां तो उसका आधार क्या है और उसके लिये क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है? तथा कितना प्रतिशत कटौती की गयी है या की जाने वाली है? (ग) राजकीय विश्वविद्यालय अंतर्गत कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं? तथा इनमें से कितने विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षा में शामिल हुये, एवं की गयी मॉनिटरिंग का परिणाम क्या रहा? तथा यह परिणाम किस आधार पर तय किया गया हैं?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) जी हां। जानकारी प्रपत्र⁵ पर संलग्न है। (ख) पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। (ग) राजकीय विश्वविद्यालय अंतर्गत 3,67,099 विद्यार्थी अध्ययनरत् है। ऑनलाईन शिक्षा में शामिल विद्यार्थियों की संख्या दिया जाना संभव नहीं है। मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप ऑनलाईन कक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित किया गया। परिणाम संस्था स्तर की संकलित जानकारी के आधार पर तय किया गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न छोटा हो या बड़ा हो । अध्यक्ष महोदय :- तीखा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीखा भी नहीं है । कोरोना काल में मेरा प्रश्न मूल रूप में बदल गया । मैंने दो साल की अविध पूछी थी । विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर समस्त कक्षाओं का संचालन ऑन लाईन पद्धित से सुनिश्चित किया जाये । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह सर्क्यूलर कब निकला, ऑनलाईन परीक्षा किस तरह से सुनिश्चित हुई और ऑनलाईन परीक्षाएं हुई तो तीन साल में उसका रिजल्ट किस तरह से निकाला गया और तीनों साल में समय पर रिजल्ट निकला, कोरोना के समय में और अभी इस वर्ष एकेडिमिक कैलेण्डर का पालन हुआ या नहीं हुआ ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है, वह 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में पूछा गया है और उस समय 13.1.2022 को सर्क्यूलर निकाला गया था । उसका प्रपत्र हमने संलग्न किया है । उसके तहत उस बीच में हमने नया आदेश निकाला, जैसे की कोविड की परिस्थिति थोड़ी ठीक होने लगी, उसके बाद 4.2.2022 को हमने फिर से निर्देश निकाला, जिसमें ऑनलाईन और ऑफलाईन कक्षाएं लेने के निर्देश दिए गए । जिले में कोविड के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छात्र-छात्राओं की उपस्थित को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया । 4 प्रतिशत से कम संक्रमण वाले जिलों में भौतिक कक्षाएं संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई तथा 4 प्रतिशत से अधिक संक्रमण वाले जिले में स्थानीय प्रशासन द्वारा स्कूल, आंगनबाड़ी हेतु जारी निर्देश के अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । इस बीच में जो परीक्षाएं आयोजित हुई, वह ऑनलाईन ही हुई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य का सवाल है । आपने ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की । ऑनलाईन परीक्षा के निर्देश कब जारी हुए हैं, वह भी मंत्री जी बता रहे हैं । वह निर्देश विश्वविद्यालयों ने संबंधित विभाग को जारी किये हैं या नहीं किये हैं ? आप पता करेंगे तो सभी राजकीय विश्वविद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, यह एकदम तय बात है, लेकिन आपने ऑनलाईन परीक्षा में मानीटिरंग कैसे की और रिजल्ट कैसे डिक्लीयर किया या छात्र सीधे पास हो गए । यह मैंने प्रश्न में पूछा था, फिर दूसरा प्रश्न पूछुंगा । उसका सिस्टम क्या डेव्हपल

_

⁵ परिशिष्ट "पांच"

किया गया था कि ऑनलाईन परीक्षा में इतने लोग बैठे और आपने रिजल्ट किस तरह से कैसे डिक्लीयर किया । उनको अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रवेश कैसे दिया, उनको पास करने का आधार क्या था ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड के समय जो परिस्थिति थी, उसको देखते हुए उस समय यह निर्णय लिया गया था कि ऑनलाईन परीक्षाएं संचालित होंगी क्योंकि उस समय यह परिस्थिति थी कि चाहे केन्द्र सरकार हो, यू.जी.सी. या ए.आई.सी.टी.ई. हो, इन सभी का सर्क्यूलर था और उस सर्क्यूलर को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाईन परीक्षा की अनुमित दी थी । अभी इस साल फिर से जब ऐसा लगा कि कोविड की तीसरी लहर आगे बढ़ने वाली है तो उस समय एक महीने के लिए फिर से ऑनलाईन किया था, लेकिन जैसे ही हमको महसूस हुआ कि छत्तीसगढ़ में कोविड की तीसरी लहर का असर बहुत अधिक नहीं होने वाला है, उसको देखते हुए हमने 13 जनवरी को जो आदेश निकाला था, उस आदेश को एक तरह से रिवर्ट बैक किया है । अध्यक्ष महोदय, जो ऑनलाईन परीक्षाएं हैं, जब 2020 में कोविड का प्रकोप बहुत ज्यादा था, उस समय की बात करेंगे तो प्रश्नपत्र को ई- मेल पर भेजा गया था और उनके उत्तर की कॉपी केन्द्र में जमा करनी थी और विश्वविद्यालय में कॉपी एकत्र करके उसका मूल्यांकन करना था । यह प्रक्रिया हमने अपनाई थी ।

अध्यक्ष महोदय :- करना था, किया गया या नहीं ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोद्य, किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- मतलब जितने लोगों ने ऑनलाईन परीक्षा दी है, वे सभी लोग पास हो गए ? यह मान लेना चाहिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास डेटा नहीं है कि कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि आनलाईन परीक्षा में कितने लोग बैठे, यही बता पाना संभव नहीं है, कहा है। तो कितने लोगों ने उत्तर पुस्तिकाएं जांच की, कैसे जांच की, क्या किये, यह बड़ा महत्वपूर्ण है और अभी भी अनिर्णित है। अब तक परीक्षा की नीति के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि परीक्षा किस फाम में, कैसे होगी ? क्योंकि मंत्री जी अभी तो आनलाईन की संख्या हीं नहीं बता पा रहे हैं, प्रश्न में भी लिखा है। उनकी तबीयत भी खराब है। लेकिन यह लोक महत्व का प्रश्न है। आखिर कितने बच्चें परीक्षा में बैठे ? आप एक तो यह बता दें कितने लोगों की जांच किस प्रक्रिया के तहत हुई ? अभी की परीक्षा नीति क्या है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा कि आनलाईन परीक्षा में कितने लोग सम्मिलित हुए। तो आनलाईन शिक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चों की संख्या बता पाना मुश्किल है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिलकुल सही।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसको दूसरे से जोड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आनलाईन परीक्षा और आनलाईन शिक्षा दोनों अलग है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह मैं समझ गया। जब नंबर ही नहीं है तो आखिर उसका रिजल्ट कैसे निकाला गया ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप विस्तृत जानकारी लेकर मुझे दीजियेगा। हम आपको बता देंगे।

श्री अजय चन्द्रांकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इस वर्ष की परीक्षा के लिए क्या पॉलिसी है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परीक्षा आयोजित करना और परीक्षा की पद्धति तय करना यूनिवर्सिटी का काम है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने इसमें लिखा है कि हमने निर्देश जारी किया है, परिशिष्ट में है।

श्री उमेश पटेल :- जी हां, जैसे मेडिकल एमरजेंसी रहता है, आप भी जानते हैं, मेडिकल एमरजेंसी में सरकार निर्देश जारी कर सकता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलकुल एक भी ऐसी चीज नहीं पूछा हूं, आप एक मिनट स्न लीजिये।

श्री उमेश पटेल :- जिस तरह से परीक्षा आयोजित किया गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप परीक्षा की जानकारी लेंगे, इसलिए मैं उस बात को नहीं दोहराता। आपने इस साल की परीक्षा के लिए निर्देश जारी किया है, यह भी सत्य है। अब आप यह मत किहये कि यूनिवर्सिटी उस पर निर्णय लेगी। आपने निर्देश जारी किया है, यह परिशिष्ट में है। मेरा इसमें एक ही चीज कहना है कि परीक्षाएं किस मोड में होंगी, कैसे होंगी, कब होंगी ? प्रदेश के कम से कम राजकीय विश्वविद्यालय में समय रहते एक स्पष्ट नीति बना लें। आप इसके लिए क्छ कहेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परीक्षा आयोजित करना, परीक्षा की पद्धति तय करना यूनिवर्सिटी का काम है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने निर्देश जारी किया है।

श्री उमेश पटेल :- आप पूरी बात को तो सुन लीजिये। हमने जो निर्देश जारी किया है, वह मेडिकल एमरजेंसी को देखते हुए जो अधिकार मिला है, हमने उसके आधार पर उस समय निर्देश जारी किए थे। मैं आपको यह बता दूं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, जिसमें ए.आई.सी.टी. और यू.जी.सी. ने आनलाईन परीक्षा आयोजित करने के लिए जो मापदण्ड तैयार किये थे, उस पर पूरी खरी उतरी है। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटीज, कालजेस ने एक भी डायवर्जन...।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको कुछ भी नहीं बोला हूं। श्री उमेश पटेल :- एक सेकेण्ड, आप पूरी बात तो स्न लीजिये। श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे इतना ही आग्रह कर रहा हूं, मैं उन सब से सहमत हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आपके पास जो अधिकार हैं उसके तहत आपने आनलाईन-आफलाईन परीक्षा के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं। आनलाईन परीक्षा तो असफल हो गई, भगवान को नहीं मालूम, मैं इसमें भी मान लिया। अध्यक्ष जी, उसकी जानकारी लेंगे। मैं इस वर्ष के लिए पूछ रहा हूं कि इन सब बातों को छोड़कर कि ऐसी परीक्षा होगी और इतनी अवधि के बीच आयोजित हो जायेगी, यह आप सदन को बता दें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्राकर जी, मैंने आपको जैसा कहा कि इस आदेश के बाद, जो आपके प्रश्न के उत्तर में संलग्न है, उस आदेश के बाद हमको जैसे ही महसूस हुआ कि कोविड की तीसरी लहर इफेक्टिव नहीं है तब फिर हमने एक और निर्देश जारी किया। पहले वाला निर्देश को रिवर्ड बेक कर रहा है। तो आलरेडी इस बात को निर्देशित कर दिया गया है कि आफलाईन परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री गुलाब कमरो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा अंतिम प्रश्न। मान लो आफलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी, आनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी, आपने सारे नियामक संस्थाओं के निर्देश को माना। मैं इतना ही चाहता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आशीर्वाद भी चाहता हूं कि उन्होंने कह दिया कि आफलाईन परीक्षा होगी। मैंने यह कहा एकेडेमिक कैलेण्डर का पालन करते हुए निश्चित निर्धारित समय में परीक्षा होगी, उसका निर्देश देंगे क्या ? इस सदन को अवगत करायेंगे क्या ? यह आफलाईन-आनलाईन का विषय नहीं है। क्योंकि भविष्य में जो अखिल भारतीय परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें हमारे विद्यार्थी भी शामिल हो सके, इसके बारे में कोई स्पष्टता, यूनिवर्सिटी के बीच नहीं है, यहां कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी के द्वारा इस तरह के निर्देश दे दिए जायेंगे, मैं उनको निर्देशित करता हूं। चलिये गुलाब कमरो जी।

प्रश्न संख्या : 7 XX XX

कंटिनजेंसी की राशि का उपयोग तथा निवेश

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

8. (*क. 1148) श्री शिवरतन शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में निर्माण कार्य में कंटिनजेंसी (आकस्मिक निधी) काटने

के क्या नियम है? शासन द्वारा समय-समय पर क्या दिशा-निर्देश जिला पंचायतों को जारी किये गये हैं? (ख) उक्त राशि का किन-किन कार्यों हेतु उपयोग किया जा सकता है तथा वर्तमान में किस-किस कार्यों में किया गया है? (ग) प्रदेश में विभाग के पास किस-किस जिले में इस मद में कितनी कितनी राशि जमा है? (घ) क्या उक्त राशि व इससे प्राप्त ब्याज की राशि से शासन की कोई विशेष कार्य कराने की कार्ययोजना है?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :(क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में निर्माण कार्य में कंटिनजेंसी (आकिस्मिक निधि) काटने के संबंध में कोई नियम नहीं है। शासन द्वारा पत्र क्रमांक 645/186/22/वि-3/ग्रायासे/2010 रायपुर दिनांक 12.05.2011, पत्र क्रमांक 2980/892/22/वि-3/ग्रायांसे/2012, रायपुर दिनांक 04.05.2013 एवं आदेश क्रमांक 2085/4246/तक/ग्रायांसे/2020, रायपुर दिनांक 21.07.2020 शासन द्वारा समय-समय पर जारीसंलग्न"प्रपत्र" ⁶पर है।(ख) उक्त राशि का निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के समय निरीक्षण पर होने वाला व्यय, निरीक्षण एवं माप लेते समय/सर्वेक्षण करते समय लगाये जाने वाले आकिस्मिक श्रमिकों की मजदूरी इत्यादि की भुगतान में किया जा सकता है। संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (घ) वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय शिवरतन जी से प्रश्न किया था कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में निर्माण कार्य में कंटेनजेंसी ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- ग्लाब कमरो जी हैं या गायब कराया गया है । यह स्पष्ट होना चाहिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- काटने के क्या नियम है, प्रदेश के पास विभाग किस-किस जिले में इस मद में कितनी राशि जमा है । माननीय मंत्री जी का उत्तर ही आधा अध्रा आया है । इन्होंने जो खर्च किया है, वह तो आ गया है । किस-किस जिले में कितनी राशि जमा है, यह उत्तर में बिल्कुल नहीं आया है । आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार यह बता दें, एक साथ एकमुश्त बता दें कि कितनी राशि जमा है ? दूसरा, आपने इसमें आर.ई.एस. का उल्लेख किया है, मुख्यमंत्री सड़क योजना में, ग्राम गौरव पथ में, जिसमें भी कांटिनजेंसी काटते हैं, ग्रामीण पंचायत विकास के अंतर्गत जो भी काम होते हैं । आपने उसका उल्लेख नहीं किया है । उसमें राशि कटती है कि नहीं कटती है, यह बता दें ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है कि जिलेवार खर्च का ब्यौरा दिया हुआ है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि कितना राशि जमा है । अब आप उसको ध्यान से पढिये । ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित जिलेवार जानकारी । संभाग का नाम । आप पहला नंबर देख लें, बाकी लिस्ट है । कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग

_

⁶ परिशिष्ट "छ:"

अंबिकापुर, अब ऊपर हैडिंग पढि़ये, उपलब्ध कांटिनजेंसी की राशि, इतना ही तो जमा है । आप उसको पढ़ लें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय, मैंने उसको पढ़ लिया है । यह कापी मेरे पास है । आपने जो उत्तर दिया है, वह कापी मैंने देख लिया है । इसमें सिर्फ खर्च का विवरण है । जो राशि जमा है, उसका विवरण...।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप हैडिंग को पढि़ये ना ? उपलब्ध कांटिनजेंसी की राशि । आप उसको पढ़िये ना ? दूसरे नंबर कॉलम । वही ऊपर ही में । उपलब्ध यानी क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- सुनिये । इसमें उपलब्ध राशि से जो आपने उपयोग किया है, उसका उल्लेख है ।

श्री कवासी लखमा :- चश्मा ठीक नहीं है क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- चश्मा पूरा ठीक है । मेरा प्रश्न था, मुख्यमंत्री सड़क योजना, ग्राम गौरव पथ, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रिनिवल होता है, रिनिवल में भी कंटिनजेंसी की राशि कटती है, दूसरा आपने अपने उत्तर में कहा है, पत्र के उल्लेख में है कि एक प्रतिशत राशि, तीन प्रतिशत में से, एक प्रतिशत जनपद पंचायत को, एक प्रतिशत ग्राम पंचायत को, एक प्रतिशत आर.ई.एस. में रहेगी । वैसे ही जो आकस्मिक निधि है, उसमें से एक प्रतिशत ग्राम पंचायत को, एक प्रतिशत से आधा-आधा आर.ई.एस. को और इसको रहेगी । मेरे प्रश्न लगने के बाद बलौदाबाजार में राशि अभी 3 साल के लिए भेजी गई है ? क्या आपने पूरे जिले में पंचायतों को, जनपद को यह राशि भेजी है, यह बता दें ? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो 5 परशेंट आप अलग-अलग नाम से काट रहे हैं, इसके उपयोग का मापदण्ड क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप तीन-तीन प्रश्न को एक साथ समेटते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बुद्धिमान मंत्री हैं, साहब सब दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- समय का ख्याल रखिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बुद्धिमान से मैं सहमत हूँ । बुद्धिमान के साथ-साथ बोल्ड मिनिस्टर हैं । श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग से रखने का कोई प्रावधान नहीं है । जब एस्टीमेट बनता है, उसी में इसको शामिल किया जाता है । आकस्मिक निधि में उसका उपयोग किया जाता है । अलग वाली कोई बात नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने उत्तर में कहा है कि राशि का उपयोग प्राक्कलन तैयार करने में जो पेपर लगते हैं, उसमें किया जायेगा । इस राशि का उपयोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए किया जाता है, इस राशि का उपयोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए किया जाता है, इस राशि का उपयोग संसदीय सचिवों के बंगले के रिनीवल के लिए किया जाता है,

संसदीय सचिवों को स्टेशनरी भेजने के लिए किया जाता है। यह राशि जो काटी जाती है, उन निर्माण कार्यों के अतिरिक्त और कहीं खर्च करने का प्रावधान है क्या और किस नियम में है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन है, क्या है, कौन है वो ? सदन को बताना चाहिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राशि का जो उपयोग है, प्राक्कलन को तैयार करने पर होने वाला व्यय, सर्वेक्षण हेतु मजदूरों का भुगतान, निरीक्षण पर होने वाला व्यय, शासकीय वाहन न होने पर किराये पर व्यय, स्टेशनरी व्यय एवं उपरोक्त कार्य में अन्य व्यय।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने जो बताया, इसके अतिरिक्त जो मैंने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में खर्च किया गया, संसदीय सचिवों के बंगले के रिनिवल में खर्च किया गया, 15 अगस्त, 26 जनवरी को खर्च किया गया।

अध्यक्ष महोदय :- उसी-उसी को मत दोहराईये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पैसे खर्च करने वाले के ऊपर आप कार्यवाही करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- भारसाधक मंत्री हैं, कुछ नही बोल सकते ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, सामूहिक जिम्मेदारी है, मंत्री केरूप में जवाब दे रहे हैं, जो गलत खर्च किया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने ही भारसाधक मंत्री कहा है । मंत्री ही भारसाधक होता है । उसमें कार्यवाहक भारसाधक होता नहीं है । आप ही ने कहा है कि भारसाधक है ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी उनके बजट में चर्चा होनी है, उसमें ये सब बातों की चर्चा कर लीजियेगा। यह लंबा प्रश्न है, उनसे प्रश्न कर लीजियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि क्या माननीय मंत्री जी कार्यवाई करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आयेंगे तो आप उनसे बात कर लीजियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने जो बताया है अगर उसके विपरीत खर्च हुआ है तो क्या कार्यवाई करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- श्री लालजीत सिंह राठिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाह्ंगा।

-अध्यक्ष महोदय :- मैं इसीलिए संरक्षण दे रहा हूं न। आप उनके विभाग की चर्चा में पूरी चर्चा कर लीजियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 प्रतिशत की राशि पंचायत, जनपद को जाना चाहिए और वह राशि पंचायत, जनपद को जाती नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, कुछ बातें तो चुप रहकर भी समझ लिया करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाह्ंगा।

अध्यक्ष महोदय :- बस आप समझ लीजिए। वह गरीब आदमी है, उस बेचारे को प्रश्न पूछने दीजिए। लालजीत सिंह राठिया जी।

जिला रायगढ़ अंतर्गत मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

9. (*क. 1092) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क)जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2019 से जनवरी 2020 तक की स्थिति में किन-किन विकासखंडों में मनरेगा से कितने कार्यों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई ? (ख)स्वीकृत कार्य में कितने कार्य प्रारंभ किए गए हैं कितने का अप्रारंभ है वर्षवार जानकारी देवें? (ग)स्वीकृत कार्यों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है कितनी राशि का भुगतान हेतु शेष है,कब तक भुगतान पूर्ण कर लिए जाएंगे?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ग) स्वीकृत कार्यो मे राशि रू. 10245.25 लाख का भुगतान किया गया है। मजदूरी भुगतान शेष नहीं है तथा लंबित सामग्री भुगतान राशि रू. 124.90 लाख का भारत सरकार से आबंटन प्राप्त होने पर पूर्ण किया जावेगा।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिला रायगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने कार्य प्रारंभ किये और कितने कार्य का अप्रारंभ है ? क्या यह सब जो कार्य किये गये हैं, उनका भ्गतान किया गया है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्य हुए हैं उसका परिशिष्ट में प्रपत्र लगा हुआ है। जनवरी 2019 से मार्च, 2019 तक स्वीकृत कार्य की संख्या दी है, स्वीकृत कार्य की राशि, पूर्ण कार्य की संख्या, प्रगतिरत कार्य की संख्या और अप्रारंभ कार्य की संख्या की जानकारी दी हुई है। इसमें कुछ कार्यों के बारे में आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान लंबित है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भी राशि स्वीकृत की गई है, उसको कब तक भुगतान किया जायेगा ? क्योंकि यह मजदूरों की मजदूरी का सवाल है। कुंआ निर्माण, डबरी निर्माण, स्कूल बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के भुगतान लंबित हैं।

⁷ परिशिष्ट- "सात"

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, अतिशीघ्र करा देंगे।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री रामकुमार यादव जी का प्रश्न है। कवासी लखमा जी सुनिये। आप ही की भाषा में उत्तर दीजिए।

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में स्थापित औद्योगिक कंपनी आर.के.एम. एवं डी.बी. पावर प्लांट के संबंध में [वाणिज्य एवं उद्योग]

10. (*क. 1041) श्री रामकुमार यादव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक कंपनी आर.के.एम., उचिंडा एवं डी.बी. पावर प्लांट, बाड़ादहरा-टुण्डरी में स्थानीय क्षेत्र के कितने नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? (ख) क्या यह सही है कि कंपनियों के स्थापना के समय जन सुनवाई के दौरान यह कहा गया था कि अधिग्रहित क्षेत्र के आस-पास के ग्रामीणों की सुविधा हेतु अस्पताल व स्कूल खोले जाएंगे ? यदि हाँ तो क्या इन कंपनियों के द्वारा अस्पताल व स्कूल खोले गए हैं ? यदि हाँ तो किन स्थानों पर और यदि नहीं तो क्यों ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक कंपनी आर.के.एम. उचिपंडा द्वारा 1541 एवं डी.बी. पावर प्लांट, बाड़ादहरा-टुण्डरी द्वारा 1088 स्थानीय क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। (ख) प्रश्नांश ख के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:- 1. मेसर्स डी.बी.पावर लिमिटेड के द्वारा ग्राम बाड़ादहरा-टुण्डरी में प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र का निर्माण एवं संचालन, ग्राम बांसमुड़ा में प्राथमिक पाठशाला का निर्माण, संयंत्र के समीपवर्ती गांव के 3 स्कूलों में स्मार्ट क्लास के संचालन हेतु उपकरणों की व्यवस्था, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था, बाउंड्रीवॉल का निर्माण, शौचालय निर्माण के कार्य कराये गये है। 2. मेसर्स आर.के.एम.पावर जेन. द्वारा परियोजना से प्रभावित आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वास्थ्यगत सुविधा का लाभ प्रदान करने हेतु व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र(ओ.एच.सी.) के माध्यम से सेवा प्रदान किया जा रहा है एवं साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र एवं ग्रामवासियों के "शिक्षा विकास हेतु ग्राम-बांधापाली में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवन का नवनिर्माण कर "शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया है, जिसका संचालन स्कूल"शिक्षा विभाग दवारा किया जा रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी से जानना चाहत हौं कि मोर क्षेत्र में आर.के.एम. कंपनी एवं डी.बी. कंपनी के द्वारा जेन समय जनस्नवाई में ओमन वादा करे रहिन हे कि हमन कंपनी खोल के हमन हॉस्पिटल लगाबो, ये क्षेत्र के मन नौकरी देबो, कहे रहिस हे। मैं आपसे पूछना चाहत हौं कि का वो वादा पूरे होये हे ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, दोनों कंपनी उनके विधानसभा क्षेत्र में हैं और प्रश्न के उत्तर में डिटेल दिया हुआ है कि एक कंपनी ने हॉस्पिटल बनाकर दिया है, वहां पर हॉस्पिटल संचालित है और दूसरी कंपनी ने स्कूल बनाकर दिया है, उस कंपनी द्वारा बनाये गये स्कूल को अभी सरकार चला रही है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करत हों चूंकि ये गरीब के मामला है। ये बड़े-बड़े आदमी मन आ करके के सपना देखात हे, कलकत्ता, बंबई, विदेश के आदमी मन बड़का-बड़का मंहगी कार में बड़े-बड़े कोट ला पहन के आत हे और संपना देखात हे कि तुमन के जमीन ला दीहा तो हमन बंबई, कलकत्ता कस बना देबो। सपना दिखाये के कंपनी ला खोल देत हे, ओकर बाद ओ मन ला ना स्कूल मिलत हे, न ओमन हॉस्पिटल मिलत हे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करत हों कि अगर इहां ले जांच के लिए टीम गठित कर देवै कि स्कूल सही मा खुले हे कि नहीं खुले हे, वहां सही में हॉस्पिटल खुले हे या नहीं खुले हे, लोकल आदमी ला नौकरी मिले हे या नई मिले हे, एमा क्या एक ठो जांच टीम कठिन करही ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, वहां कपनी ने लाखों रुपये का हॉस्पिटल भी खोला है और दूसरी कंपनी ने स्कूल भी खोल दिया है। वह संचालित है। उसमें जांच का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वह अपने क्षेत्र में स्कूल और हॉस्पिटल को देखें होंगे कि खुले हुए हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी चूंकि मैं गरीब घर के हौं, गरीब के बात हा अच्छी तरह से जानत हौं, मैं फिर से मोर अध्यक्ष जी से निवेदन करत हौं बड़े-बड़े आदमी मन के जांच तो बहुत कराये हा, एक ठे गरीब के मांग मा का होवत हे, एक ठे जांच करा के देख देवा। दूध के दूध, पानी के पानी हो जाही। चूंकि ये गरीब के मामला है, इस सदन के मन देखत हौ, छत्तीसगढ़ के गरीब आदमी मन जेखर जमीन गये हे, आपसे निवेदन हे, तुहू गरीब के बेटा हे, मैं सुने हौं, एक गरीब की मांग मा न्याय करा, एक ठे जांच टीम गठित करौ, मोर आपसे निवेदन हे। सही में दूध के दूध, पानी के पानी हो जाही कि स्कूल, हॉस्पिटल खुले हे या नई खुले हे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं कि दोनों कंपनियों ने पैसा खर्चा नहीं किया है। आप विधायक जी को पूरे सी.एस.आर. का रिकार्ड दे दीजिए न। कितना पैसा में कंपनियां चल रही हैं, उत्पादन हो रहा है, दोनों कंपनियों ने सी.एस.आर. में प्रतिवर्ष कितना खर्च किया है, उसका रिकार्ड माननीय विधायक जी को दें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कवासी लखमा जी बोल रहे हैं कि स्कूल बन गया है और रामक्मार यादव जी बोल रहे हैं कि नहीं बना है। श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कह रहा हूं और पूरे सदन से निवेदन करथों कि मैं एक हा गरीब आदमी बर जानकर रहव। पूरा प्रदेश के 2.5, 3 करोड़ जनता हो एला देखथे, तव एक बार जांच कराव।

श्री नारायण चंदेल :- वह ठीक बोल रहे हैं, ते स्पष्ट बोलथे न, हॉस्पिटल हा नहीं बनाही। वह ठीक बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चिलये मंत्री जी, जांच करवायेंगे ? मंत्री जी आप बोल दीजिये, जांच करवाते हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदस्य जो बता रहे हैं कि वहां स्कूल नहीं बना है, हॉस्पिटल नहीं बना है। अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि कोई दूसरा मुद्दा है, जो छूटा है, तो अगर वह बोलेंगे तो उसकी जांच करवा देंगे। लेकिन यह तो already बन चुका है। स्कूल भी बना है, हॉस्पिटल भी बना है। लेकिन अगर यह कुछ और बोलते हैं, जैसे नौकरी के बारे में और किसी चीज के बारे में बोलेंगे तो जांच करवा देंगे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सी.एस.आर. से पैसा (व्यवधान) है कि नहीं, उसकी जांच करवा दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भैया, मोर यह कहना है कि माननीय मंत्री जी ओ क्षेत्र में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, वहां के मन कोनो गिरथिस, एक्सीडेंट होतिथ तो, ओ मन ला रायगढ़ ले जाथे। मोर आपसे प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार जी, मेरी बात सुनिये। तै मंत्री जी ला अपन क्षेत्र में बुला, ओला दौरा करवा और ओला दिखवा दें। काबर वह उल्टा-सीधा ..।

श्री रामकुमार यादव :- हमन ऐसे जाबो तो कोई नइ सुनै, तुहार दम पर जाबो, यहां ले टीम गठित करें, तो ओ मन सुनही। हमर निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- हां। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, आपभी जांजगीर जिला के हे, मैं तोर से निवेदन करौ। मैं आपसे प्रार्थना करथो अध्यक्ष जी, मोर जांजगीर जिला के हे, एक टीम गठित कर दो।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, तोहर नेतृत्व में टीम गठित होही, तभी तो सुनही।

श्री रामकुमार यादव :- जांच करवा दो, कि हाँस्पिटल बिनस के नहीं बिनस, सी.एस.आर. में बिनस के नहीं बिनस।

श्री शैलेश पाण्डे :-माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकी जी बहुत बार बोल रहे हैं, जांच करवा देनी चाहिये। माननीय मंत्री जी जांच करवा दीजिये न, माननीय विधायक जी बोल रहे हैं।

श्री रामक्मार यादव :- छत्तीसगढ़ के गरीब आदमी के भला हो जाही।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, रामकुमार जी, सुन न, तै पहली सुधार, वह गरीब के बेटा नहीं हे, अरबपति के बाप है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सी.एस.आर. में पैसा है। भारत सरकार के गाइडलाईन के आधार पर होता है। समय-समय पर वहां के जनप्रतिनिधि या वहां के अधिकारी उन मांगों के लिये अगर मांग करते हैं तो देते हैं। लेकिन हमारी सरकार की मजबूरी नहीं है कि आप पैसा दो, ऐसा अधिकार नहीं है, उसका मापदण्ड भारत सरकार तय करती है, कि काम देना है कि नहीं देना है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)। महोदय, एक ठोक जांच करवा दो। अध्यक्ष महोदय :- ठीक हे न, जांच कराही ग। श्री रामकुमार यादव :- हां चलो, धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 11: XX XX

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापकों ,सहायक प्राध्यापकों व चिकित्सा विशेषज्ञों के स्वीकृत, रिक्त व भरे पद

[चिकित्सा शिक्षा]

12. (*क्र. 1163) श्री बचेल लखेश्वर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में इस समय प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों व चिकित्सा विशेषज्ञों के स्वीकृत, रिक्त व भरे पदों की स्थिति क्या है ? यह जानकारी 01 अप्रैल 2021 व 31 जनवरी 2022 की स्थिति में बतावें ? (ख) कृपया बतावें कि रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या विभाग की कोई कार्ययोजना है ? यदि हां तो यह कब तक पूरी हो जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :(क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेज स्व.श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कांकेर में प्राध्यापको, सहायक प्राध्यापको व चिकित्सा विशेषज्ञों के स्वीकृत रिक्त व भरे पदों की जानकारी 01 अप्रैल 2021 व 31 जनवरी 2022 की स्थिति में प्रपत्र संलग्न है। (ख) रिक्त पदों पर भर्ती हेतु स्व.श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर के द्वारा प्रत्येक माह के 30

_

⁸ परिशिष्ट "आठ"

तारीख को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित कर संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है तथा नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कांकेर में चिकित्सकों की भर्ती हेतु प्रक्रिया लोक सेवा आयोग, छतीसगढ़ के माध्यम से की जा रही है। भर्ती पूर्ण करने हेत् तय समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा, अस्पताल, के द्वारा, इस संबंध में हमारे माननीय चित्रकूट विधायक भी पूछे थे और इसका उत्तर भी आया था, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि, (ख) के उत्तर में रिक्त पदों में भर्ती हेतु स्व. बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर के द्वारा प्रत्येक माह में 30 तारीख को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित कर संविदा नियुक्ति की जाती है। अभी तक कितने लोगों को संविदा नियुक्ति दी गयी, मैं यह जानना चाहता हूं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 2013 से वॉक-इन-इंटरव्यू का सिस्टम चल रहा है और इसमें जो टोटल नियुक्ति हुई है, वह यह है, कुल संविदा नियुक्ति में विषय विशेषज्ञों की संख्या, प्राध्यापक-26, सह प्राध्यापक- 29, सहायक प्राध्यापक-55 कुल 110 की नियुक्तियां की गयी। वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित अभ्यर्थी विषय विशेषज्ञों की संख्या, प्रापध्यापक- 43, सह प्राध्यापक-53, सहायक प्राध्यापक- 107, कुल 203।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राध्यापक-4, सह प्राध्यापक-14, सहायक प्राध्यापक-28, इस तरह विभिन्न पदों में कम से कम इसमें सैकड़ों पद रिक्त है। उसके बावजूद भी हमारे मेडिकल कॉलेज से जिस विषय में है, उसको भी पदोन्नत कर दूसरी जगह भेजा गया है। महोदय, हमारे यहां के 10-12 डॉक्टरों को कांकेर में स्थानांतरण किया गया है, तो क्या उनको वापस करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- 12.00 बजने वाले है, जल्दी करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 12.00 बजने में कई लोगों का दिमाग खराब होता है, सदन आराम से चले।(हंसी)

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, इनका तो रोज ही दिमाग खराब होता है, रोज सुबह, शाम होता है। इनका कैसे करें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा। अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी, आधे मिनट में समाप्त करिये।

जिला जांजगीर चाम्पा में संचालित देशी एवं विदेशी शराब दुकान

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

13. (*क्र. 1145) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर चाम्पा में कहां-कहां पर देशी एवं विदेशी शराब दुकान संचालित

हैं, विकासखण्डवार, मिदरा दुकानवार, बतायें ? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार उपरोक्त मिदरा दुकान में किस प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी नियुक्ति किये गये हैं, बतायें ? (ग) उक्त प्लेसमेंट एजेंसी को राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों के भुगतान हेतु कितनी राशि दी जाती है और उक्त कर्मचारियों को प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा कितना राशि दी जाती है ? (घ) क्या जिला जांजगीर चाम्पा के देशी एवं विदेशी शराब दुकान से मात्रा से अधिक मात्रा में शराब देने की शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां तो वितीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 10 फरवरी, 2022 तक का विवरण बतायें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की विकासखण्डवार मदिरा दुकानवार की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जिला जांजगीर-चांपा में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी ईगल हंटर साल्यूशन प्रा.लि. एवं सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी इंटीलिजेंट सर्विसेस एजेंसी (एस.आई.एस.) के माध्यम से कर्मचारी नियुक्त किये गये है। (ग) उक्त प्लेसमेंट एजेंसी को राज्य शासन के द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है। संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भुगतान किया जाता है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी को एवं प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में कार्यरत् कर्मचारियों को मासिक भुगतान की पदवार जानकारीसंलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जिला जांजगीर-चांपा में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से मात्रा से अधिक मात्रा में शराब देने की वर्ष 2020-21 में 02 शिकायत एवं 2021-22 में 10 फरवरी, 2022 तक 02 शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों की जांच किये जाने पर शिकायत सहीं नहीं पाई गई।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्लेसमेंट कंपनी वाले मन नौकरी ले काबर निकाल देथन, जेला लगाये हे तेला ?

अध्यक्ष महोदय :- यह आपका सवाल है?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- एक बार जरा फिर से बोलिये।


अध्यक्ष महोदय :- जब तक तो इनकी बारी निकल जायेगी। (हंसी)

_

⁹ परिशिष्ट "नौ"

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्लेसमेंट के माध्यम से दारू बिकरी करथे , ओ में नौकरी लगे हे, ओला आये दिन निकाल देथे, फिर नया लड़का रखथे, तो ये का व्यवस्था हे ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।



समय :

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) ताइमेटला, मोरपल्ली, तिम्मापुरम मुठभेड़ व अग्निकांड तथा दोरनापाल में स्वामी अग्निवेश के साथ घटित घटना की जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, ताइमेटला, मोरपल्ली, तिम्मापुरम मुठभेड़ व अग्निकांड तथा दोरनापाल में स्वामी अग्निवेश के साथ घटित घटना की जांच हेतु गठित विशेष न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पटल पर रखता हूँ।

(2) दिनांक 12 जुलाई, 2009 को मदनवाड़ा कोरकट्टी एवं कोरकट्टा पुलिस स्टेशन मानपुर, जिला राजनांदगांव में, पुलिस पर हुए नक्सली हमले के विषय पर नियुक्त न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, दिनांक 12 जुलाई, 2009 को मदनवाड़ा कोरकट्टी एवं कोरकट्टा पुलिस स्टेशन मानपुर, जिला राजनांदगांव में, पुलिस पर हुए नक्सली हमले के विषय पर नियुक्त न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पटल पर रखता हूँ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 एवं अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ लोक आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 एवं अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूँ।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2021

गृहमंत्री (श्री तामध्वज साह्) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2021 पटल पर रखता हूँ।

(5) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का दवितीय वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19 पटल पर रखता हूँ।

सदन को सूचना

एस.एम.सी.हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही.एफ. रिसर्च सेन्टर द्वारा 'कार्डियक कैम्प' का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा स्थित सदस्य लॉबी कक्ष में एस.एम.सी.हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही.एफ. रिसर्च सेन्टर द्वारा आज दिनांक 16 मार्च, 2022 को भी 'कार्डियक कैम्प' आयोजित है। अत: जिन माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया है वे भी शीघ्र स्वास्थ्य परीक्षण

पुच्छा

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में जमीनों के मामलों को लेकर, अफरा-तफरी मची हुई है। शासन के जितने जमीन हैं उन सारी जमीनों को कैसे बेचा जाए, इसके लिए पूरे प्रदेश में सरकार इस समय एक सूत्रीय अभियान में लगी हुई है। चाहे वह बिलासपुर, रायपुर, भिलाई हो। आने वाले समय में बच्चों के खेल के लिए भी कोई जमीन नहीं बच पाएगी। आप कोई शासकीय निर्माण कार्य कराना चाहेंगे, उसके लिए भी कोई जमीन नहीं बचेगी। पता नहीं, इस सरकार को क्या हो गया है?यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब जमीनों की बात आती है तो लगातार आपकी जमीनें बिक्री होती जा रही है। इस प्रकार से हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी काली बाड़ी चौक भिलाई में 7, 8 करोड़ रूपये की जो जमीन है, उसको सरकार, हाऊसिंग बोर्ड के द्वारा दो-ढाई करोड़ रूपये में बिक्री कर दी गई है। इसमें प्रॉपर जो नियम और प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए, वह नियम प्रक्रियाएं पालन भी नहीं हुई हैं सिंगल ऑफर आया और ऑफर आने के बाद में बेच दिया गया है, हमने इसमें ध्यानाकर्षण दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसे स्वीकार करेंगे।

करा लेवें।

समय :

12.03 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन ह्ए)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में अनेक प्रदेशों में कश्मीर फाईल्स फिल्म में टैक्स में छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ की जनता भी उस फिल्म को देखना चाह रही है और यहां टैक्स में छूट नहीं मिली, इसके कारण लोग उस फिल्म को देखने से वंचित हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि अन्य प्रदेशों में जो छूट दी गई है, वहां की जनता को जो लाभ मिल रहा है, वे जाकर फिल्म देख रहे हैं। यहां भी उस फिल्म में टैक्स में छूट दें और छूट देने के बाद, जो लोग फिल्म देखना चाहते हैं उनको भी लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने शून्यकाल में जो मामला उठाया है, उन्होंने और विषय पर मामला उठाया ही है, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में जी.एस.टी. में छूट की बात कही है, मैं तो सदन से कहना चाहूंगा, माननीय नेता जी से और सब सदस्यों से भी कहना चाहूंगा कि हम फिल्म भी देखने चलें। दूसरी बात यह है कि क्योंकि जी.एस.टी. केवल राज्य सरकार का नहीं है। जी.एस.टी. सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है तो यहां से हम लोगों को प्रस्ताव करना चाहिए कि भारत सरकार पूरे देश में इस फिल्म में छूट प्रदान करे तो यह पूरे देश में होगा। हम लोग करेंगे तो यह आधा-अधूरा होगा, पूरे देश को छूट मिले। देश की जनता देखे। इसलिए हम लोग भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि पूरी जी.एस.टी. में छूट प्रदान करे।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आपके 9 सांसद हैं, वह सब जाकर राज्य सभा में प्रधानमंत्री जी को आवेदन लगाए। मैं जो प्रस्ताव दिया हूँ, उसको आप मान रहे हैं क्या ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई अवसर आयें हैं कि प्रदेश में विभिन्न अवसरों पर छूट प्रदान किये हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छूट प्रदान किये हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पत्र भी लिखे, हमको उसमें दिक्कत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पत्र लिखें, लेकिन छूट तो प्रदान करें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार इस छूट को पूरे देश में लागू करे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं। यह जो मनोरंजन कर है, यह राज्य
 का विषय है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं। जी.एस.टी. लगने के बाद, आधा हिस्सा हमारा है और आधा हिस्सा भारत सरकार का है तो भारत सरकार इस छूट को प्रदान करे, यह पूरे देश भर में लागू हो। श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने हिस्से का तो माफ कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- ठीक है। (व्यवधान)

संसदीय सचिव, डॉ. (श्रीमती) रिश्म आशिष सिंह (महिला एवं बाल विकास से सम्बद्ध) :-ग्जरात में पकड़ानिया तो दिखवा लीजिए। (व्यवधान)

- श्री भूपेश बघेल :- भारत सरकार इस छूट को प्रदान करे। पूरे देश के लोग देखेंगे । (व्यवधान)
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इन लोगों को पता ही नहीं रहता है। (व्यवधान)
- श्री भूपेश बघेल :- भारत सरकार इस छूट को प्रदान करे। हमारा भी हो जाएगा। (व्यवधान)
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पूरा देश मा करवा देव ना। मोदी जी से कुछ नहीं होता। (व्यवधान)
- श्री कवासी लखमा :- इनको पूछ नहीं रहे हैं। इनका तो चलता नहीं है।
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के अन्य राज्यों में मनोरंजन कर माफ किया है तो छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर जो राज्य का विषय है। (व्यवधान)
 - डॉ. शिवक्मार डहरिया :- मनोरंजन कर का भी पैसा देना पड़ता है।
- श्री भूपेश बघेल :- बृजमोहन जी, मैंने दिखवा लिया है तभी मैं कह रहा हूं। भारत सरकार का 9 प्रतिशत है, राज्य सरकार का आधा हिस्सा 9 प्रतिशत है। इसलिए यह सदन से प्रस्ताव हो जाना चाहिए कि पूरे देश में इसको छूट मिले। हम लोग भी चाह रहे हैं कि इसको (व्यवधान)
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पहले केन्द्र सरकार छूट दे, हम लोग तो देने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)
 - श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- पहले केन्द्र छूट दे, फिर हमारी सरकार तैयार है।
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले केन्द्र अपने आप माफ कर देगा तो मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि केन्द्र (व्यवधान) करता है।

उपाध्य<mark>क्ष महोदय :- नेता जी, सूचना दीजिए।</mark>

- श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मिनट। (व्यवधान)
- डॉ. (श्रीमती) रिश्म आशिष सिंह :- पहले यह झूठी शिकायत किए कि हाऊसफुल नहीं है। (ट्यवधान)
- शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सदन टैक्स माफ करने को पारित कर दे तो हम कर देंगे। मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं कि आपका प्रस्ताव स्वीकार करके (व्यवधान)
 - डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोगों ने पहले झूठी शिकायत की। (व्यवधान)
 - श्री शिवरतन शर्मा :- हम आज माफ कर रहे हैं। आप केन्द्र की शर्त...।(व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अपना भी छूट दें, हमारा भी छूट रहेगा। इसमें क्या है। (व्यवधान) भारत सरकार छूट करे फिर हम लोग तैयार हैं...। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिएगा। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप सर्व सम्मित से प्रस्ताव भेज दो। आप यहां घोषणा कर दो कि हम टैक्स माफ कर रहे हैं।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी बैठिए।

- श्री भूपेश बघेल :- पहले वे छूट करें फिर हमारी छूट। (व्यवधान)
- श्री शिवरतन शर्मा :- हम केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजते हैं कि...। (व्यवधान)
- श्री भूपेश बघेल :- प्रधानमंत्री जी देखे हैं, (व्यवधान) तो वह अब छूट करें, हम लोग देखने जाएंगे। (व्यवधान)
 - श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय...।
 - डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वे छूट करें, हम लोग पिक्चर देखने चलेंगे। (व्यवधान)
- श्री भूपेश बघेल :- आज शाम को विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने दीजिए, मैं सभी सदस्यों को आमंत्रित करता हूं। सब लोग पिक्चर देखने चलेंगे, उसमें क्या है। (मेजों की थपथपाहट) चलिए, आप लोग भी चलें।
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अऊ टिकट ला हमन करवाबो, तुमन ला नई लगे, चिंता मत करव। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, एक मिनट।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से अन्रोध करता है कि ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य ध्यान दें, चूंकि शून्यकाल चल रहा है। बारी-बारी से राय दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, खाली हमारे लिए नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक साथ बोलने से कोई मतलब नहीं है, शून्यकाल में अपनी बात रखिएगा। सबको मौका दी जाएगी।

न्डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मोदी जी की बुद्धि नहीं है (व्यवधान) आप लोगों को पता ही नहीं रहता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, खाली यह सदन के 90 सदस्यों के लिए नहीं है। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है और माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं। अगर सदन प्रस्ताव करता है तो हम करा देंगे। तो मैं प्रस्ताव रखता हूं कि यह सदन मुख्यमंत्री जी के।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं सुन रहा हूं न मैं जवाब देता हूं। आप शून्यकाल में किस नियम के तहत प्रस्ताव कर रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) रिश्म आशिष सिंह :- आप लोकसभा सदस्यों को बोलिए, दिल्ली में प्रस्ताव करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, आप बैठिएगा। नाम प्कारा गया है। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप किस नियम के तहत प्रस्ताव कर रहे हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अजय चंद्राकर जी, आप शून्यकाल की सूचना दें। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। (व्यवधान) हम आपके प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन का सदस्य हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सदन प्रस्ताव पारित करता है तो हम कर देंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ...। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आप लोग नेता प्रतिपक्ष जी को बोलने नहीं दे रहे हो। (व्यवधान) मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, इन लोग आपको दबा देते हैं। आपको बोलने नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- यह कोई प्रक्रिया है क्या ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शून्यकाल हमारा है। (व्यवधान) मैं नियमों के तहत कर रहा हूं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप प्रस्ताव नहीं कर सकते।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सदन माननीय मुख्यमंत्री जी के कथनानुसार प्रस्ताव करता है कि द कश्मीर फाईल्स, के तहत इसको (व्यवधान) सर्व सम्मति से प्रस्तावित करते हैं, इसको सदन पारित कर दे। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। आपके 9 सांसद हैं। मोदी जी से जाकर निवेदन करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- पारित कर देते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- शाम को पिक्चर देखने चलोगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप पारित कर दीजिए। (व्यवधान)

-उपाध्यक्ष महोदय :- जैसे कि मैंने कहा, सभी सदस्यों से निवेदन है, शून्यकाल चल रहा है, आप बारी-बारी से अपनी बात रखिएगा। श्री अजय चंद्राकर जी। नेता जी आप बैठिएगा। शून्यकाल चल रहा है, उसमें बारी-बारी से बात रखेंगे। मंत्री जी आप लोग भी बैठिए। (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये नेता जी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं । ये चारों लोग उनको दबा दे रहे हैं।(व्यवधान)

- श्री धरमलाल कौशिक :- आप मेरे बोलने की चिंता क्यों कर रहे हैं?(व्यवधान)
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहुत बार आसंदी की तरफ से, सरकार की तरफ से बह्त सारे ऐसे विषय होते हैं।(व्यवधान)
 - श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप प्रस्ताव लिखित में दें न, विधासभा परीक्षण करेगा । (व्यवधान)
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसे विषय होते हैं जिसमें सर्वसम्मति से हम यहां पर प्रस्ताव पारित करते हैं । (व्यवधान)
 - श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप लिखित में प्रस्ताव दें । (व्यवधान)
 - श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने प्रस्ताव दिया है ।
 - डॉ. शिवक्मार डहरिया :- आप प्रक्रिया के तहत् आईये न । (व्यवधान)
- श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अवसर इस सदन में ऐसा आया है कि विपक्ष का स्थगन जो है वह संकल्प में परिवर्तित हुआ है । विपक्ष का स्थगन संकल्प में परिवर्तित हुआ है, ऐसा एक अवसर इस सदन में आया है । (व्यवधान)
 - श्री सत्यनारायण शर्मा :- क्या आप लोगों ने लिखित में प्रस्ताव दिया है ? (व्यवधान)
- उपाध्यक्ष महोदय :- चिलये, अजय चंद्राकर जी बोलिये । नेता जी आप बैठिये, अग्रवाल जी आप बैठिये । (व्यवधान)
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री जी के अपनी बात रखने के बाद प्रस्ताव दिया है । (व्यवधान) उस प्रस्ताव को आप सर्वसम्मति से पारित कर दें । (व्यवधान)
 - उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी बात सदन में आ गयी है, आप बैठ जायें । (व्यवधान)
- श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव कहां से आ गया, आप कहां से कुछ भी कर रहे हैं । (व्यवधान)
 - उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अजय चंद्राकर जी ।
- श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने शून्यकाल में जिसका उल्लेख किया तो अनापित प्रमाण-पत्र में उसमें 15171 स्क्वेयर फीट बतायी गयी लेकिन पंजीयन में वह 19,857 हो जाती है, पंजीयन का साईज और दूसरी बार में जगह खाली रखकर नाम भी जोड़ दिया जाता है । कांग्रेस का पदाधिकारी है और उससे महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का मूल निवास है उससे 10 किलोमीटर से भिलाई नगर-निगम शुरू हो जाता है और आपसे आग्रह है कि यह जमीन का जो बंदरबांट चल रहा है । अमितेश जी, खरीदेगा कौन पहले से मालूम रहता है, बेचेगा वह बात अलग है । मैंने उस दिन भी गवर्नर एड्रेस में बोला था कि पहले से मालूम रहता है कि कौन-कौन कहां-कहां की जमीन को खरीदेंगे और उसके लिये क्या प्रक्रिया अपनायी गयी । ध्यानाकर्षण में वही प्रक्रिया अपनायी गयी कि कांग्रेस के एक पदाधिकारी एक प्रभावशाली परिवार

को यह 7-8 करोड़ की जमीन को...। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या चर्चा शुरू हो गयी है ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिये आपसे आग्रह है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है । माननीय चंदेल जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननयी उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसमें ध्यानाकर्षण दिया है और आपसे इस बात का आग्रह है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी ने चंदेल जी का नाम पुकारा है तो आप बीच में क्यों खड़े हो गये ? ये किसी को बोलने ही नहीं देना चाहते, न नेता प्रतिपक्ष जी को बोलने देना चाहते हैं और न किसी को बोलने देते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये किस नियम से खड़े हैं ? शून्यकाल में हम लोग बोलेंगे, ये किसलिये खड़े हैं ?

- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी ने अनुमति दी है । (व्यवधान)
- श्री शिवरतन शर्मा :- आपको कोई अनुमति नहीं दी है।(व्यवधान)
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- क्या ये किसी को बोलने ही नहीं देंगे ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 करोड़ की जमीन को ढ़ाई करोड़ में इस सरकार ने बेच दिया । नियम, कायदे-कानूनों का पालन नहीं किया गया । सिंगल ऑफर में उसको एलॉट कर दिया गया और वह प्रभावशाली कांग्रेस के नेता हैं । मुख्यमंत्री जी के नजदीकी हैं तो क्या सरकार की जमीन को, 15 करोड़ की जमीन को ढ़ाई करोड़ में दे दिया जायेगा ? यह बहुत दुर्भाग्यजनक है, यह तो हम लोगों के नॉलेज में एक घटना आ गयी । ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में नहीं हुई ।(व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब कायदे-कानून से हुआ है। अगर ऐसी बात है तो ये कोर्ट में चले जायें । (व्यवधान) ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं । ये कोर्ट में चले जायें । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम विधानसभा में अपनी बात को रख रहे हैं ।(ट्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चिलये, बैठिए । अग्रवाल जी, आपकी बात हो गयी है । माननीय चंदेल जी ।(व्यवधान)

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको चैलेंज करता हूं । यह गलत आरोप है ।(ट्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भिलाई नगर इस देश की औद्योगिक नगरी है । अगर औद्योगिक नगरी की जमीन को माननीय मुख्यमंत्री जी या मंत्रीगण यहां खड़े होकर बोल दें कि कोई भी ले, किसी भी जमीन के लिये और अगर ऐसा ऑफर देता है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, सिंगल टेंडर होगा हम उसको स्वीकार करेंगे । सिंगल ऑफर होगा हम उसको स्वीकार करेंगे । आज तक हमारे जो नियम हैं, नियम-प्रक्रिया है । कानून के अनुसार सिंगल ऑफर को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसको निरस्त किया जायेगा तो क्या छत्तीसगढ़ में सत्तापार्टी से जुड़े हुए प्रभावशाली लोग ओने-पौने दाम पर सरकारी संपत्ति को खरीद लेंगे तो छत्तीसगढ़ में क्या मैसेज जायेगा, क्या आम आदमी भी लेगा तो उसको दे दिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चिलये, आपकी बात आ गयी । माननीय चंदेल जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आपकी जमीन नीलाम की गयी है तो मुख्यमंत्री जी खड़े होकर घोषणा करें कि उसको निरस्त किया जाता है या उसकी जांच करवायी जायेगी, हमने उसके ऊपर में ध्यानाकर्षण दिया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि आप इसे स्वीकार करें और उसके ऊपर चर्चा करवायें ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में न खेल मैदान बचा है, न निस्तारी भूमि बची है और न मुक्ति धाम के लिए भूमि बची है। सुनियोजित ढंग से भूमाफियाओं के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी सरकारी जमीन है, उस पर कब्जा किया जा रहा है। यह सिर्फ सरकार के संरक्षण में है और सरकार के आदेश पर है। ये सिर्फ भिलाई का विषय नहीं है। भिलाई में जिस प्रकार का खेल खेला गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा ऋण लेने हेतु अनापित प्रमाण-प्रत्र जारी किया गया है और बेशकीमती जमीन को 7 करोड़, 8 करोड़ की जमीन को कौड़ी के भाव में बेच दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इस पर ध्यानाकर्षण दिया है। इस ध्यानाकर्षण को स्वीकार करके चर्चा करायें।

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भिलाई की जमीन जिसका बाजार मूल्य 15 करोड़ रूपये है, उसे ढाई करोड़ रूपये में दे दिया गया। हाउसिंग बोर्ड जो जमीन को बेच रही है, उस जमीन को सिंगल टेंडर में बेच दिया गया। सिंगल एक आदमी के आवेदन पर जमीन बेच दी गई और कोई भी ऑफसेट प्राइस नहीं रखी गई। कोई भी सरकारी संपत्ति अगर बिकेगी तो गाइडलाइन के आधार पर उसकी ऑफसेट प्राइस रखनी चाहिए। कोई ऑफसेट प्राइस नहीं रखी गई। मिनिमम प्राइस क्या होगी? एक व्यक्ति को, एक परिवार को अनुग्रहित करने के लिए पूरी जमीन दे दी गई और सरकारी संपत्ति का इस तरह खुली लूट और बंदरबांट हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ध्यानाकर्षण को आप ग्राह्य करें और इस पर चर्चा करवायें।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंगल ऑफर में जमीन ट्रांसफर हुई और सिंगल ऑफर भी था 15 हजार स्क्वेयर फीट का और बाद में जब पंजीयन हुआ, वह पंजीयन 19 हजार स्क्वेयर फीट का हो गया। सिंगल ऑफर एक व्यक्ति का था। जब पंजीयन हुआ तो उसमें दूसरा नाम और जुड़ गया और पूरे पेड़ फॉरेस्ट विभाग ने लगाये थे। नगर निगम ने लगवाये थे। ये पता नहीं, पूरे पेड़ की किटेंग हो गयी। 15 करोड़ की जमीन ढाई करोड़ में दे दी गयी और केवल [XX]¹⁰, इसलिए दे दी गई। यह तो न्यायालय में विषय आ गया। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, पता नहीं। हमारा ध्यानाकर्षण हैं, इसे आप स्वीकार करके चर्चा करवायें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये तो गलत बात है। (व्यवधान)

म्ख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- म्ख्यमंत्री का मामला है क्या?

श्री अमितेश शुक्ल :- आप क्या-क्या बातें बोल रहे हैं। आप कुछ भी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का होता है। आप मेरे करीब नहीं हो? अजय चन्द्राकर जी करीब नहीं हैं या बृजमोहन जी मेरे करीब नहीं हैं? धरमलाल कौशिक जी मेरे करीब नहीं है? तो हर बार मुख्यमंत्री के करीब। यह क्या है?

श्री शिवरतन शर्मा :- वे आपके हमसे ज्यादा करीब हैं।

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- इसे विलोपित करिए। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप एक बार बोल दें तो समझ में आता है, लेकिन बार-बार बोलेंगे। ठीक है नियम प्रक्रिया होगी, उसे आपने उठाया है, यह मैं मानता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम भी आपके नजदीक हैं। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह गलत बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसे विलोपित किया जाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- इसे विलोपित किया जाये।

श्री कवासी लखमा :- मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाना, यह गलत बात है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मैं नियम 138 (1) अधीन ध्यानाकर्षण सूचना लूंगा। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी।

श्री अरूण वोरा :- उपाध्यक्ष महोदय, क्या है जो पारदर्शिता इन 3 सालों में दिखाई दे रही है, वह 15 साल में नहीं देखी गयी। केवल हवा में हाथ हिलाने से कुछ नहीं होता।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, इसे विलोपित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना इस प्रकार है।

उपाध्यक्ष महोदय :- नाम पुकारा गया है।

_

^{10 [}XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशान्सार निकाला गया।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- कोरबा जिले के एक सड़क का मामला है, जिसमें सी.एस.आर. की राशि से पी.डब्ल्यू.डी. को फंड में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय ने काम को रोककर रखा है। 20 दिन तक काम रूका हुआ है और वह स्टार्ट हो, इसके लिए मांग कर रहे हैं। इस पर कम से कम ध्यान दें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, धमतरी नगर-निगम में प्रधानमंत्री आवास ए.एच.पी. के तहत विभिन्न स्थानों पर बहुमंजिला आवास निर्माण होना था। लगातार हमारे पार्षदगण वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। वर्ष 2018 में इसकी स्वीकृति मिली थी और यह कार्य प्रारंभ हुआ। वहां पर 780 आवास बनने थे, लेकिन नगर-पालिका निगम धमतरी की मेहरबानी से ठेकेदार को एडवांस पेमेंट किया गया और उसके बाद भी वह ठेकेदार वहां से कार्य अधूरा छोड़कर चला गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास स्थान नहीं हैं, उन्हें 780 आवास देने का तय किया गया था और उसी स्थान पर औद्योगिक वार्ड में जहां पर रेलवे के लोग प्रभावित हैं, ऐसे परिवारों को जहां पर उन्हें बसाना था, लेकिन आज भी वह आवास अधूरा है। आज परिस्थिति यह बनी हुई है कि जितने 400 परिवार आज प्रभावित हैं, लगातार रेलवे द्वारा उन लोगों को स्थान खाली करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। आज वे परिवार अधर में लटके हैं। हमारे पार्षदगण लगातार धरने पर बैठे हैं। हइताल पर बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, आपका ध्यानाकर्षण।

समय :

12.20 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) रायपुर नगर निगम द्वारा गोल बाजार के व्यापारियों से विकास शुल्क की वसूली

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण), श्री शिवरतन शर्मा, श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है -

रायपुर नगर निगम 125 वर्ष पुराने गोल बाजार (गांधी बाजार) को नया स्वरूप देने और मालिकाना हक देने के नाम पर ग़रीब चाकू-छुरी में धार लगाने वाले, टेलर, छोटे कपड़ा व्यापारी, फुटकर अनाज व्यापारी, रंगोली विक्रेता, ताला-चाबी बनाने वाले, जड़ी-बूटी दुकानदार, पान दुकानदार, रस्सी विक्रेता, मिट्टी का मटका, दोना-पत्तल बेचने वाले, नारियल, अगरबत्ती बेचने वाले, शादी का सामान, चूना, मिनयारी समान बेचने वाले पुस्तक बेचने वाले जैसे छोटे-छोटे व्यापारियों को लूटने में लगी हुई है। नगर निगम शासन से 1 रूपए की टोकन की राशि में प्राप्त जमीन से सैकड़ों करोड़ रूपए वसूली कर रही है। नगर निगम की इस कार्यवाही से वहां कोविड काल के चलते आर्थिक रूप से बदहाल व परेशान

सैकड़ों छोटे व्यापारी, व्यापार से जुड़े हुए हजारों लोग हतप्रभ और मानसिक रूप से अत्यंत परेशान हैं । 125 साल पहले आवंटित भू-खंड पर व्यापारी ने स्वयं के खर्चे से निर्माण किया है । अब नगर निगम उस निर्माण के हर तल पर अलग अलग दर निर्धारण कर पैसा कमाने में लगी हुई है। पूरे प्रदेश में कहीं पर भी विकास शुल्क के नाम पर 1000 रूपए प्रति स्क्वेयर फुट की दर से विकास शुल्क नहीं वसूला जा रहा है, जबिक गोल बाजार के व्यापारियों से 1000 रूपए की दर से विकास शुल्क वसूल रही हे । गोल बाजार पहले ही पूर्ण रूप से विकसित है और गली-गली में सघन रूप से बसा है तथा वहां विकास की संभावनाएं भी बह्त कम हैं। किंत् विकास के नाम पर भी विकास श्लक वसूलने के लिए नगर निगम कहीं कमी नहीं कर रही है। कई पीढ़ियों से वहां व्यापार करने वाले व्यापारियों को 125 साल पहले भूमि व्यापार करने के लिए दी गई थी । इनके पूर्वजों ने भूमि पर अपने पैसे से निर्माण कर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया और कई पीढ़ियों से वहीं व्यवसाय करते आ रहे हैं । नगर निगम रायप्र अब उनसे 125 करोड़ की वसूली कर रही है । नगर निगम रायप्र व्यापारिक संस्था नहीं है । नगर निगम का काम रायप्र शहर को विकास है, गोलबाजार के व्यापारी भूमि की कीमत देकर अन्य जगहों की तरह व अलग निर्माण के लिए अलग अलग दर, स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान करने व 10 वर्षों से सम्पति कर से छूट देने की मांग कर रहे हैं व इन शर्तों पर मालिका हक के लिए रजिस्ट्री कराने भी तैयार हैं, किंतु 1 रूपए टोकन में जमीन लेकर उस जमीन के बदले सैकड़ों करोड़ वसूली के नगर निगम के इस कृत्य से व्यापारियों के मन में शासन एवं प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश व्याप्त है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कथन सत्य नहीं है कि रायपुर शहर के ऐतिहासिक 125 साल पुराना गोल बाजार को सरकार बेचकर पैसे वसूली पर तुली हुई है । यह कथन भी सत्य नहीं है कि रायपुर नगर निगम 125 वर्ष पुराने गोल बाजार को नया स्वरूप देने और मालिकाना हक देने के नाम पर ग़रीब चाकू-छुरी में धार लगाने वाले, टेलर, छोटे कपड़ा व्यापारी, फुटकर अनाज व्यापारी, रंगोली विक्रता, ताला-चाबी बनाने वाले, जड़ी-बूटी दुकानदार, पान दुकानदार, रस्सी विक्रेता, मिट्टी का मटका, दोना-पत्तल बेचने वाले, नारियल, अगरबत्ती बेचने वाले, शादी का सामान, चूना, मनियारी समान बेचने वाले पुस्तक बेचने वाले जैसे छोटे-छोटे व्यापारियों को लूटने में लगी हुई है । यह भी सत्य नहीं है कि नगर निगम द्वारा शासन से 1 रूपए टोकन की राशि में प्राप्त जमीन से सैकड़ों रूपए वसूली कर रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।
 उपाध्यक्ष महोदय :- पहले जवाब पढ़ लेने दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इतना लम्बा उत्तर आज तक सदन के इतिहास में नहीं आया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि नगर पालिका निगम की योजना गोल बाजार में कई सालों से काबिज दुकानदारों को उनके कब्जे की दुकान पर मालिकाना हक प्रदान किये जाने की है। विशेष उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में मेयर इन काउंसिल के संकल्प क्रमांक 10 पारित दिनांक 17.01.2021 एवं सामान्य सभा के संकल्प क्रमांक 09 पारित दिनांक 07.02.2012 में गोलबाजार के छोटे-बड़े लगभग 1000 व्यापारियों को जिनसे किराये के रूप में बहुत कम आय प्राप्त होती थी, को निगम की वित्तीय स्थिति एवं राजस्व आय में वृद्धि हेतु काबिज स्थल पर निर्माण सहित विक्रय कर मालिकाना हक प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था। उक्त आशय के संबंध में तत्कालीन आयुक्त द्वारा प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पत्र क्रमांक 52, रायपुर दिनांक 14.05.2012 द्वारा अवगत कराया गया था। कतिपय कारणों से उक्त प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी।

नगर पालिक निगम के द्वारा पत्र क्रमांक 1866, दिनांक 15.07.2020 से कलेक्टर रायप्र को पत्र प्रेषित कर गोल बाजार की भूमि नगर पालिक निगम को आवंटित किये जाने लेख किया गया । निगम के आवेदन पर विचार उपरांत छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गोल बाजार नजूल भूमि ब्लॉक नम्बर 92, प्लाट नम्बर 2 क्षेत्रफल 153305 वर्गफ्ट को 1 रूपए टोकन दर पर नगर निगम को आवंटित करने का निर्णय लिया गया । वाणिज्यिक निष्पादन से प्राप्त राजस्व के वितरण हेत् मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पृथक से किये जाने एवं तत्समय ही भूमि के प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिये जाने संबंधी निर्देश राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4-24/सात-1/2020, दिनांक 29.12.2020 के माध्यम से प्राप्त हुए हैं । वर्तमान मेयर-इन-काउंसिल द्वारा पूर्व में (वर्ष 2012) पारित संकल्प के आधार पर छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों एवं योजनाओं पर विस्तार से विचार उपरांत संकल्प क्र.-08 दिनांक 12.03.2021 पारित किया है कि 'गोल बाजार के मूल व्यापारियों/किरायेदारों को व्यवस्थापित किये जाने हेत् भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाए, जिसके तहत् शासन एवं निगम की आय को बढ़ाना भी एक प्रमुख बिन्दु है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत राज्य शासन की अनुमति से सभी नियमों को शिथिल करते हुए वर्तमान कब्जेदार को राजस्व विभाग के प्रचलित नियम के तहत कलेक्टर गाईड लाईन मूल्य के 102 प्रतिशत से भूमि/द्कान अर्थात् निर्माण सहित भूमि आबंटित कर दिया जावे।'

मेयर-इन-काउंसिल के प्रस्ताव पर विचार उपरांत सामान्य सभा द्वारा संकल्प क्रमांक-18 दिनांक 27.07.2021 में भी राज्य शासन से अनुमति प्रापत कर उनके कब्जे की भूमि तथा भूमि पर निर्मित संरचना का मूल्यांकन वर्तमान प्रचलित गाईड लाईन दर एवं प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाकर 102 प्रतिशत पर काबिज दुकानदारों को आबंटित किये जाने का संकल्प पारित किया गया है। प्रस्ताव में उल्लेख है कि "परंतु रोड रास्ता एवं निस्तारी एवं बाह्य विकास के प्रयोजन हेतु भूमि को सुरक्षित रखते हुए उनके द्वारा शेष कब्जे की भूमि को ही आबंटित किया जाना उचित होगा। इसी प्रस्ताव में यह भी

उल्लेख है कि 'आवश्यक होगा कि उक्त विकास हेतु विकास प्रभार की गणना किया जाकर समानुपातिक रूप से सभी दुकानदारों से वसूल किया जाये तथा उक्त आशय के संबंध में राज्य शासन से अनुमित लिया जावे।" इसी के साथ चूंकि गोलबाजार में स्थित व्यवसायरत् व्यवसायियों का व्यवस्थापन किया जा रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- उत्तर की कापी मिल गई है। उत्तर इतना लंबा है, मत पढ़िये। आप व्यवस्था दे दीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मता बता देता हूं न। तुमन तीन झन पूछे हौ। त तीन झन के उत्तर ल दे देथव। तैं हर काबा चिंता करथस। तोला इन पूछना हे त तैं हर ओ पार जाके बैइठ। जाके भात-वात खा। मुइ ल अइसे खजवाय से का मतलब हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- तोला कष्ट झन होय तेकर बर कहथन। तैं हर जेन उत्तर ल पढ़थस, ओहर हमन तीनों करा हावय। हमन पढ़ दारे हावन।

- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं पढ़त हावव, त तुमन बेहोश काबा होथा। अरे जवाब ल तो सुन ले।
- श्री शिवरतन शर्मा :- जवाब ल तो पढ़ दारे हन। सी<mark>धा स्पष्</mark>टीकरण दे।
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं तो सुनावथव न तोला। ओ पढ़कर सुनाइसे न त मैं पढ़कर सुनाथव तोला त तोर मुड़ म काबा पीरा होवथे।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमन तो पूरा पढ़ दारेन।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, शर्मा जी। मंत्री आप पढ़िये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अत: उक्त संकल्प अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अचल संपति अंतरण नियम 1994 के प्रावधानों में सुसंगत छूट, निविदा प्रक्रिया में छूट, आरक्षण नियम में छूट भी शासन से मांगी गई है। इसके अतिरिक्त चूंकि गोलबाजार वर्तमान प्रचलित भूमि विकास नियम 1984 के पूर्व से प्रश्नाधीन भूमि पर अवस्थित है। अत: उक्त क्षेत्र में भू-अभिन्यास की आवश्यकता एवं नक्शा पास कराने के नियमों में स्संगत छूट प्रदान किये जाने हेत् संकल्प पारित किया गया है।

उक्त संकल्प पर विचारोपरांत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग को पत्र क्रमांक 3281 दिनांक 02.06.2021 से प्रस्ताव प्रेषित किया गया तथा आदेश क्रमांक 4304 दिनांक 16.07.2021 के तहत छ.ग. नगर पालिक निगम अचल संपित अंतरण नियम 1994 के प्रावधानों के अधीन क्रियान्वयन की संपूर्ण शक्तियां कलेक्टर रायपुर को प्रत्यायोजित की गई है। उक्त आदेश के अनुक्रम में कलेक्टर रायपुर द्वारा आदेश क्रमांक 276/7 दिनांक 12.10.2021 के तहत 02 अंतर्विभागीय समितियां गठित की गई। एक सर्वे समिति जिसमें नगर निवेशक नगर निगम रायपुर, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर एवं तहसीलदार नजूल सदसय है तथा दूसरी मूल्यांकन समिति जिसमें जिला पंजीयक रायपुर, उपायुक्त नगर निगम रायपुर एवं तहसीलदार रायपुर

सदस्य है। उक्त समिति द्वय द्वारा प्राप्त सर्वे सह मूल्यांकन प्रतिवेदन पर दावा आपित निराकरण किये जाने हेतु एक अन्य अंतर्विभागीय समिति का गठन भी कलेक्टर रायपुर द्वारा आदेश क्रमांक-314 रायपुर दिनांक 27.12.2021 द्वारा किया गया जिसमें अपर आयुक्त, राजस्व नगर निगम रायपुर की अध्यक्षता में संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला पंजीयक रायपुर, तहसीलदार रायपुर तथा नगर निवेशक नगर निगम रायपुर को सदस्य के रूप में रखा गया है।

उभय समितियों द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन सह मूल्यांकन पत्रक के अनुसार गोलबाजार क्षेत्र में अवस्थित दुकानों का भूमि क्षेत्रफल 90,415 वर्गफुट भूमि पर कुल निर्मित क्षेत्रफल 198110 वर्गफुट हेतु सामान्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार गाईड लाईन मूल्य का 102 प्रतिशत अर्थात् 1039766873.35 रूपये मूल्यांकन किया गया। साथ ही नगर निवेश शाखा द्वारा मूलभूत अधोसंरचना विकास हेतु इस्टीमेट बनाया गया। जिसकी प्राक्कलन राशि 198708000.33 रूपये को विकास प्रभार के रूप में लिये जाने में प्रति वर्गफुट बिल्डअप एरिया पर 1000 रूपये निर्धारित करते हुए प्रस्तावित किया गया। सामान्य सभा प्रस्ताव अनुसार उक्त विकास प्रभार की स्वीकृति शासन से ली जानी शेष है। वर्तमान में सर्वे एवं मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर दावा आपित की कार्यवाही की जा रही है। इसके पश्चात् सक्षम स्वीकृति उपरांत ही आगामी कार्यवही की जावेगी। गोलबाजार की परिसंपितयों का मूल्यांकन सामान्य सभा द्वारा पारित संकल्प के अनुरूप किया गया है, जिसमें केवल दुकानों की भूमि एवं निर्माण को शामिल किया गया है। यदि निगम द्वारा व्यावसायिक आधार पर परिसंपितयों का मूल्यांकन किया जाना होता तो प्राईवेट डेवलपर/बिल्डर की भांति रोड एवं खुली भूमि को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाता।

वर्तमान में शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाईन दरों पर 30 प्रतिशत की छूट दी गई है। उक्त छूट उपरांत गणना करने पर गोलबाजार की संपूर्ण भूमि का मूल्य अनुमानित 159.58 करोड़ रू. होता है। जबिक मूल्यांकन समिति द्वारा केवल काबिज क्षेत्रफल 90415 वर्गफिट भूमि का मूल्यांकन 76.35 करोड़ रू. ही किया गया।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नगरपालिक निगम द्वारा व्यवसायियों को गोल बाजार क्षेत्र में चबुतरे आबंटित किये गये थे। कालान्तर में व्यापारियों द्वारा सुविधा की दृष्टि से उपरोक्तानुसार आबंटित चबुतरों पर निगम की अनुमित के बिना दुकान का निर्माण कर लिया गया। उक्त भूमि पट्टे पर नगर पालिक निगम रायपुर की थी एवं उक्त स्थान पर सघन बसाहट, अनियोजित निर्माण होने के कारण विधिवत भवन निर्माण अनुज्ञा दिया जाना संभव नहीं था। अतः वर्तमान भूमि विकास व्यापारियों द्वारा किया गया निर्माण वर्तमान प्रचलित भूमि विकास नियम 1984 एवं भवन अनुज्ञा नियमों (अधिनियम की धारा 293) के विपरीत है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निगम द्वारा रियायती दरों पर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त निर्देश अनुसार गोलबाजार योजना

के वाणिज्यिक वितरण से प्राप्त राजस्व के विरण की कार्यवाही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जानी है। अत: प्रारंभिक रूप से की गयी गणना का अनुमोदन समिति से प्राप्त होना शेष है।

इसी प्रकार विकास प्रभार की गणना भी सामान्य सभा के संकल्प अनुरूप की गई है। गोल बाजार क्षेत्र अत्यंत सघन बसाहट का क्षेत्र है जहां तंग गिलयों एवं अव्यवस्थित निर्माण के चलते मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गोल बाजार की परिस्थित ऐसी रिहायशी कालोनियों से अलग है जिनसे वर्तमान प्रचिलत नियमों के अंतर्गत विकास शुल्क प्राप्त किया जाता है। अतः प्रचिलत विकास शुल्क की दर को गोलबाजार योजना अंतर्गत गणना किये गये विकास प्रभार शुल्क से तुलना किया जाना युक्ति संगत नहीं है। संकरी गिलयां एवं अनियोजित विकास के कारण अग्नि शमन सेवा की पहुंच बाजार में नहीं है। बाजार के अंदर जल निकासी एवं पेयजल आदि की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है। बिजली तार के जाल के कारण दुर्घटना की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। तदानुसार निगम द्वारा बाजार को भविष्योन्मुखी स्वरूप देने, नया कलेवर देने, सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से विशिष्ट योजना तैयार की जा रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी क्या बोल रहे हैं वह समझ में ही नहीं आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, स्पष्ट पढियेगा।

श्री रामक्मार यादव :- छत्तीसगृढिया में पढिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम तो आपको बोले थे, हम लोग पढ़ेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह जो यहां पर...। उनको बोलिये कि वह आराम से पढ़ें।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, मंत्री जी। थोड़ा आराम से पढियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अइसे जीभ फड़फड़ात का गा?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मे पढ़त हो ता एमन ला समझ में नइ आत हे का? अभी ता एमन ला दे रहे हो, लिखाए हे तह ला दे डरे हो। उह ला नइ पढ़े सकत हे।

उपाध्यक्ष महोदय :- समय पर्याप्त है चिंता मत कीजिए। चलिये आराम से पढि़ये।

श्री शिवरतन शर्मा :- ते बड़ठ जा, हमन प्रश्न कर लेथन। तोला तो पढ़े बर मना करे हे न, पर का करबे तोर जीभ पढ़े बर खजवावथे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- रहा न, प्रश्न ला बाद मा करबे। पहिली सुन ता ले।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप लोगों का तो पढ़ लिये। हम लोगों का नहीं पढ़े हैं हम लोगों को तो स्नने दो। डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तुम्हरे बनाये गड़बड़ी हे, ओला ठीक करे के काम मे करत हो। तुम्हरे समय के गड़बड़ी ला।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरदार जी, जहां पर खड़ा होना है न वहां पर खड़े नहीं होते हो। 15 करोड़ रूपये को तो ढाई करोड़ रूपये बता दिये।

श्री अमितेश शुक्ल :- यही स्ट्रेटिजी है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बात ऐला समझे नइ आवत है। का कोदो मेर पढ़े रहेव तुमन हो कि कइसेन पढ़े रहेव ? पढ़थन ओ तह ला समझ नइ आवत हे का उपाध्यक्ष जी ?

श्री अजय चन्द्रांकर :- पढ़-पढ़।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, पढिये। आराम से पढिये।

डॉ. शिवकुमार डहिरया :- विकास योजना अंतर्गत पाथवे, ड्रेनेज लाईन, फायर हायड्रेन्ट (अग्नि शमन), वाटर सप्लाय, शॉप फसाड ट्रीटमेंट, सेंट्रल डोन रिनोवेशन, इलेक्ट्रीक पोल, प्रोजेक्टेड शेड, हाई मास्क पोल, एन्ट्रेन्स व्यु, सीटींग बैंच, डस्टबीन आदि कार्यों के लिए प्राक्क्लन राशि 19.87 करोड़ रू. का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्ताव में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रीफिकेशन को शामिल नहीं किया गया है, जो कि C.S.P.D.C.L. द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। सामान्य सभा संकल्प अनुसार उक्त प्रस्ताव पर शासन स्तर से स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है तथा राजस्व विभाग के निर्देश अनुसार वाणिज्यिक निष्पादन से प्राप्त वितरण की कार्यवाही मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जानी है एवं तत्समय ही प्रब्याजी एवं भू-भाटक के संबंध में निर्धारण किया जाना है।

दुकानदारों द्वारा स्टाम्प इयूटी में छूट एवं आगामी 10 वर्षों तक संपत्तिकर में छूट प्रदान करने की मांग नियम के विपरीत है।

यह सही है कि गोलबाजार के कई व्यापारी कई पीढियों से वहां व्यवसाय करते आ रहे हैं। इन्हीं तथ्यों के दिवास सामान्य सभा की यह मंशा रही है कि उक्त व्यावसायियों को उनके द्वारा काबिज भूमि पर मालिकाना हक प्रदान किया जाना चाहिए। इस दिशा में पूर्व में भी प्रयास किये गये थे जो किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाये। नगर पालिक निगम द्वारा वर्तमान में पुन: नये सिरे से इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। नगरपालिक निगम रायपुर द्वारा न केवल उक्त स्थल पर व्यवसायरत् दुकानदारों को मालिकाना हक प्रदान किये जाने यह योजना लायी गयी है अपितृ नगर निगम का उद्देश्य यह भी है कि दुकानदारों को बेहतर वातावरण एवं सुविधा उपलब्ध करायी जा सकें, जिसके लिए नगरपालिक निगम द्वारा अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के तहत छूट मांगी गयी है। उक्त भूमि को ओपन टेंडर के माध्यम से व्ययन किया जाता तो प्रतिस्पर्धा के चलते अधिक राशि प्राप्त होने की उम्मीद थी। साथ ही निगम द्वारा गोलबाजार क्षेत्र में भूमि विकास नियम 1984 के अंतर्गत लेआउट पास कराने एवं नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 के तहत भवन अन्जा नियमों में छूट प्रदाय

किये जाने का प्रस्ताव आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रेषित है जिसका लाभ भी दुकानदारों को प्राप्त होगा।

नगरपालिक निगम के द्वारा गोल बाजार के व्यापारियों के व्यवस्थापन एवं मालिकाना हक देने के साथ-साथ बाजार को भविष्योन्मुखी नवीन सुविधाओं सिहत विशिष्ट योजना तैयारी की जा रही है। अत: इस योजना से व्यापारियों एवं व्यापार से जुड़ व्यावसायियों में भविष्य हेतु भय एवं आक्रोश नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मूल प्रश्नकर्ता ला तो पूछन दे, तेकर बाद पूछ लेबे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओकरे सेती उत्तेजना आथे तोर बोले में । व्यवस्था के प्रश्न हे भाई, दूसरा-तीसरा बार निर्वाचित होए हस । बोली-भाषा ला थोड़ा बढ़िया रख ।

श्री अरूण वोरा :- इसमें क्या व्यवस्था आ गई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप नियम प्रक्रियाओं में देख लें कि ध्यानाकर्षण तत्कालीक घटनाक्रम में आता है और तत्कालीक ट्रेंड से उसका उत्तर दिया जाता है । इनके उत्तर में जो लाईन पढ़ी गई है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जानी है । अत: प्रारंभिक रूप से गणना का अनुमोदन समिति से प्राप्त होना शेष है । यह भविष्य की बात है । उसके बाद फिर दूसरी बार उत्तर लिखा गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति द्वारा की जानी है, तत्समय ही आबादी एवं भू-भाटक के संबंध में निर्णय लिया जाना है । भविष्य में समिति गठित होगा या गठित नहीं होगी, वह तत्काल की घटना से सम्बद्ध नहीं होती । अभी जिन कारणों से व्यापारी हइताल में हैं और जिन कारणों से यह ध्यानाकर्षण लाया गया है कि भविष्य की घटनाओं में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसका उल्लेख है । इसमें मुख्य समिति वाली बात नहीं कर सकते । जो आज घटना घट रही है, उसमें नया उत्तर आना चाहिए, नहीं तो इस ध्यानाकर्षण को दूसरे दिन के लिए लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी, आप प्रश्न करिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इसमें व्यवस्था तो दीजिए । आप मेरे प्रश्न को निरस्त कर दीजिए, लेकिन कुछ व्यवस्था आनी चाहिए। समिति कब गठित होगी, कैसे होगी, दुकानदार आज प्रभावित हो रहे हैं । भविष्य में घटेगी या नहीं घटेगी, दोनों तथ्य एक दूसरे से जुड़ता ही नहीं है । आप इसमें व्यवस्था दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आपका वक्तव्य पूरा हो गया ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां, हो गया । उपाध्यक्ष जी, वर्तमान में जो स्थिति आई है, उसी के अनुरूप आगे कार्यवाही की जाती है । वर्तमान में जो समस्या है, उसक निराकरण किया जाना है । श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न में आप व्यवस्था देंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने सदन में जो ध्यानाकर्षण लाया है, पहली बात तो यह है कि यह व्यवस्था है कि कोई भी प्रश्न 2 सौ शब्दों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए । माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़ा उत्तर दिया है । हम लोगों ने जो प्रश्न उठाए है, उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देकर भविष्य की घटनाओं के बारे में उत्तर दिया है ।

श्री अजय चन्द्रांकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में लिखा है कि तत्काल घटनाक्रमों पर बात होगी । भविष्य में कब गठित होगी, क्या गठित होगी, उत्तर में वे तारीख बताएंगे क्या, मंत्री जी बताने की स्थिति में हैं क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही आपितजनक है । हम चाहते हैं कि आपिक तरफ से व्यवस्था आनी चाहिए । इसमें जो जवाब आना चाहिए, वह वर्तमान में क्या समस्या है, उसके ऊपर में आना चाहिए और भविष्य में होने वाला है, उसके आधार पर आप नोटिस दे रहे हैं, आप पैसा वसूली की तैयारी कर रहे हैं । आपका निर्णय नहीं हुआ । हमारे विद्वान मंत्री बैठे हैं। विद्वान मंत्री जी, ऐसा कभी होता है क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, आप प्रश्न करिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आपने उत्तर में लिखा है कि भविष्य में टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग से उसकी योजना को पास करवाया जाएगा । बिना पास करवाये आपने कैसे नोटिस दे दी, पैसा वसूली की बात कैसे कर रहे हैं ? अकबर जी, आप विद्वान हैं, मुझे मालूम है, परन्तु जिस प्रकार का उत्तर आया है, सदन में हम लोग वर्तमान घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं और इस प्रकार का उत्तर देना सदन की अवमानना है, सदन को गुमराह करने वाला है । जिसके ऊपर में कोई प्रश्न ही नहीं कर सकते । ऐसी चीजों का उत्तर आये तो हम क्या प्रश्न पूछेंगे ? इसलिए आपको गोल बाजार की पूरी योजना को निरस्त करने का आदेश वर्तमान में देना चाहिए और सरकार सदन में पूरी तैयारी के साथ में आये, इस बात का निर्देश आपको देना चाहिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पूरी तैयारी से आये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप नियम-प्रक्रिया देख लीजिए, तत्कालीक घटना पर ध्यानाकर्षण लगते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अजय भाई, आप बैठिए । मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए तो, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उसके बाद व्यवस्था दुंगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, उसके उत्तर में लिखा है कि भूमि विकास 1984 के अन्तर्गत ले-आउट पास करने एवं नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 293 के तहत भवन अनुज्ञा नियमों में छूट प्रदाय किए जाने का प्रस्ताव आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रेषित किया गया है।

आपको अनुज्ञा मिल ही नहीं है। यह सरकार नियम, कानून कायदे से चलती है या भगवार भरोसे चलती है या आसमान भरोसे चलती है ? जब आपको अनुज्ञा प्राप्त नहीं हुई तो आपने नोटिस कैसे जारी कर दिया ? आपका ले-आउट पास नहीं हुआ है तो आपने नोटिस कैसे जारी कर दिया ? उपाध्यक्ष महोदय, हम आपका इस पर व्यवस्था चाहते हैं, आप व्यवस्था दे दीजिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने ध्यानाकर्षण प्रस्तुत किया है। यहां नियम की बात हो रही है। मंत्री को क्या उत्तर देना है, यह उनके विवेक पर है। आप मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते। आप नियम देख लीजिये। मंत्री को क्या उत्तर देना है, यह उनके विवेक पर है। यदि आप उनके उत्तर से असहमत हैं तो प्रश्न करके बातों को क्लीयर किया जा सकता है। लेकिन क्या उत्तर देना है, यह बाध्य नहीं किया जा सकता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सुन लीजिये, कोल एण्ड शकधर की किताब भी निकाल लीजिये। भविष्य में क्या होगा, चीन, वियतनाम के ऊपर आक्रमण कर देगा, यह एक परिकल्पना है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी, फिर कब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी, इसको कोई नहीं जानता है। कब होगी, कैसे होगी ? या जहां-जहां भविष्य की घोषणा है, उसमें तारीख लिख देते।

श्री मोहम्मद अकबर :- इसके लिए व्यवस्था यह है कि जो भी उत्तर है, आप उससे असहमत हैं या आपको लगता है कि वह असत्य है या बनावटी है तो उसके बारे में प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन क्या उत्तर देना है, यह उनके विवेक पर है। आप उसको मना नहीं कर सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिये, कुछ भी व्यवस्था दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जो बोल रहे हैं, आप उसको सुन लिये हैं, उस पर ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आप लोगों ने ध्यानाकर्षण लगाया है और मंत्री जी ने उत्तर दिया है। आप प्रश्न करिये, इसमें यही व्यवस्था है। आपको जो भी पूछना है, पूछिये।

श्री अजय चन्द्रांकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो उसमें आपकी ओर से व्यवस्था आनी चाहिए। यदि मैंने गलत कहा है तो आप निरस्त कर दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सदन नियम प्रक्रियाओं से चलता है। अगर नियम प्रक्रियाओं के तहत मंत्री जी इतना बड़ा उत्तर देंगे, जिस उत्तर में प्रश्न पूछना संभव ही ना हो, भविष्य के आधार पर उत्तर दें तो हम भविष्य के बारे में क्या जानेंगे ? वह तो सरकार जानेगी कि सरकार क्या गलत-सलत करने वाली है, सरकार किसको उपकृत करने वाली है। हमने थोड़ी देर पहले

पृच्छा पर एक प्रश्न उठाया था कि सरकार ने बंदरबांट कर दी। इसमें भी बंदरबांट करने वाली है। जब हो जायेगी तब ये बोलेंगे कि हमने तो कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप प्रश्न करिये।

- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप प्रश्न पूछिये, हम उसका जवाब देंगे। कुछ भी आरोप लगाते रहोगे। उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप प्रश्न पूछिये न। आप कहते हैं कि हमने नोटिस दिया। हमने किसी को नोटिस नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत ध्यानाकर्षण में उठाये गये बिन्दुओं पर वक्तव्य दिया है और समस्या के निराकरण के लिए क्या कार्ययोजना है, उसका उल्लेख किया है। आप प्रश्न के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। व्यवस्था का प्रश्न अमान्य है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं था, जिस पर आपने व्यवस्था दी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह बाजार कब से बसा हुआ है ? नगर निगम कब बनी ? जब यह बाजार बसा हुआ है तो उन लोगों को पूर्व में पट्टा दिया गया था क्या ? क्या उनके पास लीज थी ? क्या वह नगर निगम की सम्पत्ति है ? आपके पास इसका कोई रिकार्ड है क्या ? अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप मुझे जानकारी दे दें। उनसे कितना सम्पत्ति कर वसूल किया जा रहा है और कितने लोगों से वसूल किया जा रहा है, जरा यह जानकारी दे दें ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1920 रायपुर नगर पालिका था, शासन ने उस समय इन लोगों को 30 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित किया गया था। सन् 1950 में लीज खत्म हो गया था। लेकिन सन् 1950 के बाद कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी। इनसे सालाना 24 लाख रूपये की संपत्ति कर की राशि वस्ल की गई थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ, 125 साल पुराना यह बाजार है । क्या इसकी कोई मालिकाना हक नगर निगम के पास है ? इसके कोई कागज हैं ? क्या पट्टे दिये, किस आधार पर उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं ? क्या उनके पास में पट्टे हैं, क्या उनके पास में लीज है ? सरकार का नियम है, 30 साल जिसका कब्जा हो गया, वह स्वमेव मालिक हो गया । 100 साल के बाद तो उसको बेचने का अधिकार मिल जाता है । 125 साल में लोगों को 10-10 पीढ़ियां गुजर गई । 10-10 पीढ़ियों से जो उसके मालिक है...।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न करिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ । मंत्री जी का आपने इतना बड़ा उत्तर बता दिया और आपने बोल दिया कि सही किया है और हमको बोलने से रोक रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- रोक नहीं रहे हैं, प्रश्न करिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि उसका मालिकाना हक 125 साल पहले किसके पास था ? क्या जो लोग वहां पर काबिज हैं, उनके पास में कोई पट्टा था क्या ? इसका मालिकाना हक किसके पास था ? यह मुझे बता दीजिए । 125 साल पहले, अगर उसके कोई दस्तावेज हो..।

उपाध्यक्ष महोदय :- सुनकर उत्तर दीजिएगा, मंत्री ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, 100 साल से काबिज है । आज नगर निगम आकर बोल दे कि मेरी जमीन है । यह कैसे संभव है, इसके रिकार्ड होते हैं ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- हां है । प्रश्न पूछिये, मैं बता रहा हूँ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुझे बता दें । मैंने पूरी तहकीकात की है, मेरे पास कागज है । एक भी दुकानदार को पट्टा नहीं दिया गया है । वह स्वयं मालिक है, जिसके वह स्वयं मालिक है, आप उनको कैसे मालिकाना हक देंगे ? कैसे उनसे पैसा वसूलेंगे ? यह बता दें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :-उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूँ ना । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 1857 में नगर पालिका बनी थी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 1857 में बनी थी...।

डॉ.शिवकुमार डहिरया:- मेरी बात सुनिये तो, मैं आपके हिसाब से उत्तर दूंगा क्या ? जो रिकार्ड में है, वह आपको बता रहा हूँ । 1857 को पालिका बनी है, 1967 को नगर पालिक निगम बना है । संपित कर नहीं लिया जा रहा है, रेंट लेते हैं । इसको बोलते हैं आवंटित किया गया है, अस्थायी लायसेंस है, पट्टा नहीं है । उन लोगों को किराये पर दी गई है, भूमि का मालिकाना हक वर्ष 2020 से निगम को है, इसका किराया 60 लाख रूपया होता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी उन्होंने बताया कि 24 लाख, आप बता रहे हैं 60 लाख? रायपुर नगर पालिका गठन कब हुआ? 1977 में यह पालिका बनी है । वह 1857 बता रहे हैं । अगर 1857 की कोई रिकार्ड हो, मुझे बता दें कि किसके आदेश से 1857 में बना था ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- इसमें आलरेडी रिकार्ड है । यह रखा हुआ है । मैं आपको रिकार्ड दे दुंगा । आप मांगिये ना ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राजस्व के पास में कितने सालों का रिकार्ड है, माननीय मंत्री जी सदन में पूरी तरह असत्य कथन करें...।

डॉ.शिवकुमार डहरिया:- कोई असत्य कथन नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय :-आपको रिकार्ड देने के लिए तैयार है । श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अंग्रेजों के जमाने में नगरीय क्षेत्र ही 1977 में घोषित किया गया है ।

- डॉ. शिवक्मार डहरिया :- 1977 में देश आजाद हो गया था । 1977 क्यों बोल रहे हो ?
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 1977 में नगर पालिका बनी है ।
- डॉ.शिव कुमार डहरिया :- नगर पालिका कब बनी । 1857 में और नगर निगम बना 1967 में ।
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जरा मंत्री जी बताये ना कि 1857 में, आज कितने साल हो गये, 270 साल हो गये, 270 साल पहले इसका जो काबिज 125 साल से ज्यादा है, वह क्या स्वयं राजस्व के नियमों के अनुसार मालिक हो जाता है कि नहीं हो जाता है ?

डॉ.शिव कुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1920 में इन लोगों को लीज में दिया गया था, 1950 में लीज खत्म हो गयी थी, लीज खत्म होने के बाद उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, हम लोगों ने कहा कि इनको मालिकाना हक देंगे, जो लोग वहां पर काबिज है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जहां पर बसे हैं, जहां पर जिनका दुकान है, उनको व्यवस्थापन उनको मालिकाना हक दिया जाये। हम लोग फ्री-होल्ड करके उनको उनका मालिकाना हक देना चाह रहे हैं। आपने तो वर्ष 2012 में संकल्प पारित किया। डॉ. साहब की वर्ष 2012 से 2018 तक सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया ? आपका विधानसभा क्षेत्र था। आप जो काम नहीं किये है, उसको हम कर रहे हैं। हम उन लोगों को जो वहां पर बसे हैं, उन लोगों को हम मालिकाना हक देना चाहते हैं। फ्री-होल्ड करके उनको हम पट्टा भी देंगे। हम उनको मालिकाना हक देना चाह रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या 1920 में देश आजाद हो गया था ? 1920 में जो उनका पट्टा दिया गया है वह किसके द्वारा दिया गया है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वर्ष 1920 में इस जगह को नगरपालिक निगम को लीज में दिया गया था। आप देख लीजिए, रिकार्ड में है।

- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप यह बता दीजिए कि 1920 में किसने दिया ?
- डॉ. शिवक्मार डहरिया :- सरकार ने दिया, राजस्व विभाग ने दिया।
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 1920 में देश आजाद नहीं ह्आ था। कौन सी सरकार ने दिया ?
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- देश आजाद नहीं हुआ था तो देश की व्यवस्था करने वाले तो थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिकार्ड है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि रिकार्ड को सदन के पटल पर रख दें। क्योंकि आजादी के पहले के रिकार्ड हैं ये तो इतिहास बनेंगे कि 1920 में अंग्रेजों के

जमाने में भी पट्टे दिये जाते थे। आप जरा ये रिकार्ड सदन के पटल पर रख दें। उपाध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दे दीजिए कि रिकार्ड को सदन के पटल पर रख दें। 1920 में जो लीज दी गई है, वह कब्जाधारियों को दी गई है या नगर निगम को दी गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, उत्तर दीजिए।

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- आप क्या पूछ रहे हैं, एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वर्ष 1920 में यह जो जमीन के पट्टे हैं, लीजधारियों को पट्टा दिया गया, कब्जाधारियों को पट्टा दिया गया या नगर निगम को लीज पर दिया गया ?

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर निगम को लीज पर दिया गया था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या उस समय 1920 में नगर निगम बन गई थी?

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी, आप प्रश्न पूछिये। आदरणीय, आपके 5-6 प्रश्न हो गये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी बाजू में बैठे हैं। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के इतिहास में राजस्व के नियम हैं, सरकार नियम, कानून-कायदे से चलती है, राजस्व के नियमों के अनुसार क्या इस प्रकार का आदेश कोई आज तक जारी हुआ है कि चीफ सेकेटरी तय करेंगे कि इसकी नियम शर्तें क्या होंगी ? 1 रुपये की लीज पर नगर निगम को जमीन दी जाती है। आपके नियमों है कि जिनको छूट पर जमीन दी जायेगी उस जमीन पर व्यवसायिक उपयोग नहीं करेंगे। उस जमीन के लिए बहुत सारी छूट दी जाती है कि उसको इतना फ्री में करना पड़ेगा, इतनी जनता को सुविधा देनी पड़ेगी। तो 1 रुपये में जमीन देने के नियमों का उल्लेख आपने जो अभी इनको जारी किया, क्या उसमें नियमों का उल्लेख है ? क्या राजस्व के नियमों के अनुसार इस प्रकार का आदेश जारी किया जा सकता है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जमीनें नगर निगम के पास है, लंबे समय से है। उनका उनको अधिकार नहीं मिला है तो हमको दुकान बनाना है या लोगों को आवंटित करना है और हमको सार्वजनिक उपयोग के काम के लिए लेना है इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि इस तरह की जो जमीन है, जो निगम की आवश्यकता की जमीन है, उसको 1 रुपया सांकेतिक राशि लेकर नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायतों को को आवंटित कर दिया जाये। उसी निर्देश के तहत जो हमारा नगरनिगम रायपुर है, गोलबाजार नगरपालिक निगम रायपुर में ब्लाक नंबर-12, प्लाट नंबर-2 की 1 लाख 59 हजार 300 वर्ग फुट जमीन को राजस्व विभाग ने कलेक्टर के माध्यम से नगर निगम को आवंटित किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही जानकारी चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने 4 पेज का उत्तर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय :- बाकी आपके साथी प्रश्न करेंगे न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई स्पेसीफिक उत्तर नहीं आया है। उपाध्यक्ष महोदय :- वह तो बता दिये कि 1 रुपये टोकन में क्यों दिये, सब बात बता दिये हैं। श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी ये जवाब दे दें न।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, आप बार-बार बोल रहे हैं कि इतने प्रश्न हो गये। बृजमोहन जी ने एक प्रश्न किया है कि 1920 में लीज] नगर पालिका को मिली कि कब्जाधारी को मिली, उसी का उत्तर नहीं आया है। एक पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। उसी प्रश्न का उत्तर आप दिला दीजिये न।

उपाध्यक्ष महोदय :- यह दोनों को पता नहीं है, वह रिकॉर्ड रखे हैं, वह रिकॉर्ड देने के लिये तैयार हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कहां तैयार है? पटल पर रखवा दीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- पटल पर रखवा दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, आपको व्यक्तिगत रिकॉर्ड देने के लिये तैयार है।(व्यवधान)

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपलब्ध करवा दूंगा।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आपको रिकॉर्ड उपलब्ध करवा देंगे चिंता मत करिये न।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसी चीजों को पटल पर रखवाना चाहिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिखये प्वाइंटेड प्रश्न का प्वाइंटेड उत्तर आना चाहिये। बृजमोहन जी का बहुत प्वाइंटेड प्रश्न था कि 1920 में लीज, नगर निगम, नगर पालिका मिली या जो काबिज है, उनको मिली? उसका उत्तर पहले आ जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चिलये, एक प्रश्न और करिये। अग्रवाल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दुख की और खेद की बात यह है कि, मतलब अगर हमारे कोई नजदीकी है, अगर हमारे कोई खास है तो उनको भ्रष्टाचार करने की खुली छूट है, वह कुछ भी करें। मैं कह रहा हूं कि सरकार तो नियम कायदे कानून से चलती है।(व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप प्रश्न करो न, यहां भ्रष्टाचार की बात कहां से आ गयी। अभी यहां कुछ आबंटन हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, भ्रष्टाचार की बात कहां से आ गई । काल्पनिक प्रश्न मत उठाइये न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,(व्यवधान) मेरे पास राजस्व समिति की आदेश की कॉपी है। माननीय राजस्व मंत्री जी, इस सरकार को थोड़ी शर्म आनी चाहिये कि गरीबों को जमीन चाहिये तो उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं, परंतु तीन (व्यवधान) को ऑर्डर करके एक रूपये में नगर निगम को जमीन दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्भुत (व्यवधान) है, इस पर बात मत करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके नियम बाद में जारी किये जायेंगे। यह कभी होता है क्या ? जिसके नियम कायदे, जारी नहीं हुये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये आप प्रश्न करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूछने दीजिये, 4 पेज का उत्तर है, जिसके कोई नियम जारी नहीं हुये कि जमीन किन नियमों के तहत एलॉट की गई है। छूट में 1 रूपये में जमीन क्यों दी जा रही है, उसके उद्देश्य लिखे जाते हैं तो माननीय मंत्री जी जरा यह बताये कि आज तक के इतिहास में किसी भी संस्था को जमीन देने के लिये क्या इस प्रकार का आदेश जारी हुआ है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रश्न में उद्भुत नहीं होता। ध्यानाकर्षण (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया, शिवरतन शर्मा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न, अच्छा यह बता दे कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं या पंचायतें हैं, उनका क्या उद्देश्य है ? उनका उद्देश्य पैसा कमाना है कि उनका उद्देश्य जनता की सेवा करना है।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं इनके लिये पूरे नियम बने हुये हैं पूरा constitution बना हुआ है कि नगरीय संस्थाओं के क्या-क्या काम होंगे, 10वीं अनुसूचि में यह बना हुआ है। उनका काम पैसा कमाना नहीं है, उनका काम लोगों की सेवा करना है। एक रूपये में सरकार से जमीन लेकर और उसको ..।

उपाध्यक्ष महोद्य :- चलिये, आप बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या चलिये। अगर सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां पर होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आपके साथी बाकी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शासन एक रूपये में जमीन दे रही है और यह लोग उससे 159 करोड़ रूपये कमाने के लिये कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग पुस्तैनी है, वह 125 साल से काबिज है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह कहना है कि उनको तो वैसे ही उनको बुलाकर माला पहनाना चाहिये, कि तुम 10 पीढ़ियों से काम कर रहे हों। उनका सम्मान करना चाहिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ठीक है तो आपने क्यों नहीं पहनाया? 2012 में आपका विधान सभा क्षेत्र था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको free of cost पट्टा देंगे। इसका उल्लेख करना चाहिये। इसका उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हों ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 15 साल में क्यों माला नहीं पहनाया। आपको 15 सालों में उनको माला पहना देना था।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लगभग एक लाख लोग, यह छत्तीसगढ़ के रायपुर का ऐतिहासिक बाजार है। लोगों को घर में पूजा पाठ करना है, लोगों को दिया खरीदना है, लोगों को अपना ताला सुधरवाना है, ताला तोड़वाने वाले को बुलवाना है, चाकू-छूरी की धार करवाना है।

श्री क्लदीप ज्नेजा :- आपका मुक्तिधान का सामान भी वहीं मिलता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसी की मृत्यु हो गयी, तो उसके क्रियाक्रम का सामान भी वहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रश्न करिये न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। मृत्यु की सामग्री लेना है, तो इन सब सामानों के लिये यह ऐतिहासिक बाजार है। हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद में गोल बाजार का नाम गांधी बाजार रखा गया था। गांधी बाजार नं. 1, गांधी बाजार नं. 2 और उसमें इतनी सक्रिय-सक्रिय गलियां हैं। अब इन्होंने क्या किया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भैया, में भी देखा हुं उन गलियों को, आप प्रश्न करिये न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुझे क्या करना है। तुमने इतना लंबा उत्तर दे दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे क्या करना है, मैं वह जानता हूं। सिक्रय-सिक्रय गिलयां, 3 फिट की गली, 5 फिट की गली। उसका भी रेट वही रख दिये हैं जो मालवीय रोड का है, उसका भी रेट वही रख दिया जो बंजारी रोड में है, उसका भी रेट वही रख दिया जो गोल बाजार में है। यह बेचारे छोटे-छोटे व्यापारी, 150 फुट की जमीन का जो रेट आयेगा वह 29 लाख रूपये आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या इतने छोटे-छोटे व्यापारी इतना पैसा दे सकते हैं, इतने छोटे-छोटे झव्वा वाले क्या इतना पैसा दे सकते हैं ? 150 फिट जमीन का टोटल करने पर 29 लाख रूपये होता है। तो क्या वह इतना पैसा दे सकते हैं ? तो क्या शासन गोल बाजार के इन व्यापारियों का पूरा पैसा माफ करके, और उनको फ्री होल्ड करने के लिए जो आपका 2 प्रतिशत का शुल्क है, वह 2 प्रतिशत लेकर,उनको फ्री होल्ड करेगी क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शासन के नियम बने हुए हैं कि किसी को जमीन आवंटित करना है तो किस रेट, किस दर पर देना है, यह लिखा है कि कलेक्टर गाईड लाईन पर ही दिया जाता है। आप मुझे बता दीजिए वर्ष 2012 में आप लोगों ने संकल्प पारित किया। वर्ष 2012 में आपको करा लेना था, वर्ष 2018 तक करा लेना था। आप उसको जाकर माला पहना सकते थे, आपको अवसर दिया था, आपका विधान सभा क्षेत्र था, आप पटवा जी के समय में नगरीय प्रशासन मंत्री भी थे। आपने क्यों नहीं किया? अब हम कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उनको माला भी पहना दिया, मैंने उनका सम्मान भी कर दिया। मैंने उनको तोड़ने का नोटिस नहीं दिया, मैंने उनको 10 हजार रूपये sqaire feet देने का नोटिस नहीं दिया।

अब मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अगर रेट लिया जाता है तो भूतल का लिया जाता है या पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल का भी लिया जाता है। बड़ा अजीब, मतलब यह तो तुगलकी कानून है कि अगर आपकी तीन मंजिल की दुकान है तो आपको 1 हजार रूपये sqaire feet विकास शुल्क आपको तीनों मंजिलों का देना पड़ेगा। 100 फीट की दुकान है उस पर दूसरी मंजिल बनी है और तीसरी मंजिल बनी है तो आपको 300 फीट का देना पड़ेगा। यह नियम कहाँ पर है कि उनको तीनों मंजिलों का देना पड़ेगा?

डॉ. शिवकुमार इहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार रूपया काल्पनिक बोल रहे हैं। अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ है तो 1 हजार रूपये sqaire feet विकास शुल्क कहां से आ गया?

उपाध्यक्ष महोदय :- चिलये। माननीय अग्रवाल जी, माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं। उनसे नहीं।

सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है। (सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई) उपाध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा अंतिम प्रश्न है। जमीन की गाईड लाईन रूपये दर 10 हजार, 84 रूपये वर्ग फीट। 150 वर्ग फीट का 15 लाख, 12600 रूपये, 150 वर्गफीट, यह कितना बड़ा होता है ? 5 आदमी बैठ नहीं सकते। भूतल निर्माण लागत दर 1544 रूपये प्रति वर्गफुट, व्यापारी ने बनाया है 1544 रूपये प्रति वर्गफुट सरकार वसूलेगी। सरकार ने उसमें कोई काम नहीं किया है। तो 150 वर्गफुट का 2 लाख 31हजार रूपये, प्रथम तल निर्माण की लागत 1390 रूपये, 150 रूपये, 2 लाख 8 हजार रूपये 1235 रूपये वर्गफुट द्वितीय तल की लागत 1 लाख 85 हजार रूपये, यह मेरी कल्पना से नहीं है। आपने व्यापारियों को पूरी एक लिस्ट भेजी है। उस लिस्ट में कहा है कि किसको-किसको, कितना-कितना पैसा पटाना है । इसके बाद में विकास शुल्क भूतल प्रथम तल, द्विततीय तल का कुल निर्मित क्षेत्रफल 150 वर्गफुट में 450 को तीन तल का 1 हजार रूपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है। 4 लाख 50 हजार रूपये। कुल मूल्यांकित विकास शुल्क छोड़कर, 2 प्रतिशत अतिरिक्त राशि 42 हजार रूपये..।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार नगर निगम द्वारा 150 वर्गफुट की जो मांगी गई राशि है, वह 26 लाख 30 हजार रूपये है। अब जो 150 वर्गफुट में जो व्यापार कर रहा है वह 26 लाख रूपये कहां से देगा? इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आग्रह करना चाहता हूँ कि रायपुर में स्मार्ट सिटी है मैं भी स्मार्ट सिटी का मेम्बर हूँ मैं यह चाहता हूँ कि वहां का विकास का जितना पैसा होगा, वह स्मार्ट सिटी से खर्च किया जाए और इनके बाकी सभी शुल्क को माफ करके, 2 प्रतिशत शुल्क लेकर, इनको उस जमीन का मलिकाना हक दे दिया जाए, जब आप सरकार से प्रस्ताव परित करके, 1 रूपये में जमीन ले सकते हैं तो उन छोटे-छोटे व्यापरियों को 1 रूपये में जमीन क्यों नहीं दी जा सकती? क्या आप ऐसा आदेश जारी करेंगे?

डॉ. शिवकुमार डहिरया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूँ। सामान्य सभा में वर्ष 2012 में इन्हीं लोगों ने पारित किया था कि उस जमीन की राशि ली जाए। आपको मैं सामान्य सभा का प्रस्ताव दे दूंगा। वर्ष 2012 में आपके रायपुर नगर निगम ने यह पारित किया था कि उसको कलेक्टर गाईड लाईन पर दिया जाए। यह मैंने नहीं किया। आप मेरी बात सुनिये। दूसरा कहीं कोई दर तय नहीं हुई है न वहां पर जो व्यापारी काम करते हैं उनको कोई नोटिस नहीं दी गई है। कहां दिया गया है? किसको नोटिस दी गई है, आप मुझे बताईये? यह तो काल्पनिक प्रश्न उठा रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी, 15 मिनट हो गए हैं। आपने सभी प्रश्न पूछ लिया है। आपके बाद भी माननीय सदस्य हैं। कृपया आप बैठिएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया है कि माननीय मंत्री जी जो लोग 125 साल से काबिज हैं, जिनकी 10-10 पीढ़ियां बीत गयी, ऐसे लोगों को आप दो प्रतिशत फ्री होल्ड करने का शुल्क लेकर उनका मालिकाना हक देंगे क्या ? दूसरा, वहां के विकास के लिए हमारी जो स्मार्ट सीटी है, उससे वहां का विकास करेंगे क्या क्योंकि यह पूरे छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक भूमि है? यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आकर छुपते थे। क्योंकि यह गोलबाजार भूल भुलैया है। अगर आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको स्वयं लगेगा। यह ऐतिहासिक है। बल्कि इसको तो ऐतिहासिक घोषित करके उसका पूरा निर्माण, उसका पूरा विकास यहां से स्मार्ट सीटी से करवाना चाहिए और दो प्रतिशत दर पर उनसे फ्री होल्ड का पैसा लेकर उनको फ्री होल्ड किया जाना चाहिए। मैं आपसे इस बात का भी आग्रह करता हूं कि बाकी स्थानों पर जो विकास शुल्क है वह कितना लिया जाता है, जरा यह बता दें?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमितीकरण की प्रक्रिया होती है, उसमें 80 रूप से 100 रूपए Squaire फीट है। अभी गोलबाजार के संबंध में कहीं कोई निर्णय नहीं हुआ है। कितना रेट तय किया जाएगा यह अभी तय नहीं हुआ है ? यह अपना काल्पनिक प्रश्न लाकर इस तरह का प्रश्न पूछते हैं और सदन को गुमराह करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे पहले आग्रह कर लेता हूं। मेरा प्रश्न प्वाईंटंड है और प्वाईंटेड उत्तर दिला दीजिए। माननीय मंत्री जी ने बृजमोहन जी के प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया कि वर्ष 1920 में जमीन का आबंटन हुआ। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में लिखा है कि नगर पालिका निगम द्वारा व्यावसायियों को गोल बाजार क्षेत्र में चबूतरे आबंटित किये गये थे और उन्होंने बिना अनुमित के दुकान का निर्माण करा लिया। यह मंत्री जी के उत्तर में है। मैं सिर्फ तीन बात पूछना चाहता हूं। वर्ष 1920 में शासन ने नगरपालिका को किन शर्तों पर जमीन का आबंटन किया और नगर पालिका ने चबूतरे का आबंटन किनको-किनको किन शर्तों में किया ? अगर उसमें अनियमित निर्माण हुआ तो उस समय नगरीय प्रशासन विभाग या रायपुर नगर निगम ने क्या कार्रवाई की, कब किसको नोटिस दी ? मैंने आपसे यह तीन प्वाईंटेड बातें पूछा है, आप इन तीनों का उत्तर दे दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वर्ष 1919-20 में नगर निगम को नगर निगम के कार्यों के लिए आबंटित किया गया था और वहां पर जो लोग काबिज हैं, उनको कोई आबंटन नहीं मिला है। उनको अस्थाई लाइसेंस दिया गया है, पट्टा नहीं दिया गया है, किराये पर दिया गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर है। नगरपालिका निगम द्वारा व्यावसायियों को गोलबाजार क्षेत्र में चबूतरे आबंटित किये गए थे। आपने यह उत्तर में पढ़ा भी है और यह उत्तर की कापी मेरे पास है। अभी मंत्री जी बोल रहे हैं कि उनको आबंटित नहीं किया गया है। उनके उत्तर का विरोधाभास यहीं सिद्ध हो रहा है। मैं आपसे फिर से उसी प्रश्न को कर रहा हूं। किन शर्तों के साथ चबूतरों का आबंटन किया गया था, नंबर एक। अगर उन्होंने अनियमित निर्माण किया तो नगरीय निकाय ने उनके अनियमित निर्माण के लिए कब नोटिस दिया, क्या-क्या कार्रवाई की ? यह जानकारी दे दें। मेरा बहुत प्वाईटेड प्रश्न है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उनको प्वाईंटेड जवाब ही दे रहा हं।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या प्वाईंटेड जवाब दिया, अभी बोल दिया कि आबंटित नहीं किया गया और लिखकर दे रहे हैं कि आबंटित किया गया है। यही आपका प्वाईंटेड उत्तर है। माननीय सभापति महोदय, यह सारी बातें आपके पास है। अभी इन्होंने कहा कि आबंटित नहीं किया गया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सुनिए-सुनिए, अस्थाई लाइसेंस है। हल्ला मत करो, जवाब दे रहा हूं। इसको कभी नोटिस नहीं दिया गया है। इनको जमीन लाईसेंस में दिया है, उस जमीन में उन लोग गुमटी बनाकर या चूबतरा बनाकर अपना काम कर रहे हैं। एक छोटी द्कान है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर में ही विरोधाभास आ रहा है। लिखित में उत्तर है कि चबूतरा आबंदित किया गया है, अभी मंत्री जी बोल रहे हैं कि चबूतरा बनाकार, गुमदी बनाकर वे लोग काम चला रहे हैं। उनको कभी नोदिस नहीं दी गयी। अगर अनियमित निर्माण था तो आपने उत्तर में नोदिस क्यों नहीं दिया ? आज सौ सालों बाद यह स्थिति क्यों निर्मित हो रही है ? अब वे बोलेंगे कि सौ साल की उनकी उम्र नहीं है । विभाग तो था न । चिलये, में एक अंतिम प्रश्न और करता हूं और यह भी पाइंदेड प्रश्न कर रहा हूं । राजस्व विभाग में कितने साल के कब्जेधारी व्यक्ति को मालिकाना हक देने का प्रावधान है ? जिनको गोलबाजार का चबूतरा आवंदित हुआ । ये कितने साल से वहां कब्जेधारी हैं ? मेरा पाइंदेड प्रश्न है कि आप यह बता दें कि इनको कब आवंदन किया गया और कितने साल के कब्जाधारी को मालिकाना हक देने का प्रावधान है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालिकाना हक देना का इस तरह का कोई अलग से प्रावधान नियमों में नहीं है । हम तो मालिकाना हक देना चाहते हैं क्योंकि वे वहां पर बहुत समय से काबिज हैं । श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नों का उत्तर आना चाहिये ? इन्होंने यह भी नहीं बताया कि उनको कब आवंटित किया गया और किन शर्तों पर किया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आपका अंतिम प्रश्न हो गया है । अब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधानसभा प्रदेश की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिये है । उनकी समस्याओं पर यहां चर्चा होती है । अगर सवा सौ साल पुराने गोलबाजार को उजाइने की बात की जा रही है और माननीय मंत्री जी एक भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आसंदी से निर्देश जारी होना चाहिए । मैंने बहुत पाइंटेड प्रश्न किया है या तो फिर मंत्री जी बोल दें कि मैं जवाब देने में सक्षम नहीं हूं । मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । मैंने दोनों ही पाइंटेड प्रश्न किये हैं । आप बोलें तो मैं फिर से दोहरा देता हूं । आप मंत्री जी का उत्तर निकालकर पढ़ लीजिये कि क्या मंत्री जी ने उत्तर दिया है । मंत्री जी इस सदन में दिनभर दूसरे मुद्दों पर खड़े होकर बोलते हैं । आज अपने प्रश्नों का उत्तर देने में असफल क्यों हैं ? (ट्यवधान)

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया । मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आ रहा है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- वे आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं ।(व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं जवाब दे रहा हूं । क्या मैं इनके हिसाब से जवाब दूंगा ? जो रिकॉर्ड में है, वह जवाब दूंगा । क्या मैं आपके हिसाब से जवाब दूंगा ? जो प्रिन्टेड जवाब है, मैं नियमानुसार जवाब दूंगा । क्या मैं इनके हिसाब से जवाब दूंगा ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि चबूतरा किनको-किनको किन शर्तों पर आवंटित किया गया तो मंत्री जी ने कहा कि हमने चबूतरा आवंटित नहीं किया । उन्होंने चबूतरा बनाकर काम शुरू कर दिया और लिखित में बोल रहे हैं कि हमने चबूतरा आवंटित किया ।(व्यवधान)

🗝 डॉ. शिवकुमार डहरिया :- चबूतरा अस्थायी रूप से चलाने के लिये दिया गया।(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उत्तर का विरोधाभाष है। ।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अजय चंद्राकर जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर तो आ जाये । (व्यवधान) ये आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी उत्तर तो दे दें । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न में आप सबने कम से कम 20-25 मिनट तक प्रश्न पूछ लिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर नहीं आ रहा है । आप यह निर्देश दे दें कि सन् 1857 से लेकर अभी तक के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वे सदन के पटल पर रख दें । हमको जानकारी मिल जायेगी । आप यह निर्देश दे सकते हैं कि सन् 1857 से लेकर अभी तक के पूरे डॉक्यूमेंट सदन के पटल पर रख दें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर आसंदी से मंत्री जी का गलत उत्तर आता है । आप स्वयं उत्तर पढ़ लें । उनके सदन में दिये लिखित उत्तर में और मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उस उत्तर में अंतर है ।

श्री अजय चंद्राकर :- विशेषाधिकार भंग का मामला बनता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह तो विशेषाधिकार भंग की सूचना बनती है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आप बैठिये । हो गया, आपके 2-3 प्रश्न हो गये । श्री अजय चंद्राकर जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप मुझे बता दें कि क्या मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर आया ? यदि एक भी प्रश्न का उत्तर आया तो आप मुझे बता दें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- वे अपने हिसाब से उत्तर दे रहे हैं ।(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, सवा सौ साल पुराने बाजार को उजाड़ना चाहते हैं, किसको उद्धरित करने के लिये उजाड़ना चाहते हैं ? (व्यवधान) वे सवा सौ साल पुराने बाजार को उजाड़ना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी अपने हिसाब से उत्तर दे रहे हैं । चलिये, श्री अजय चंद्राकर जी ।

श्री अजय चंद्रांकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मोहम्मद अकबर साहब ने व्यवस्था के प्रश्न पर बात उठायी इसिलये मैंने ज्यादा बात नहीं की लेकिन मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उसी विषय भर में व्यवस्था नहीं आयी बाकी दूसरे में व्यवस्था आ गयी लेकिन काल्पनिक उत्तर के बारे में स्पष्ट है । मैं उसी में प्रश्न करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- काल्पनिक पर ?

श्री अजय चंद्राकर :- हां ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप गोल बाजार पर प्रश्न करिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इसमें लिखा है । मैं जितना बिजनेस रूल समझता हूं । क्या राजस्व विभाग इसमें लिखा है या स्थानीय शासन विभाग ? पहले तो मुझे यह बता दीजिये कि क्या मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाने के लिये क्या एक विभाग सक्षम है फिर मैं आगे बात करूंगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग समन्वय में जीएडी को भेजता है और कमेटी उस हिसाब से बनायी जाती है । समन्वय में जाकर बनायी जाती है । अगर हमारा विभाग किसी काम में सक्षम नहीं है तो जो सक्षम विभाग है उसके पास भेजकर इस तरह से कमेटी बनायी जाती है । यह तो पहले कैबिनेट के सदस्य रहे हैं इनको इतनी जानकारी नहीं है । जो सामान्य प्रक्रिया है इनको उसकी भी जानकारी नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- ये किस तरह की बात करते हैं इसीलिये उत्तेजना फैलती है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सामान्य प्रक्रिया है उसी पर नियमानुसार किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप शालीनता से बात किये हैं, वे भी शालीनता से बात करेंगे। मंत्री जी ने कल वचन दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय एक मिनट। आपने कहा कि हमने समन्वय में जाकर अनुमित ली है। एक दूसरे मामले में भी वाणिज्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता तत्समय ही प्रब्याजी भू-भाटक के संबंध में दो जगह इनके उत्तर में मुख्य सचिव का उल्लेख है और यह काल्पनिक है। बनायी जानी है। तो क्या इसकी फाइल में जो समन्वय में भेजे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं। कब भेजे? कब अनुमोदित होकर आयी कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दोनों मामलों में समिति बनायी जायेगी और उसका कार्यकाल कितना होगा?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय आपने कहा कि हमारा विभाग सक्षम नहीं है तो हमने समन्वय में भेजकर करवा लिया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनायी जानी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। प्लीज। आपने जब उत्तर में लिख दिया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनायी जानी है, यह दो उल्लेख किया है, जिसे मैंने व्यवस्था के प्रश्न में उठाया था। जब आपने उत्तर में लिखा है कि बनायी जानी है तो निश्चित रूप से फाइल में निर्णय हो गया, तब आपने उत्तर में लिखा है। तो मैं वही जानना चाहता हूं कि दोनों में जिसमें मुख्य सचिव जी का उल्लेख है, वह फाइल समन्वय से या मुख्यमंत्री जी से कब अनुमोदित होकर आयी? वह क्या-क्या काम करेगी? कब गठित होगी? उसका कार्यकाल कितने का होगा और यदि वह नहीं हुआ है तो इसका उल्लेख इस उत्तर में कैसे हुआ ?

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- यह तो प्रक्रिया है। प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय इसमें लिखा है। आप पढ़ लीजिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बननी है, दो बार लिखा है। इसमें दो बार लिखा है। जो लिखा है उसे बताने में क्या है? मैं बाहर का पूछ ही नहीं रहा हूं। कब बनी?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए। उत्तर दे रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केबिनेट का दिनांक 28/11/2020 का डिसीजन है कि सी.एस. की कमेटी इन सब चीजों को तय करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, रामकुमार यादव जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन-कौन सी चीजों को तय करेगी ? मैंने वही पूछा कि कौन-कौन सी चीजों को कब-कब तय करेगी। उसका कोई कार्यकाल निर्धारित है क्या जब केबिनेट में निर्णय हो गया। मैं वही तो पूछ रहा हूं। तो केबिनेट के केवल दिनांक को बताये हैं। और बनायी जानी है। तो अभी बनी नहीं है, केबिनेट के निर्णय में।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, एक तो प्रश्न का उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- बहुत उत्तर हो गया। आप लोग तीनों इतने वरिष्ठ सदस्य हैं कि उस बेचारे को घेरने के चक्कर में लगे हुए हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- किसी प्रश्न का उत्तर हमें बता दें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं बता देता हूं।

श्री अजय चन्द्रांकर :- तो उत्तर तो आये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- पूरा उत्तर दिये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको भी पकड़ेंगे गोलबाजार वाले, सरदार जी ऐसा मत करिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग तीनों वरिष्ठ हैं। समझिएगा। रामकुमार यादव जी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष जी, 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न प्रश्न हो गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अब तय करके आये हैं कि बहिर्गमन करना है तो अलग बात है। मैं जवाब तो दे रहा हूं। आप हल्ला क्यों कर रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय एकाध उत्तर तो दिलवा दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सारे उत्तर आ गये।

श्री अमरजीत भगत :- प्रश्न इतना लंबा हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या हो गया ? एक केबिनेट का निर्णय हुआ, केवल यह तारीख उन्होंने मुझे बतायी। डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं बता देता हूं न। बाकी भी बता देता हूं। आप क्यों चिंता कर रहे हो। बैठिए न।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आप बैठिए। आप कल का वचन याद करिएगा।

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- मैं बता रहा हूं न।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आप बैठिए। आप भी (श्री अजय चन्द्राकर) बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसीलिए उत्तेजना फैलती है।

उपाध्यक्ष महोदय :- रामकुमार यादव जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक भी उत्तर नहीं आया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह आपत्तिजनक है। 29/12/2020 को आपदा प्रबंधन विभाग से पत्र जारी हुआ कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। आज 12/20 से आज कितने महीने हो गये ? 22 महीने हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय बहुत सारी चर्चा हो गई है। उसे आप समझिए। आप तीनों वरिष्ठ हैं।

श्री अजय चन्द्रांकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, किसी चीज का उत्तर चाहिए तो सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी?

उपाध्यक्ष महोदय :- इसमें कम से कम 45 मिनट हो गये।

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- मैं बता देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बाध्य मत करिए न।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रश्न तो पूछ ले।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बाध्य मत करिए न। जो उत्तर देना था, वे दे दिये, उसके बाद बार-बार ये सारी चीजें करेंगे तो ठीक नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप सुन लीजिए। ये जो बाजार है, पूरे छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक बाजार है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समय का है।

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- आपके समय में क्यों नहीं किया? आप बात कर रहे हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये भूल भुलैया है, 125 साल पुराना बाजार है । 10 पीढि़यां वहां पर बीत गईं, 10 पीढि़यां वहां पर व्यवसाय कर ही हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बड़ी-बड़ी बात कर रहे हो, भाजपा की सरकार में क्यों नहीं दिया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये सरकार कहती है कि 29.12.2020 को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा आदेश जारी हुआ कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनेगी लेकिन आज 15 महीने हो गए, 15 महीनों के बाद भी समिति नहीं बनी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोग 15 सालों में नहीं कर पाए, उसको हम 15 महीने में कर देंगे क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर मंत्री जी इस तरह से बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा ? उपाध्यक्ष महोदय :- काफी चर्चा हो च्की है अन्य विषय भी बाकी है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 15 साल में क्यों नहीं कर पाए, आपके विधान सभा क्षेत्र का है । सब जवाब तो दे दिया । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप केवल लूटने की योजना बना रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- रामकुमार यादव ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा भागीरथ विकास हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सबको सहयोग करना पड़ेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- केवल गुलाबी कलर के गांधी जी से प्रेम कर रहे हो ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वो डॉक्टर साहब के जमाने की बात मत कीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपकी ही बात कर रहा हूं 📗

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए हो गया ।

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- इतना अच्छा उत्तर और कहां पाओगे ?

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, स्निये बृजमोहन जी अंतिम प्रश्न कर रहे हैं।

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- एकर तो हो चुके हे ना उपाध्यक्ष जी ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलो एक और प्रश्न दे देते हैं, वरिष्ठ हैं इसलिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्रीजी को ज़रा बैठा दें । रविन्द्र चौबे जी, यह एक ऐतिहासिक बाजार है, आप भी कभी बचपन में उस बाजार में गए होंगे । 125 साल पुराना बाजार है, वहां पर हम लोगों की 10-10 पीढ़ियां बीत गईं । लोग जीने से लेकर मृत्यु तक के सामान खरीदने वहां जाते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो द्निया में कहीं नहीं मिलता, वह गोल बाजार में मिलता है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये चलते-चलते बोल रहे हैं, बताइए । इनको ज्ञान का अभाव है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं प्रश्न कीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अभी तक 50 प्रश्न कर चुके हैं और 50 का उत्तर पा चुके हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक का भी उत्तर नहीं आया है।

श्री अमरजीत भगत :- उपाध्यक्ष जी, एक प्रश्न में कितने अनुपूरक ? यहां 10 से ज्यादा अनुपूरक प्रश्न हो चुके हैं ।

- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया की बात करने वाली यह सरकार ।
- श्री अजय चन्द्राकर :- पौनी पसारी की बात करने वाली सरकार ।
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सबसे बड़ा पौनी पसारी, गोल बाजार है, जाकर देख लो। वो भूल-भुलैया है । यह छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थान है । इस ऐतिहासिक स्थान से पैसा कमाने के लिए अपने लोगों को ।
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पैसा कमाने का प्रस्ताव अपने, अपनी सरकार में पारित किया था । मैं बता तो रहा हूं ।
 - श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ में भागीरथी विकास की गंगा बह रही है।
 - उपाध्यक्ष महोदय :- रामक्मार यादव ।
 - श्री शिवरतन शर्मा :- 2012-13 में कौन मेयर था बता दो ?
 - डॉ. शिवक्मार डहरिया :- सामान्य सभा का प्रस्ताव है।
 - श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, मेरा दो मिनट का विषय है ।
- उपाध्यक्ष महोदय :- इतना समय दिया गया है, आप लोग वरिष्ठ हैं आप लोग समझिये ना । सदन को चलाने के लिए आप लोगों को सहयोग देना पड़ेगा ।
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप मंत्रियों को मना क्यों नहीं करते मंत्री बार बार खड़े होकर, हमें अपनी बात नहीं बोलने दे रहे हैं ।
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप अपने समय में तो करा नहीं पाए और यहां हल्ला करा रहे हो । अपने समय में आपने ऐतिहासिक स्थान का काम क्यों नहीं कराये। प्रस्ताव तो आपके समय में 2012 में पारित हुआ था ।
 - श्री शिवरतन शर्मा :- 2012 में मेयर भी आपकी पार्टी की थी । (व्यवधान)
- डॉ. शिवकुमार इहरिया :- 2012 में सरकार किसकी थी ? डॉ. रमन सिंह की सरकार थी और बृजमोहन अग्रवाल वहां के विधायक थे । थे या नहीं थे ।
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, दो मिनट के बाद तीसरा मिनट नहीं लूंगा ।
- उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल भइया मेरी बात भी सुनिये । सहयोग करने के बाद, बार-बार ऐसा करना अच्छी बात नहीं है ।
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आप मुझे समय नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि आप भी बचपन में उस बाजार में गए होंगे । यह छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण बाजार है और इस बाजार को, अब तो संसदीय कार्यमंत्री जी भी आ गए हैं ।
 - श्री शिवरतन शर्मा :- अकबर जी बैठे हैं, उनका भी बचपन यहीं बीता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 29.12.2020 को आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, वह निर्णय करेगी । जब यह निर्णय नहीं हुआ तो शासन ने बिना निर्णय के, बिना कमेटी के गठन के, बिना नियम शर्तों के इन्होंने जिस प्रकार से वहां पर नोटिस देकर उसके ऊपर में..।

- डॉ. शिवक्मार डहरिया :- कोई नोटिस नहीं दिया गया है ।
- श्री अजय चन्द्रांकर :- तो फिर सरकार, समाचार पत्रों के खिलाफ मानहानि करे। (व्यवधान)
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एक हजार दुकानदार हैं, एक भी नोटिस ..(व्यवधान) झूठ बोलते हैं । उपाध्यक्ष महोदय :- आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा ।
- डॉ. शिवक्मार डहरिया :- एक भी आपके पास है क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, आप मंत्री जी को कहे। मेरी बात खत्म हो जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष जी, दावा आपित बुलायी गई या नहीं। दावा आपित बुलायी गयी, उसका मतलब क्या है? चूंकि माननीय मंत्री जी ने हमारे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि 1958 से लेकर अभी तक के जितने दस्तावेज हैं। मंत्री ने कहा कि उसको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री नारायण चंदेल :- 1857 है।

- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, 1857।
- डॉ. शिवक्मार डहरिया :- हां, मैं उपलब्ध करवा दूंगा। मेरे को स्वीकार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उन्होंने कहा है कि 1857 से लेकर अभी तक के जितने डाक्युमेंट्स हैं, उसको उपलब्ध करवा लूंगा। आप पटल पर रखवा दे। क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक स्थान का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य जी, एक मेरा आग्रह है। आप इतने वरिष्ठ हैं और चूंकि इतना समय हो गया है। बाकी और ध्यानाकर्षण भी है और विभागों की मांग पर भी चर्चा होना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम भाग लेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। मैं एक अंतिम बात बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, आपको सहयोग करना चाहिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं एक अंतिम बात बोल रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1857 से लेकर अभी तक के डाक्युमेंट्स हैं, उसको उपलब्ध करवा दूंगा। तो वे सदन के पटल पर रख दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने कहा दिया कि आपको उपलब्ध कराउंगा। वे उपलब्ध करायेंगे।

- श्री शिवरतन शर्मा :- डाक्य्मेंट पटल पर रख दे।
- श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष जी।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण सूचना के लिये बह्त देर से खड़े हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और जब तक पूरी नियम प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक किसी प्रकार की कार्यवाही -- मामले में नहीं की जाये, इस बात का आग्रह मेरा आपसे है। आप इस बारे में निर्देश जारी कर दे कि जब तक इसके बारे में पूरी नियम प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक इस पूरी प्रक्रिया को रोका जायेगा। इस बात का निर्देश जारी कर दे, इस बात का मेरा आपसे आग्रह है।

समय :

1.27 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय जी, आप निर्देशित कर दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, मोर ध्यानाकर्षण सूचना।

सभापति महोदय :- देखिये, इस सूचना पर काफी चर्चा हो गई है। माननीय मंत्री जी का उत्तर भी आ गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अजय चंद्राकर :- एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मंत्री जी ने इतना लंबा उत्तर दिया है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है। इतना काल्पनिक उत्तर है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने बोल दिया है कि वे दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे। और क्या चाहिए आप लोगों को। श्री रामकुमार यादव।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, मोर ध्यानाकर्षण के सूचना इस प्रकार हे ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापित जी, छत्तीसगढ़ सरकार की गोल बाजार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया की गोल बाजार, सिर्फ कर्जा खाने के लिये, एक व्यक्ति को उपकृत करने के लिये, गोल बाजार को बेच रही है। पैसा वसूल कर रही है। जो पुश्तों का मालिकाना हक है, उसका पैसा मांग रही है। हम इसके विरोध में बर्हिगमन करते हैं।

(विपक्ष के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये गये)

. स्टब्स

1.28 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.)

सभापति महोदय :- माननीय रामक्मार यादव जी।

(2) विधान सभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत साराडीह बैराज एवं कलमा बैराज निर्माण में प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाना ।

श्री रामकुमार यादव, सदस्य :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है कि :- मेरे विधान सभा क्षेत्र चन्द्रपुर के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के द्वारा साराडीह बैराज एवं कलमा बैराज का निर्माण हुआ है, जिसमें साराडीह बैराज एवं कलमा बैराज अंतर्गत प्रभावित किसानों का भूमि अधिग्रहित कर पूर्व में भू-अर्जन प्रकरण तैयार किया जाकर मुआवजा राशि प्रदान किया जा रहा है, जिसमें साराडीह बैराज के अंतर्गत साराडीह, उपनी, बसंतपुर, सकराली, नवापार, खुरघट्टी, सीरियागढ़ एवं अन्य ग्राम तथा कलमा बैराज के अंतर्गत ग्राम कलमा, महादेवपाली, चंदली बिलाईगढ़, बिरहाभांटा, पलसदा, चारपाली, बरहागुड़ा, हिरापुर, गोपालपुर, भैसामुहान, सिरौली, चन्द्रपुर, काशीडीह, मौहापाली के अनेकों प्रभावित किसारों का नाम छूट गया, जिससे उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है, इस वजह से प्रभावित किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जिससे प्रभावित किसानों में रोष व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री जय सिंह अग्रवाल) :- विधान सभा क्षेत्र चन्द्रप्र के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा साराडीह बैराज एवं कलमा बैराज का निर्माण किया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर नियमान्सार भू-अर्जन की कार्यवाही कर अवार्ड पारित किया जा रहा है। जिसमें साराडीह बैराज अंतर्गत डूबान क्षेत्र में सिरियागढ़ मांजरकूद, नवारापा (ड), सकराली, साराडीह ग्रामों के 359 कृषकों की भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पर अवार्ड पारित किया गया है एवं 327 कृषकों का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है, 32 कृषकों का मुआवजा भुगतान शेष है। साराडीह बैरॉज के प्रभावित ग्राम बसंतप्र के 23 कृषकों के भू-अर्जन का प्रकरण अवार्ड हेत् प्रस्तावित है। साराडीह गांव के 125 किसानों के प्रकरण में आपसी सहमति क्रय नीति के अंतर्गत भू-अर्जन कर 113 कृषकों को म्आवजा राशि का भुगतान किया गया है एवं 12 कृषकों का मुआवजा भुगतान कृषकों के आपसी विवाद के कारण लंबित है। ग्राम साराडीह के ही 09 कृषकों की भूमि अर्जन के पूरक प्रकरण में धारा 11 एवं 19 के प्रकाशन उपरांत प्राप्त आपत्तियों का धारा-21 के अंतर्गत स्नवाई प्रक्रियाधीन है। ग्राम साराडीह के ही 20 अन्य कृषकों की भूमि के द्वितीय पूरक भू-अर्जन प्रकरण में धारा 11 का प्रकाशन हो चुका है। उपनी के कारण में 211 कृषकों की भूमि के अर्जन में अनुमानित मुआवजा राशि का मांग पत्र कार्यपालन अभियंता, जल सर्वेक्षण एवं बैरॉज निर्माण संभाग क्रमांक- 01 खरसिया जिला- रायगढ़ को भेजा गया है। अनुमानित राशि प्राप्त होने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सकेगा। कलमा बैरॉज अंतर्गत ग्राम कलमा, महादेवपाली, चंदली, बिलाईगढ़, बिरहाभांठा, पलसदा, बरहागुड़ा, हीरापुर, गोपालपुर, भैसामुहान, सिरौली, चन्द्रपुर, कांशीडीह ग्रामों के 652 कृषकों की भूमि के अधिग्रहण प्रस्ताव पर अवार्ड पारित किया गया है

एवं 539 कृषकों का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है एवं 113 कृषकों के मुआवजा भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्राम खुरघट्टी, मौहापाली एवं चारपाली में भू-अर्जन किये जाने के संबंध में विभाग से अर्जन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण संबंधित ग्रामों की भू-अर्जन की कार्यवाही लंबित नहीं है।

प्राप्त सभी प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही होने के कारण यह कहना सही नहीं है कि, प्रभावित किसानों में रोष व्याप्त है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ला कहना चाहत हो अउ ए बात ला आज पूरा सदन भी देखत हे 15 साल पहिली स्टाप डेम बनथे, अइसे गरीब किसान मन के ओमा जमीन गेहे। नदी के तीर मा कोन रहिथे ? तो गरीब आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, जे मन अंदर मे उही ला अपना सब कुछ समझ के ओमन अपना जीवन-यापन करथे। ओला साग-सब्जी लगाथे। कोनो ओमा ककड़ी-कलिंदर लगाथे और ओमा बैराज बन गे। देखों मैं कहां तक बात ला कहना चाहत हो, बैराज बन गे उहा बर पानी जाथे। उहा के पानी ला बड़े-बड़े पावर प्लांट वाले मन हा ओखर पानी के उपयोग करत है। ओमा कंपनी शुरू होगे। ओमन के बोरा-बोरा पड़सा कमाए के शुरू होगे अउ आज तक ओ गरीब आदमी, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्सूचित जाति के मन म्आवजा के लिए तरसत है। आप कहें हो अभी तक विचारधीन है। मैं आपसे कहना चाहत हो अउ पूरा सदन से कहना चाहत हो, अधिकारी मन घलो स्नत होही। ए सदन एखर लिये बने हे कि जे गोठिया नइ सके तेखर लिये हमन गोठिया के ओखर योजन बनाबो। जो असहाय व्यक्ति हे, निर्धन व्यक्ति हे ते मन के आवाज बन के देवाबों लेकिन आज अइसे होवत है, बड़का-बड़का जो रोड जावत हे ओमन ला 4 ग्ना म्आवजा। पहिली पावब हे ओखर बाद रोड बनत हे अउ गरीब आदिवासी समाज के नदी किनारे के जमीन चले गीस। अभी ओ मन गोठिया नइ सकत है। ओ मन पढ़े-लिखे नइ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहत हो कि ऐखर फिर से सर्वे कराए जाए। का होथे जे गांव मा जो ब्द्धकार रहिथे, गांव के गौटिया रहिथे, मालिक रहिथे, ओखर पहिली स्नवाई करे जाथे। ओखरे बगल मा जो गरीब आदमी के जमीन रथे, ओखर कोई नई सुने। काबर कि ओ हा कमजोर रहिथे। अइसे बहुत आदमी छूट गेहे। आज मोल दु:ख के साथ कहना पड़त है।

सभापति महोदय :- प्रश्न पूछिये।

श्री रामकुमार यादव :- मोर यही प्रश्न हे कि आज ओमन छूट गेहे, ए मन 15 साल मा मुआवजा ला, पानी ला ले लीन अउ इही मन नई देवाहे। ए बड़ठे हे ते मन। मोर आपसे निवेदन हे कि आप फिर से सर्वे कराहु का ? अउ सर्वे करा कर के, जो ऑलरेडी सर्वे हो चुके हे जैसे उपनी गांव, मैं उपनी के मन ला पूछे हो, हमर अधिकारी मन हा तो पड़सा नइ हे कहात हे तो हमर मेर 1 लाख 20 हजार करोड़ रूपया पड़सा हे, ओ गरीब आदिवासी मन के मुआवजा बर काबर नहीं लगात हो ? मैं आपसे निवेदन

करीहों कि फिर से सर्वे करइहों का? ओमन ला कब तक मुआवजा मिलही? ए सदन ला आश्वासन देवों अउ आप के बात ला नदी किनारे के मन सुनत होही, उद्योग पित के चिंता ला कम करो, गरीब मन के घलों चिंता करों। मैं आपसे पूछना चाहत हो।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय मैंने विस्तृत...।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय रामकुमार जी, ते ता राहुल गांधी जी ला भी उहे ले के गे रेहेस। साराडीह, बिलौनी, बसंतप्र।

श्री कवासी लखमा :- बह्त लोगों को पइसा नहीं लगा है।

श्री सौरभ सिंह :- लेगे रहे कि नइ लेगे रेहेस? रेंगवाए रेहेस। गे रीहिस न?

श्री रामक्मार यादव :- गे ता रीहिस।

श्री सौरभ सिंह :- गे रहीस हे न।

श्री रामकुमार यादव :- उहा तो तुहर मुख्यमंत्री...।

श्री सौरभ सिंह :- ते ता लेगे रहे हस न राह्ल गांधी जी ला।

सभापति महोदय :- सौरभ कुमार जी, एक मिनट।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सभापित महोदय, अधिकांश किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है, उसके बाद फिर से दावा-आपित लेकर धारा 11 का प्रकाशन किया गया है । उसके बाद भी कोई किसान छूटे हैं, अगर माननीय सदस्य की जानकारी में है तो उसकी सूची उपलब्ध करा दें, हम उसका भी परीक्षण करा देंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापित जी, मैं गांव के नाव भर दे हंव । मैं गांव के नाव भरे हव, ओ काम के सर्वे करा लौ । मो एक ठी अउ अंतिम निवेदन हे, मैं ये सदन से माननीय मंत्री जी से निवेदन करहूं, चूंकि आप मोर जिला के प्रभारी मंत्री हव। मैं माननीय अध्यक्ष जी के जिला के हंव । आपसे एक ठी निवेदन करना चाहथाँ, सभापित जी, ए बात ला सुनिहव । जब बैराज बनत रिहीसे त गरीब आदिवासी मन के जमीन ला रायपुर अउ अंबिकापुर के आदमी मन ले लिस हे । दिल्ली, मुम्बई के आदमी मन दो लाख, तीन लाख रूपया एकड़ मा आके ठग के ले लिन अउ आज जब मुआवजा मिलना शुरू होवथे तो दिल्ली के आदमी ह ओकर मुआवजा ला उठावथे। यह कहां के न्याय ए, ओमन कतका बड़े डाक्गिरी करे हवय । आज कोई आदमी दिल्ली ले आके जमीन लिस अउ गरीब आदिवासी समाज के आदमी बेचारा ह नहीं जानिस, उहदा जमीन हे, कईके ठग के ले लिस । मोर आपसे निवेदन हे कि अईसे सूची निकालव अउ सूची निकाले के बाद में सही में गरीब, आदिवासी समाज के जमीन ला या अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब आदमी के जमीन ला ले होही तो पईसा मुआवजा उठाले होही, तभो ले गरीब आदमी मन ला दिलावव, तब जाकर भगवान अउ छत्तीसगढ़ के जनता पूरा आशीर्वाद दिही । यह मैं निवेदन करना चाहथीं ।

श्री सौरभ सिंह :- दिल्ली, बम्बई के आदमी मन के सूची ला घलो दे देते, कोन-कोन दिल्ली-बम्बई के आदमी हे, तेकरो सूची ला दे दे ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सभापित महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, इस प्रकार की कोई शिकायत मेरे पास नहीं है कि किसी व्यक्ति का मुआवजा दूसरे व्यक्ति ने ले लिया । अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जानकारी मुझे दे दें ।

सभापति महोदय :- यादव जी, आप मंत्री जी को लिखकर दे दें।

श्री रामक्मार यादव :- मोर मेर सूची हवय ।

सभापति महोदय :- यादव जी, मंत्री जी बोल रहे हैं । जो आपकी शिकायत है, उसे आप लिखकर मंत्री जी को दे दीजिए । मंत्री जी जांच करा लें ।

श्री रामकुमार यादव :- एक अंतिम प्रश्न करना चाहथौं । कुछ व्यक्ति मन कोर्ट चल दिन अउ कोर्ट के आदेश होए हे कि ए मन ला सही मुआवजा दिया जाये । त मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहथौं कि कम से कम कोर्ट के आदेश हे, तुहू ला पूरा करवावव, एक ठी सर्वे करा दौ, अतके कन निवेदन हे ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सभापति जी, हम परीक्षण करवा लेंगे ।

श्री रामक्मार यादव :- धन्यवाद ।

समय :

1:37 बजे

नियम 267 क के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

- 1. श्री बृजमोहन अग्रवाल
- 2. श्री सौरभ सिंह
- 3. श्री धरमलाल कौशिक
- 4. श्री केशव प्रसाद चंद्रा
- 5. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर

समय:

1:37 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) लोक लेखा समिति का इकसठवां से इक्यासीवां तक (कुल 21) प्रतिवेदन

श्री अजय चन्द्राकर (सभापति) :- माननीय सभापति महोदय, मैं लोक लेखा समिति का इकसठवां से इक्यासीवां तक (कुल 21) प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(2) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का दस से उन्नीस तक (कुल 10) प्रतिवेदन

श्री कुलदीप जुनेजा (सभापित) :- सभापित महोदय, मैं शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का दस से उन्नीस तक (कुल 10) प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समय :

1:38 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

- (1) श्री धर्मजीत सिंह
- (2) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
- (3) श्री धरम लाल कौशिक
- (4) श्री ननकी राम कंवर
- (5) श्री पुरूषोत्तम कंवर

समय :

1:38 बजे

वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

मांग संख्या	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय प्रशासन
मांग संख्या	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण
मांग संख्या	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	18	श्रम

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- सभापित महोदय, आज हम नगरीय प्रशासन मंत्री जी की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं । नगरीय प्रशासन मंत्री जी कितने सक्षम हैं, कितने कर्मवीर हैं, इसके बारे में अभी हमने इस चर्चा की शुरुआत के पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में देखा । माननीय मंत्री जी को अपने विभाग से कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है । मंत्री जी को सिर्फ [XX]¹¹ गुलाबी गांधी जी से मतलब है, बाकी किसी चीजों से मतलब नहीं है । मंत्री जी को मतलब है तो अतिक्रमण, दान में जमीन लेना, अतिक्रमण करने वालों को प्रोत्साहन देना, जो [XX] जी देगा, उसका जो काम चाहिए, नियम में है तो ठीक है, नियम के विरूद्ध है तो ठीक है, उसका काम हो जाता है ।

सभापति महोदय :- [XX] को विलोपित किया जाता है ।

^{11 [}XX] अध्यक्ष महोदय के आदेशान्सार निकाला गया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप यह कैसे विलोपित करेंगे । सभापति महोदय :- [XX] 12 नहीं हुए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप विलोपित नहीं कर सकते । सभापित जी, आप जरा सचिवालय से पूछ लीजिए, आप इसको विलोपित नहीं कर सकते ।

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX]

सभापति महोदय :- [XX] इसलिए उचित नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- गुलाबी पेपर में प्रिन्टेड ह्ए या नहीं हुए ?

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX] से प्रेम करने वाले माननीय मंत्री जी।

श्री अमरजीत भगत :- दरअसल, ये लोग गांधी जी कभी माने ही नहीं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापित जी, प्रदेश में 14 नगर निगम हैं, 40 नगर पालिकाएं हैं, 112 नगर पंचायत हैं। लगभग 159 नगरीय संस्थाएं हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के इन नगरीय संस्थाओं में लगभग 35 से 40 प्रतिशत जनसंख्या रहती हैं। आज पूरी नगरीय संस्थाएं मूलभूत समस्यों से जूझ रही हैं। आज पूरी नगरीय संस्थाएं सड़क, साफ पानी, बिजली के लिए तरस रही हैं। आज पूरी नगरीय संस्थाएं, वहां के भवन खण्डहर में तब्दील हो रही हैं। मैंने आज तक पूरी नगरीय संस्थाओं में ऐसा कभी नहीं देखा कि नक्शा पास करवाने के लिए भी [XX] प्राप्त करने के लिए फोन जाते हैं कि आपका नक्शा जमा हुआ है, आप जरा आकर इनसे मिल लीजिये। उसके लिए भागीरथी प्रयास होते हैं। ये क्या हो रहा है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- भागीरथी दवारा भागीरथी प्रयास होते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापित महोदय, पिछले 3 सालों में नगरीय संस्थाओं में विकास की एक ईंट नहीं रखी गई है। आपके भी विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा रायपुर नगर निगम में आता है। हम लोगों ने पिछले 15 सालों में पचासों कार्यक्रमों में साथ मिलकर भाग लिया है। धूलयुक्त सड़क, बजबजाती नालियां, अपूर्ण कार्य इस शहर की पहचान बन गया है, पूरी छत्तीसगढ़ के पहचान बन गये हैं।

माननीय सभापित महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गरीबों के मकान का क्या हुआ ? आपने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थीं। हमने अभी प्रश्न उठाया कि सरकार से शहरों की एक-एक इंच जमीन को एक रूपये में लेकर करोड़ों-अरबों रूपये में बेचने का काम ये मंत्री जी कार्यकाल में हो रहा है। मंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। इसके पीछे कौन है ? क्यों बेचा जा रहा है ? क्यों अव्यवस्थित विकास हो रहा है ? अभी ध्यानाकर्षण में गोलबाजार की चर्चा की। सभापित जी, आप आकर विराजमान हो गये थे। रविन्द्र चौबे जी यहां पर बैठे हैं। विकास उपाध्याय जी, हमारे अमितेश श्कल जी, कुलदीप जुनेजा जी, सब

_

^{12 [}XX] अध्यक्ष महोदय के आदेशान्सार निकाला गया.

जानते हैं। गोलबाजार की ऐतिहासिकाता आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। यहां पर इस प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने अपना जीवन बिताया है, यहां पर खेले-कूदे हैं। अंग्रेजों के जमाने में छिपने का काम किया, वह भूल भुलैय्या है। माननीय सभापित जी, मंत्री जी की कितनी पकड़ है, आप देख लें। उनके विभाग के सचिव तक उपस्थित नहीं हैं। उनके विभाग के प्रमुख सचिव तक उपस्थित नहीं हैं। उनके विभाग के प्रमुख सचिव तक उपस्थित नहीं हैं। उनके विभाग के प्रमुख सचिव तक उपस्थित नहीं हैं। उनके विभाग के अधिकारी उपस्थित नहीं हैं। मंत्री जी कितने विद्वान हैं, यह तो हमने अभी गोलबाजार की चर्चा में देख लिया। यह रूद्र गुरू जी भी जानते हैं कि गोल बाजार का महत्व क्या है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ग्रूदेव पूरा छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई सामान चाहिए, पंडित जी ने बता दिया कि गौ-लोचन चाहिए, छत्तीसगढ़ में गौ-लोचन कहीं नहीं मिलेगा तो गोलबाजार में मिल जायेगा। कोई जड़ी-बूटी चाहिए, पूजा का सामान चाहिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सामान चाहिए..।

श्री अमितेश शुक्ल :- गुप्ता जी की दुकान।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पूरे छत्तीसगढ़ में क्म्हारों की दुर्दशा है, ऐसे समय पर भी हमको कठिन से कठिन प्रकार के मिट्टी का सामान चाहिए, तो वह गोलाबाजार में मिलते, वह गोल बाजार में मिलते हैं । उस गोल बाजार में लोगों ने अपनी पीढ़ियां खपा दी है। 125 साल प्राना बाजार है, सरकार के नियम हैं, 10 साल बाद, 30 साल बाद, लोग उसके मालिक हो जाते हैं, 125 साल से लोग काबिज हैं, 100 फीट में जो काबिज है, उसको कितना पैसा देना पड़ेगा मालूम है ? उसको देना पड़ेगा, 20 लाख रूपया, हमारे आपके घरों के बाथरूम उससे बड़े होते हैं, 10 x 10 के जो चाकू-छूरी पर धार करते हैं, जो वहां पर मिट्टी के दिये बेचते हैं, जो वहां पर लाई बेचते हैं, मुरमुरा बेचते हैं, चना बेचते हैं, ऐसे लोगों को जो गरीबों के लिए कपड़ा बेचते हैं, 100 स्कवेयर फीट के लिए 20 लाख रूपया देना पड़ेगा । मंत्री जी सदन में असत्य कथन करते हैं, दावा आपत्तियां ब्लाई गई, वहां के व्यापारियों को पूरी एक लिस्ट थमाई गई कि इस व्यापारी को इतना पैसा पटाना पड़ेगा, इस व्यापारी को इतना पैसा पटाना पड़ेगा, आप छत्तीसगढ़ के धरोहर के साथ में छत्तीसगढ़ की थाती के साथ में, स्वतंत्रता सेनानियों के कर्मस्थली के साथ में क्या मजाक कर रहे हैं ? इस सरकार का काम सिर्फ पैसा कमाना ही बच गया है। माननीय सभापति जी, आप भी मंत्री रहे हैं, मैं भी मंत्री रहा हूँ, माननीय रविन्द्र चौबे जी बैठे हैं, किसी भी संस्था को एक रूपया में जमीन दी जाती है, उसमें शर्तें लगाई जाती है, आप इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं करेंगे, आप लोगों को सस्ते पर उपलबध करायेंगे, 1 रूपया में जमीन लेकर 10 हजार रूपये स्कवेयर फीट में बेचना, 11 हजार रूपये स्कवेयर फीट में बेचना, यह नाजिरशाही नहीं तो क्या है? यह तानाशाही नहीं तो क्या है? यह लूट नहीं तो क्या है? यह लूटने का काम है, डकैती है । माननीय मुख्यमंत्री जी, बार-बार इस सदन में कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, वहां पर लाई बेचने वाले कोई विदेश से आये हैं? वहां पर दिया बेचने वाले विदेश से आये हैं? वहां पर चाकू-छुरी धार करने वाले विदेश

से आये हैं ? गरीबों का सामान बेचने वाले क्या विदेश से आये हैं ? वह गरीब 11 हजार रूपये स्कवेयर फीट कहां से देगा ?

श्री अमरजीत भगत :- प्रस्ताव तो आप ही लोगों के समय आया ह्आ था ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, आपकी जानकारी में नहीं है, आप मत बताईये । हमारे समय पर यह प्रस्ताव आया था कि उनको मालिकाना हक दिया जाये, यह प्रस्ताव नहीं आया था कि 11 हजार रूपये स्कवेयर फिट में दिया जाये, यह प्रस्ताव नहीं आया था कि अगर आप कॉलोनी बनायेंगे तो आपसे विकास शुल्क 77 रूपया फिट लिया जायेगा, वहां पर यह तो दुनिया का अजूबा है कि विकास शुल्क 1000 रूपया फिट लिया जा रहा है । मंत्री जी, आपने भी रायपुर में घर बनाया है, अगर आपका मकान दो मंजिला है तो विकास शुल्क डबल लगेगा । कभी दुनिया में देखा है ? अगर 100 फीट में 3 मंजिले बनी हुई है, आपको विकास शुल्क 300 फीट का देना होगा । वह भी विकास शुल्क 1000 रूपये स्कवेयर फीट, शायद अमेरिका में भी नहीं होगा, इंगलैण्ड में भी नहीं होगा, जापान में भी नहीं होगा, 25 रूपया, 50 रूपया, बहुत ज्यादा होता है तो विकास शुल्क 100 रूपया होता है ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- टोक्यो से भी महंगा है 📙

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-नगर निगम लूटने की संस्था है, लोगों को सुविधा देने की संस्था है, नगर निगम के मैनिफेस्टो में क्या है? नगरीय प्रशासन के मैनिफेस्टों में क्या है? जरा बतायें ..।

सभापति महोदय :- 10 मिनट हो गये हैं, बृजमोहन जी । थोड़ा संक्षिप्त कर लें । एक ही विषय में बोले जा रहे है, केवल गोलबाजार ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बृजमोहन जी, बन्द कर दीजिए ।

श्री बुजमोहन अग्रवाल :- मैं बंद कर देता हूँ ।

सभापति महोदय :- केवल गोलबाजार छोड़, दूसरा आप बताईये ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- पूरा जो बोलना है, वही बोलेंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- बृजमोहन भईया, तुरन्त नाराज हो जाते हैं । इतना अच्छा आप बोल रहे हैं..।

सभापति महोदय :- मैंने यही तो कहा है कि संक्षिप्त में बोलिये । संक्षिप्त में बोलिये, यही तो कहा है ना ?

श्री अमरजीत भगत :- आपको खुश होना चाहिये ।

सभापति महोदय :- बन्द करना है तो आपकी मर्जी है । मैंने यह कहा संक्षिप्त में कर लीजिए । क्या गलत कहा है ? श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापित जी, मैं पहला वक्ता हूं। हमने कल माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करके कि नगरीय प्रशासन में सब लोग बोलना चाहते हैं, इसिलए आप इसके ऊपर में कल चर्चा करवाईये। इसिलए आज चर्चा हो रही है। कम से कम आप बाद के वक्ताओं को रोकें तो ठीक बात है, परंतु मुझे तो कम से कम समय दीजिए। मैं आपसे निवेदन के साथ में कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति ने एक घंटे का समय एलाट किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में आप भी रहे हैं, मैं भी रहा हूं।

सभापति महोदय :- मैंने यही तो कहा है कि संक्षिप्त में करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- बंद कर दीजिए।

सभापति महोदय :- बंद करना है कर दीजिए, क्या दिक्कत है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय चन्द्राकर जी खुद हाईलाईट होना चाहत है। तोला बोलना नई देना चाहत है।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी। आप बोलना नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, अगर आपका ये निर्णय है।

सभापति महोदय :- मेरा कोई निर्णय नहीं है। आप खुद बोलना बंद कर रहे हैं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अजय चन्द्राकर जी बहुत चालाक आदमी हैं। जब उनका मौका आयेगा तो।

सभापति महोदय :- मैंने यही तो कहा कि संक्षिप्त करिये। मैंने क्या गलत कहा ? आप मत बोलिये, क्या दिक्कत है। आप नहीं बोलेंगे, तब मैंने मोहन मरकाम जी का नाम पुकारा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रिवन्द्र चौबे) :- अजय जी, मोहन भैया, माननीय सभापित जी, आपने संक्षिप्त करने कहा, माननीय बृजमोहन जी ने कहा कि पहले वक्ता को वक्त मिलना चाहिए। मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं। माननीय बृजमोहन जी बहुत विरष्ठ सदस्य हैं, अपनी बात कह रहे हैं। पहले वक्ता हैं, उनको अवसर भी दीजिए। आदरणीय बृजमोहन जी, आप नाराज मत होईये। और तो और पीछे वाले की बात तो आप बिल्कुल मत स्निये।

सभापति महोदय :- हॉ ,वह तो आग लगाने वाले हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- हॉ, वह आग लगाने वाले हैं, आपने ठीक बोला। मेरा आग्रह है कि आप बोलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। श्री अमरजीत भगत :- बृजमोहन भैया, आपकी अलग छवि है। श्री रविन्द्र चौबे :- आप यह क्या कर रहे हो ? आदरणीय आप बोलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापित जी, अब इस सरकार ने स्मार्ट सिटी में यूजर चार्ज लगाया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इंदौर हमसे चार गुना बड़ा है, इंदौर देश में सफाई के मामले में पहले नंबर पर है। मुम्बई, दिल्ली, भोपाल में क्या है? देश के 100 से ज्यादा शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आये हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अजय जी, पीछे आईसक्रीम भी रखी है, आप थोड़ा अंदर से हो आईये। माननीय आप बोलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं माननीय अजय जी का सम्मान करता हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- उनका हम भी सम्मान करते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अजय चन्द्राकर जी की नाराजगी भी वाजिब है। मैं अपने बारे में नहीं कहना चाहता।

श्री रविन्द्र चौबे :- बृजमोहन जी, संसदीय प्रक्रियाओं को मैं भी समझता हूं, आपका सम्मान है, अजय जी का पूरा सम्मान है, लेकिन एक सीमा तक। आप बृजमोहन जी को बोलने दीजिए। वह पहले वक्ता हैं, अरबन बॉडी के बारे में बोल रहे हैं। कल तो हम लोग एक विभाग में 6 घंटे बैठे हैं न। वह क्यों नहीं बोलेंगे, आदरणीय बृजमोहन जी को बोलने दीजिए न।

श्री अमरजीत भगत :- अजय चन्द्राकर जी जितना नाराज होते हैं, उतना तो घर में घरवाली नाराज नहीं होती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या आप घरवाली से इतनी नाराजगी देखते हो? माननीय सभापित जी, यूजर चार्ज के नाम पर लूट का काम चल रहा है। क्या मजाक हो गया है? इंदौर में 35 रुपये square fit, रायपुर में 80 रुपये square fit यूजर चार्ज का रेट है, क्या हो रहा है? माननीय मंत्री जी आपका नियंत्रण है या नहीं है? क्या आप रायपुर के महापौर को, रायपुर की नगर निगम को निर्देश दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? रायपुर छत्तीसगढ़ की व्यवसायिक राजधानी है, रायपुर छत्तीसगढ़ का बढ़ता हुआ शहर है। रायपुर मेट्रो सिटी का स्वरूप ले रहा है। उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो यहां के रहवासियों, लोगों का है। क्या आप लूटकर रायपुर शहर के विकास को अवरूद्ध करना चाहते हैं? हम भी सरकार में 15 साल रहे हैं। हमारी सरकार में लोग कहने लगे कि रायपुर की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। रायपुर का स्वरूप बदल गया है। रायपुर के लोग कहने लगे कि रायपुर अब मेट्रो सिटी के जैसे दिखता है। जो हमारे पुराने नातेदार, रिश्तेदार आते हैं वह कहते हैं कि रायपुर बदला हुआ दिख रहा है, पहचान में नहीं आ रहा है। इतनी चौड़ी-चौड़ी सड़कें बन गई, इतने पुल-पुलिया, अंडरब्रिज बन गये। आज उस रायपुर को आप बरबाद करने पर तुले हुए हैं। उस रायपुर का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। यह यूजर चार्ज क्या होता है? स्मार्ट सिटी के रूप में आपको डेवलप करना है, आपकी सरकार कंगाल हो गई

है, आप नगर निगम को पैसा नहीं दे सकते तो क्या नगर निगम लोगों को लूटेगी ? रायप्र में अवैध कब्जों की बाढ़ आ गयी है। माननीय मंत्री जी ने परसों मेरे प्रश्न के जवाब में बताया कि पिछले तीन साल में 1021 जमीनों पर कब्जा हुआ है। 245 जगहों पर अवैध प्लाटिंग हुई है, क्या सरकार कुंभकरणीय नींद में सोई हुई है ? या शासन का राज है या किसी व्यक्ति का राज है ? जरा मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो निर्माणाधीन संस्थान है, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, जो बनी हुई बिल्डिंग है, उस पर तो आप समझौता कर सकते हो, आप उसका कानून ला रहे हो पर जो निर्मित हो रहे हैं जो निर्माणाधीन है उसमें आप समझौता नहीं कर सकते हो। आप उसको क्यों नहीं रोक रहे हो। निर्माणाधीन को रोकने का काम किसका है ? आपके अधिकार में है, कि जिस जोन कमिश्नर के क्षेत्र में जिस इंजीनियर के क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसको आप तोड़िये। शासन की धमक दिखनी चाहिये, अगर आपमें हिम्मत है, आप बोलेंगे। मैंने क्छ अधिकारियों से बात की तो अधिकारी क्या बोलते हैं कि सर बह्त लोगों के अवैध निर्माण बने ह्ये हैं, उनको भी तोड़ना पड़ेगा। भैया मैं बोल रहा हूं कि जो निर्माणाधीन है, उसको रोकिये, निर्मित को मत तोड़िये, आप राष्ट्रीय संपत्ति की बर्बादी करेंगे, पर जो निर्माणाधीन है, उसमें अवैध निर्माण होते समय, अनिर्मित निर्माण होते समय आप उसको रोक सकते हैं, आप क्यों नहीं रोकते ? जब हम बात करते हैं तो बताते हैं कि सर, यह तो उनका निर्माण है, यह हमको ऊपर से निर्देश है, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं। अतिक्रमण की पराकाष्ठा तो तब हो गयी जब कबीर पंथ के विश्व गुरू प्रकाश मुनी साहेब के आश्रम में कब्जा कर लिया गया, 20 फुट में 8 फुट की गली है। 15 फुट छोड़ कर निर्माण करना था, 23 फुट छोड़ना था। मतलब वहां पर ऐसा त्गलकी शासन चल रहा है, वहां पर दो ट्रांसफार्मर थे, मेरी विधान सभा क्षेत्र है, दोनो ट्रांसफार्मरों को सड़क पर ला कर लगा दिया गया है। क्या यह मजाक हो रहा है। कबीर पंथ के विश्व गुरू प्रकाश मुनी साहेब के आश्रम में उनके किचन के ऊपर तक अपनी छत डाल दी गयी, और माननीय मंत्री जी एक निर्माण नहीं, उस क्षेत्र में ऐसे 10 निर्माण चल रहे हैं, आप उसका नाप करवा लीजिये। अगर वह नक्शे के अनुरूप निर्माण नहीं हो रहा है तो आप उसको तोड़वा दीजिये। छत्तीसगढ़ की राजधानी को बर्बाद करने में क्यों त्ले हैं। तीन साल बाद हमारा शासन आयेगा, दो साल में हम उसको तोड़ने जायेंगे तो आप बोलोगे कि राजनीतिक कार्रवाई है। मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूं। आप उनको तोड़वाने की हिम्मत रखते हैं कि नहीं रखते हैं ?

माननीय सभापित महोदय, माननीय मंत्री जी यह आपके ही कार्यकाल में हुआ है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की बिजली काट दी गयी, 15, 20 दिनों तक अंधेरे में रहना पड़ा, क्या हालत हो रही है। बिना गुलाबी गांधी जी के कोई काम नहीं होता, बिना गांधी के सड़क नहीं, बिना गांधी के बिजली नहीं, बिना गांधी के नल का पानी नहीं, बिना गांधी के बी.एस.यू.पी में मकान नहीं, बिना गांधी के नक्शा पास नहीं, बिना गांधी के निराश्रित पेंशन नहीं, बिना गांधी के राशन कार्ड नहीं। क्या हो रहा है ? आपने सिटिजन चार्टर बनाया है। आप जरा एक बार निकाल कर देख लें कि पूरे छत्तीसगढ़ की नगरीय

संस्थाओं में कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं। क्या उनका काम सिटिजन चार्टर के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है ? मुख्यमंत्री जी की बड़ी-बड़ी फोटो छपती है, मंत्री जी की फोटो छपती है, अब ऑनलाईन नक्शे पास होंगे। कल कोई सदस्य बोल रहे थे कि जिस क्रम में नक्शे आते हैं, उस क्रम में नक्शे पास होने चाहिये, उस क्रम में नक्शे पास नहीं होते, जो गुलाबी गांधी जी पहुंचा देगा, उसका जल्दी हो जायेगा। जब तक गुलाबी गांधी जी के रूप में सेवा नहीं करेगा, तो उसका नक्शा पास नहीं होगा, तब तक वह नक्शा पेंडिंग रहेगा।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय बृजमोहन भईया, यह गुलाबी गांधी क्या है ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह गुलाबी गांधी क्या है ?

डॉ. शिवरतन शर्मा :- माननीय अमितेष जी, क्या है माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की जेब में गुलाबी गांधी होगा, उसको एक बार मांग के देख लीजिएगा और माथे पर लगा लेना। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की जेब में एकाध गुलाबी गांधी तो होगा ही।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापित महोदय, मेरे पास पार्षद आते हैं वह कहते हैं कि हमर पास तो गुलाबी गांधी जी नइ हे, तें हा मंत्री जी से बात करके, काम ला करवा दे। यह क्या हो रहा है, केवल काम पास करवाने के लिए? अगर यह स्थिति होगी तो हमने कभी किसी सरकार में हमने नहीं देखा। हमने यह तो सुना है कि टेण्डर, वेण्डर होता है तो उसमें गुलाबी गांधी जी चलते हैं, पर टेण्डर भी नहीं हुआ, काम पास भी नहीं हुआ। लेकिन कोई काम पास करवाने के पहले यह चाहिए। आखिर यह कैसे चलेगा? नगरीय प्रशासन कैसे चलेगा?

माननीय सभापित महोदय, मेरे पास कांग्रेस का घोषणापत्र है। आपने इस घोषणापत्र में शहरों के विकास के लिए बहुत सारे वायदे किये। जरा आप बता दें कि कोई एक भी वायदा पूरा किया क्या? यह अनिर्णय की सरकार है क्या शहरों में रहने वाले लोग छत्तीसगढ़ की जनता नहीं है। क्या शहरों में रहने वाले लोग मतदाता नहीं है। क्या शहरों में रहने वाले लोग मतदाता नहीं है। अभी माननीय शैलेष पाण्डे जी भी बैठे हैं, वह भी दुःखी हैं। मैं जानता हूँ कि बिलासपुर की क्या हालत है ? माननीय धर्मजीत सिंह जी बैठे हैं हम सब 90 विधायक रायपुर में रहते हैं। आज रायपुर की क्या हालत हो रही है?आज तक केनाल रोड के ओव्हर ब्रीज नहीं बन रहे हैं, 3 सालों से स्काई वॉक पर निर्णय नहीं हो रहा है, अटल एक्सप्रेसवे की मरम्मत नहीं हो रही है। आधा दर्जन अण्डर ब्रीज, ओव्हर ब्रीज आधे अधूरे पड़े हैं। आ.ज.पा. शासनकाल में जो काम स्वीकृत किये गये थे, उसके पैसे वापस बुलवा लिये गये। उस पैसे को वापस बुलवाने के बाद, उनको दुबारा स्वीकृति के लिए गुलाबी गांधी जी की मांग की जा रही है कि जब तक वह नहीं देंगे तो पुराने काम भी स्वीकृत नहीं होंगे। माननीय मंत्री जी, शारदा चौक से तात्यापारा रोड, रायपुर शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। आप बार-बार बात करते हैं कि आपने क्यों नहीं किया? अरे भईया, हमने 48 करोड़ रूपये दिये थे, उसी से तात्यापारा से लेकर आमापारा तक चौड़ा हुआ। आपको

पैसा नहीं लगना है, केवल आपको इसमें नगर निगम को ऋण की स्वीकृति देना है आपके बजट का भार नहीं आएगा। इसे बजट में लेने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको contingency फण्ड से लोन देकर, सड़क को बना सकते हैं। कुल मिलाकर, मैंने पिछले 3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, सचिव, मुख्य सचिव जी को किसी एक काम के लिए पत्र लिखा है तो शारदा चौक से तात्यापारा तक की सड़क का चौड़ीकरण के लिए लिखा है, यह लेख है। आप उस एक काम को नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 3 सालों में राजधानी में एक भी नई बायी पास सड़क नहीं बनी। जो पुरानी योजना है, जो पुराने काम चल रहे थे वह सब पैसे के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। अभी मालूम नहीं, आपके पास आपके विभाग के लोग पेपर किटंग भेजते हैं या नहीं भेजते हैं? बी.एस.यू.पी. के मकानों में कांग्रेस के नेताओं ने कब्जा करवा दिया और एक दो मकान नहीं, 124 मकान, अध्रे बने हुए मकान हैं। यह क्या हो रहा है? समाचारपत्र की हेडलाईन में छपा है कि कांग्रेस के नेता ने 124 अध्रे बने हुए मकानों में कब्जा करवाया। गरीब, असहाय, विपन्न, जिसके पास छत नहीं है, ऐसे लोगों को मकान मिलना चाहिए।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय बृजमोहन भईया, ये पेपर कटिंग किसी चर्चा का आधार नहीं हो सकता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापित महोदय, गरीबी रेखा में मकान आवंटन के लिए सूची बनी है, क्या उस सूची के आधार पर मकान आवंटित किये जा रहे हैं? भाटागांव, चंगोराभाठा, मठपुरैना, संतोषीनगर, इन सब स्थानों पर बीएसयूपी के मकान बने। आप गरीबों को क्यों आबंटित नहीं कर देते ? 10 हजार मकान निर्माणाधीन है, आप अभी से क्यों आबंटित नहीं कर देते। आप लोगों को कब्जा करने के लिए क्यों छूट दे रहे हो। वहां पर कौन लोग जाकर रह रहे हैं ? किनको कब्जा दिया जा रहा है ? रायपुर में बाहर से आने वाले लोगों का कैसे आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, कैसे उनके राशनकार्ड बनाए जा रहे हैं, रायपुर की डेमोग्राफी को कैसे चेंज किया जा रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओला लिख के दे देबे न भैया, ओला कतेक पढ़त रबे, मोला दे देबे, मैं ओखर निराकरण ला देखहूं। चिंता काबर करत हस।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापित महोदय, एक परंपरा रही है, मैं भी मंत्री रहा हूं। अगर सरकार के ऊपर में कोई आरोपात्मक बात कही जाती है तो माननीय सदस्य की भाषण की कापी विधानसभा से ले लेते हैं। उसके आधार पर हम विधानसभा में, हम तो जो लोग बजट में बोलते थे, उसकी कापी भी बुलवाकर हम अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं कि आप इस पर कार्रवाई किए, इतने दिन में रिपोर्ट दीजिए। इस सरकार में कुछ नहीं होता है। रायपुर में गरीबों को 120 मकान देने के लिए पैसा लिया गया। 40-40 हजार रूपए लिया गया है। दो लोग पकड़े गये। माननीय सभापित जी, आपने भी इस विधानसभा में चार बार प्रश्न उठाया है, आपने अपने भाषण में कहा है। हमारी बाकी मीटिंगों में यह कहकर आए हैं। आज तक उसमें 6 लोग गिरफ्तारी से बाहर हैं। उसमें कौन-कौन अधिकारी शामिल

है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का जगदलप्र के मामले में ध्यानाकर्षण आया। क्यों इतना समय लगता है ? जो लोग गरीबों की आह ले रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, गरीबों का पैसा खा रहे हैं, अभी रायप्र की रेलवे कॉलोनी में 40 लोगों के मकान तोड़ दिए गए। आपने कहा कि उनको शीघ्र मकान उपलब्ध करवा देंगे, आपके पास मकान खाली पड़े हैं, आप क्यों नहीं उपलब्ध करवा सकते। अगर वे ज्यादा गरीब हैं, अगर अपने हिस्से का पैसा नहीं दे सकते तो सरकार के पास में क्या इतना पैसा भी नहीं है कि उनके हिस्से का पैसा दे दे ? आप यह काम क्यों नहीं करते। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग यही स्थिति है। माननीय सभापति जी, बह्त सक्षम मंत्री हैं। गरीब के मकान के लिए इन्होंने उसका नाम "मोर चिन्हारी मोर मकान" बदल दिया। डेड़ लाख रूपए केन्द्र सरकार दे रही है, 85 हजार रूपए आप दे रहे हैं, 86 हजार रूपए हितग्राही दे रहा है। इसमें सिर्फ 22 प्रतिशत पैसा खर्च किया गया है। ऐसे योग्य मंत्री हैं, सक्षम मंत्री हैं कि साल भर में सिर्फ 22 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ। गरीबों को मकान नहीं मिल रहा है। आपके पास राज्यांश देने के लिए पैसा नहीं है। माननीय सभापति जी, अभी केन्द्र की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा है कि हमारे पास में एक लाख करोड़ रूपए है, जो राज्य चाहे हमसे लोन ले सकता है। उस पैसे को 50 साल में पटाना है। राज्य सरकार के जो प्रस्ताव गये हैं, वह नरवा, गरवा, घुरूवा, बारी, गोबर खरीदने के लिए गये हैं। आप 20 हजार करोड़ रूपए केन्द्र सरकार से मांग लीजिए, मेरी कल ही बात हुई है। प्रधानमंत्री आवास को पूरा करने के लिए आपका राज्य सरकार का प्रस्ताव आ जाए, आप केन्द्र से पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं ? आपको 50 साल की आसान किस्तों में पैसा देने के लिए तैयार है तो आप गरीबों के मकान के लिए क्यों पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है ? आप प्रस्ताव भेजिए, हम भी कोशिश करेंगे। 20 हजार करोड़ रूपए नहीं तो आपको 10 हजार करोड़ रूपए मिल जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आपकी चलती नहीं है न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम करवाएंगे। मैं इस सदन में बोल रहा हूं। आप मांगिए तो। मैंने कल बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों के लिए पैसा मांगा है...।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बृजमोहन जी को बोल रहे हैं न कि आपकी चलती नहीं। जैसी इस सरकार में आपकी स्थिति है, वैसी केन्द्र में बृजमोहन जी की स्थिति है।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमने पढ़ा था। कोरोनाकाल में 7 दिन में एक लाख करोड़ रूपए देने का जिक्र किया, 20 लाख करोड़ रूपए का पैकेज, क्या 20 नया पैसा भी किसी को मिला है ? 20 नया पैसा हिन्दुस्तान में किसी को नहीं मिला ?

श्री शिवरतन शर्मा :- 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला और आप लोग लाभ नहीं उठा पाए तो उसके लिए आप लोग दोषी हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से भेदभाव करती है आपको क्या कहती है वह केंद्र सरकार जाने लेकिन पैसा छत्तीसगढ़ में नहीं आता ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, आप प्रस्ताव तो भेजिए । केवल नकारात्मक बात करने से क्या होगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अब आपने अभी कह दिया कि नरवा-गरूआ और गौधन न्याय उसी में प्रस्ताव भेजते हैं करके तो एक छोटा सा प्रस्ताव उसमें गया है । पूरे देश में फर्टिलाईजर की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है । छत्तीसगढ़ में 16 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट बनाकर हम खेतों में दे चुके हैं, हमने लिखा है कि इसमें सब्सिडी दे दीजिये लेकिन देश में कोई सुनने वाला नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- वर्मी कम्पोस्ट की क्वालिटी ही नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी तो आपने कहा ।

श्री अमितेश शुक्ल :- बृजमोहन भैया, दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं न कि आप मकान और गरीबों के लिये इतना लोन लीजिये, कटौती तो आपके केंद्र से ही हो गयी न ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- बृजमोहन भैया, अकेले मेरे विभाग का 4000 करोड़ लेना बाकी है लेकिन केंद्र सरकार दे नहीं रही है क्या करें ? अगर आपकी चलती है तो आप उनको थोड़ा सा बोलिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापित महोदय, यह पैसा 50 सालों में वापस करना है । आप तो मंत्री रहे हैं । हमको जो नाबाई का लोन मिलता है, लांग टर्म लोन मिलता है और वह अगर हम 10,000 करोड़ भी लेंगे तो हमको साल का 100 करोड़ रूपये का भी भार नहीं आयेगा लेकिन छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोगों के सिर पर छत आ जायेगी, गरीबों को मकान मिल जायेगा ।

माननीय सभापित महोदय, शहर की शुद्ध पेयजल अमृत मिशन योजना उसमें 12.34 प्रतिशत खर्च हुआ है । एन.यू.एल.एम. में 19 प्रतिशत खर्च हुआ है । सबके लिये आवास में 51 प्रतिशत खर्च हुआ है । नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना में 36.80 प्रतिशत खर्च हुआ है । भाजपा सरकार के समय वर्ष 2017-18 में 19 परियोजनाओं के लिये पूरे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को 570 करोड़ रूपये दिये गये थे और चूंगीकर की क्षतिपूर्ति 1300 करोड़ रूपये दी गयी थी । क्या आपने कभी इतना पैसा दिया है ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि हम रायपुर शहर को 200 करोड़ रूपये उपलब्ध करायेंगे लेकिन अभी तक रायपुर शहर को केवल 54 करोड़ रूपये मिले हैं । क्या इतनी बड़ी राजधानी का 54 करोड़ रूपये में काम चल जायेगा ? मंत्री जी की आरंग नगर पालिका को कितना मिला है? रायपुर को 54 करोड़ और आरंग को 55 करोड़ । क्या आरंग रायपुर से बड़ा हो गया? क्या राजधानी के साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है ? मैं यह अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आपने जो प्रतिवेदन दिया है । उस प्रतिवेदन में आपने बनाया है । आपने कहा था कि संपत्तिकर में 50 प्रतिशत

छूट देंगे। आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि नहीं, उसका क्या हुआ ? 3 साल हो गये। नगरों की जनता इंतजार कर रही है कि संपत्तिकर में छूट मिलेगी। आपने कहा था कि शहरी आवास का अधिकार, सभी को मकान। उसका क्या हुआ ? सभी निकायों में वर्ष 2020 तक शुद्ध पेयजल उसका क्या हुआ ? प्रमुख शहरों में नियमित हवाई सेवा का क्या हुआ ? शहरों की यातायात प्रबंधन योजना। आपने कोई कंसलटेंट बनाया है, कोई कमेटी बनायी है ? जो शहरों की यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करेगा? सभी जिलों में सांस्कृतिक केंद्र। शहरों का 20 प्रतिशत ग्रीन एरिया तो आप ग्रीन एरिया तो नहीं बचा रहे हैं, वहां की जमीनों को आप बेच रहे हैं। नये तालाब, नये पार्क का निर्माण, क्या 3 सालों में एक भी नया तालाब बना है ? एक भी नया पार्क बना है ? इसीलिये हम कहते हैं कि ये सरकार, ये मुख्यमंत्री केवल घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। घोषणा के अलावा बाकी कुछ नहीं है। भाजपा सरकार के समय नगरपालिका को 5 करोड़ रूपये प्रतिसाल, नगर पंचायत को 2 करोड़ रूपये प्रतिसाल। आपने घोषणा की कि हम 1 करोड़ देंगे, 50 लाख देंगे। वह भी नहीं पहुंच रहा है।

माननीय सभापित महोदय, क्या यही शहर का मॉडल है ? आपने दुर्ग में 8 तालाबों के 11 करोड़ के टेंडर किये । आपको इतनी हड़बड़ी थी कि आज 6 माह हो गये, टेंडर हो गये, 11 रूपये करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी हो गया लेकिन 1 रूपये भी अभी तक उनको नहीं दिया गया है । यह क्या मजाक हो रहा है ? स्थानांतरण उद्योग चल रहा है। राजस्व निरीक्षक, बाबू ये प्रभारी सी.एम.ओ. बनाये जा रहे है। क्या यह भी गांधी जी की कृपा से हो रहा है?

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, कितना समय और लगेगा?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बस, मैं 7-8 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

और तालाबों का नाम चाहिए माननीय मंत्री जी तो मैं बता देता हूं। दुर्ग का कसारीडीह तालाब, लुचकी तालाब, हरनाबांधा तालाब, डोंगिया तालाब, माता तालाब, कोरिया तालाब, सिकोला तालाब, शीतला तालाब, पोटिया पोलसाय नाला तालाब। माननीय मंत्री जी, शहरों में गोबर खरीदी बंद है। आपके नगरों का भी टास्क है कि यहां पर गोबर खरीदी होनी चाहिए और गाय गौठानों की बजाय सड़कों पर दिखाई देती हैं। हम रायपुर राजधानी में रहते हैं। वी.आई.पी. रोड पर, रिंग रोड पर। संतोषी नगर रोड पर, भाटागांव रोड पर, मठपुरैना रोड पर, सुंदर नगर रोड पर, कटोरा तालाब रोड पर। ये लावारिस जानवरों के कारण लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज स्मार्ट सीटी में क्या हो रहा है? पूरी दुनिया जब कोरोना के लिए सहायता देकर लोग अपने जेबों से पैसा देकर कोरोना के मरीजों का ईलाज करवा रहे थे, सहायता दे रहे थे, रायपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कोविड सेंटर बनाया गया है। सी.सी.टी.वी. और साउंड सिस्टम का किराया 59 लाख 37 हजार रूपये, इतने में तो शायद विधान सभा में सी.सी.टी.वी. और साउंड सिस्टम का किराया है। 59 लाख रूपये के सी.सी.टी.वी. और साउंड सिस्टम का किराया है। 25 इंटरकॉम का किराया 11 लाख रूपये है। मैं अभी नया घर बना रहा हूं। वहां पर इंटरकॉम लगा रहा हूं। उसमें 22

इंटरकॉम लगेंगे। 3 लाख रूपये में लग गये और परमानेंट लग गये। ये केवल किराये का 11 लाख 25 हजार रूपये 25 इंटरकॉम का है। 750 मीटर वायर का किराया 2 लाख 94 हजार रूपये। 750 मीटर वायर, यह आ जाता महंगा से महंगा आज 75 हजार में आ जाता। 23 बड़े बल्ब का किराया 1 लाख 72 हजार रूपये। 23 बल्ब कौन सा बल्ब है भैया? ज्यादा से ज्यादा 1000 के हिसाब से 23000 का आता। 157 सी.एफ.एल. का किराया 3 लाख 14 हजार रूपये। एक ए.सी. का किराया 75 हजार रूपये। ए.सी. कितने में आता है? 30 हजार, 40 हजार। उसका किराया 75 हजार है।

श्री शिवरतन शर्मा :- ए.सी. में आपका कुछ स्पेशल कमेंट आ जाये।

श्री अमितेश शुक्ल :- हां, जो ए.सी. है, वह कौन से टन का है, यह बतायें, क्योंकि उसमें एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाख के भी आते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- बल्ब का किराया 23000 रूपये है।

श्री अमितेश शुक्ल :- बल्ब के बारे में नहीं जानता। मैं आ<mark>पको ए.सी. के</mark> बारे में बता रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, मैं किराया बता रहा हूं। खरीदा नहीं है। ए.सी. का किराया 75000 है।

श्री अमितेश शुक्ल :- किराया ? किराये के बारे में जानकारी नहीं है। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- ऐसे ही आपको कई चीजों की जानकारी नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 5 कूलर का किराया 70 हजार रूपये। (शेम-शेम की आवाज) माननीय मंत्री जी, क्या हो रहा है? ये जनता के पैसे की लूट मची हुई है और उस कोविड सेंटर में 200 सीटर कोविड सेंटर था। 120 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या मजाक हो रहा है? 60 लाख का 80 लाख का ईटायलेट बनाया। अभी तक बंद पड़े हुए हैं। 5 लाख का बूढ़ातालाब में फव्वारा लगाया। अभी तक बंद पड़ा हुआ है। जरा, आपकी कोई पकड़, नियंत्रण है तो आप इसे रोकिए। हिन्द स्पोर्टिंग मैदान में 3 साल हो गया, मुख्यमंत्री जी ने यहां घोषणा की थी। आज तक वह नहीं बनाया गया। नवीन बाजार का क्या हुआ ? गंज मंदिर प्रोजेक्ट का क्या हुआ? एस.टी.पी. हमारी सरकार के समय शुरू हुआ था। आज उसे 5 साल हो गये। हमारी खारून गंदी हो रही है। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या हुआ? खारून रिवर फंड का क्या हुआ? 4 करोड़ के अंडरग्राउंड डस्टबीन लगे थे, उन्हें क्यों बंद कर दिया गया? मुख्य सड़कों की अंडरग्राउंड वायरिंग होनी थी, उसका क्या हुआ? रायपुर के लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 24/7 71 करोड़ की शुद्ध पेयजल योजना की स्वीकृति हो चुकी। शासन से दो बार स्वीकृति हो चुकी, उसके बाद में भी वह काम क्यों नहीं हो रहा है? तो माननीय सभापित महोदय, जो नगरीय प्रशासन है, वह केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। लूट का केन्द्र बन गया है और इसलिए में इन मांगों का विरोध करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि मैंने अपने बजट भाषण में जिन बातों को कहा है, आप उसकी कॉपी निकलवाकर निश्चत रूप से कार्यवाही करेंगे। मैं इस बात का आग्रह करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, श्रम मंत्री जी बह्त योग्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के ख़ास मंत्री हैं । ज़रा बताएं, पिछले साल श्रम विभाग का बजट कितना था ? 207 करोड़, अभी वह कितना हो गया, 154 करोड़ । श्रम विभाग के बजट में 53 करोड़ की कटौती क्यों ह्ई ? आप क्यों खर्च नहीं कर पा रहे हैं ? आपने दो नई योजनाएं लाईं, म्ख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र, लेकिन क्या बजट में एक रूपए की भी व्यवस्था है ? क्या आपने एक भी केन्द्र खोला ? पहले मैंने नगरीय क्षेत्रों के साथ कहा, अब आप मजदूरों के साथ में भी सही काम नहीं कर रहे हैं । मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह श्रमवीरों की सरकार है । श्रमिकों का सम्मान करने वाली सरकार है । श्रमिकों के पैसे को खाने का काम कर रहे हैं । श्रमिकों के पैसे पर आप कुंडली मारकर बैठे हैं । आपने श्रम सहायता केन्द्र एल.आर.सी., प्रवासी सुविधा केन्द्र एम.आर.सी. खोलने की बात कही, क्या बजट में इसके लिए एक रूपया भी है ? सभापति महोदय, श्रम आयुक्त संगठन को 97 करोड़, 80 लाख, 3 हजार रूपए मिले थे । उसमें से आपने 40 करोड़ रूपए खर्च किये, कोरोनाकाल में सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तो गरीब, श्रमिक, मज़दूरों को थी जो बेरोज़गार हो गए थे, 2 साल तक जिनके घर में खाने के लिए अन्न नहीं था । बजट में आपने कहा कि 99 प्रतिशत राजस्व व्यय के लिए रखा गया है और पूंजीगत व्यय के लिए .25 परसेंट रखा गया है । अगर .25 प्रतिशत केवल श्रमिकों के उत्थान के लिए, उनके स्थायी निर्माण के लिए रखेंगे तो श्रमिकों को क्या मिलेगा ? श्रमिकों को सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, वे गरीब होते हैं, अमीर नहीं होते हैं, उन्हें इलाज की स्विधा मिलनी चाहिए । उनको सस्ते में इलाज मिलना चाहिए । कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय की राशि में 67 परसेंट की कमी कर दी, 67 परसेंट की कमी । आप केवल 33 परसेंट राशि खर्च करेंगे । राज्य बीमा अस्पताल की राशि में आपने 49 परसेंट की कमी कर दी । क्या ऐसे ही श्रमिकों का काम करने वाली सरकार है ? मंत्री जी ने परसों मेरे प्रश्न के जवाब में बताया कि 561 करोड़ रूपए हमारे पास जमा है, ये पैसा आपका नहीं है। ये पैसा जो असंगठित मजदूर हैं, जो काम करते हैं, जो बिल्डिंग में काम करते हैं, उनसे उपकर के रूप में लिया जाता है । 591 करोड़ रूप में से मुख्यमंत्री सायकिल सहायता योजना सिर्फ 254 श्रमिक, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सिर्फ 74 श्रमिक, मंत्री जी ने ही उस दिन बताया था कि 20 लाख से ज्यादा श्रमिक हमारे पास में रजिस्टर्ड हैं । अगर 20 लाख से ज्यादा श्रमिक रजिस्टर्ड हैं तो 254 श्रमिकों को सायकिल क्यों, 74 श्रमिकों को सिलाई मशीन क्यों, सिर्फ 3761 श्रमिकों को ही औजार क्यों ? दुर्घटना चिकित्सा सहायता 1 श्रमिक, अटल सहायता में एक भी श्रमिक नहीं, ई-रिक्शा सहायता योजना शुरू हुई थी । आज रायपुर में जो आपको ई-रिक्शा दिख रहे हैं ना, वह ई-रिक्शा, मजदूरों के बच्चे, मजदूरों की महिलाओं के लिए हैं, ताकि वे स्वावलंबी बनें । चलिए हमने तय किया कि सरकार 50 हजार रूपए सब्सिडी देगी । बाद में तो हमने यह निर्णय किया था कि 1 लाख रूपए सरकार देगी । बाकी वह लोन लेगा, आज रायप्र शहर को आप प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं । 561 करोड़ रूपए आपके पास हैं । श्रमिकों के बच्चों को, श्रमिक महिलाओं को आप ई-रिक्शा क्यों नहीं दे सकते । मैं तो

कहता हूं कि सिर्फ रायपुर में ही नहीं । आपके पूरे 159 नगरीय क्षेत्रों में ई-रिक्शा देना चाहिए । प्रदूषणमुक्त करना चाहिए, आपके पास पैसा है । आपको सरकार के बजट से पैसा नहीं चाहिए । जिस काम को हम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते, बजट की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है । श्रमिकों के फंड में पैसा पड़ा हुआ है और आप इस काम को नहीं कर रहे हैं । सभापित महोदय, आप प्रतिवेदन में बोलते हैं कि 48 में से 33 योजनाएं चल रही हैं, 11 योनाजाएं बंद हो गईं। 10 मार्च के मेरे प्रश्न के जवाब में बोलते हैं कि 32 योजनाएं चल रही हैं, 6 योजनाएं बंद गईं। तो जरा आपके अधिकारियों को कहे कि प्रतिवेदन में यह क्यों छापते हैं। विधान सभा के उत्तर में कुछ देते हैं। तो विधान सभा की कोई गरिमा है या नहीं। आज मजदूरों के लिए जितनी योजनाएं थीं। आप तो मिनीमाता के अनुयायी हैं, आप उसी के समाज से आते हैं। मिनीमाता कन्या सहायता योजना 20 हजार रूपये मिलता था। आपने उसको बंद कर दिया। मजदूरों के बच्चों की शादी के लिये उनको 20 हजार मिलता था, आपने उसको बंद कर दिया। जो ई-रिक्शा मिलता था, आपने उसको बंद कर दिया। आप स्वीकार करते हैं कि बी.एस.यू.ई. में 561 करोड़ रूपये जमा है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय बृजमोहन भैया कल बता रहे थे मंत्री जी की उसमें राशि बढ़ा दी गई है। जो आपके समय में कम दिया जा रहा था , उन योजनाओं में राशि बढ़ा दी गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां तो 561 करोड़ रूपये को मैं शहद लगाकर चाट रहा हूं। श्रमिकों के पैसा को कुंडली मार कर बैठे हैं। शर्म आना चाहिए। वह गरीब मजदूरों का पैसा है। सरकार के खजाने का पैसा नहीं है और श्रमिकों के पैसे को, श्रमिकों के ऊपर खर्च करने की बजाय कोविड काल में। मेरे पास में केन्द्र सरकार की दो पत्र हैं । पूरी देश की सरकारों ने उनके खाते में पैसे डाले, एक हजार, दो हजार, पांच हजार, दस हजार। नहीं डाले मेरे पस में आंकड़ा है। मंत्री जी ने उस दिन बताया सिर्फ 6 करोड़ रूपये खर्च किये, 591 करोड़ रूपये ..।

श्री अमरजीत भगत :- देखिये उस समय मजदूर लोग जम्मू-कश्मीर, केरल में फंसे थे। उस समय हम लोगों ने मंत्री जी से बात किये थे तो उन लोगों के खाते में पैसा डाला गया था। ऐसा नहीं है।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, कृपया समाप्त करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापित जी, बस मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा। 20 लाख मजदूर हैं। यदि 20 लाख मजदूरों के खाते में एक-एक हजार भी डालते न तो 200 करोड़ लगता। लेकिन आपने 6 करोड़ रूपये डाला है। मजाक कर रहे हैं। मजदूरों के पैसे के ऊपर में कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। मैं तो इस सरकार के जमीर को जगाना चाहता हूं। मैं यहां के सदस्यों के जमीर को जगाना चाहता हूं कि आखिर श्रमिकों के पैसे पर कुंडली मारकर बैठने वाली सरकार, गरीबों के पैसे पर कुंल्ली मारकर बैठने वाली सरकार। माननीय सभापित जी, आपके क्षेत्र में 100 बिस्तरों का ए.एस.आई. का हॉस्पिटल बना है। एक हॉस्पिटल कोरबा में बना है। उसको बने हुए दो साल हो गये हैं, आप उसको क्यों शुरू नहीं कर रहे

हैं। मजदूरों के ईलाज के लिए हास्पिटल बना है। उस हॉस्पिटल को आप किराये में देने का काम कर रहे हैं। सौ-सौ बिस्तर के दो अस्पताल बन चुके हैं। उनके लिये कोई काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री कौशल विकास परिवार योजना राज्य सरकार जो प्रशिक्षण देना चाहिये। Prior Learning (RPL) एजुकेशन योजना, उसमें प्रमाण-पत्र देने की योजना में, जिसका कोई औचित्य जिसमें बिना प्रशिक्षण के पैसे दिये जा रहे हैं। उसमें करोड़ों दिया जा रहा है। सभापित महोदय, हमारी सरकार ने एक योजना शुरू की थी कि हर शहर में एक चावड़ी बनी हुई है। जहां पर मजदूर आकर इकट्ठे होते हैं। उन मजदूरों को लोग अपने काम के लिये ले जाते हैं तो उनको काम पर जाने से पहले शहीर वीर नारायण श्रम अन्न योजना के तहत उनको गरम भोजन मिलेगा, उनको टिफिन मिलेगा और उसमें वे गरम भोजन ले जायेंगे। उस योजना की जब हमने शुरूआत की तो दो हजार लोगों को मिलती थी। आपके अभी भी श्रम कार्यालयों में हजारों टिफिन पड़े हैं, उसको आपने बांटा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कबाड़ में बेच देंगे और पैसा खा जायेंगे। तो गरीबों के गरम भोजन पर भी ..।

श्री अमरजीत भगत :- उसमें अभी भी रमन सिंह का फोटो लगाकर रखे हैं तो कहां से बांटेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- फोटो नहीं है भैया। फोटो नहीं है। हमने शुरू किया था गांधी चौक में एक, एक शुरू किया था तेलीबांधा में। आज वह बंद हो गये। आखिर यह क्या स्थिति हो रही है। माननीय सभापित महोदय, यह सरकार गरीबों का शोषण करने वाली सरकार है। यह सरकार श्रमिकों के पैसे को खाने वाली सरकार है। यह सरकार शहरों के साथ में सौतेला करने वाली सरकार है। यह सरकार कंगाल सरकार है। यह सरकार गरीबों की सर से छत छीनने वाली सरकार है। इस सरकार के राज में कोई भी खुश नहीं है और इसीलिए सभापित जी, आपने कृपा करके मुझे पर्याप्त समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मोहन मरकाम जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं मंत्री जी की अनुदान मांगों का विरोध करते हुए मंत्री जी से इस बात का आग्रह करता हूं कि प्रभु राजधानी के रक्षा करो। राजधानी के लूट-मार ला बंद करो। राजधानी के अतिक्रमण ला बंद करो। राजधानी के अवैध निर्माण ला बंद करो और कम से कम राजधानी में हमन ला, हमर बच्चा मन ला, हमर आने वाले पीढ़ी मन ला, छत्तीसगढ़ के जतेक झन हे, सबके इच्छा होथे कि मोर रायपुर में एक घर रहे। एखर खातिर रायपुर अच्छा बनही, शहर मन हा अच्छा बनही ता आने वाला पीढ़ी मन ला याद करही और तोर ऊपर ए जिम्मेदारी हे, 3 साल तो चले गे अब दू साल बचे हे। ए दू साल में कुछ कर देबे ता हमर नाम नइ होही, तोर नाम होही। अभी तक तो 3 साल मा तेहा कुछ नइ कर पाए हस, पर ए दू साल में दिखा दे कि ते भी हा मंत्री हस। तो मोला लगथे कि रायपुर शहर हा सुधर जही। इही भावना के साथ में बजट के विरोध करत अपन बात ला समाप्त करत हो, धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापित महोदय, माननीय लोकप्रिय, ऊर्जावान, कर्मवीर, सक्षम, प्रशासिनक क्षमता में दक्ष हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री, डॉ. शिवकुमार डहरिया के वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान मांग संख्या- 22, 69, 81, 18 की सभी अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए माननीय सभापित जी, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ के 169 नगरीय निकायों के मूलभूत सुविधाएं, अधोसंरचना विकास के लिए हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की नेतृत्व में, डॉ. शिवकुमार डहरिया के नेतृत्व में, विभागीय मंत्री के नेतृत्व में लगातार नगरीय निकाय क्षेत्रों का विकास हो रहा है इसीलिए अभी जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, इतिहास में पहली बार 14 के 14 नगर-निगमों में कांगेस पार्टी के महापौर बने हैं। अक्सर कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का शहरों में बहुत ज्यादा दबदबा होता है। उस मिथक को भी हमने तोड़ने..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मरकाम जी, ओ मरकाम जी, माननीय मंत्री जी बोलते हैं कि रायपुर में मेरी नहीं चलती। जरा उसके बारे में भी बता दीजिएगा।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की शहरों में उस मिथक को भी तोड़ने में हम सफल ह्ए और इतिहास में पहली बार 14 के 14 नगर निगम जीतने में सफल ह्ए। हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में गये थे, यह उसी का परिणाम है कि हम 14 के 14 नगर-निगम जीतने में सफल हुए। हम 38 नगर-पालिका में 28 नगर-पालिका जीते। हम 112 नगर पंचायत में 78 नगर पंचायत जीतने में सफल हए। यह हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं जो नगरीय निकाय की जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों पर हमारी सरकार उतरने में सफल हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी स्काई वाक की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की असफलता का स्मारक है, स्काई वाक। इन्होंने बिना सोचे-समझे लगभग 80 करोड़ रूपये, जो शहर कर विकास होना था स्काई वाक बनाया था। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि यहां राजधानी में स्काई वाक का क्या औचित्य रहा? इन्होंने दुर्ग से रायप्र तक मोनो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन चलाने की बात की थी। यह लोग 15 साल तक सरकार में रहे, मगर मोनो ट्रेन और मेट्रो ट्रेन चलाना तो दूर वह जो बच्चों के खेलने वाली छूक-छूक गाड़ी चलती है, वह ट्रेन भी ये नहीं चला पाये। आज नगरीय निकायों की जनता के विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, ऐतिहासिक योजना, जो उस क्षेत्र में निवास करने वाले, कामकाज करने वाली जो महिलाएं हों, पुरूष हो, अन्य लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य से वंचित नागरिकों को उनकी चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई। प्रथम चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाईल मेडिकल युनिट एम्बुलेंस के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं । इसमें प्रदेश में कामकाजी महिलाओं से लेकर अन्य सभी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है । इस योजना की बह्त

ज्यादा तारीफ हो रही है । इस योजना के तहत आम नागरिकों को मोबाईल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैम्प के माध्यम से मुक्त में परामर्श, उपचार, दवाईयां एवं दैनिन्दनी होनी वाली टेस्ट सुविधा प्रदान की जा रही है । मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत महिलाओं को चौखट पर ही बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है । सभापित जी, प्रदेश के 14 नगर निगमों में लगभग 900 स्लम क्षेत्रों में निवासरत् नागरिकों हेतु अब तक कुल 22500 से अधिक शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसमें 16 लाख से अधिक मरीजों का ईलाज किया जा चुका है, 13,27,500 से अधिक मरीजों को दवा वितरण किया जा चुका है एवं 3 लाख, 3 हजार से अधिक मरीजों का लेब टेस्ट हुआ है । इस योजना की लोकप्रियता के कारण इसके लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापित जी, मुख्यमंत्री मितान योजना में घर पहुंच सेवा के माध्यम से नागिरकों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है चाहे जाति प्रमाण-पत्र हो, निवास प्रमाण-पत्र हो, राशन कार्ड या अन्य योजना हो, उन सभी योजनाओं में घर पहुंच सेवा देने का ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। जैसे लोक सेवा गारंटी योजना के तहत जो भी दिशा-निर्देश है, उस दिशा-निर्देश के तहत जाति प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र के साथ लोक सेवा गारंटी में जिन-जिन योजनाओं को शामिल किया गया है, मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत उनको घर पहुंच सेवा देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें 100 से अधिक सेवाओं का लाभ 169 क्षेत्र के नागरिकों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत कॉल सेन्टर एवं मितान पोर्टल का उपयोग कर शासकीय सेवा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज की जानकारी इस सेवा के माध्यम से प्राप्त करेंगे और इसमें लोगों का समय भी बचेगा। आफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे, उसमें भी समय की बचत होगी। इसके लिए सरकार ने 2022-23 के बजट में 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि एक सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।

माननीय सभापित जी, प्रदेश के 169 नगरीय निकाय में रहने वाले गरीब तबके के लोग महंगी दवाई नहीं खरीद पाते थे, उनको कम रेट में दवाई मिल सके, इसके लिए नगरीय निकाय में धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्थापित करके गरीब तबके के लोगों को राहत देने का काम करके हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे कहीं न कहीं गरीब तबके के लोगों को कम दाम में वाजिब दाम में दवाइयां मिल रही है इससे कहीं न कहीं गरीब तबके के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जिसमें 50 से 80 प्रतिशत की छूट दी गई है। अभी तक इस योजना से 17 करोड़ 92 लाख रूपये के बाजार मूल्य की दवाईयों में 10 करोड़ रूपये की छूट देते हुए 5 लाख 92 हजार नागरिकों को

लाभान्वित किया गया है। माननीय सभापित जी, हमारी सरकार लगातार ऐसी नीतिगत फैसले ले रही है, जो आम जनता को राहत, नगरीय निकाय में निवास करने वाले लोगों को राहत देने का काम कर रही है।

माननीय सभापति जी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार 3 वर्षी तक स्वच्छतम राज्य की श्रेणी में हमारी सरकार को केन्द्र सरकार ईनाम दे रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी को स्वच्छतम राज्य का आवार्ड दिया है। यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए ख्शी की बात है। हमारी सरकार कहीं न कहीं स्वच्छता की ओर काम कर रही है। अब छत्तीसगढ़ ने एक कदम आगे बढ़कर देश के प्रथम ओ.डी.एफ ++ राज्य होने का गौरव हासिल किया है। 2 अक्टूबर, 2017 को प्रदेश के समस्त 169 नगरीय निकायों में क्ल 3,217 वार्डों को भारत सरकार द्वारा स्वतन्त्र थर्ड पार्टी निय्क्त कर निरीक्षण कराने के उपरांत विधिवत ख्ले में शौचम्क्त किया गया है। यह प्रमाणन प्रत्येक 6 माह में किया जाता है, जिसमें दिनांक 31.12.2018 तक शहरी छत्तीसगढ़ मे तीसरी बार ओ.डी.एफ. घोषित किया गया है। माननीय सभापति जी, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य के शहरों ने विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उपलब्धियां के क्रम को जारी रखते हुए बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। वर्ष 2019-2020 के बाद लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छता में अव्वल होने का गौरव हासिल किया है। सफाई मित्र, स्रक्षा चैलेंज 2021 की श्रेणी में बेस्ट परफार्मिंग स्टेट का खिताब छत्तीसगढ़ को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही है। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि जितने आवार्ड, जितने ईनाम छत्तीसगढ़ राज्य को इन 3 वर्षों में मिला है, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में उनको इतने अवार्ड नहीं मिले। इस श्रेणी में दिए जाने वाले 239 प्रस्कारों में सर्वाधिक 67 निकायों को प्रस्कार छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है। छत्तीसगढ़ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय राष्ट्रपति महोदय से यह आवार्ड ग्रहण किया।

माननीय सभापित जी, जहां एक ओर छत्तीसगढ़ को बेस्ट स्टेट का आवार्ड मिला, वहीं छत्तीसगढ़ के 67 निकायों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान रैंकिंग के आधार शहरों को 3 और 5 स्टार की श्रेणी में रखा गया। इसमे छत्तीसगढ़ के 2 शहर अम्बिकापुर और पाटन को 5 स्टार की श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं 44 अन्य शहरों को 3 स्टार श्रेणी प्राप्त हुए। ये आवार्ड यह बताता है कि हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय शिव डहरिया जी की सूझबूझ, उनकी प्रशासनिक दक्षता के कारण लगातार नगरीय निकायों में कसावट के साथ, सफाई के साथ-साथ अन्य सुविधाएं कैसे मिले, नागरिकों के प्रति विशेष ध्यान देकर काम कर रहे हैं। यह उसी का परिणाम है कि लगातार ईनाम मिल रहे हैं।

माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़, देश का एक मात्र प्रदेश है, जहां " नरवा, गुरूवा, घ्रवा, बाड़ी" के सिद्धांतों के अनुरूप 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदीयों द्वारा घर-घर जाकर 16 सौ टन गीला और सूख कचरा एकत्रित करते ह्ए वैज्ञानिक ढंग से निबटारा किया जा रहा है, यह हमारी सरकार की सोच है। गीला कचरा और सूखा कचरा का निबटारा करके खाद बनाया जा रहा है। माननीय सभापति जी, उसी का परिणाम है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ओ.डी.एफ. ++ राज्य घोषित किया गया है । माननीय सभापति जी, इन महिलाओं को हमारी सरकार ने सम्मानित करते हुये उनका मासिक मानदय 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 6 हजार रूपये कर दिया गया है । माननीय सभापति जी, लगातार हमारी सरकार 377 गोठानों के माध्यम से, गोधन न्याय योजना के माध्यम से, वहां के गोबर, जो शहरी क्षेत्रों से गोबर खरीदी हो रही है, उनका वर्मी कम्पोस्ड बनाकर उनके आय में वृद्धि करके उनको आर्थिक उन्नति की ओर ले जा रहे हैं । माननीय सभापति जी, मिशन क्लीन सिटी, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत समस्त नगरीय निकायों में वैज्ञानिक रीति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदेश के नगर पालिका निगम अंबिकाप्र द्वारा विकसित ठोस कचरे को प्रतीकीकरण की अवधारणा आधारित 166 नगरीय निकायों में मिशन क्लीनशिप योजना के तहत 1667 उत्सर्जित अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निपटारा किया गया है । माननीय सभापित जी, महिला स्व-सहायता के माध्यम से 9 हजार महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने का प्रयास किया गया है । माननीय सभापति जी, हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है, स्वच्छता शृंगार योजना के तहत 15 हजार से 18 हजार तक शत प्रतिशत मासिक अनुदान उपलब्ध किया जा रहा है । हमारी सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया है। नरवा, गरूवा, घरवा के बारे में मैंने पहले ही कह दिया है, उसके साथ-साथ इसके लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2021-2022 में 19 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था और लगातार इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है । सभापति जी, पौनी पसारी योजना, एक अच्छी योजना हमारी सरकार की है, जो नगरीय निकाय क्षेत्रों में जो व्यापार-व्यवसाय करने वाले छोटे तबके के लोगों को छोटे-छोटे द्कान, छोटे-छोटे ग्मटी, खोलकर महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है । जिसमें टोकना, सूपा, दोना, पत्तल, चटाई तैयार करके आभूषण सौंदर्य सामग्री इत्यादि सामान बनाकर हमारी महिलायें समृद्धि का काम कर रही है, आत्मनिर्भर बन रही है।

समय:

2:48 बजे **(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन ह्ए)**

वर्ष 2022-2023 के बजट में प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी की बात बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे हैं, आज रायपुर शहर हो, बिलासपुर शहर हो, या अन्य शहर हो, अगर

रायप्र राजधानी का नक्शा बदला है, हमारी सरकार की देन है, आज चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण, ब्ढ़ातालाब का सौंदर्यीकरण, आप हर जगह देख लीजिए, हमारी सरकार आने के बाद राजधानी रायप्र का नक्शा बदल गया, पहले के रायप्र और अभी के रायप्र में इतना अंतर है । हमारी सरकार कहीं न कहीं उस ओर काम कर रही है । रायपुर, बिलासपुर, नवा रायपुर, अटल नगर 24 घण्टे, सुसज्जित, विकसित, करने का काम किया है । माननीय सभापति जी, वर्ष 2022-2023 के बजट में इसके लिए 356 करोड़ का स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत इसके लिए प्रावधान किया गया है । माननीय सभाति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी-बड़ी बात कह रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना में शतप्रतिशत अन्दान नहीं दिया जा रहा है । केन्द्र सरकार 60 परशेंट देती है, राज्य सरकार 40 प्रतिशत देती है, जब यूपीए की सरकार थी, जब केन्द्र सरकार की कोई भी योजना, लगभग कई योजनाओं में केन्द्र सरकार शत-प्रतिशत राशि देती थी। मगर मोदी जी ने इन योजनाओं में भी कटौ<mark>ती की है। प्रधा</mark>नमंत्री आवास योजना के तहत मोर जमीन-मोर मकान योजना, मोर मकान-मोर चि<mark>न्हारी योजना</mark> के तहत लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार ने सबसे लिए आवास मिशन योजना अंतर्गत लगभग 97 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। मोर मकान-मोर आवास योजना के तहत काम चल रहे हैं। उसके लिए भी हमारी सरकार ने 2022-23 के बजट में प्राव<mark>धा</mark>न किया है। विपक्ष के साथी काला चश्मा पहनकर आते हैं, उनको यह जो बजट में प्रावधान किया है, वह दिखता नहीं है। इसके लिए भी बजट में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति जी, 14वें और 15वें वित्त योजना के तहत..।

सभापति महोदय :- माननीय, समाप्त करिये। श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापित जी, मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। 14वं और 15वं वित्त योजना के तहत भी हमारी सरकार ने 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके लिए 2022-23 के बजट में 449 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों को जल आवर्धन योजना के लिए बजट में 380 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सभापित जी, आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने 7 लाख से अधिक मजदूर जो अन्य प्रदेशों मे थे, उन मजदूरों को फ्री में खाना, फ्री में लाना, उनको उन प्रदेशों से लाने के लिए ट्रेनों में टिकट तक की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। अन्य प्रदेशों में जो काम करने वाले कामकाजी थे, उनको लाने का ऐतिहासिक निर्णय किया।

🔫 सभापति महोदय :- चलिये, आपकी सारी बात आ गई हैं। समाप्त करिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापित महोदय, प्रतिवेदन में दिखता है, 20 लाख से अधिक मजद्र हैं चाहे मुख्यंत्री सायकल सहायता योजना हो, मुख्यमंत्री सिंलाई मिशन सहायता योजना हो, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना हो, हर योजनाओं में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज हमें लगता है कि नगरीय क्षेत्रों के लिए विकास के लिए सरकार, हमारे माननीय मंत्री जी कटिबद्ध

है। इसलिए माननीय मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया जी के विभाग की सभी अनुदान मांगों की राशि का समर्थन करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बह्त-बह्त धन्यवाद।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापित जी, आदरणीय महोदय जी बोल रहे थे कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। यदि इनकी सरकार हर क्षेत्र में काम करती तो इतना चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्ला कर बोलने की आवश्यकता नहीं होती। जनता ऐसे ही समझ जाती है कि कितना काम कर रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- आप लोग सुनते नहीं है न, इसलिए हम इतनी तेज आवाज से बोलते हैं। डॉ. लक्ष्मी ध्व :- आप लोगों की इच्छा के अन्सार नहीं हो रहा है, इसलिए चिढ मची है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापित महोदय, विगत 03 वर्षों में नगरीय प्रशासन ने एक रुपये का भी बजट कहीं पर भी विकास के लिए नहीं लगाया है। यह जितना काम कर रहे हैं केवल और केवल केन्द्र सरकार की योजना से कर रहे हैं चाहे वह 14वें वित्त या 15वां वित्त आयोग हो। जितने नगर निगम, नगर पंचायत हैं, आप वहां की स्थित देख लीजिए राज्य शासन की से एक रुपये का भी पैसा वहां पर नहीं गया है। यहां तक की महापौर, पार्षदों की निधि भी 02 वर्षों में केवल एक बार वहां पहुंची है। मैं जानकारी देना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार की जितनी योजनायें चल रही हैं, इसे भी इन्होंने समय पर पूरा नहीं किया। मैं धमतरी की बात बताना चाहती हूं कि पाईपलाईन विस्तार कनेक्शन का कार्य पूरे शहर भर में होना था, यह 300 करोड़ रुपये के बजट का काम है जो भ्रष्टाचार की भेट चढ़ गया है और यह काम आधे-अध्रे में बंद हो गया है। सिवरेज प्लांट का काम का इन्होंने समय पर प्रारंभ नहीं किया है। जबिक इसकी स्वीकृति इनको एक वर्ष पूर्व मिल चुकी है। धमतरी में जो बड़ा ऑडीटोरियम पिछले 04 वर्षों से बन रहा है, वह कछुए की चाल में बन रहा है, अभी तक इन्होंने इसे पूरा नहीं कर पाये हैं। स्वच्छ भारत मिशन, सम्मनाननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न था और स्वच्छ भारत मिशन में सबसे अधिक बजट रखा गया। प्रदेश में भी बहुत सारे बजट आये, निगमों में भी वह बजट भेजा गया। लेकिन अभी तक शहर को स्वच्छ बनाने के लिये, सुंदर बनाने के लिये, कोई बड़ी या ठोस योजना बनाकर उस पैसे को खर्च नहीं किया गया।

श्री रामकुमार यादव :- बहनी, ये देश के प्रधानमंत्री हा छत्तीसगढ़ ला ईनाम दे थव। छत्तीसगढ़ (व्यवधान) छत्तीसगढ़ हा।

सभापति महोदय :- माननीय रामकुमार यादव जी, टोका-टाकी न करे।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आप तो बोलिये ही मत, आप बैठ जाईये। आपका समय आयेगा तो बोलियेगा। आपका समय आ जाने दीजिये, आप भी सरकार के गुणगान करियेगा। डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी धुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय विधायक से यह पूछना चाहती हं कि भारत कैसा राष्ट्र है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापित महोदय, स्वच्छ भारत मिशन के पैसे को कहीं भी योजनाबद्ध तरीके से खर्च नहीं किया गया है, चाहे वह नगर पंचायत की बात हो, चाहे नगर निगम की बात हो।

श्री मोहन मरकाम :- मैडम जी, हमको केंद्र सरकार भीख नहीं दे रही है। वह हमारे हक का पैसा है। हमारे हक का पैसा दे रही है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापित महोदय, मैं धमतरी की बात बताना चाहती हूं, हमारे यहां सिहावा चौक से लेकर नहर नाका चौक, जो सबसे अधिक यातायात से प्रभावित है, सबसे ज्यादा आवागमन उस क्षेत्र से होते हैं, वहां पर चौड़ीकरण की आवश्यकता है और साथ ही साथ वहां पर, चूंकि मैंने माननीय मंत्री जी को तीन बार मांग पत्र दिया है, और मेरे पास वह पत्र केवल जवाब के तौर पर आता है, इसमें अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। न तो इनकी कोई योजना तैयार हुई है।

माननीय सभापित महोदय, रत्नाबांधा से कॉलेज रोड। यह रोड इसिलये भी महत्वपूर्ण है कि कॉलेज के छात्र-छात्राएं कॉलेज आते हैं, जाते हैं। उस रोड का चौड़ीकरण करना और डिवाईडर और पोल, उस स्थान पर लगाना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिये भी मैंने माननीय मंत्री जी को इसमें भी तीन बार पत्र दे चुका है, पत्र का जवाब जरूर आया है लेकिन पत्र पर कार्यवाही नहीं हुई है।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- महोदया जी, आप 15 सालों से क्या कर रही थी ? श्री अरूण वोरा :- वह 15 साल में थी ही नहीं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापित महोदय, सिहावा चौक से अर्जुनी चौक, यह रोड इसिलये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट का बड़ा ऑफिस है, और सबसे ज्यादा आवागमन वाला क्षेत्र भी वह बना हुआ है, इस रोड के विकास के लिये, इस रोड के चौड़ीकरण के लिये भी मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा और मैंने माननीय मंत्री जी को धमतरी की परिस्थितियों से बार-बार मौखिक भी अवगत कराया है, लेकिन वहां पर अभी तक न तो मंत्री जी गये हैं, न तो वहां पर क्या समस्या है, इस विषय में उन्होंने कोई संज्ञान लिया है। जो इतने सारे रोड है, जो स्टेट गर्वन्मेंट के सड़क हैं, उसका सेंट्रल से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट गर्वन्मेंट की सड़कों को ड्रेन टू ड्रेन डिवाइडर और विद्युत पोल के साथ जो सड़क निर्माण की आवश्यकता है, यह मांग अभी तक लंबित है।

माननीय सभापित महोदय, चूंकि धमतरी को बस्तर के द्वार के रूप में भी जाना जाता है और हमको एक ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता है। इसकी योजना तीन वर्ष पूर्व ही निगम से बनकर तैयार हो गयी है, हमने स्थान का भी चयन कर लिया, लेकिन हम बार-बार विभाग से उसके लिये पैसे मांगते रहे हैं, कि हमें कब ट्रांसपोर्ट नगर के लिये पैसा मिल जाये, क्योंकि भारी वाहन सड़क के आजू-बाजू खड़े रहते

हैं, इससे दिक्कत यह हो रही है कि लगातार एक्सीडेंट होते जा रहे हैं और सबसे बड़ी घटना का कारण यही है कि यदि रोड के आजू-बाजू यदि बड़ी गाड़िया खड़ी हो जाती है तो आने-जाने वाली छोटी गाड़ियों को बह्त अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

माननीय सभापित महोदय, केंद्रीय योजना के चलते धमतरी नगर निगम में 10 बसें लगभग 20 लाख रूपये की लागत की एक-एक बस है, संचालित हो रही थी। लेकिन किन्हीं कारणवश, मुझे नहीं पता कि वह कौन से कारण थे, इसके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है या विभाग जिम्मेदार है, यह जानकारी तो नहीं है। लेकिन यह किन कारणों से बंद पड़ी है और उसके लिये कौन जिम्मेदार है, क्या उस लापरवाह, जिनकी लापरवाही के कारण जो सरकार की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, क्या माननीय मंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे ? क्योंकि मैंने इससे भी आपको अवगत कराया था कि जो 10 बसें खड़ी है, यह सिटी बसें हैं। सिटी बस का संचालन अच्छे तरीके से हो रहा था लेकिन अब वह बस कबाड़ में पड़ी है और कबाड़ हो रही है। माननीय महोदय जी मेरा यही आग्रह था कि उन बसों को तत्काल प्रारंभ किया जाये ताकि वहां के स्थानीय लोगों को आने जाने की जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

माननीय सभापित महोदय, हमारी गोकुल नगर की मांग बरसों से लंबित है क्योंकि यहां पर तो कहा जाता है कि हमने गौठान बना दिये हैं, लेकिन धमतरी की यह स्थिति है, कि उन्होंने पहले यह कहा कि गौठान में 25 गायें हैं और बाद में जाकर देखा गया कि 10 ही गायें बची है तो बाकी गायें कहां गयी पूछा गया तो पता चला कि बाकी गायें भाग गयी। तो गौठान से गायें भाग रही है तो क्यों भाग रही है? इसे बहुत गंभीरता से लेने का विषय है, यदि आपने इतनी महत्वपूर्ण योजना लायी है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, गौठान की, तो गौठान में गाय रहने के बजाय वह भाग क्यों रही है ? क्या उन्हें जो दाना पानी मिलना चाहिये, हमारी गौ माता को क्या वह नहीं मिल रहा है ? गोकुल नगर की मांग हमने काफी समय से की थी क्योंकि जितनी डेयरियां है वह शहर के अंदर संचालित है, यदि इन डेयरियों को शहर के बाहर एक स्थान पर स्थापित कर दिया जायेगा तो शहर को बहुत-सी समस्याओं से निजात मिलेगा इसके लये पूरी योजना तैयार हुई थी लेकिन शासन से एक रूपये भी नहीं मिलने के कारण हमारे धमतरी की योजना धरी की धरी रह गयी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां नगर पंचायत है, आमदी। उसके वार्ड क्र. 4 में व्यावसायिक परिसर की आवश्यकता थी और भानपुरी के पास एक तालाब सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता थी। ।

समय:

3.00 बजे

क्योंकि वह बहुत अच्छा नगर पंचायत है और साथ ही साथ वहां पर बैंडमिटन कोट की आवश्यकता थी, अभी तक वहां पर जिस प्रकार से मांग की गई, किसी भी मांग को पूरा नहीं नहीं किया गया है। अभी आदरणीय सदस्य प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि

हमारे यहां विभिन्न स्थानों पर ए.एच.पी. के बहुमंजिला आवास बन रहे थे। ए.एच.पी. के तहत प्रधानमंत्री आवास बन रहे थे। आज स्थित यह है कि नगर निगम ठेकेदारों पर इतनी मेहरबान है कि काम नहीं हुआ, वह एडवांस पेमेण्ट करते हैं। नगर निगम का ठेकेदारों के साथ इतना स्नेह है कि प्रधानमंत्री आवास का काम नहीं हुआ, उनको एडवांस पेमेण्ट कर दिये हैं। अब ठेकेदारों ने भी ऐसा रिश्ता निभाया कि अधूरा निर्माण कार्य करके भाग गये। अब उसका कोई माई-बाप नहीं है। प्रधानमंत्री आवास ऐसे ही पड़े हैं इसमें 780 आवास बनने थे। आज गरीब परिवार जिनका स्वयं का स्थान नहीं है, उनको इन स्थानों पर आवास प्रदान करना था, लेकिन आज 400 से भी अधिक ऐसे परिवार हैं, जो आज अधर की स्थित में लगे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा औद्योगिक वार्ड है जो रेलवे से प्रभावित है और ऐसे लोगों को ऐसे आवास की आवश्यकता थी। अब रेलवे उनको बार-बार उस स्थान को खाली करने के लिए नोटिस भेज रहा है। अब ये स्थान को तब खाली करेंगे जब उनको प्र<mark>धानमंत्री आवा</mark>स मिलेगा तो हमारे गरीब भाई बहन बड़ी विकट स्थिति में पड़े हैं। उन्हें न तो आवास मिल पा रहा है, न तो नगर निगम धमतरी में किसी प्रकार की स्विधा मिल पा रही है। धमतरी में प्रानी मण्डी है वह खाली पड़ी है वहां पर असामाजिक तत्वों का डेरा लगा हुआ रहता है उसके लिए शॉपिंग कॉम्पलेक्स की मांग की गई थी ताकि लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं पूरी हो जाए। काफी समय से एक बड़े शॉपिंग मॉल की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक सरकार ने नगर निगम धमतरी में एक पैसा नहीं भेजा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि यह विकास शुल्क क्या है? विकास शुल्क के नाम पर धमतरी की जनता को परेशान किया जा रहा है और निगम द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। कहीं पर भी वैध कॉलोनियां हैं, वहां पर विकास शुल्क नहीं लगा है। मैं केवल 5 मिनट बोलूंगी। यहां पर जितनी अवैध कॉलोनियां हैं नगर निगम उनसे विकास शुल्क ले रही है। अब मैंने माननीय मंत्री जी के विभाग में प्रश्न लगाया कि विकास श्ल्क क्या है? और यह किनसे-किनसे लिया जा रहा है? इन्होंने म्झे स्पष्ट उत्तर दिया है कि धमतरी में कहीं पर विकास श्लक नहीं लिया जा रहा है, लेकिन यह 2400 sqaire feet में 48000 रूपये का विकास श्लक ले रहे हैं। और तो और यदि कोई विकास श्लक नहीं दे रहा है, वैध कॉलोनियों में विकास शुल्क ले रहे हैं यदि कोई विकास शुल्क नहीं दे रहा है तो उनका नक्शा पास नहीं किया जाता। यह धमतरी में खेल चल रहा है। और तो और जो डबल स्टोरी मकान बना रहा है, आपने सिंगल में ले लिया, यह समझ में आता है, जो डबल स्टोरी मकान बना रहा है, क्या आप उससे दो-दो बार विकास श्ल्क लेंगे? वहां धमतरी की जनता को एक बार नहीं, दो-दो बार विकास श्ल्क लेकर, जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। हमारे यहां नगर पंचायत आमदी है, मैंने इसका पहले जिक्र किया था कि तीन सालों से वहां पर इंजीनियर नहीं है।

सभापति महोदय :- आप समाप्त करें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापित महोदय, तीन वर्षों से वहां पर इंजीनियर नहीं है। यहां पर विभाग की माननीय सिचव महोदया बैठी हैं। मैंने उन्हें मौखिक भी अवगत कराया था, उन्हें लिखित भी अवगत कराया था, लेकिन मुझे केवल और केवल आश्वासन मिला है कि जैसे ही नियुक्ति होगी तो आमदी भेज दिया जाएगा। क्या आपने इन तीन सालों में एक भी इंजीनियर की नियुक्ति नहीं की है? इतने स्थान कैसे हैं, जहां पर इंजीनियर नहीं है। जहां पर इंजीनियर नहीं है, आप विकास की कल्पना करते हैं। वहां पर कैसे विकास कार्य होगा?

माननीय सभापित महोदय, मैं आपको एक अंतिम विषय बताना चाहती हूँ। जितने नगर निगम, नगर पालिका, जितनी समितियां हैं, वह 14 वें वित्त, 15 वें वित्त की राशि अनुमोदन करके भेजती है। नियम यह है कि 4 माह, 6 माह के अंतर्गत इन्हें उसे स्वीकृत करके वापस भेजना है। डेढ़-डेढ़ वर्ष हो गये हैं न तो यह 14 वें वित्त की राशि के काम को स्वीकृत करके भेजते हैं, और न ही 15 वें वित्त की राशि के काम को स्वीकृत करके भेजते हैं। आप विकास की कल्पना करते हैं जब आपको केन्द्र सरकार से 14 वें वित्त, 15 वें वित्त का पैसा मिला है आप उसे नहीं दे रहे हैं तो कम से कम उस पैसे को खर्च करने का अधिकार दीजिए। वहां के नगर पंचायत अध्यक्ष, वहां के पार्षद जो जनप्रतिनिधि बने हैं, वह क्या विकास का काम करेंगे? वह तो जबरदस्ती बदनाम हो रहे हैं कि हमारे पार्षद और जनप्रतिनिधि काम नहीं कराते। मेरा यही आग्रह है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- सभापित महोदय, मैडम सुनिए, मंत्री जी का काम इतना जबर्दस्त है कि सब के सब नगरपालिका और नगर निगम को जीते हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- धमतरी को छोड़कर, वे धमतरी में आए नहीं हैं। मंत्री जी, आप जरूर आईएगा। क्योंकि आपने अपने विभाग से धमतरी में तीन साल में एक रूपया खर्च नहीं किया है। राज्य शासन का एक पैसा नहीं गया है। स्वच्छ भारत मिशन का पैसा आया, आपने क्या किया पता नहीं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महापौर कांग्रेस की आई है।

श्री संतराम नेताम :- आपका मांगपत्र ही नहीं जा रहा है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मंत्री जी, मैं तो मांगपत्र लेकर आई हूं। मैंने मंत्री जी को कितनी बार अवगत कराया है। मैंने तो मंत्री जी को स्मरण पत्र भी दिया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मे हा गे रेहेव, अजय चंद्राकर मोर संग मा रिहिस हे। तैं नई रेहेस ता मै काय करहं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मंत्री जी, आप कुरूद गये होंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री डॉ. शिवकुमार डहिरया जी के विभागों की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात को रखूंगा। आपको याद होगा, आप तो बहुत विरष्ठ जनप्रतिनिधि हैं। इसी सदन की बात बताता हूं। हमारे सदन के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धरमलाल कौशिक जी ने दो तीन पहले सदन में अपना दर्द बयां किया था कि वे उड़ीसा या कहीं से आ रहे थे और उड़ीसा से आते वक्त जब छत्तीसगढ़ में पहुंचे तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि छत्तीसगढ़ में रोडों में गड़ढे ज्यादा रहे होंगे, उनको थोड़ा सा दर्द हो गया। माननीय सभापित महोदय, नेता प्रतिपक्ष बिलासपुर से आते हैं, बिलासपुर में इनकी सरकार इनके नगरीय प्रशासन मंत्री, पिछले 12 सालों से नगर विकास, शहर विकास का क्या काम कर रहे थे, यह बात पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, यह बात पूरा हिन्दुस्तान जानता है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- पाण्डे जी, माननीय मंत्री जी के तीन साल के काम से आप प्रसन्न हैं क्या ? क्या आप अपने नगर निगम से संतुष्ट हैं ? यहां से शुरू करिए। अगर संतुष्ट हैं तो बोलो मैं संतुष्ट हूं। तािक आप वहां पेपर में छपवा सकें कि आप वहां के नगर निगम से संतुष्ट हैं।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, प्लीज, टोकाटाकी न करें।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापित महोदय, बिलासपुर में सिवरेज परियोजना लेकर इनकी सरकार आई। 10 साल, 11 साल तक बिलासपुर को खोदते रहे। माननीय मंत्री जी, खोदते, खोदते, खोदते उसको खोदापुर बना दिए तब नेता प्रतिपक्ष जी को दर्द नहीं हुआ। जरा सी रोड खराब हुई तो आपने सदन का ध्यान आकर्षण किया लेकिन आपने उन लोगों के बारे कभी नहीं सोचा जो बिलासपुर के हैं, जो लोग बाहर से आते हैं। माननीय सभापित महोदय, बिलासपुर, एक संभाग का प्रमुख मुख्यालय है। 5-6, 7-8 जिलों के गरीब लोग, अच्छे लोग, व्यापार के लिए, पढ़ने के लिए, ईलाज के लिए, हर चीज के लिए आते हैं। वहां पर होईकोर्ट है, बड़ा-बड़ा फंट पेज में छपता है। मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, मेरा बिलासपुर शहर में घूसने का मन नहीं करता है। यह मुख्य न्यायाधीश न हाईकोर्ट में कहा। इससे बड़ा प्रमाण और इससे बड़ा ईनाम भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार को और क्या मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश ने इतनी बड़ी बात कही थी ? न जाने उसमें कितने लोग मर गये, कुछ हमारे शहर के थे और कुछ अन्य शहरों के लोग थे लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग थे ? शहरों का क्या हाल था, सड़कों का क्या हाल था, लोगों के घर में धूल मिट्टी और हर तरह की समस्या थी। नेता प्रतिपक्ष जी ने सदन के अंदर इस बात का कभी भी जिक्र नहीं किया। इस बात को कभी भी नहीं कहा कि बिलासपुर में क्या परेशानियां हैं। जबिक उनके नगरीय प्रशासन मंत्री बिलासपुर के थे। माननीय सभापित महोदय, आपको दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। हमारे विपक्ष के साथी बहुत सारे आरोप लगाते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- पाण्डे जी, धर्मजीत भैया, आजकल इस बात को नहीं बोलते हैं। पता नहीं, क्या हो गया है ? पिछली बार बोल रहे थे। श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं, उनके दिल में यह बात है, वे कभी न कभी बोलेंगे । माननीय सभापित महोदय, बिलासपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में चुनावी सड़कें बनती थी और चुनावी सड़कें बनने के बाद जब चुनाव जीत जाते थे तो उन्हीं सड़कों को फिर खोदा जाता था और फिर वहां पर काम किया जाता था जबिक परियोजना लंबी होती थी । बीच में चुनाव भी आ जाता था । इनकी कोई भी परियोजना 5 साल में खत्म नहीं हुई । झूठ बोल-बोलकर विधानसभा से बजट पास होता था और ये झूठ बोल-बोलकर समय लेते थे और उसके बाद 193 करोड़ की परियोजना को इन्होंने 423 करोड़ का बना दिया और 11 सालों तक अत्याचार करते रहे । मैं सच कह रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं ।

माननीय सभापित महोदय, ये मंत्री जी के ऊपर मकानों को लेकर बहुत आरोप लगाते हैं कि फलाने पार्षद ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आपने क्या किया ? आपने बिलासपुर में जो मकान गरीबों के हुआ करते थे उन मकानों को आपने एक पार्षद जो आपकी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद था, आपके मंत्री वहां पर थे, आपके महापौर वहां पर थे। वहां पर क्या हुआ था कि उस पार्षद ने न जाने कितने लोगों से पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद दबा दिया। किसी को भी मकान नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नगर-निगम में उससे भी बड़ा खेल क्या करते थे कि उसकी एक फर्जी जाली रशीद भी काट दी जाती थी। एक कदम और आगे बढ़कर जब हमारी सरकार आयी। जब हमारी सरकार ने गरीबों को मकान देने के लिये एलॉटमेंट किया, जब उनको वहां से हटाया तो पता चला कि वह मकान फलाने पार्षद ने पहले ही पैसा लेकर एक-एक व्यक्ति से 60-60 हजार, 1-1 लाख रूपये लेकर मकानों में इस तरह से खिलवाइ किया। जब बात अखबारों में छप गयी। मुझे उस बात का उल्लेख नहीं करना चाहिए लेकिन मैं फिर भी सदन को बताना चाहूंगा, मुझे दुख होता है कि उस पार्षद ने आत्मग्लानि में आत्महत्या कर ली।

सभापति महोदय :- चलिये, विषय पर आईये ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापित महोदय, यह हमारी सरकार के समय की बात है । मैं आपको डेढ़ साल पुरानी बात बता रहा हूं । आप हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने यह कर दिया । आप अपने कार्यकाल को देखिये । आपने 15 साल क्या किया ? आपने कौन सी गरीबों की चिंता की ? आपने आम आदमी की चिंता नहीं की । आपने किसी की भी चिंता नहीं की । आप यह भूल जाते हैं । अगर हमारी सरकार कुछ कर रही है, कुछ करना चाहती है तो उसके लिये आपको धन्यवाद देना चाहिए ।

माननीय सभापित महोदय, स्मार्ट सिटी इन्हीं के कार्यकाल में आयी थी । स्मार्ट सिटी बिलासपुर को बनाया गया था । स्मार्ट सिटी में ऑक्सीजोन बनाया गया था, जो अब रायपुर में बना है । ऑक्सीजोन बिलासपुर में बनाया गया था । एक साल के भीतर उस ऑक्सीजोन को उजाड़ दिया गया और वहां पर चुनाव आने से पहले ऑक्सीजोन के अंदर नया भूमिपूजन कर दिया गया । यह सत्य घटना है, आप जांच करा लीजिये । यह क्या तरीका है ? जनता का पैसे है, चूंकि भारत सरकार ने पैसा

दिया था । इनके शासनकाल में, इनके नगरीय प्रशासन मंत्री के कार्यकाल में इस तरीके से जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया गया । इनको उसका दर्द नहीं है? इनके कार्यकाल में महिलाएं मर गयीं । सरकार ईलाज कराने के लिये कौन-कौन सी योजना में पैसा देती थी ? महिलाओं के गर्भाशय निकाल लेते थे, धंधा बना लिया था । पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ गर्भाशय निकालने का धंधा बन गया था । गर्भाशय निकाले गये । न जाने कितनी महिलाओं के गर्भाशय निकाल लिये गये ? क्या आप यह बात भूल गये ? आपके ही कार्यकाल में आंखफोड़वा काण्ड हुआ । आपके ही कार्यकाल में न जो कितने लोगों की आंखें फूट गयीं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप यह कौन से विभाग पर बोल रहे हैं ? विभाग याद है । सभापति महोदय :- शैलेश जी, आप विषय पर आईये ।

श्री शैलेश पाण्डे :- यह देखिये, जब आपको सहन नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कौन से विभाग पर बोल रहा हूं । मैं आम जनता की बात बोल रहा हूं । मैं गरीबों की बात बोल रहा हूं । मैं उनका दर्द बता रहा हूं । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रव :- दाई दीदी क्लिनिक, शहरी श्रम योजना । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या आप बिलासपुर नगर-निगम से संतुष्ट हैं ? क्या आपका बिलासपुर नगर-निगम अच्छा काम कर रहा है ? अगर अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ करिये । अगर हिम्मत है तो आप अपने नगर-निगम की तारीफ करिये कि वह बहुत अच्छा काम कर रही है ।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये । शर्मा जी, खत्म करियेगा ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, आपका आशीर्वाद और संरक्षण चाहिए, बस 5 मिनट और लगेगा । आपका संरक्षण चाहिए ।

सभापति महोदय :- चिलये, 2 मिनट में अपनी बात रखिये ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, इनका आधा समय तो शिवरतन शर्मा जी ने ले लिया ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, उनको बोलने दीजिये ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापित महोदय, वे शासन की योजनाओं को बता रहे हैं और साथ में उनकी नाकामी को भी बता रहे हैं कि बिलासपुर को किस प्रकार से खोदापुर बना दिया गया था।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, डिस्टर्ब न करें।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। चलिए, दूसरी बात बोलता हूं। बिलासपुर एक बहुत बड़ा शहर है। छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर का शहर है। वहां पर हाईकोर्ट है। वहां पर रेलवे की जोन है। एस.ई.सी.एल. है। उसे हम संस्कारधानी बोलते हैं। एक तो दो ब्रिज बना है उसलापुर का, तिफरा का 9 साल में ब्रिज बना है।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- मेरी कुछ बातें हैं। हमारी सरकार ने नया ब्रिज बनाया और 3 साल में उससे बड़ा ब्रिज हमने बनाकर दे दिया। यह माननीय मंत्री जी की उपलब्धि थी। ये उनकी ईमानदारी थी। ये उनकी प्रशासनिक कसावट थी, जिसके कारण शहर में, पूरे प्रदेश में विकास हो रहा था। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि जो इनकी सरकार ने नहीं किया, वह हमने किया।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करिए। श्री धर्मजीत सिंह जी।

श्री शैलेश पाण्डे :- बस दो मिनट और। बी.आर. अंबेडकर जी के नाम से सर्वसमाज का मांगलिक भवन बनाया। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में लगभग सवा लाख मरीजों का उपचार किया। दाई-दीदी क्लिनिक में लगभग साढ़े 65 हजार महिलाओं का उपचार किया। जेनेरिक दवाइयों की दुकान, ये सारी योजनाएं हमारी सरकार की थीं। इसमें जनता के हित की बात है। मैं दो मांगें हैं, वह करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां पर उपस्थित हैं और बहुत ही अच्छा अवसर है। सदन के काफी विरष्ठ लोग भी हैं। हमारे प्रदेश में आपने विधायकों का विधायक निधि बढ़ा दिया। आपने जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय बढ़ा दिया। आपने जनपद का बढ़ा दिया। आपने सरपंचों का बढ़ा दिया। सभापित महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 3 हजार 263 पार्षद हैं, अगर पार्षदों का मानदेय बढ़ाया जायेगा तो उन्हें सम्मान मिलेगा और वे और अच्छे से अपने क्षेत्र में काम कर पायेंगे और जनता की बहुत अच्छे से सेवा कर पायेंगे। मेरी दूसरी मांग नाले की है। मेरे बिलासपुर में अरपा नदी गंदी हो जाती है और उसमें गंदे पानी का जो नाला है, वह उपलब्ध नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप माननीय मंत्री जी, बिलासपुर में आज नाले की घोषणा करें और बिलासपुर के लोगों को नाला उपलब्ध करायें।

सभापति महोदय:- चलिए, समाप्त करें। माननीय धर्मजीत सिंह जी।

श्री शैलेश पाण्डे :- एक अंतिम बात है। नगर-निगम बिलासपुर में और भी काम होने हैं। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से 50 करोड़ रूपये इस साल मैं अनुरोध करता हूं कि बिलासपुर नगर-निगम को दें, जिससे हम छोटे-छोटे कार्य कर पायें। आपने समय दिया, बहुत समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके बोलने से कुछ बढ़ेगा क्या, यह बता दो।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी, हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, उनके विभाग की मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा ह्आ हूं। मैं अभी बिलासपुर के माननीय विधायक श्री शैलेश पाण्डे जी का भाषण सुन रहा था। वे बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन पाण्डे जी आप भूल जाइए कि आप 3 साल पहले चुनाव लड़े थे और आपने श्री अमर अग्रवाल जी को पराजित किया था। आप इस बात को भूलिए। आपके भाषण में 24 घंटे सिर्फ अमर अग्रवाल ही आपको दिखाई दे रहे हैं तो उससे आपका लाइन लैंथ बिगड़ रहा है। आप बिलासपुर के निर्वाचित विधायक हैं, अब आप भूल जाइए।

श्री शैलेश पाण्डे :- नेता प्रतिपक्ष जी का दर्द बयां कर रहा था।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं समझ रहा हूं। 15 साल में इन्होंने क्या किया, आप ऐसा पाण्डे जी जब उंगली दिखाते हैं न तो 3 उंगली आपकी तरफ भी इशारा करती है कि आप भी अपनी तरफ जरा देखिए कि आप किस पोजिशन में हैं? कहां पर हैं? बिलासपुर शहर में क्या हो रहा है ? अभी क्या हो रहा है? उन्होंने क्या किया, नहीं किया, इन सब चीजों में समय जाया करने की बजाय अभी हमें क्या करना है, इस पर अगर आप जोर डालते, जोकि आपके भाषण के आखिरी बिंद् में आया।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैया, कहीं आप पुराने वाले से दोस्ती तो नहीं निभा रहे हैं? आप प्राने वाले से दोस्ती तो नहीं निभा रहे?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं हर उस व्यक्ति के बारे में जो इस सदन में नहीं है, उसके बारे में बोलने से कोई फायदा नहीं है। सदन की यह परंपरा और मान्यता भी रही है कि जो इस सदन में हो, उसके बारे में बात करें। प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं। एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। कभी हार होती है। हम भी हारे थे। वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक इस सदन में सदस्य नहीं थे, जब आप लोग थे तब। यह तो डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पाण्डे जी को कि भाषण में सबसे आखिरी का जो निचाइ वाला भाषण आपने दिया कि मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से मांगा कि बिलासपुर को 50 करोड़ रूपया दिया जाना चाहिए। यह क्यों दिया जाना चाहिए, इसमें मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। माननीय सभापित महोदय, अभी बड़े-बड़े नगर-निगम बनाने के नाम पर या स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर-निगम जो पुराना था, उसमें बहुत बड़ा एरिया बढ़ा दिया गया, संकरी आ गया, तिफरा आ गया, मोपका आ गया, कोनी आ गया और न जाने कौन-कौन से इलाके उसमें जुड़ गए। इसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के विधान सभा क्षेत्र को भी बिलासपुर नगर निगम में शामिल किया गया। पहले वे तिफरा में भूटान के राजा थे। इनका जो भी आदमी वहां चुनाव जीतता था, वह भूटान का राजा था, अब यहां आकर प्रजा हो गया। संकरी में पहले रिश्म जी के क्षेत्र में संकरी नगर पालिका था।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- नगर पंचायत था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- चिलए, नगर पंचायत ही सही । पहले वहां चुनाव होता था तो वह राजा था, अब बिलासपुर नगर निगम में मिलाकर उसे प्रजा बना दिया । काम एक ढेले का नहीं हो रहा है, पैसा है नहीं । आपने उन गांव वालों को मिलाया है तो कृपा करके उस गांव के नाम से पैसा भिजवा दीजिए कि भइया ये जो जुड़ा है, वहां छोटा-मोटा एकाध काम, जो करना है । जो एरिया बढ़ाने के लिए आपने जोड़ा है उनको दीजिए वे तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं । उनको लगता है कि वे कहीं के नहीं रहे, पहले तो नगर पालिका में आप पैसा भेज देते थे, नगर पंचायत में भेजते थे, अब इतने बड़े समुद्रलोक में उनको पैसा मिल नहीं रहा है । इसके बारे में आप स्थिति जरूर स्पष्ट करियेगा कि गांव के उन लोगों का क्या होगा, जिनको आपने मिलाया है ।

पांडे जी, सीवरेज एक बह्त ख़राब समस्या थी । सीवरेज एक असफल योजना थी, इस बात को स्वीकार करने से हम इन्कार नहीं करते हैं । लेकिन सीवरेज में पानी आखिरी तक नहीं जाएगा, या गंदगी बाहर नहीं जाएगी और आपके अमृत मिशन में भी पानी आखिरी तक नहीं आएगा, यह मैंने आपसे पहले भी बोला है । न सीवरेज में पानी जाएगा और न ही अमृत मिशन में पानी आएगा । ऐसी योजना का कोई न कोई हल निकाल लेना चाहिए, या तो यह बनेगा या नहीं बनेगा । बनेगा तो कब तक बनेगा और नहीं बनेगा तो उसको लपेटो और झंझट खत्म करो । बार-बार आप यहां क्यों स्नते हो ? मैंने ही तो स्काई-वॉक का मामला उठाया था । जब मैं यहां विधान सभा में बोल रहा था तो मुझे स्काई-वॉक के बारे में चौबे जी ने बोला कि आपकी क्या राय है, यह दो साल पहले की बात है, आपने जब कमेटी बनाई थी, उसके पहले की बात है । मैंने कहा मेरी राय यह है कि अगर मैं पावर में रहता तो मैं बोल देता कि मेरे विधान सभा जाने के पहले उसको बुल्डोजर से तोड़ दो । अगर जनता को अच्छा नहीं लग रहा है तो तोड़वा दीजिए, अन्यथा बनवा दीजिए । कुछ तो निर्णय करिये ना । दो कदम आगे, दो कदम पीछे । गिलहरी इसीलिए दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है । वह सड़क को पार करने के पहले दो कदम आगे चलती है फिर दो कदम पीछे और फिर ट्रक के चक्के के नीचे आ जाती है । आप सरकार हैं, आप निर्णय कर दीजिए । आप जो निर्णय करेंगे, उसको सब मानेंगे । स्काई-वॉक रहेगा या नहीं रहेगा । तोड़ दीजिए, 25-50 करोड़ क्या मायने रखता है । जनता के हित में आपको जो भी निर्णय करना है, कर दीजिए । लेकिन निर्णय जरूर करिये, अच्छा हो, ब्रा हो, जो हो । क्योंकि वह खंडहर जैसे खड़ा है । मैंने तो पहले ही बोला था, वह 70 फिट, 50 फिट, 30 फिट ऊंचा है उसमें कोई ब्जुर्ग आदमी चढ़ नहीं पाएगा और चढ़ जाएगा तो नाइट्रा वाले लोग उनको चक्कू मार देंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भइया, वह पिछली सरकार की विफलता का स्मारक है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप पिछली सरकार की विफलता के स्मारक के रूप में उसको मत रखिए । अगर वह पिछली सरकार की विफलता है तो उसको ज़मींदोज़ करा दीजिए या फिर उसको सुधार कर ऐसा बनवा दीजिए कि लोग नाम लें । किंतु कोई न कोई निर्णय करना पड़ेगा, बीच में मत छोड़िये । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं । पाडे जी, आपके यहां रेल्वे का क्षेत्र आता है, बिलासपुर की बहुत बड़ी आबादी रेल्वे में रहती है । आपने वहां के पार्षद का निर्वाचन भी करवाया है । उनको पैसा भी मिलता है लेकिन

वे बेचारे कुछ काम नहीं करवा पाते । रेलवे के अधिकारी उसको अपनी ज़मींदारी समझते हैं । छत्तीसगढ़ में जो रेल्वे की जमीन थी वह तो बिलासपुर की है । वहां की जनता की है, हमने रेल्वे को जमीन दी है, वहां आप सी.एम. साहब से मेरा विशेष आग्रह है कि वहां के जी.एम. को ज़रा ब्लवा लीजिए और कहिए कि यहां पर जो काम है, अगर उनको पैसा चाहिए तो हम देंगे और नहीं चाहिए, बह्त पैसा है तो हमारे पार्षदों की सलाह से काम कराइए, सब आपके ही लोग हैं । पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पार्षद जीते हैं । उनकी मर्जी से भी वहां काम होना चाहिए । नगर निगम का क्षेत्रफल बढ़ गया, उसके लिए मैंने बोल दिया है लेकिन गोल बाजार हमारे बिलासपुर का बहुत पुराना क्षेत्र है । वहां पर एक पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए । पार्किंग के लिए या तो सिटी कोतवाली हैरिटेज बिल्डिंग है, पश् औषधालय प्राना है, जो कि जर्जर अवस्था में है। जैसा कि आपने रायप्र में कलेक्ट्रेट के पास बनवाया है, वैसा वहां पर भी एक पार्किंग की व्यवस्था करा दीजिये। तो हमारे वहां पर बिलासपुर का कुछ अच्छा हो जायेगा। सर, आपसे एक छोटा-सा आग्रह है। यह जो जमीन बेचने का है, उसमें आपका उद्देश्य ठीक हो सकता है। मैं आपकी मंशा को कहीं पर भी उंगली नहीं उठा रहा हूं। लेकिन जमीन के लिए कई एक-एक आदमी कहीं दस-दस जगह, पच्चीस-पच्चीस जगह दर्खास्त लगाये बैठे हुए हैं। बड़ी-बड़ी प्राइम लोकेशन को कब्जा करने के चक्कर में है। तो ऐसा कुछ नियम बना दीजिये कि वह थोड़ा कंट्रोल में रहे, सरकार के नियंत्रण में रहे। जो बह्त जरूरतमंद हो, उपयुक्त हो, बह्त जरूरतमंद हो तभी उसको बेचा जाये वरना उसको चिन्हित करके रिसर्व रखिये। वह सरकार का काम आयेगा। मैं छोटी-सी एक-दो और बात कहकर अपनी बात खत्म करूगा।

माननीय मंत्री जी, एक पेयजल की योजना है, जो आपने नगर पंचायत लोरमी में बनाई। 11 करोड़ की योजना। उसको टेण्डर हो गया, टेण्डर भी लिया गया, लेकिन वह एक छोटे से काम के लिये रूक गया। इरीगेशन डिपार्टमेंट को उसमें नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एन.ओ.सी.) देना था कि हम मिनयारी नदी के एनीकट से पानी देंगे या नहीं देंगे तो उन्होंने नहीं दिया। अब वह दो साल से एक्सरसाईज हो रहा है। आपके कार्यकाल में योजना क्रियान्वित होती, फलता-फूलता, बनता तो नाम तो आपका होता न कि आपने किया। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उसमें उनका जो वर्चुअल कार्यक्रम चल रहा था उसमें जो पट्टी लगात है उसी में वह लगता। फिर अभी पूछते हैं तो बोलते हैं कि अब यह नया स्कीम बन रहा है। लोरमी, मुंगेली और तखतपुर को मिलाकर पेयजल की समस्या हल करने के लिये प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ठीक है, आप ऐसी कर लीजिये। लेकिन वह बनना चाहिये। 76 करोड़ रूपये की योजना है। सारे व्यवधान जो टेण्डर के बाद एन.ओ.सी. की बात होती है, वह टेण्डर के पहले हो जाये और जो भी ठेका ले, उसको तत्काल काम करने के लिए दीजिए क्योंकि वक्त भी आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ पौने दो ही आपके पास वक्त है। तो इसको भी जरूर देखियेगा। स्मार्ट सिटी में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नहीं रखा गया है। यह हो सकता है कि दिल्ली की सरकार का हो। उसके लिए लोग

हाईकोर्ट भी गये हैं। हाईकोर्ट ने भी इस बात को संज्ञान में लिया है कि वहां के मेयर वगैरह को स्मार्ट सिटी में रखना चाहिये। ये निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो जिस शहर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वहां का मेयर अगर स्मार्ट सिटी का फैसला नहीं करेंगे, आप अधिकारियों के भरोसे फैसला कराना चाहेंगे तो यह उचित हनीं है। तीसरी बात, 50 से ज्यादा बसें बिलासपुर के वहां पर खड़ी हुई हैं, जो पहले जो नगर निगम से जो चलती थी। वह कंडम हो रही है। कुछ एयर कंडीशन्ड बस हैं, कुछ नॉन ए.सी. वाली बस है। उसको आप बनवाकर चलवाईये। आम आदमी को उससे फायदा होगा। नहीं तो उसको बेरोजगार लड़कों को आप दे दीजिये। या किसी विभाग को दे दीजिये। आखिरी में कोई टूरिस्ट डिपार्टमेंट को दे दीजिये। फारेस्ट डिपार्टमेंट को दे दीजिये ताकि उसमें लोगों को आवागमन करके और टूरिस्ट की संख्या बढ़ाये । या क्छ ऐसा करिये जिसमें उसको कुछ उपयोग हो सके। माननीय मंत्री जी, मैं कई विधान सभा में गया। मैं बड़ा बढ़िया बोर्ड वाला प्रतीक्षालय शेड देखता हूं। उसमें मुख्यमंत्री जी और आपका फोटो भी देखता हूं। आपके विधायक का भी फोटो देखता हूं। मेरी फोटो भले ही मत लगाईयेगा, लेकिन हमारे लोरमी में भी तो एक प्रतिक्षालय तो बनवा दीजिये, जिसमें आपकी खूबसूरत हंसता हुआ फोटो, गम्छा, कोट वाला रहेगा। माननीय म्ख्यमंत्री जी का भी फोटो रहेगा। हमको भी इच्छा होती है, हमारे क्षेत्र में लगवा दीजिये साहब। अब मैं अपने विधायक निधि से लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमर छत्तीसगढ़, हमर लोरमी, हमर मुंगेली ऐसा जो छपता है तो मेरे लोग भी मांग किये थे। हमर लोरमी के लिए डेढ़ मैंने दो लाख रूपये दिया था। मेरे को देने का वह पात्रता ही नहीं था, उसमें वह आता नहीं। आपको पावर है तो आप लोरमी में एक हमर लोरमी भी लिखवा दो, दिल बनाकर, आई लव लोरमी। कि हमर लोरमी। जैसे आपको अच्छा लगे।

सभापति महोदय :- चलिये, कृपया समाप्त करिये।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- धर्मजीत भैया, आपका फंड से कोई रिलेक्सेसन चालिये, तो प्रस्ताव भेज दीजियेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं हो रहा है न। मैं कलेक्टर को भेजा हूं। वह कलेक्टर से ज्यादा हम लोग थोड़ी अधिकृत हैं। आपने बढ़िया रोड बनवा दिया न। आपने विधायक कॉलोनी के लिए रोड बनवाया, उसके लिए मैं आपकी तरीफ करता हूं, आपको बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं। आपने बनवाया, हम लोग बढ़िया शान से आ रहे हैं, शान से जा रहे हैं तो ठीक है। जो अच्छा हुआ है उसको बोलेंगे यार। ऐसा थोड़ी न है कि हम यहां पट्टी बांधकर यहां आये हैं कि...।

🗝 श्री कुलदीप जुनेजा :- कहां से बने हैं...।

श्री धर्मजीत सिंह :- यार, जो बनाया है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बना न यार। एक लकीर में बात करो। आप लोग विवाद बहुत करते हो। ऐसे मत लड़ा करो। छोटी-छोटी बात पर लड़ना ठीक नहीं है, बड़ी बात पर लड़ना चाहिए। मंत्री जी, मैं आपसे दो-तीन मांग करके अपनी बात समाप्त करूंगा। साहब, लोरमी में भी चाहता हूं कि जैसे बिलासपुर में रिवर व्यू बना है न हमारे लोरमी में तो मनियारी में

बारहों महीने लबालब पानी भरा रहता है। उसके किनारे एक छोटा-सा 2-400 मीटर का रिवर व्यू सरीके बनवा दीजिए। उसमें 100-50 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे लोग घूम सकेंगे। हमारे यहां का म्क्तिधाम बह्त खराब हो गया है 3-4 म्क्तिधाम हैं तो किसी के बाउंड्री के लिए। मैं आपको इसका डिटेल में चिट्ठी में दे दूंगा। उसकी एकाध करोड़ रूपये की मंजूरी कर दीजिए और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और आपसे निवेदन किया था, उसमें एक प्रक्रिया चल रही है नगर पंचायत लोरमी में साम्दायिक भवन के लिए 75 लाख रूपया का आपको दिया था तो उसके एवज में आपके यहां से पूरा लिखा-पढ़ी हो गया है। वह यहां आ च्का है इसकी भी स्वीकृति करा दीजिएगा। एक उन्मुक्त खेल मैदान में एल.ई.डी. लाइटिंग का 50 लाख रूपये का है और 10-10 लाख के 2 पचरी हैं, क्ट्पारा मनियारी नदी में और बाबाघाट मनियारी नदी में। यह बह्त ज्यादा नहीं है। यह मामला म्शिकल से एक-डेढ़ करोड़ रूपये के अंदर का है। यह डेढ़ करोड़ रूपये से कम का ही होगा। इसको आप जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे लगेगा कि वहां का विकास होगा। आपके ऊपर मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं लेकिन बिलासपुर नगर-निगम में पैसे के अभाव में, जब हम वहां बैठे-बैठे रायपुर और बिलासपुर को कंपेयर करते हैं तो यहां के मेयर साहब का रोज फोटो छपता है रोज बड़ी-बड़ी योजनाओं को लांच करते हैं। आप लोग उसमें भाग भी लेते हैं और हमारे यहां के मेयर को बेचारे को आप पैसा नहीं देते हैं। तो वह कहां से कुछ करेगा? तो वहां के मेयर को भी आप रूपया दीजिए और अगर रायप्र राजधानी है तो न्यायधानी बिलासप्र है और फिर न्यायधानी को कितना पावर रहता है आप स्वयं जानते हैं।

सभापति महोदय :- चिलये समाप्त करिये। श्री दलेश्वर साहू जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसलिए न्यायधानी का भी करे और वहां पर पैसा भेजिये। आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप उसको सुनकर उस पर अमल भी किरिये, मैं यह भी आग्रह करता हूं। मैंने यहां आपकी बात को कह दिया कि आपका हाऊसिंग का रोड बना है उसको करेंगे और पेयजल वाला जो प्रोजेक्ट है उसको आप और हमारे गुरू जी बैठे हैं, हमारे मंत्री भी हैं, प्रभारी मंत्री हैं और रविन्द्र चौबे जी, आप तीनों बैठकर उसको अमल जरूर कराइये क्योंकि पेयजल का पैसा मिलना चाहिए। क्या 76 करोड़ रूपये यहां पर होता है ? बह्त-बह्त धन्यवाद।

सभापति महोदय :- चलिये, दलेश्वर साह् जी।

श्री दलेश्वर साहू: - माननीय सभापित महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर मांग संख्या - 22, मांग संख्या - 69, मांग संख्या - 81, मांग संख्या -18, का मैं समर्थन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद जापित करूंगा कि पूरे प्रदेश में 14 नगर पालिका निगम, 43 नगर पालिका परिषद, 112 नगर पंचायत में अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी को केंद्रीत करते हुए शहर को एक नया आयाम, नई दिशा देने का उनका प्रयास रहा है। एक अमूलभूत परिवर्तन करते हुए शहरी निकाय क्षेत्र में उनका एक विशेष आर्शीवाद और योगदान रहा है जिसके परिणामस्वरूप। मैं एक

प्रूस्कार से अपनी बात रखना चाहता हूं। सफाई मित्र स्रक्षा चैलेंज, 2021 श्रेणी में बेस्ट स्टेट के अवार्ड का खिताब में रायपुर, छत्तीसगढ़ का नाम । 21 नवंबर को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 श्रेणी में बेस्ट परफारमेंस स्टेट का अवार्ड का खिताब छत्तीसगढ़ के नाम रहा। वही विभिनन श्रेणियों में दिये जाने वाले 239 प्रस्कारों में से सर्वाधिक 67 निकाय को प्रस्कार प्राप्त हुए। इन प्रस्कारों को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 20 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदाय किया गया। छत्तीसगढ़ की ओर से आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के हाथों से स्वच्छतम राज्य का अवार्ड ग्रहण किया। इस समारोह में आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप प्री एवं राज्य मंत्री कौशल किशोर मौजूद थे । यह आयोजन भारत सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के भाग के रूप में किया गया । यह प्रस्कार इतनी आसानी से और बिना मेहनत के मिलना संभव नहीं होता । मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को दूसरा प्रूस्कार देश के स्वच्छतम राज्य का अवार्ड मिला । उस एवार्ड को राष्ट्रपति महोदय के हाथ से म्ख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 20 नवम्बर, 2021 को ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में प्रस्कृत किया गया । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम श्री रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के सर्वाधिक 67 नगरीय निकाय के भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों मे प्रस्कार दिए गए। कार्यक्रम में आवास एवं शहरी क्षेत्र मंत्रालय के लोग उपस्थित थे ।

सभापित महोदय, प्रदेश में संचालित नगरीय निकाय की योजनाओं के बारे में कहना चाहूंगा । छोटी-छोटी योजना है, जो कारगर साबित हुई है । इसमें आमूलचूल परिवर्तन करते हुए नई दिशा देने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री और हमारे विभागीय मंत्री ने किया । जैसे छोटी-छोटी योजना छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि, चूंगी, क्षितिपूर्ति, 14वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान, गोधन न्याय योजना, पौनी पसारी योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्वमंगल भवन, नवीन सरोवर-धरोहर योजना, ज्ञान स्थली योजना, उन्मुक्त खेल योजना, पुष्प वाटिका योजना, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, प्रतिक्षा बस स्टैण्ड योजना, मुक्तिधाम निर्मल योजना, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, हाट बाजार, समृद्ध बाजार योजना, संस्कृति भवन निर्माण, दाई-दीदी क्लिनिक योजना, धनवंतरी जैसी अनेक योजनाएं को नई दिशा देने एवं नया बजट देने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, इन योजनाओं की ओर मुख्यमंत्री जी का विशेष योगदान रहा है । मैं उसमें थोड़ा सा विस्तार चाहूंगा । मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिक योजना । यह योजना बहुत महत्वपूर्ण और कारगर साबित हो रही है । आदिवासी ईलाकों में लोगों को मुक्त चिकित्सा, दवाई, पैरा मेडिकल के स्टाफ मोबाईल चिकित्सा यूनिट तैनात करते हुए 14,46,280 से ज्यादा मरीजों की जांच कराकर उपचार करने का प्रयास किया और उनके जीवन में नई खुशहाली, नया जीवन, सुख समृद्धि का

वातावरण, एक सद्भावना का वातावरण फैलाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं उनको धन्यवाद जापित करूंगा ।

माननीय सभापित जी, दूसरा, एक नया आयाम, नई योजना, नई क्रांति धनवंतरी योजना 2020-21 में प्रारंभ की गयी । यह योजना भी क्रांतिकारी योजना है और साहस भरा काम है। यह योजना छत्तीसगढ़ के 169 नगरीय निकायों में खुलेगी और इस योजना में 188 मेडिकल स्टोर्स खोलने का लक्ष्य है, जिसमें मैं सोचता हूं कि लगभग सभी मेडिकल स्टोर्स खोली जा चुकी हैं । जिस दवाई की कीमत एम.आर.पी. रेट है, उस रेट से 50 प्रतिशत छूट में दवाई मिलेगी और दुकानों में 151 दवाईयों का लाभ मिलता जाएगा । हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, एक लक्ष्य के साथ पूरे शहर में वातावरण बनाने का प्रयास है ।

माननीय सभापित जी, तीसरा, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना । इस योजना में 50 करोड़ का प्रावधान है, जिससे 14 नगर निगमों में 60 मोबाईल एम्बुलेंस एवं दाई दीदी क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है । यह कितनी सार्थकपूर्ण योजना है कि अगर आप जाकर देखोगे तो उनकी दिशा और दशा में परिवर्तन करने की ओर हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है । इसलिए मैं उनको पुनः बधाई देता हूं । एक नई योजना है-मोर मकान, मोर चिन्हारी । इसमें 450 करोड़ रूपए का प्रावधान है । अस्थायी, गंदी बस्ती एवं स्थायी झुग्गी बस्ती हितग्राहियों के व्यवस्थापन के लिए 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 75 हजार रूपये का प्रावधान रखा गया है। मैं इसके लिए निश्चित रूप से बधाई देता हूं।

माननीय सभापित महोदय, पौनी पसारी योजना, यह योजना लगभग सभी नगर पंचायतों में विद्यमान है, सभी जगह स्वीकृत हो गया है। इसमे कहीं पर कार्य प्रारंभ है और कहीं संचालित भी हो रहा है। हमारे डोंगरगांव में चब्तरा बनाने का कार्य चालू कर दिया गया है। पहले जगह का अभाव था। अब मुझे लगता है कि यह, वह योजना है, जिसमें निश्चित रूप से परम्परागत व्यवसाय से जुड़े हुए लोग चाहे वह मरार हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे मोची हो, चाहे कंडरा हो, चाहे लोहार हो, चाहे चूड़ी बेचकर व्यवसाय करने वाला हो, इन लोगों को 10 रूपये प्रति दिवस की दर से चब्तरा मिलेगा और उनको अपने जीवन को सुधारने का एक सुनहरा मौका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसलिए उनको पुन: बधाई देता हूं।

माननीय सभापित महोदय, राजीव गांधी आश्रय योजना काफी सार्थक योजना है। आप पिछले 15 साल में कभी बांटने का प्रयास नहीं किया। परन्तु गरीब, जो स्लम एरिया में जीने वाले लोग हैं, ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर गरीब, मजदूर, भूमिहीन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने का प्रयास है। आज हम लोग उसी में लगे हुए हैं। हम लोग कम से कम 15 सौ से 17 सौ, हर वार्ड में एक नया जीवन देने का प्रयास, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये। श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापित महोदय, बस आखिरी, हमारी सरकार ने कालातीत हो चुके पट्टे का नवीनीकरण करने का प्रयास किया है। मैं माननीय शहरी मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां 15 वार्ड है। उसमें से 4 वार्ड जंगल में है, पहले इन वार्डों में बड़े झाड़ का जंगल रहा होगा। उसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी वन अधिकार पट्टा मिले। पट्टा मिलने का प्रक्रिया और नियम है।

सभापति महोदय :- चलिये धन्यवाद।

श्री दलेश्वर साहू: - माननीय सभापित महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उसको दिशा देने का प्रयास करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चाहूंगा कि वह जल्दी से जल्दी पहल करें। अगर हम 3 वार्डों के लोगों को पट्टा दिलवा देते हैं तो यह हमारे लिए सार्थक होगा।

माननीय सभापित महोदय, दूसरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की स्थापना हेतु 20 करोड़ रूपये का प्रावधान है। यह बहुत अच्छी योजना है। बिलासपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की शुरूआत हुई। पहले बिलासपुर में शुरू हुआ और साथ ही मेरे यहां भी शुरू हुआ। मेरे यहां जमीनों के कुछ अड़चनों के कारण रूका हुआ था। टेण्डर में काफी नियम शर्तें थीं। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा आपको थोड़ा नियम को संशोधन करना पड़ेगा। यह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट ज्यादा पुरानी योजना नहीं है। 5-7 साल पहले बनना था।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये। श्री शिवरतन शर्मा।

श्री दलेश्वर साहू: यदि आप इसके निर्माण के लिए थोड़ा सा नियम में संशोधन करेंगे, तभी बन पायेगा। हमारे यहां के ठेकेदार नियम से उसको अंजाम दे सकेंगे।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- एक मिनट। सभापित महोदय, आज तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं बन पाया है। यहां स्वीकृत पड़ा हुआ है, सिर्फ नियमों की वह पड़ा हुआ है। मेरे द्वारा इस पर 2 बार ध्यानाकर्षण लगाने के बाद भी आज तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं बन पाया है। वहां आज भी स्वीकृत है। आप नियम को शिथिल करके यदि यहीं के लोकल ठेकेदार, काम करने वाले ठेकेदार को दें, तो निश्चित रूप से मेरे यहां का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट बन सकता है। पिछले 7 साल से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं बना है। ये पिछले 15 साल में कुछ नहीं कर पाये। तो हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी बहुत सिक्रय हैं। इसलिए ऐसी चीजों पर थोड़ा गंभीरता पूर्वक ध्यान दें। बिलासपुर का भी वैसे ही रहा। अभी आपने 20 करोड़ रूपये का और प्रावधान किया है। आपको टेण्डर के नियमों पर थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, "मोर जमीन मोर मकान", जिसके लिए 380 करोड़ का प्रावधान है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये। चलिये, ध्यान में आ गया।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापित महोदय, थोड़ा सा समय दीजिये। जल आर्वद्धन योजना, मैं जल आर्वद्धन की बात कह रहा हूं, मैं बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में प्रश्नकाल के माध्यम से मामला उठाया था। राजनांदगांव के ढीरी में जल आवर्द्धन योजना बनना है। खुद ही मुख्यमंत्री रहे और वह अपने ही कार्यकाल में नहीं बना पाये। मेरे यहां भी उसी समय स्वीकृत हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि मेरे यहां ऐसे ही 2 गंभीर मामला है। एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट और दूसरा जल आवर्द्धन योजना, हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इस को बहुत गंभीरतापूर्वक ले और निश्चित रूप से प्रारंभ करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरी एक छोटी सी मांग है। सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री दलेश्वर साहू: सभापित महोदय, मैं एक मांग रख लेता हूं। हमारे यहां 3 उन्मुक्त खेल मैदान का निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है। यदि पैसे की कमी होगी तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उस पर पुन: आशीर्वाद दें। पुष्प वाटिका निर्माणाधीन है, उसमें भी पैसे की कमी पड़ेगी, उसके लिए भी आपके आशींवाद की जरूरत है। तालाब सौंदर्यीकरण निर्माणाधीन है, उनके लिए भी आपके आशींवाद की जरूरत है। काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, यह हमारे ही कार्यकाल का है। सिर्फ एक सिवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट और पिछले 15 साल में जल आवर्धन अभी अधूरा है, अपने कार्यकाल में हमारे मंत्री सिक्रयता के साथ, उनको पूर्ण करेंगे और हमारे नगरीय क्षेत्रों में बसने वालों को पानी देंगे, इसी विश्वास के साथ आपने बोलने का अवसर दिया इसलिए साध्वाद।

सभापति महोद्य: माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी ।

श्री कवासी लखमा :- ठीक से बोलना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ठीक ही शुरू करूंगा।

श्री रामक्मार यादव :- ज्यादा लबारी झन बोलिहव महराज ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- पूरा पाईन्टेड बोलना, पाईन्टेड ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- सभापित महोदय, मैं शिव कुमार डहिरया जी के अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापित जी मैं अपनी बात की शुरूआत करूंगा, माननीय मोहन मरकाम जी ने अपने भाषण में जिक्र किया था और उन्होंने नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम की बात की थी । अगर आपको नगरीय निकाय में छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर इतना

विश्वास था तो आपको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को बदलकर अप्रत्यक्ष रूप से नगरीय निकाय का चुनाव क्यों कराया ? इस विषय पर आपको जवाब देना चाहिये । कहीं न कहीं आपके मन में यह विश्वास था कि नगरीय निकायों का चुनाव डायरेक्ट हुये, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होंगे तो चुनाव हार जायेंगे, इसलिए आपने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को स्वीकार किया । जब दिग्विजय सिंह जी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब आपकी पार्टी ने प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को स्वीकार किया था । 14 नगर निगम या नगरीय निकाय की बात करते हो, अगर जनता से सीधे चुनाव होता, जो परिणाम आज दिख रहा है, वह उल्टा होता । जरा नजर उठाकर देख लें कि कितने नगरीय निकाय में आपको बहुमत मिला है, कितने में आपने जोड़-तोड़ से अध्यक्ष और महापौर बनाने का काम किया है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति जी, ग्रामीण इलाके के जिला पंचायत का च्नाव ...।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापित महोदय, माननीय शिव डहिरया जी के कार्यकाल में नगरीय निकाय में जो सबसे बड़ा उद्योग शुरू हुआ है, वह ट्रांसफर उद्योग हुआ है । चाहे नगर निगम में किमश्नर बिठाना हो, चाहे नगर निगम में सी.एम.ओ. ले जाना हो, चाहे नगर पालिका में ई.ई. सब इंजिनियर की नियुक्ति हो, एक रेट लिस्ट बनी है, जब तक उस रेट लिस्ट में भुगतान नहीं होगा, तब तक स्थानांतरण नहीं हो सकता । आज जितने लोग सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, जब बाहर मिलते हैं, अपनी पीड़ा यह भी व्यक्त करते हैं...।

श्री अमरजीत भगत :- आप अपनी पिछले सरकार की बता रहे हैं । रायगढ़ में सम्मेलन हुआ था, जिसमें रमन सिंह जी ने कहा था कि कमीशन लेना बंद कर दो । आप लोगों ने बात नहीं माना है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापित महोदय, जितने लोग पक्ष में बोल रहे हैं, जब बाहर मिलते हैं, सारे लोग, इनकी पार्टी के महापौर, इनकी पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष बोलते हैं कि अमर अग्रवाल के पिरियड में कम से कम यह स्थिति तो तय थी कि हम नगर पालिका को 5 करोड़ रूपये साल में देंगे। नगर पंचायत को साल में 2 करोड़ रूपया देंगे। नगर निगम को 10 करोड़ रूपया साल में देंगे। अभी क्या है, मैं सिर्फ भाटापारा का एक उदाहरण बताता हूँ, भाटापारा, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में माननीय डहिरया जी मुख्यमंत्री बनकर गये थे। बहुत जोरदार भाषण हुआ था कि भाटापारा नगर की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। मंच से घोषणा किये कि 5 करोड़ रूपये, 2 महीने के अंदर आ जायेगा, जो पैसा दो महीने के अंदर जाना था, वह सवा दो साल के अंदर नहीं गया। जब मैं नगर पालिका के लोगों से बातचीत करता हूँ, उनका कहना है कि हमने प्रपोजल तो 2 महीने के अंदर बनाकर भेज दिया, 3 प्रतिशत एडवांस कहां से देंगे। वहां सीधी बात होती है कि 3 परशेंट एडवांस दोगे तो आपको स्वीकृति मिलेगी। हमारे यहां कोई ऐसा ठेकेदार नहीं है कि हम तीन परशेंट एडवांस दे सकें, जो स्थिति भाटापारा नगर पालिका की है, माननीय सभापित जी, पाटन और आरंग को छोड़ दो, तो आप लोग भी जितने क्षेत्रों से चुनकर आते हैं ना, उन

क्षेत्रों की भी यही हालत है । इनकी पार्टी के नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगरपालिका के अध्यक्ष, महापौर बातचीत में पीड़ा को व्यक्त करते हैं कि वहां बिना सेवा शुल्क दिये किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं मिलती।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन शर्मा जी, मेरे यहां एक नगर पंचायत में 03 साल में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का काम हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप अपने अध्यक्ष से पूछा लेना कि क्या सेवा शुल्क दिया होगा।

श्री अमरजीत भगत :- ऐसा कुछ नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप पूछ लेना न। आपका नगरीय निकाय विभाग, जैसे पी.डब्ल्यू.डी पाटन और दुर्ग ग्रामीण के लिए समर्पित है, वैसे नगरीय निकाय विभाग कुम्हारी, पाटन और आरंग के लिए समर्पित है। 55 करोड़ रुपये आरंग नगरपालिका को गया। रायपुर में आपकी ही पार्टी का मेयर है, आपने रायपुर नगर निगम को 10 करोड़ रुपये दिया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आप ईमानदारी से बताईयेगा, मुख्यमंत्री समग्र योजना में आपको कितने करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं वह भी बोल देता हूं। मुख्यमंत्री समग्र योजना में सवा 03 साल में 50 लाख रुपये मिला है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने पिछले बार 03 करोड़ रुपये लिया और 50 लाख रुपये बोल रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, यह नगरीय निकाय विभाग है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापित जी, आंकड़ों में थोड़ी गड़बड़ियां हैं, आप थोड़ा और अच्छे से आंकड़े ले लीजिए। पिछले 03 साल में नगरीय प्रशासन विभाग से 102 करोड़ रुपये भिलाई नगर निगम को मिला है। ऐसा नहीं है, आप पहले आपने आंकड़ों को सुधारिये और इसके बाद आरोप लगाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, ये जितने लोग दिये हैं, वहां के मेयर, अध्यक्ष, सी.एम.ओ., कमिश्नर, पार्षदों से जाकर के पीड़ा सुन लो कि अगर उनको पैसा मिला है तो उसके लिए कहां-कहां से कैसे कलेक्शन करके गुलाबी गांधी पहुंचा है, तब उनका आवंटन मिला। यह उनकी पीड़ा को आप जान जो।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापित महोदय, होली का टाईम आ गया है। अभी लोग क्या-क्या खा पी रहे हैं, अनाप-शनाप बक रहे हैं। उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

सभापति महोदय :- चिलये, आप बैठिये, डिस्टर्ब न करें। उनको बोलने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, जरा इसको विलोपित कर दें कि क्या-क्या बक रहे हैं। हम यहां बकने के लिए नहीं आते हैं, हम यहां बोलने के लिए आते हैं। सभापति महोदय :- चलिये, कर देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापित जी, विकास के काम का एक उदाहरण आपको बताता हूं कि कितनी स्पीड से विकास का काम हो रहा है। इनका जो प्रतिवेदन है उसमें जल आवर्धन योजना का पांच स्थानों का उल्लेख है। सारी जल आवर्धन योजना का काम 2014-15 में शुरू हुआ। 2018 में नई सरकार बन गई, सवा 03 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। भाटापारा में 2015 में जो काम शुरू हुआ, आज उसका 40 प्रतिशत काम हुआ है, 60 प्रतिशत काम अभी भी बाकी है। तिल्दा में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आदरणीय बालदास गुरूजी की सुपुत्री अध्यक्ष हैं। 06 साल में 56 प्रतिशत काम हुआ है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय शर्मा जी, हम लोग 15 साल तक भटकते रहे लेकिन एक पैसा नहीं मिला। जैसे ही भूपेश बघेल जी की सरकार आई, मैं दुर्ग शहर की बात कर रहा हूं, आप पाटन, दुर्ग ग्रामीण में आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री जी ने दुर्ग शहर में 185 करोड़ रुपये के कार्यों का भूमिपूजन किया है और वह सारे काम अब प्रगति पर हैं। जिसके लिए राशि आनी है उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और नगरीय प्रशासन मंत्री जी से आग्रह किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय वोरा जी, मैं राशि का तो विरोध कर ही नहीं रहा हूं, पर राशि वहीं गई जहां गुलाबी कलर का गांधी पहुंचा। जहां गांधी जी की सेवा नहीं पहुंची, गुलाबी गांधी नहीं पहुंचा, वहां किसी प्रकार का आवंटन नहीं किया गया, यह मेरा आरोप है।

श्री अरूण वोरा :- ग्लाबी गांधी आप जानते हो।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापित महोदय, यह पिछली सरकार के नगरीय निकाय के मंत्री का नाम ले रहे थे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैं खुद महापौर था और पिछली सरकार के मंत्री यह कहते थे कि भिलाई में तुम महापौर हो लेकिन तुम्हारे नाम से 1 रुपये की स्वीकृति नहीं की जा सकती। क्योंकि निर्देश हैं कि भा.ज.पा. के मंत्री, विधायक, पार्षद के हिसाब से स्वीकृति देंगे, जनता के हिसाब से नहीं देंगे। इस नीति से यह काम करते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में यह नहीं चलता है।

डॉ. लक्ष्मी ध्व :- बह्त भेदभाव किया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापित जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में त्रिस्तरीय पंचायत राज के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में चुने हुए जनप्रतिनिधि को उनके क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए राशि के आवंटन की घोषणा की।

🗝 श्री अमितेश शुक्ल :- उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी यहां के जो पार्षद, अध्यक्ष, महापौर हैं, ये भी जनप्रतिनिधि हैं। इनके लिए क्यों घोषणा नहीं की ? नगरपालिका के पार्षद को पहले 03 लाख रुपये मिलता था, आज भी तीन लाख रूपये मिलता है। पहले ढाई हजार रूपये मानदेय था, आज भी मानदेय ढाई हजार रूपये ही है। नगर पालिका के अध्यक्ष को 50 लाख रूपये, नगर पंचायत के अध्यक्ष को 25

लाख रूपये मिलता था। अगर आपने त्रिस्तरीय पंचायत राज में इनका मानदेय बढ़ाया है, इनके क्षेत्र के विकास के लिये राशि स्वीकृत की है तो नगरीय निकाय में भी यह राशि बढ़नी चाहिये थी, लोगों को उसका लाभ मिलता क्योंकि उस बहाने कम से कम कुछ मिलता। लोगों को नगरीय निकाय मंत्री जी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, वह जन घोषणा पत्र को आत्मसात किये हैं। नगरीय निकाय में दिट्यांगों को प्रतिनिधित्व देने की बात थी, क्या इसमें महिलाओं को कहीं दिये ?

श्री अमरजीत भगत :- दिये हैं न। दिये तो। मैं राजनांदगांव का प्रभारी मंत्री हं। वहां (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप अपना जन घोषणा-पत्र निकाल कर देख लो। उसमें दिव्यांग में, पुरूष और महिलाओं को, दोनों को देने की बात थी। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, बिना सही जानकारी लिये, यह कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के साथी कुछ भी आरोप लगा रहे हैं।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी धुव :- दिये हैं न। माननीय सभापित महोदय, जो मांगें हैं उनको दिया गया है, जो नहीं मांगें है, उनको कहां से देंगे।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। श्रीमती अनिला भैंडिया :- आप लोगों को इधर कुछ नहीं मिलता तो कुछ भी बोल रहे हो।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय सभापति महोदय, पहले शिवरतन शर्मा जी को अपनी जानकारी सुधारनी चाहिये, उसके बाद बात करनी चाहिये। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल के सदन को ग्मराह करेंगे।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप अपना जन घोषणा-पत्र उठाकर देख लो। मुझे तो आपका जन घोषणा-पत्र पूरा याद हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को याद नहीं होगा, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं कि सारे घोषणा-पत्र को बता दुंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने 15 सालों में जो जन घोषणा-पत्र को याद कर लिये होते, कुछ कर भी पाते । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आपके भाषण में एकदम होली का रंग एकदम स्पष्ट दिख रहा है।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय सभापति महोदय, इनके विचारों का पूरा गुलाबीकरण हो चुका है।

शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापित महोदय, अभी नगर पालिका, नगर पंचायत में नियमित सी.एम.ओ. कितने हैं ? नगर पालिका एवं नगर पंचायत में पूरे बाबू लोगों को प्रभारी सी.एम.ओ. के पद पर बैठाये गये हैं और यह जितने प्रभारी बैठे हैं, यह सब गुलाबी गांधी की कृपा से बैठे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापित महोदय, यदि आप जांच करवायेंगे तो सीधे सी.एम.ओ. की जगह एक-आत जगह चपरासी भी सी.एम.ओ. निकल जायेंगे, यदि आप पोस्टिंग को दिखवायेंगे तो। श्री अमरजीत भगत :- शर्मा जी, आप यह बताओं कि 15 साल आपकी सरकार के कब्जे में था। आपने 15 सालों में एक भी सी.एम.ओ. की नियुक्ति की नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापित महोदय, आपके जन घोषणा-पत्र में था कि "शहरी आवास का अधिकार" सभी शहरी बेघरों को 2 BHK का आवास दिया जायेगा। आप जरा बता दें कि कितने लोगों को दिया गया। प्रधानमंत्री आवास में जो दिया जा रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- शर्मा जी, शिवरतन भाई, आप बोल रहे हो जो प्रभारी बैठाये हैं, आपने पिछले 15 सालों में एक भी भर्ती नहीं किये, इसलिये यह स्थिति आई कि वहां प्रभारी बैठाना पड़ा।

- श्री शिवरतन शर्मा :- वह प्रभारी कैसे बैठे हैं, वह तो पता करो।
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सब ग्लाबी गांधी की कृपा से बैठे हैं।
- श्री शिवरतन शर्मा :- सब ग्लाबी गांधी की कृपा से बैठे हैं।
- श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है ?
- श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, इनके कार्यकाल की..।
- श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापित महोदय, मैंने आपके विभाग में माननीय सभापित महोदय से आग्रह किया कि मुझे अच्छा पी.एस.सी. पास सी.एम.ओ. दे दीजिये करके। पी.एस.सी. पास सी.एम.ओ. वहां पर पहुंच भी गया और एक हफ्ते में उसका ट्रांसफर हो गया, अब फिर इंचार्ज बैठ रहा है।

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये।

- श्री अजय चंद्राकर :- मैं बोलता हूं डायरेक्ट पी.एस.सी. वाला दे दो।
- श्री अमरजीत भगत :- उनको यह परेशान कर रहे होंगे, इसलिये ट्रांसफर करा कर भाग गये होंगे।
- श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह संपत्तिकर को हॉफ करेंगे, संपत्तिकर को हॉफ करने की बात थी, कितने नगरीय निकायों का संपत्तिकर हॉफ ह्आ, जरा बता दे।
 - श्री देवेन्द्र यादव :- भिलाई नगर निगम में हुआ है। आप देख लें।
- श्री शिवरतन शर्मा :- सभापित महोदय, नगरीय निकाय के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा और जरूरत पड़ने पर वेतन अनुदान प्रदान किया जावेगा। आज भी 75 प्रतिशत से ज्यादा नगरीय निकाय ऐसी है, जहां के कर्मचारियों को 3-3 महीने का वेतन नहीं मिला है और सिर्फ वेतन की बात नहीं है, एक बार नगरीय निकाय के पूरे कनेक्शन कट गये। कुछ जगह तो नगर पालिका के ऑफिस के भी कनेक्शन कट गये और कनेक्शन कटने का क्या कारण था ? बोले कि बिजली का बिल नहीं पटा। पहले बिजली का बिल पट जाता था, सीधे प्रदेश के खजाने से, सीधे बिजली विभाग को ट्रांसफर हो जाता था। पर ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ ? ट्रांसफर इसिलये नहीं हुआ क्योंकि गुलाबी गांधी नहीं मिलेगा,

सभापति महोदय :- चलिये संक्षिप्त में रखिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्रीमान, अभी तो शुरू किया हूं, गुलाबी गांधी नहीं मिलेगा इसीलिये ट्रांसफर नहीं हुआ। प्रत्येक शहरी केंद्र के लिये न्यूनतक 20 प्रतिशत ग्रीन एरिया का लक्ष्य निर्धारित किया जावेगा। जन घोषणा-पत्र में तो आ गया, लेकिन जरा मंत्री जी बता देंगे कि आपने कितनी जगह ग्रीन एरिया घोषित किया है। शहरों में नये तालाब और पार्कों का निर्माण कराया जावेगा, जरा बता देना कितने तालाबों और कितने पार्कों के लिये आपने तीन साल में राशि देने की बात कही है और तो और, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि योजना का, जो भ्गतान तत्काल किया जाना चाहिये।

समय:

4.00 बजे

आजकल नगर पालिका, नगरीय निकाय से वह भुगतान भी नहीं होता। मिशन क्लिन सिटी योजना, डोर टू डोर कलेक्शन की योजना लगभग बंद हो गई है। और तो और 14 वें वित्त, 15 वें वित्त की राशि के आवंटन के लिए भी जन प्रतिनिधियों को चक्कर लगाना पड़ता है। भागीरथ प्रयास, हमें भागीरथ से मिलकर, करना पड़ता है।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापित महोदय, यह आपके विभाग का हाल है। आपने प्रतिवेदन में बड़ा जोरदार लिखा है गौठान, आपने कितने गौठान बनाये हैं और आपने कितने गौठानों में कितना गोबर खरीदा और कितने समय से गोबर खरीदी कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, सारे जगहों पर महीने दो महीने गोबर खरीदी हुई और उसके पश्चात् गोबर खरीदी बंद हो गई। नगरीय निकाय गांधी जी की पूजा का स्थान बन गया।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय शर्मा जी, आप यह बताईये कि गौठान बना है या नहीं बना है ? अगर गौठान नहीं बना है तो आप गाय की पूंछ को पकड़कर कसम खाओगे ?

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- पहले आप लोगों ने गौठान क्यों नहीं बनाया?

सभापति महोदय :- आप टोका-टाकी न करें।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह छेड़ने लायक थोड़ी है कि कोई इन्हें छेड़ रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापित महोदय, माननीय मंत्री जी के पास दूसरा महत्वपूर्ण श्रम विभाग है। श्रम विभाग की क्या हालत है? सदन में चर्चा हो चुकी है, 500 करोड़ रूपये से ज्यादा निधि होने के पश्चात्, 561 करोड़ रूपये होने के पश्चात्, इस सरकार ने किसी गरीब को इस श्रम कल्याण निधि का लाभ नहीं दिया।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापित महोदय, और तो और जब कोविड का पिरियड था। मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था कि मेरी विधान सभा के लगभग 30 हजार मजदूर बाहर हैं तो इनके पास तो छत्तीसगढ़ के मजदूरों का आंकड़ा भी नहीं था। यह लोग बोलते थे कि दो से ढाई लाख मजदूर बाहर हैं और जब हम लोग बोलते थे कि 14 से 15 लाख मजदूर बाहर हैं यह विश्वास करने को तैयार नहीं थे। केवल बलौदाबाजार और भांटापारा जिले में बाहर से एक लाख, 20 हजार मजदूर आये। जांजगीर-चांपा जिले में बाहर से एक लाख, 35 हजार मजदूर आए, तो भईया आप 561 करोड़ रूपये किसलिये रखे हो? आप कौन सी योजना बनाने वाले हो?

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें। आपकी बात आ गई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जिस योजना में गांधी जी मिलेगा, आप इसी आधार पर योजना बनाओगे क्या ? आपने मजदूरों को डायरेक्ट ट्रांसफर क्यों नहीं किया?

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापित महोदय, आपके श्रम विभाग की हालत क्या है ? कुल स्वीकृत पद 590 है और 265 रिक्त पद हैं। यह आपका श्रम विभाग संचालित हो रहा है। श्रम कल्याण निधि में वर्ष 2021-22 में इनको 5 करोड़ रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है और साल में कितना खर्च किये हो ? शून्य। बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु 6 लाख के आंवटन पर खर्च हुआ, शून्य। प्रदेश में बीड़ी मजदूर श्रमिकों के लिए आवास निर्माण करना था, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में निर्माण शून्य।

माननीय सभापित जी, सबसे मजेदार बात यह है कि आप जन शिकायत निवारण भी देखते हैं। इनका एक प्रश्न के उत्तर में जवाब आया कि वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री जनचौपाल और अन्य माध्यमों में इनको 95 शिकायत आयी और इन्होंने 1806 का निराकरण कर दिया। माननीय मंत्री जी इतना जोरदार काम कर रहे है। इसमें इनने स्वीकार किया है कि 31.12.2021 तक कुल 5 हजार, 59 कारखाने पंजीकृत हैं जिसमें 19 अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के हैं। 837 खतरनाक श्रेणी के हैं 4 हजार 607 गैर खतरनाक श्रेणी के कारखाने हैं। उक्त कारखानों में नियोजित 3.84 कर्मकाम नियोजित हैं। ये अपंजीकृत कितने कर्मकार हैं? यह जरा बता देंगे, आप उनके लिए क्या योजना बना रहे हैं ? यह बता देंगे? इस विभाग में काम तो तब होगा जब माननीय मंत्री जी का गुलाबी गांधी प्रेम कम होगा। यदि गांधी जी से प्रेम है तो इस गांधी जी से प्रेम करिये, इस गांधी जी से प्रेरणा लीजिए। आप गुलाबी गांधी जी को छोडिए। इससे प्रदेश का भी भला होगा और नगरीय निकायों का भी भला होगा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अति विद्वान मंत्री महोदय, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। फिर म्श्किल से एकाध लाईन और बोलूंगा। यह पौनी पसारी योजना का नाम है कि आप बाजार बना रहे हो उसमें पौनी पसारी के लोगों को देंगे और पौनी पसारी की..।

सभापति महोदय :- चलिए।

श्री अजय चंद्राकर :- बैठना है ?

सभापति महोदय :- चलिए, दो मिनट में अपनी बात रखिए।

श्री अजय चंद्राकर :- बैठना है ?

सभापति महोदय :- चलिए, एक मिनट में कहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिए।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, बोलने दीजिए।

सभापति महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्व जी।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, नगरीय निकाय के अंतर्गत नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत जहां की मानव संसाधन....।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापित महोदय, उसको विलोपित करवा दीजिए, मेरी बात आधी-अधूरी है, अनर्थ हो जाएगा। उसको विलोपित करवा दीजिए। क्योंकि मैं जो बोलना चाहता था, वह अनर्थ हो जाएगा।

सभापति महोदय :- चलिए, दो मिनट अपनी बात रखिए।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप दो मिनट बोलिए, आपको दो मिनट बोलने के लिए बोल रहे हैं।

श्री अरूण वोरा :- चंद्राकर जी बोलिए।

सभापति महोदय :- बोल लीजिए, प्लीज-प्लीज। दो मिनट बोलिए न।

श्री अजय चंद्राकर :- उसको विलोपित करवा दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- बोलिए न।

सभापति महोदय :- चलिए शुरू करिए।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापित महोदय, नगरीय निकाय के अंतर्गत उनकी संस्थाओं के अंतर्गत देखा जाए तो मानव संसाधन की अधिकता है। उनकी संरचनाओं की देखभाल माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से किया है और उसके प्रशासन में जो 67 पुरस्कार मिला है, वह ऐसे नहीं मिलेगा। उन्होंने तीन साल तक बहुत मेहनत किया है, योजनाओं का क्रियान्वयन किया है और उन्होंने नगरीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया है। इसमें उनकी जितनी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से जनता को सुविधा और जनता के विकास के लिए ध्यान दिया है। उसमें मैं सबसे पहले गोधन न्याय योजना की बात कहूं तो गोधन न्याय योजना के तहत 9 हजार महिलाएं स्वसहायता समूह की हैं उनको उन्होंने रोजगार दिया है और 377 गोबर खरीदी केन्द्र बनाएं हैं। निश्चित

तौर से इसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है, धन मिला है, जिनसे उनकी स्थित मजबूत हुई है। नगरीय निकाय में गोठान निर्माण किया है, क्योंकि हम लोग बीच-बीच में देखते थे, जहां कहीं भी पशु बैठते थे, आवागमन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए नस्ल सुधारने के लिए जैविक खाद, बायोगैस, गौमूत्र, एकत्रीकरण, दुग्ध संग्रहण के लिए बायोगैस प्लांट लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया है और नगरीय निकाय की अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने के लिए जो काम किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। पौनी पसारी योजना के अंतर्गत जो परंपरागत असंगठित मजदूर थे, उनको उनकी परंपरागत व्यवसाय देने के लिए, जो लुप्त हो रही थी उनको आगे लाने का प्रयास किया है। मेरे दोनों ब्लाक में मगरलोड में पौनी पसारी योजना प्रारंभ हुई है और नगरी में भी प्रारंभ हुई है जिससे लोगों को रोजगार मिला है। उसी तरह से नवीन सरोहर, धरोहर योजना है, मेरे यहां 40, 50 एकड़ का तालाब था, जो कचरे से पटा हुआ था, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने एक करोड़ 60 लाख का बजट दिया है ताकि मैं उसकी सौंदर्यीकरण कर सकूं, गहरीकरण कर सकूं और हमारी विधानसभा को एक अच्छी योजनाओं का लाभ पहुंचा सकूं। क्योंकि वहां जगह नहीं है, इसको ठीक करने से ही ठीक होगा। मंत्री महोदय ने सुना है, दिया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक ट्रांसपोर्ट नगर योजना है। आजकल सबके पास बह्त ज्यादा गाड़ियां हैं, उसको भी व्यवस्थित करने की जरूरत थी। उन्होंने उस ओर भी ध्यान दिया है। डेयरी उत्पादन के लिए गोक्ल नगर बनाया गया है, वह भी सराहनीय है। ताकि वह एक जगह हो सकें। अभी तक 8 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और इसमें 1,597 लाख बजट इसमें दिया है। भागीरथी नल जल योजना के तहत जो तंग बस्तियों में रहते हैं। माननीय मंत्री महोदय को ऐसा लगता है कि जो तंग बस्ती में रहते हैं उनको भी स्वच्छ जल मिले। क्योंकि पानी ही बीमारी का कारण होता है। वहां भी उन्होंने भागीरथी नल जल योजना के तहत 5,341 नल कनेक्शन दिए हैं ताकि उनको साफ पानी मिल सके। उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। एक रैक पिकर्स कल्याण योजना है। कचरे से समान बिनने वाले लोग हैं, उधर बहुत ज्यादा ध्यान दिए हैं और सूडा द्वारा भी योजना बनाई गयी है और उनके जीविकोपार्जन के लिए वार्ड में चिन्हांकित कर उनको 3700 रूपए मानदेय दिया गया है। उन्होंने गरीब लोगों के लिये यह जो धन दिया है यह बह्त ही सराहनीय है । महिला सार्वजनिक प्रसाधन योजना वास्तव में जब महिलायें घर से बाहर निकलती हैं तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो जहां महिलायें ज्यादा संख्या में काम करती हैं जैसे अस्पताल है, छात्रावास है, बाजार है वहां उन्होंने महिला प्रसाधन बनाया है और शत-प्रतिशत अनुदान दिया है । इसके द्वारा महिलाओं की कठिनाईयों को समझा है यह भी एक सराहनीय कदम है । मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के तहत् 14 नगर-निगमों में 60 मोबाईल मेडिकल यूनिट एम्ब्लेंस दिया है क्योंकि गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, बीमारी आती है तो वे ऐसे ही मर जाते हैं लेकिन इस ओर भी हमारे संवेदनशील मंत्री का ध्यान गया है और

स्लम योजना के तहत् उसके घर में ही ईलाज मिल सके इसकी व्यवस्था की है। साथ ही दाई, दीदी क्लिनिक योजना के तहत् 881 शिविर लगाकर के उनकी कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास किया है। सिटी डॉयग्नोस्टिक सेंटर, आप समझ सकते हैं कि आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जायेंगे, अगर छोटी सी भी बीमारी हो, यदि वॉयरल होगा तो उसके लिये भी डॉयग्नोज करने की बात कहते हैं और यहां पर अतिसंवेदनशीलता दिखाते हुए रियायती दरों पर जो डॉयग्नोस्टिक सेंटर अच्छा है उसको चिन्हांकित करके जनता को जो स्विधा दी है। यह बहुत ही अच्छी पहली है।

माननीय सभापित महोदय, इसी तरह से धनवन्तरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर योजना । यदि एक घर में किसी को बीपी है और शुगर है तो उसके घर में 5000 रूपये महीने की दवाई लगती है तो ऐसी स्थिति में चाहे सर्जिकल पाइंट हो, चाहे जैनेरिक सस्ती दवाई हो जो व्यवस्था की गयी है । 169 निकायों में 251 दवाईयों के लिये जो सुविधा दी गयी है वह भी एक सराहनीय कदम है । मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत् भी जनसुविधा दी गयी है और विभाग के द्वारा बहुत सारी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की गयी हैं । स्मार्ट सिटी मिशन के तहत् 3 शहर रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर को 24 घंटे बिजली-पानी और जो सुविधा है वह देने का प्रयास किया गया है तािक उनको लगे कि हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं इसमें भी बहुत अच्छा काम ह्आ है ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापित महोदय, पहले की सिटी और अब की सिटी में बहुत अंतर है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत् 166 नगर-निगम में लागू किया गया है और कचरे के बारे में चूंकि कचरा रहेगा तो वह स्वच्छ भारत नहीं कहलायेगा उसके लिये संयंत्र स्थापित किया गया है। उसी तरह से सुविधा-24 योजना लागू की गयी है। स्वच्छता श्रृंगार के बारे में आप सब जानते हैं। निदान 1100 डॉयल करने पर जो शहरी समस्या है उसका निदान तुरंत हो जाता है। अमृत मिशन के तहत् भी पानी देने का प्रयास किया गया है। मोर मकान, मोर जमीन के तहत्, मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत् भी जो गरीब लोग हैं उनको भी मकान देने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से युवाओं के लिये संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के नाम पर जो राजीव मितान योजना लागू की गयी है यह भी एक सराहनीय पहल है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये । प्लीज, आपकी सारी बात आ गयी है ।

=डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापित महोदय, श्रम विभाग के तहत् मुख्यमंत्री सायकल योजना, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार योजना, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा उपकरण और नौनिहालों के लिये मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी है और स्नातकोत्तर तक पढ़ने वालों को भी सुविधा दी गयी है । उसी तरह भगनी प्रसूति को दो बच्चों पर 20,000 रूपये और उसकी मृत्यु पर एक लाख रूपये और दिव्यांग को 50,000 रूपये की सहायता दी गयी है । निर्माण मजदूर के तहत्

जो जीवन ज्योति योजना बीमा लागू की गयी है जिसमें 330 के प्रीमियम पर 10 से 50 साल की आयु को पंजीकृत किया गया है। वहीं 2 लाख रूपये मृत्यु के पश्चात् दिया जायेगा। एक सबसे जो महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है वह है शहीद वीर नारायण श्रम योजना उसमें मजदूरों को 5 रूपये में दाल-भात, सब्जी, अचार पूरा पेटभर भोजन की व्यवस्था की गयी है और नौनी सशक्तिकरण सहायता के तहत् जो दो अविवाहित बच्चे हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करिए।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- तो माननीय सभापित महोदय, मैं नहीं समझती कि इतनी सारी योजनाओं के बाद किसी भी व्यक्ति को किठनाई हो और उसकी किठनाई का निराकरण न हो। ऐसा संभव नहीं है और केबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहिरया जी ने जो प्रयास किया है, सिक्रिय रूप से दिन-रात घूम-घूमकर सारी समस्याओं को देखकर उन्होंने जो कार्य किया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। मेरी अपने नगरीय निकाय के लिए मांगें हैं, उसे कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय :- समाप्त करिए। हो गया।

सभापित महोदय :- नगरीय निकाय में स्कूल की हालत बहुत दयनीय है। उस स्कूल को डिसमेंटल करके नया बनाने की कृपा करेंगे और वार्ड 2 में खूमबहारा जाने के रोड में दोनों साइड बहुत गड्ढा है। बरसात के दिनों में उसमें नदी के समान पानी बहता है और उसमें किसी भी बच्चे के बहने की संभावना है। कृपया, उसमें पुल बना दीजिए और डिवाइडर सहित रोड बना दीजिए।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- क्योंकि दुकानदार बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर रहे हैं और सीटी बस पहले मेघा तक जाती थी, अब नया शुरू करेंगे तो उसे मगरलोड 8 किलोमीटर है, वहां तक जायेगी। सभापित महोदय, आपने बोलने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापित महोदय, मेरे पास विषय नहीं है। मेरी तैयारी नहीं है और मैं बीच में थोड़ा गड़बड़ बोल गया था, उसे विलोपित करने का कष्ट करेंगे। मेरी तैयारी नहीं है।

सभापति महोदय :- आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप ऐसा न करें। शर्मिंदा न करें।

🏿 श्री अजय चन्द्राकर :- मेरी तैयारी नहीं है।

सभापति महोदय :- रजनीश सिंह जी।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापित महोदय, मैं नगरीय प्रशासन विकास विभाग की मांग संख्या 22, 69, 81, 18 में चर्चा हेतु खड़ा हूं। माननीय सभापित महोदय, प्रदेश में जो शहरी आबादी है, वह लगभग 65 लाख है और वह संख्या प्रतिशत में लगभग 25 प्रतिशत होती है और

इस बड़े वर्ग की आबादी के लिए पिछले 3 वर्षों में इस सरकार द्वारा जो किया गया है, पिछले बजट में ही हमको यह समझ में आता है। पिछले साल जो बजट अनुमान था, वह 2651 करोड़ का था और खर्च किया गया है 1886 करोड़। लगभग बजट का 18 प्रतिशत कटौती की गई या कमी की गई। माननीय सभापति महोदय, पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में पूर्व में यदि हम वर्ष 2018 तक का देखें तो नगर-निगम में 50 से 100-100 करोड़ रूपये रहते थे। नगर-पालिकाओं में 30, 40, 50 करोड़। नगर-पंचायतों में 5 से 20 करोड़ रूपये तक रहते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन 3 सालों में नगर-पंचायत, नगर-पालिकाओं को छोड़ दीजिए, नगर-निगमों में 10 करोड़-15 करोड़ आ रहा है और विकास के सारे काम ठप हैं। माननीय सभापति महोदय, वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। मनमाना यूजर चार्ज वसूल किया जा रहा है। बिजली का बिल पटाने हेत् पैसे नहीं है। नगरीय निकायों में चाहे बेलन हो, फटका मशीन खरीदने के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है और घूम-घूमकर सप्लाई की जा रही है। स्मार्ट सिटी में जो पैसा आया है, उसका भी दुरूपयोग करके स्थान चेंज करके जहां किया जाना चाहिए, जो नियम है, उन नियमों की धज्जी उड़ाकर के अन्य क्षेत्रों पर उसमें काम किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं बिलासप्र नगर-निगम के बारे में जरूर बात करना चाह्ंगा। बह्त बार माननीय धर्मजीत भैया ने भी कहा और माननीय विधायक शैलेश पाण्डे जी ने भी कहा। बिलासप्र नगर-निगम का विस्तार 20/08/2019 को किया गया। पहले इसका 30 वर्ग किलोमीटर में फैला ह्आ था, लगभग 2 लाख 65 हजार जनसंख्या थी और जब नगर विस्तार किया गया, जिसमें 5 विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ा गया तो इसका जो वर्गफल है, वह 137 वर्ग किलोमीटर हो गया और जनसंख्या लगभग साढ़े 5 लाख है। इस प्रकार लगभग ढाई लाख की जनसंख्या बढ़ी। 107 वर्ग किलोमीटर की आबादी बढ़ी और माननीय मंत्री जी, उसके बाद यहां हुआ क्या है, पिछले 3 सालों में बिलासप्र निगम को 25 करोड़ रूपये मिला है और बेलतरा विधान सभा जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, बड़ी-बड़ी पंचायतें लिंगियाडीह लगभग 22 हजार वोटर, मंगला में 18 हजार वोटर, कोनी और बेलतरा विधान सभा में तीनों यूनिवर्सिटी है, अभी जो सेंट्रल जेल बन रहा है, वह भी वहीं है । अपोलो हॉस्पीटल, एस.ई.सी.एल. का मुख्यालय है, सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पीटल है, बहतराई का अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम है, इस प्रकार से चाहे एज्य्केशन हब हों, स्पोर्ट्स के हब हों, चाहे हेल्थ के हब हों, सब वही हैं । जब विस्तार किया गया तो बताया गया कि सीमा बढ़ाने से क्या लाभ होगा ? लाभ होगा बी-ग्रेड निगम बन जिएगा तो फंड बह्त ज्यादा आने लगेगा, अधिकारी/कर्मचारियों की स्विधा बढ़ेगी । स्मार्टसिटी के काम में तेजी आएगी, निगम में शामिल होने वाले गांवों की मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा । लेकिन आज स्थिति क्या है कि पंचायतों की चल-अचल सम्पतियों को अपने निगम क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है लेकिन वहां पंचायतों में जो कार्यरत् कर्मचारी थे । उनको यह बोला गया था कि उनको हम सबको रखेंगे और धीरे-धीरे करके सभी को वहां से काम से निकालकर, उनके रोजी रोजगार को छीन लिया गया है । शासकीय जमीन बेचने के कारण जो जगह बाकी थी अभी बार-बार विषय आ रहा है कि जो शासकीय

जगह थी, जिसमें विकास के काम होने थे। बिलासपुर में स्मार्टिसिटी की जब बैठक हुई तो कई प्रकार के विषय आए कि यह काम प्रारंभ क्यों नहीं हो पा रहा है, तो पता चला कि वहां जमीन उपलब्ध नहीं है। जमीन इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि जो जमीन उपलब्ध थी उसको बेच दिया गया। शहर की सुविधा के लिए बड़े-बड़े सब-स्टेशन लगने हैं, जमीन उपलब्ध नहीं है इसलिए दूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जमीन उपलब्ध कराना पड़ रहा है। नवीन क्षेत्रों में विकास के कार्य ठप हैं, सभी ग्रामीण कार्यों में। बिना मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी नये क्षेत्र जुड़े हैं जब तक उनमें मूलभूत सुविधा नहीं मिल जाती, तब तक वहां से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाए। अवैध प्लाटिंग हो रही है, अवैध कालोनाइजिंग हो रही है और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई होती है तो दो-चार दिन और हफ्ते भर बाद उनका काम फिर शुरू हो जाता है। जैसा कि माननीय शिवरतन भइया ने कहा कि जो लेन-देन होता है, जो भी भ्रष्टाचार होता है, फिर उनका काम पूरे क्षेत्र में शुरू हो जाता है। खासकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में, चूंकि वह बिल्कुल शहर से लगा हुआ है। वहां इस तरह से काम चल रहा है कि यदि आज देखें तो कुछ नहीं रहता और कल देखेंगे तो बिल्डिंग बन जाती है। रातोंरात प्लाटिंग हो रही है और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। स्मार्टिसिटी कार्यक्षेत्र के जो 14 वार्ड हैं उनको बढ़ाया जाए और उस काम को 70 वार्ड में किया जाए।

सभापति महोदय :- संक्षिप्त में रखें

श्री रजनीश कुमार सिंह :- बहुत जल्दी खत्म करता हूं । शामिल किये गये क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को वापस काम पर लिया जाए । सीवरेज परियोजना की बहुत बात हो रही है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि 90 परसेंट से ज्यादा काम हो चुका है कृपा करके बचा हुआ जो काम है, बिलासपुर के क्षेत्र को जो कि अब बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको इस सुविधा से वंचित मत करिये । उस काम को यथाशीघ पूरा करिये । उसी प्रकार अमृत मिशन का जो काम अध्रा है, उसको यथाशीघ पूरा करें और डी.एम.एफ. फंड का इस्तेमाल शहर के विकास के लिए नहीं होता । डी.एम.एफ. की राशि को भी शहर के विकास के लिए दिया जाए । शहरी क्षेत्र में पेंशन जोड़ने के काम में दिक्कत आ रही है । वहां के पात्र हितग्राही का नाम पेंशन में जोड़ा जाए । राशन कार्ड में जोड़ा जाए । सभापति महोदय, राजिकशोर बी.डी.ए. के पहले, विकास प्राधिकरण का था, वहां 30-30 साल के पट्टे में मकान और जमीनें दी गई थीं । वह लीज आज समाप्त हो गई है, लीज समाप्त होने के बाद भी उनसे राशि ली जा रही है और निगम भी उनसे टैक्स ले रहा है । मेरा आग्रह है आप उसको फ्री होल्ड करिये । उसको निगम में शामिल करके उसमें टैक्स लीजिए। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं, विक्रन्द्रीकरण के काम हो रहे हैं, नये जिले बन रहे हैं, नई तहसीलें बन रही हैं । बिलासपुर के अरपापार जिसमें लगभग ढाई लाख लोग निवास करते हैं, लगभग 30 से ज्यादा बड़े-बड़े वार्ड हैं । जब आप

रिसाली जैसी जगह को नगर निगम बना सकते हैं तो बिलासपुर के अरपापार को भी नया नगर निगम बनाने की आज घोषणा करिये । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिलासपुर के विकास के लिये लगभग 200 करोड़, क्योंकि जो मेरे जो पंचायत क्षेत्र हैं।

सभापति महोदय :- चिलये, समाप्त करे। श्री रामकुमार यादव जी।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- सभापित महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। सभापित महोदय, मेरे जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें 20 बड़े-बड़े वार्ड हैं। यदि उसके पंचायत का एक साल का काम देखेंगे तो विभिन्न योजनाओं से 40 से 50 करोड़ का काम करते थे, लेकिन आज तीन साल से निगम में आने के बाद 5 करोड़ का काम सब मिलाकर नहीं हुआ है। सभी वार्ड मिलाकर नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी, बिलासपुर को प्राथमिकता देते हुए मैं आग्रह करूंगा कि आप 200 करोड़ रूपये करिये और बेलतरा विधानसभा का बहुत बड़ा भाग इसमें शामिल हुआ है। सभी प्रकार के वहां छत्तीसगढ़ के बड़े-बड़े जैसे कि पहले जिक्र किया है, वह वहां पर स्थित है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- इसलिए वहां को प्राथमिकता देते हुए यह काम के लिये राशि स्वीकृत करेंगे। इसी आशा के साथ आपने बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री रामक्मार यादव जी।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- सभापित महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी के अनुदान मांग के समर्थन म मैं खड़े हव। आज हम सुनत रहेन। हमर बहुत सारा साथी मन, हमर भाई मन सरकार के बारे में बोलत रहीसे। हमर नगरीय प्रशासन, श्रम विभाग के बारे म बोलत रहीसे। त मैं बड़ठे, बड़ठे गुनत रहे हव अउ तुलना करत रहे कि आखिर एमन कौन पैमाना पे ए बात त बोलथे। माननीय मंत्री जी, जब हमन ओ बात ल याद करेन, ए देश के राजधानी दिल्ली म इनाम के पारी आथे तो यही छत्तीसगढ़ के, यही मोर मंत्री अउ यही विभाग के सचिव, अधिकारी मन जाकर इनाम झोखथे त ओ कनी हम गर्व के साथ कड़थन कि अइसे प्रदेश के सरकार के हमन हिस्सा हन, जेहर राजधानी दिल्ली में जा करके इनाम झोकथे। अउ एमन बड़ठे-बड़ठे ओला कोचका हुरसा, कोचका हुरसा करथे। आज हमन बगल प्रदेश म जीते हन। ठीक हे हार-जीत, वह समीकरण बात हे। ओहर अलग मामला है। लेकिन हम गयन, ओ प्रदेश म गय रहेन, जाकर देखेन शहर म जाके देखथन त कहां मेर कई झउंहा गोबर फेंका हे, कई झउंहा कागज फेंका हे, कहा मेर पाना फेंकाहे। माछी भनभन-भनभन करथे। हमन जइसे ही छत्तीसगढ़ में आएन त दुर्ग, भिलाई, रायपुर आके देखथा। हमर माननीय विरुठ चंदेल जी के शहर आके देखथन चांपा में जांजगीर भी त स्वच्छ। आप जो है भुंइया म बैइठ के भात खा लेवा माछी नइ झूमथे। ओकर बावजूद एमन एतके कन बुराई करथे। त ए बुराई ल देखकर, तुंहर गोठ ल देखकर ये प्रदेश के जनता मन हांसत होही। ऐ प्रदेश के जनता मन हासत होही कि हम्मन जावन

बिलासपुर। सही बात है, हमन भैया ल बोलीन है। आप मन के सरकार म बिलासपुर जाकर देखन त हमन कड़ ठन गांव के आदमी मन चूहा ल देख-देखकर पड़्ध गेहन त बन जाय नड़ तोन शहर के आदमी मन ला चूहा देखान त जी हर सक्क ले करथे। उसी प्रकार के बिलासपुर के धरती म जब कोन प्रकार के हे एमन के पहली सरकार हर। त चूहा देखथन कहूक सक्क ले करय जी हर। आटो वाला ल कहन भैया तैं हर खड़बड़ झन लेगबे। आज एमन बात करथे। बात तो बहुत सारा हे सभापित जी लेकिन समय बहुत कम हे मैं जाना थव । ओकरे खातिर आपके मन के बात ल मैं हर जान दारथव। जैसे एमन के बात ल पूरा प्रदेश जानथे। आज मैं हर मोर क्षेत्र के बात करीहाँ। हमर आदरणीय, जतका अधिकारी मन भी बड़ठे हे। मोर मंत्री जी से मैं निवेदन करथव, मैं चंद्रपुर विधान सभा में रइथव वहां पर चंद्रहासनी दाई के वास हावय। अइसे कोई मुख्यमंत्री नहीं हे, जे हर चंद्राहिसिनी मंदिर के दर्शन करे नड़ जाय। अइसे जिला म कोई कलेक्टर नइ होही जे हर चंद्रहासिनी मंदिर के दर्शन करे ल नइ जाय। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के बात है कि आज तक ओ चंद्राहासिनी मंदिर के दर्शन जरूर करथे लेकिन वहां आज तक गौरव पथ नहीं बनीस। आज ओकर आर्शीवाद से हम विधायक बनथन, अधिकारी बनथे।

सभापति महोदय :- यादव जी, बात पर आये।

श्री राम कुमार यादव :- सभापित जी, मोर मांग ए है कि चंद्राहिसी मंदिर म गौरव पथ बनाय ताकि पूरा देश, प्रदेश के आदमी मन जाथे उंहा दर्शन करे बर जाय, त गौर पथ बने रही त अलग जाही। मैं आपसे यह मांग करथव। दूसरा अड़भार में एक अष्टभुजी मां के मंदिर है, जिहा 121 तिरया हावय। उंहा के जिणींद्धार किया जाय ताकि उंहा के तालाब के सौन्दर्यीकरण किया जाय। 121 तालाब अगर कहीं कोई प्रदेश में कहीं कोई जगह हावय त अष्टभुजि मंदिर नगर पंचायत अड़भाड़ म है। मैं और मोर माननीय संवदेनशनील मंत्री, बहुत ही जुझारू मंत्री गरीब के बेटा से मैं कहना चाहथव। मैं चाहत हो, महु ल बहुत उम्मीद के साथ ओहा जीताहे। चंद्रपुर म कोई दर्शन करे बर जाथे उंहा कोई गरीब आदमी ल दुकान के खोले के लिए नइ हे। उहा अइसे जगह बना देहे ताकि कोई आदमी मन जावत हे तो ओला निरयर, सुपारी बेचे बर ओला जगह मिल जाए। अंत मे मैं, मोर डभरा में एक अइसे तालाब हे जेखर सौंदर्यीकरण कर दिया जाए और मोर क्षेत्र मा एक ठोक आर.के.एम. कंपनी, डी.वी. कंपनी हे, उहा के मजदूर मन काम करथे तो मजदूर मन के लिए जो हास्पिटल होथे, बड़े दु:ख के बात हे कि मोर क्षेत्र मा ओहा नइ है। ता ओला शहरों में एक ठन हास्पिटल खोल दिया जाए। आप मोला बोले के मौका दे हो, बात तो बहुत सारा हे लेकिन समय के अभाव है। आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- थैंक्यू। श्रीमती रेणु जोगी जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी, जांजगीर नगर पालिका और अकलतरा नगर पालिका, यह दोनों की जो जल आवर्धन योजना है पिछले 4-5 साल से चल रहा है और अभी भी पूरा क्या है वह अधूरा से और अधूरा है तो उसको आप थोड़ा दिखवा लीजिए। उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाइये। जांजगीर और अकलतरा।

सभापति महोदय :- श्रीमती रेणु जोगी जी।

डॉ. रेण् अजीत जोगी :- माननीय सभापति महोदय, जिन दो मंत्रियों के विषय में मैं बोलना चाह रही हूं, एक तो मुझे सोते हुए दिखे और कवासी लखमा जी सीट पर नहीं हैं, पर आशा करती हूं कि एममात्र शिव डहरिया जी और रूद्र गुरू जी बता देंगे कि मेरे यहां गौरेला, पेण्ड्रा नगर पंचायत हैं और उनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है और दोनों में एक प्रतिद्वंदिता बनी रहती है इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे जिले का नाम गौरेला, पेण्ड्रा, मारवाही रखना पड़ा क्योंकि नाम को लेकर हमेशा और दोनों क्षेत्रों में आपस में जो प्रतिद्वंदिता है। तो दोनों जगह कॉलेज हैं। गौरेला में 800 विद्यार्थी पढ़ते हैं और पेण्ड्रा में करीब ढाई हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। यह जब श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला जी वहां की प्रतिनिधित्व करते थे, उनके कार्यकाल से शुरू ह्आ। पर चूंकि वह पूरा इलाका आदिवासी इलाका है, अमरकंटक का बॉर्डर है तो वहां जगह भी है, बिल्डिंग भी है अगर 50 से लेकर 100 लड़कियों के लिए कन्या छात्रावास खोल दिया जाए तो निश्चित ही वहां की नारी शक्ति को, बच्चियों को उसका बह्त लाभ होगा। इसी प्रकार गौरेला में स्टेडियम बना है पर उसका प्रवेश द्वार आरंभ से टूट कर वहीं प्रवेश करने की जगह मे गिर गया है। बहुत बड़ा स्टेडियम है, बाउंड्रीवॉल है तो मात्र थोड़े से पैसे देकर मे-बी 50,000, 1-2 लाख रूपये लेकर ही वह स्धारा जा सकता है तो मेरा आपसे अन्रोध है कि छात्रावास और स्टेडियम बना दिया जाए ताकि वहां लोग यहां-वहां से दीवार तोड़कर तो जरूर खेलते है पर उसका स्वरूप बाहर से एकदम खराब हो चुका है। वह ठीक नहीं दिखता है और दोनों जगह चूंकि मैंने कहा बिल्डिंग भी बह्त-सारी अतिरिक्त हैं तो वहां उनके लिए छात्रावास बनाने का, आदिवासी क्षेत्र की कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए बनाएंगे तो उसके लिए मैं उनकी आभारी रहंगी। कवासी लखमा जी से किसी ने मांग नहीं रखी पर मैं चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में एक जंक्शन बन रहा है गेवरा से पेण्ड्रा रोड सीधी रेल लाइन आ रही है। कई स्टेशन भी निर्माणाधीन हैं, बन चुके हैं। कार्य अंतिम दौर में चल रहा है और उसी से लगा हुआ एक औद्योगिक पार्क कांग्रेस की तात्कालीन सरकार ने खोला था। शुरू में तो समझ में नहीं आ रहा था कि यहां क्या लगेगा? क्योंकि न कोई वाणिज्य है, न कोई ऐसा बड़ा उद्योग है परंत् बाद में देखा कि वहां एक इंच भी भूमि उपलब्ध नहीं है। किसी ने फिनाइल बनाने का कारखाना, बिजली के खंभे बनाने का कारखाना, राईस मिल और वहां के अन्य छोटे-छोटे उद्योग, दोना पत्तल का उद्योग, हर्बल मेडिसीन का एक कारखाना भी लग गया है । इस प्रकार अपनी सोच समझ से उद्योग लगाए गए हैं, जिससे प्राफिट हो सके । वहां 50-100 उद्योग लगे हैं । उस समय उनको आदिवासी क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों की छूट भी दी जाती थी । वहां पर्याप्त पानी और बिजली उपलब्ध है, मंत्री जी उसका विस्तारीकरण कर दें । जगह भी बह्त खाली पड़ी अंजनी । जब ट्रेन का जंक्शन बनेगा तो उसका और भी लाभ उस क्षेत्र के लोगों है, ग्राम का नाम है-

को मिल सकता है । यही अनुरोध मैं उद्योग मंत्री जी से करना चाहती थी। आशा है कि नगरीय प्रशासन मंत्री मेरा संदेश उन तक पहुंचा देंगे । आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- सभापित जी, मंत्री जी को अजय चन्द्राकर जी से निवेदन करना चाहिए कि वे उनके विभाग में बोलें । क्योंकि मंत्री जी का उनसे बड़ा मोहब्बत और प्रेम है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- मैंने तो उनसे हाथ जोड़कर बोला कि कुछ बोलिए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- आप उनके प्यार से वंचित हो जाओगे । इसलिए आपको उनसे हाथ जोड़कर बोलना चाहिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उनसे हमारा पुराना प्रेम है, हम उनके साथ क्रिकेट खेलते थे । उनको मालूम है कि किस तरह से हमारा प्रेम उनसे रहता है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति जी, हमारे क्षेत्र में नगरीय निकाय में इतने द्रूस्थ हैं कि हमारे कार्यकाल में 15 वर्षों में लोग चाहते थे कि हमारे यहां नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम बने, इसके लिए लोग लगातार आवेदन देते थे 🖊 आवेदन देने के बाद में उसका विस्तार भी किया गया । उसके विस्तार के पीछे आकर्षण का एक केन्द्र था कि नगरीय निकाय होने से हमारे क्षेत्र में विकास होगा । आपने देखा है कि हमारे प्रदेश में नगर पंचायतों, नगर पालिका और नगर निगमों की संख्या भी बढ़ी है। नगरीय निकाय बनाना ही नहीं, बल्कि नगरीय निकाय बनाने के बाद में उसके स्वरूप में जो परिवर्तन आया है, चाहे वहां पानी की समस्या हो, बिजली का विस्तार हो, सी.सी. रोड़ का निर्माण हो, वहां के चौक-चौराहे हो और उसका जो सौंदर्यीकरण देखते ही बनता है, हमारे नगरीय निकाय इस आकर्षण के केन्द्र रहे हैं । चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार आई, उस सरकार में शिव डहरिया जी मंत्री बनें । मंत्री बनने के बाद पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा नगरीय निकाय में राशि दी गई थी, उस राशि को वापस बुलाने का सबसे पहला काम इन्होंने किया । उस राशि को वापस बुलाने के बाद में आज भी, सरकार बनने के तीन साल के बाद भी वह राशि वापस नहीं की गई है । पता नहीं इनके हाथ में क्या जादू है ? डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल में एक दिन के लिए पेमेंट विलम्ब नहीं हुआ है । आज नगरीय निकाय इनके हाथ में आने के बाद तीन-चार महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है । ऐसा लगता है कि नगरीय निकाय को ग्रहण लग गया है, सारे विकास कार्य ठप्प हो चुके हैं, आज पूरे कार्य बाधित हो चुके हैं। नगरीय निकाय में जो लोग थे, जो आवेदन दे रहे थे, आज वहां से निकलना चाहते हैं, वे सोचते हैं कि हम इस नगर निगम से बाहर हो जाएं, लेकिन निर्णय कैसे लेते हैं ? अपनी स्विधा के अन्सार से राजनीतिक निर्णय लेते हैं । जब भिलाई नगर निगम इतना बढ़िया चल रहा है तो रिसाली में नगर निगम बनाने की आवश्यकता क्या थी ? मैं रिसाली का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब रिसाली,

भिलाई नगर निगम में आलरेडी सम्मिलित है तो रिसाली को नगर निगम बनाने की आवश्यकता क्यों है ? जब बिलासपुर का आप स्वयं विकास नहीं कर पा रहे हैं तो आपने उन 15 और 3, कुल 18 क्षेत्रों को शामिल क्यों किया ? शामिल करने के बाद में उसकी दुर्गति हो रही है। वहां न पानी की व्यवस्था है, न वहां पर सी.सी. रोड़ की व्यवस्था है, न वहां पर साम्दायिक भवन की व्यवस्था है । इसके साथ ही साथ ऐस लग रहा है कि पूरा ग्रहण लग गया है, लोग कराहने लगे हैं, वे बोल रहे हैं कि हमको बिलासप्र नगर निगम से निकाल लीजिए । क्योंकि ये लोग बिलासप्र का विकास नहीं का पा रहे हैं, वहां के लिए राशि नहीं दे पा रहे हैं तो बाकी जगह के लिए क्या राशि देंगे ? मंत्री जी, आप जवाब में बताएंगे कि उन 18 क्षेत्रों के लिए कितनी राशि दी है । पिछली बार मैंने पूछा था । इन्होंने अधीसंरचना की राशि नहीं दी, अधो-संरचना की राशि भी नहीं पहुंची । जब वह पंचायत थी, उस पंचायत में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रूपये के काम हो जाते थे। लेकिन आपके 3 साल के कार्यकाल में ये काम भी नहीं हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार गये थे तो वहां पर 135 करोड़ रूपये की घोषणा किये थे, घोषणा करने के पश्चात, फिर बाद में गये तो सौ करोड़ रूपये से नीचे आ गये। लेकिन अभी पता लगा है कि 15 करोड़ रूपये की राशि भी नहीं पहुंची है, केवल स्वीकृति पत्र पहुंचा है। आप 3 साल में बिलासपुर जैसे नगर निगम में 15 करोड़ रूपये की राशि नहीं पहुंचा पाये हैं, तो आप से नगरीय निकाय से बाकी ऐसे पंचायतों को अलग कर देना ही उचित होगा। जो उस क्षेत्र के लोगों के किस्मत में होगा, वह होगा। लेकिन मंत्री जी, आपने यह जो किया है, वहां की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। यदि आपकी हैसियत नहीं है तो क्यों जबर्दस्ती नगर निगम क्षेत्र में ले रहे हो। जब आप एक नगर निगम का पालन करने की स्थिति में नहीं हो तो फिर 15 पंचायत के लोगों को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, पहले वहां मनरेगा के अन्तर्गत काम हो जाता था। वहां मनरेगा बंद हो गया, वहां के लोगों का रोजगार बंद हो गया, वहां लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तालाब ज्यों के त्यों पड़े ह्ए हैं। पहले तालाब की खुदाई हो जाती थी। आप वहां की सारी स्थिति को चौपट करके रखे हुए हैं। यह केवल बिलासपुर की स्थिति नहीं है।

माननीय सभापित महोदय, यूजर चार्ज 6 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत तक ले रहे हैं, लेकिन आज उसका गली-गली में विरोध हो रहा है। आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो आप इतना पैसा क्यों ले रहे हैं ? आपकी इसके पीछे क्या मंशा है ? नगर निगम में केवल पैसा कमाने की मंशा है। आप अधीसरंचना विकास नहीं कर पा रहे हैं, उसके बजाय आप जनता पर और भार डाल रहे हैं। आप नगरीय निकायों की स्थित को जिस प्रकार से बनाकर रखे हैं, इनका राज आने के बाद ऐसा लगने लगा है कि पूरा नगरीय निकाय कंगाल हो गया है। आज वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। इनकी नीयत ठीक नहीं है। वहां के प्राइम लोकेशन की जो जमीनें है, उसको चिन्हांकित करके उसकी बोली लगवाना और अपने चहेते लोगों को बेचना रह गया है। मंत्री जी का नगरीय निकाय में आने के

बाद एक ही काम है कि विकास नहीं, नगरीय निकाय का विनाश और उस विनाश के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपकी सामुदायिक भवन बनाने की योजना है, जब आने वाले समय में बच्चों के लिए गार्डन नहीं होगा, अस्पताल और बाकी चीजों के निर्माण के लिए जमीन ही नहीं होगा और जिस दिन पैसा आ जायेगा, उस दिन आप वहां निर्माण कार्य भी नहीं करा सकते। इसलिए मंत्री जी, जमीन को बेचना छोड़ो। आप जमीन बेचकर विकास करने का सोच रहे हो, आपका तो विकास हो जायेगा, लेकिन वहां की जनता का भला नहीं होगा। आपका भला हो सकता है, लेकिन वहां की जनता का भला नहीं हो सकता है। आपकी जो सोच है, उसमें परिवर्तन करो। वहां के जनता के हित में जो कर सकते हो, वह करो अन्यथा जो जिस स्थिति में है, वैसा ही रहने दो, तो ज्यादा सुखी रहेंगे। लेकिन कम से कम आप परेशान मत करो।

माननीय सभापित महोदय, हमारी सरकार में एक से एक योजना चल रही थी। हम लोगों ने शादी-ब्याह के लिए भवन स्वीकृत करना तय किया था और उस समय देने का काम प्रारंभ किया। वर्ष 2016-17 में 14 भवन दिए गए, वर्ष 2017-18 में 24 भवन दिए गए, वर्ष 2018-19 में 13 भवन दिए गए और आपने वर्ष 2020-21 में कितने भवन दिए ? मात्र 3 भवन। वर्ष 2021-22 में कितने भवन दिए ? मात्र 2 भवन। पूरे प्रदेश में आपके नगरीय निकाय में कितने भवन दिए ? आखिर उस समय जो सम्पदा रही, आखिर वह कहां गया ? उस समय जो पैसा रहता था, उस समय किसी नगर निगम को पैसे जरूरत नहीं पड़ती थी। मंत्री जी समीक्षा बैठक लेते थे कि पैसा क्यों खर्च नहीं कर रहे हो। इन्होंने समीक्षा किया कि वहां से पैसा वापस बुलवा लिया जाये और वापस बुलाकर यहां रखें। यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है।

माननीय सभापित महोदय, स्मार्ट सिटी की योजना और उस पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वह लगातार भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पता नहीं वहां पर क्या-क्या लगा रहे हैं ? इनके पास पैसा तो है नहीं, 14 वार्डों को नगर निगम क्षेत्र में लिया है और कुल 14 वार्ड में काम चल रहा है। बिलासपुर, बाकी जगह काम नहीं चल रहा है। रायपुर में जो स्मार्ट सिटी है, यह उसका है। पता नहीं काहे-काहे का लाकर लगा रहे हैं, दीवाल में चिपका रहे हैं। आप चिपका रहे हैं तो वह कुछ दिन तो चले। लेकिन भष्टाचार करने की इनकी नीयत है, स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च करने का गाईडलाईन है, इनके द्वारा खुले आम स्मार्ट सिटी के गाईडलाईन उल्लंघन किया जा रहा है।

माननीय सभापित महोदय, जो पैसा शहर के विकास में लगना चाहिए, वह भ्रष्टाचार में जा रहा है। जहां पैसा नहीं लगना चाहिए, गाईडलाईन के बाहर जाकर राशि लगाया जा रहा है। आप चिंता मत करो आने वाले समय में उसकी भी जांच होगी।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग देख रहे हैं कि रायपुर में यूजर चार्ज को लेकर यहां के लोगों के मन में नाराजगी है, विस्फोट हो रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं । प्रधानमंत्री आवास योजना

का तो इन्होंने बाट लगा दिया है । किसी भी कार्यालय में नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन, उस करप्शन में बिना दिये लिये आजकल काम नहीं हो रहा है । हितग्राहियों से 10 हजार रूपये, 15 हजार रूपये लिये जा रहे हैं । शैलेश जी बता रहे थे कि हमारे पार्षद ने लिया है, आपके जगदलप्र के पार्षद ने अच्छा काम किया है ना । पार्षद ने 10 लाख रूपया वसूल किया है, यह तो प्रमाणित है, रायप्र का अभी जांच चल रहा है । बाकी नगरीय निकायों में जो बैठे ह्ये लोग हैं,सरकार तो पैसा भेज नहीं रही है तो करें क्या, प्रधानमंत्री आवास को बाट लगाने में लगे हैं । माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार से नगरीय निकाय में अवैध प्लाटिंग का जो काम हो रहा है और वहां पर जिस प्रकार से सारे नियम कानून को ताक में रखकर इन लोग काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाह्ंगा कि जो सिटी बस आपके सब जगह पड़े ह्ये हैं, आप परिवहन विभाग से बात करें, वह सिटी बस है यदि आप नहीं चला सकते हैं तो उसका ऑक्शन करा दिया जाये, कंडम होते जा रहा है, रायपुर में भी है, बिलासप्र में भी है, बाकी आपके सिटी में भी है या लोगों को सुविधा देने के लिए चलवा सकते हैं तो चलवाइये । उसकी रिवाईज कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए । समीक्षा करके आप लोगों को स्विधा प्रदान करें, जिससे उसका उपयोग हो, नहीं तो क्विंटल के हिसाब से बेचना पड़ेगा । इतनी बढ़िया गाड़ियां हैं, इतना भी सामर्थ्य आप में नहीं है, उन गाडि़यों को आप चला सकें । क्विंटल के भाव में आपको बेचना पड़ेगा । मंत्री जी, कुछ तो शर्म करो । आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम विरासत में मिली है, उसको संभाल कर रखो । इतना भी अगर आप कर लोगे तो लोगों को लगेगा कि मंत्री जी ने अच्छा काम किया है।

माननीय सभापित महोदय, इनके पास श्रम विभाग है । जब कोविड में लोग परेशान थे, उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश के श्रमिक जो वहां रह रहे थे, उनके खाता में पैसा भेजने का काम किया । हमारे यहां श्रम विभाग का पैसा रहने के बाद

इन्होंने कुल कितना भेजा है, मैंने विधान सभा का प्रश्न लगाया था, उस प्रश्न का जवाब आया है, उस प्रश्न को पढ़ोगे तो शर्म लगेगा । आपके पास पैसा है, पैसा किसका है, श्रमिकों का है, श्रमिकों का पैसा है तो उसके हित में जारी क्यों नहीं किया । उसमें कई लोग काल कवित हो गये । आप यहां व्यवस्था बनाने के लिए नहीं कर पाये हैं । हमारे पंचायत के लोग अपने पैसे को लगाये हैं । उसको भी वापस नहीं किया गया । श्रमिकों के हित में जो कार्य होना चाहिये, आज टोटल उससे वंचित रखा गया है । माननीय सभापित महोदय, दो-तीन दिन पहले बृजमोहन अग्रवाल जी प्रश्न लगाये थे, आपके 661 करोड़ रूपये जमा है, लेकिन जमा होने के बाद आप खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं । खर्च होनी चाहिये, लेकिन वह खर्च नहीं कर पा रहे हैं । इनकी तीन महत्वपूर्ण योजनायें हैं, भवन व निर्माण कर्मकार मंडल, आपके असंगठित कर्मकार मंडल, श्रम कल्याण मंडल । इसमें विशेष रूप से जो है, श्रमिकों के हित में उनको सायकल दिया जाना चाहिये, सिलाई मशीन दिया जाना चाहिये, जो टूल्स है, वह दिया जाना चाहिये ।

आप यदि पूरे प्रदेश में देखेंगे, दिसम्बर 2021, कितना आपने बांटा । सायकल योजना में 254, सिलाई मशीन योजना में 74, ई-रिक्शा में एक, उज्जवला में आपका जीरो, बाकी में आपका जीरो । आपका पैसा नहीं है, आपने संगठित कर्मकार मंडल में सायकल वितरण 19 आपने किया, सिलाई मशीन आपने 54 दिया ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय नेता जी, आपका जो डाटा बोल रहे है, मालूम नहीं है, उस समय राहत का काम जो हुआ, उसको हम लोगों ने देखा है, जहां-जहां से दिक्कत और परेशानी आ रही थी, विभाग बहुत अच्छा काम किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी का समाज में पौनी-पसारी बंद है । उसकी बात नहीं सुनी जा रही है । अभी समाज में शामिल नहीं हुये हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब तक वह भात मुर्गा नहीं खवाही, तब तक वोखर पौनी पसारी बंद रही ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आपकी जो महत्वपूर्ण योजना है, आपके पैसा रहने के बाद में उन श्रमिकों के हित में आप क्यों नहीं कर रहे हैं । उनको देने के लिए जो आवश्यक है, आप उसमें काम क्यों नहीं करते? आपकी जो बीमा की योजना है, आप एक बार पूरा बीमा की योजना के परिवारों की संख्या निकाल लीजिए कि छत्तीसगढ़ में कितने परिवार हैं। जो छत्तीसगढ़ में परिवार हैं उसमें 12 रुपये, 24 रुपये बीमा का पैसा देना है। यदि हम 12 रुपये प्रीमियम देंगे तो यदि उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो 2 लाख रुपये परिवार को मिल जायेगा। आपके पास श्रम कल्याण मंडल, कर्मकार मंडल का पैसा है। आप उसको पूरा केलक्लेट कीजिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो परिवार हैं यदि हम उनको 12 रुपये, 24 रुपये के हिसाब से बीमा योजना का लाभ देते हैं, यदि कल कोई दुर्घटना ह्ई तो उस परिवार को हम 2 लाख रुपये बीमा योजना के माध्यम से दे सकते हैं। ऐसा योजनाओं को आप लागू क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप आखिर उस पैसे का क्या करेंगे? उस पैसे को रोकने से आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए श्रम कल्याण मंडल के हमारे जितने भी श्रमिक हैं, यह सारे कार्य की थोड़ी सी चिंता करें। वास्तविक में मंत्री जी को केवल अपना विभाग छोड़कर के बाकी सबकी चिंता रहती है। चाहे वह प्रश्नकाल हो, बजट हो, बाकी चीजों में, सबकी चिंता है, लेकिन केवल अपने विभाग की चिंता नहीं है। सरगुजा में अस्पताल में 04 बच्चों की मृत्यु हो गई। टी.एस.बाबा जी दिल्ली में थे। यह स्पेशल प्लेन ले करके चले गये कि मैं जा करके देखूंगा। आपके ही क्षेत्र में नया रायपुर में लोग बैठे ह्ए हैं, 70 दिन से ऊपर से बैठे ह्ए हैं, आपको उन किसानों की चिंता नहीं है। अपने विधानसभा की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं लेकिन सरग्जा की चिंता इनको है कि मैं सरगुजा में जाकर राजनीति करूं। मंत्री जी आप अपने विभाग को छोड़ करके बाकी विभागों में बह्त अच्छा बोलते हैं। इस बजट में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सरकार ने जो आपको जवाबदारी दी है,

उसकी तो चिंता करें। बाकी चिंता करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज हम लगातार देख रहे हैं कि श्रम कानून का उलंघन हो रहा है। आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? हमारे उद्योग मंत्री जी तो कम से कम अच्छे हैं कि उनके लिए दरवाजा नहीं खुला तो वह सीढ़ी लगा लिये और सीढ़ी लगाकर जा करके फैक्टरी में घुस गये। वहां जो श्रम कानून का उलंघन हो रहा है, आपके अधिकारी को थोड़ा ताकीद कीजिए। लगातार दुर्घटना में जो मौतें हो रही हैं, उसके लिए आप ताकीद कीजिए। श्रम कानून का यहां पर पालन हो, श्रमिकों को उसका लाभ मिल सके।

श्री अमरजीत भगत :- हमारे श्रम मंत्री तो अंदर घुस गये थे, आपके श्रम मंत्री को तो उद्योगपति लोग अंदर नहीं घुसने दिये थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय नेता जी, आप श्रम कानून के उलंघन की बात करते हो, कवासी लखमा जी के सीढ़िया लगाकर चढ़ने की बात करते हो, सबका गुलाबी गांधी तय है कि कहां क्या उलंघन करोगे, कितना गुलाबी लगेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से यह विभाग को चला रहे हैं, वास्तविक में श्रमिकों के हित के लिए जो चिंतन होना चाहिए, उनका अहित हो रहा है। दूसरी बात मेरे को यह समझ में नहीं आती है, हम लोग भी सरकार में रहे। जिस अधिकारी को हमारे मंत्री जी भेज देते थे, उनको कम से कम वहां पर समझने, काम करने के लिए डेढ़-दो साल की गांरटी रहती थी कि वह कम से कम काम करेंगे, वहां का विकास दिखेगा। हमारे यहां मैं नगर पंचायतों को देखता हूं कि अधिकारियों की पोस्टिंग के 2 महीने, 3 महीने नहीं हुए हैं, उनका फिर ट्रांसफर हो जाता है। पता नहीं इनके पास क्या जादू की छड़ी है, यहीं से आकलन करते हैं। पता नहीं उसको सोने का अंडा देने वाली म्गी समझते हैं या क्या समझते हैं, उनको वहां पर 4 दिन गये नहीं होता है और उसके बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है। मंत्री जी, इससे आप बचो। जो अधिकारी आप भेज रहे हो, हम नहीं मांग रहे हैं। आप अपने विश्वास में भेजो, वह कम से कम उस नगर पंचायत, नगर निगम में काम तो करे। उनको इस बात की गारंटी तो हो कि मैं कुछ करके दिखाऊं। लेकिन जैसे ही वह गये हैं, पता नहीं लगता है, उनका 2-3 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। यदि इस प्रकार से चलेंगे तो कभी भी उस विभाग का विकास नहीं हो सकता। मैंने इसलिए कहा कि आप वाट लगाने का काम मत करो। इसलिए जब से इनके हाथ में विभाग आया है, हम देख रहे हैं कि इनका विभाग लाभ मिलने के बजाय न्कसान में है। कुल मिलाकरके हमारे जो नगरीय निकाय हैं, उनको वाट लगाने का काम हो रहा है। हमारे नगरीय निकाय 10 साल पीछे हो गये हैं। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह वाट लगाना क्या होता है? माननीय सभापति जी, वाट शब्द का अर्थ डिक्शनरी में क्या है? सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री नारायण चंदेल :- ये पासंगा, पासन है।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास से संबंद्ध (डॉ. (श्रीमती) रिश्म आशिष सिंह) :- भैया, वाट करंट की इकाई है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापित महोदय, मेरे विभाग की अनुदान मांगों पर हमारे सभी सदस्यों ने अपनी- अपनी बात रखी है। मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष, धरम लाल कौशिक जी, भाई बृजमोहन अग्रवाल जी, श्री मोहन मरकाम जी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी, श्री शैलेश पाण्डे जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री दलेश्वर साहू भाई, श्री शिवरतन शर्मा जी, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, श्री रजनीश सिंह जी, श्री रामकुमार यादव जी, डॉ. रेणु अजीत जोगी जी, का धन्यवाद करता हूं।

सदन को स्चना

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के लिये स्वल्पाहार की व्यवस्था, माननीय डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जी की ओर से लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गयी है, कृपया स्विधान्सार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापित महोदय, हमारे श्रम विभाग के 2022-23 हेतु बजट प्रावधान 156 करोड़ 4 लाख 27 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। हमारे जो असंगठित एवं संगठित परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिये गठित मंडलों की गतिविधियों के लिये हमारी छत्तीसगढ़ भवन एवं सिन्निर्माण कर्मकार मंडल में 60 प्रवर्ग के लोगों के लिये जिनका पंजीयन 20 लाख 29 हजार है। इनकी 24 योजनाओं के लिये इस साल बजट में 425 करोड़ 70 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सुरक्षा मंडल में 53 प्रवर्ग के श्रमिकों के लिये लगभग 14 लाख 74 हजार पंजीकृत श्रमिकों के लिये 61 करोड़ 25 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल में 3 लाख 90 हजार पंजीकृत लोगों के लिये 5 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। एखतीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल में 3 लाख 90 हजार पंजीकृत लोगों के लिये 5 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

माननीय सभापित महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में नयी प्रवासी श्रमिक नीति लागू की गयी है। इस नीति के तहत प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये प्रवासी श्रमिकों के डाटाबेस तैयार करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति दिनांक 19.07.2021 को अधिसूचित किया गया है। पलायन पंजी के ऑनलाईन संधारण की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग के सहयोग से प्रवासी श्रमिकों की ऑनलाईन जानकारी संकलित किये जाने हेतु वेब पोर्टल, मोबाईल एप का निर्माण किया गया है।

राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र तथा गंतव्य राज्यों में प्रदेश के श्रमिकों के हित संरक्षण हेतु प्रवासी श्रम सहायता केंद्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

ई-गर्वनेंस की पहल के कार्यान्वयन की उत्कृष्ठता को पहचानने और बढ़ावा देने के लिये government of India ने हमारी छत्तीसगढ़ राज्य को ई-श्रमिक सेवा में पूरे देश में सबसे पहला स्थान दिया है, इस राज्य को गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया है। जिसके लिये हमारे प्रदेश को पुरस्कार राशि भी प्राप्त हुई है।

माननीय सभापित महोदय, नई पहल के रूप में हमारी छत्तीसगढ़ दुकान स्थापना अधिनियम 2017 एवं 2021 अधिसूचित की गयी है। इस अधिनियम के लागू होने से प्रदेश में श्रमिक नियोजित नहीं करने वाले स्थापनाओं एवं 10 से कम कर्मचारी नियोजित करने वाले दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं को अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ पंजीयन में छूट प्रदान की गयी है।

माननीय सभापित महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा उपरांत श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ के भवन सिन्नर्माण कर्मकार मण्डल एवं संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत निमार्ण एवं संगठित महिला श्रमिकों को प्रसूति के दौरान, बच्चे के जन्म के कारण अवकाश में रहने पर, होने वाले वेतन मजदूरी की क्षितिपूर्ति के रूप में प्रावधानित अनुदान राशि 10 हजार रूपये में वृद्धि किया जाकर 20 हजार रूपये किया गया है।

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना प्रारंभ की जाकर पंजीगत निर्माण श्रमिकों के दो अविवाहित पुत्रियों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, रोजगार अथवा स्वरोजगार अथवा विवाह हेतु 20-20 हजार रूपये प्रदान किया जा रहा है।

माननीय सभापित महोदय, हमारे नगरीय निकाय विभाग में जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस समय 2001-02 में, उस समय का बजट प्रावधान मात्र 167 करोड़ 38 लाख रूपये था और बी.जे.पी. सरकार के समय में 2017-18 में 3416 करोड़ रूपये था। इस साल हम लोगों का बजट प्रावधान 38 सौ 48 करोड़ 28 लाख रूपये है।

समय:

5.00 बजे

जो इनके समय में बजट था, उससे 450 करोड़ रूपये से अधिक है। पिछले साल जो 3591 करोड़ रूपये का बजट था, उसमें इस साल 256 करोड़ रूपये की वृद्धि की गई है। माननीय सभापित महोदय, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के निवासियों के जनादेश से चुनी गई है तथा अब हमारा कर्त्तव्य है कि हम नगरीय प्रशासन विकास विभाग में जनआंकाक्षाओं में अनुरूप परिणाम मूलक कार्य करें। हमारी सरकार ने वर्ष 2022-23 के राशि 3448 करोड़ रूपये का प्रावधान नगरीय निकायों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु रखा है इस राशि में चुंगी क्षतिपूर्ति खत्म करने कारण अधोसंरचना विकास, राज्य प्रवर्तित योजना एवं नगर विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता तथा निकायों की स्थापना हेतु ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आप जितना पढ़ रहे हैं वह हम प्रतिवेदन में सब पढ़ चुके हैं।

- श्री नारायण चंदेल :- आप पारित करिये।
- डॉ. शिवक्मार डहरिया :- आप पढ़ च्के हैं।
- श्री शिवरतन शर्मा :-हां, सभी लोगों ने पढ़ लिया है।
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप गड़बड़ समाचार पढ़ते हो तो मैं आपको सही समाचार सुना रहा हूँ।
- श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं। हम पारित कर रहे हैं।
- डॉ. शिवक्मार डहरिया :- हां, ठीक है। यह पारित तो होगा ही।
- श्री शिवरतन शर्मा :- आप बोलिए ग्लाबी गांधी की...।
- श्री नारायण चंदेल :- आप पारित करवाईये।
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप तो विरोध करने वाले हो। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत हमारे 14 नगर निगमों में 7 मोबाईल मेंटल यूनिट चालू था, हम उसको सभी नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में भी ले जा रहे है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत 102 से अधिक सेवाओं को हमारे घर पहुंच सेवा के तहत उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। धनवंतरी जेनेरीक मेडिकल स्टोर योजना के तहत जो हमारे सभी निकायों में प्रारंभ किया है 50 से 60 प्रतिशत छूट पर जेनरिक ब्राण्डेड दवाईयां उपलब्ध करायी जा रही है।

समय:

5.02 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत मिशन के तहत केन्द्र सरकार ने पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को लगातार तीन साल प्रथम पुरस्कार दिया है। लगातार तीन बार पूरे देश में पहला आने वाला छत्तीसगढ़ राज्य ही है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की स्थिति आपके समय में क्या थी? उस समय में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं होता था। यदि कहीं 5 गलियां हैं तो केवल 2 गलियों में जाते थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट। तें पुरस्कार के बात करत हस ना। भांटापारा नगरपालिका ला घलोक पुरस्कार आए हे, तोर अधिकारी मन ला भेज। अउ अध्यक्ष के वार्ड ला चेक करा कि कतक साफ सुथरा हे? खाली अध्यक्ष के वार्ड ला, में कोनो दूसर वार्ड के बात नइ करत हों। खाली सेटिंग वेटिंग करके ले आए हो। अब सेटिंग वेटिंग में तो मास्टर आदमी हो।

संसदीय सचिव, स्कूल शिक्षा मंत्री से संबद्ध (श्री द्वारिकाधीश यादव) :- इसका मतलब है कि केन्द्र सरकार में सेटिंग होती है?

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे अधिकारी स्तर में सब सेटिंग वेटिंग हो जथे, आप कहां लगाए हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो स्वच्छता का सर्वे होता है यह पूरे विश्व में सबसे बड़ा सर्वे है और इसको सर्वे मोदी जी कराते हैं, मैं नहीं कराता।

श्री शिवरतन शर्मा :- महापौर कह रहा है कि मेरे वार्ड में कचरा पड़ा है। गंदगी का ढेर है। रायपुर के महापौर का कथन सार्वजनिक समाचार पत्रों में छपा है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मोदी जी सेटिंग वाले हे का?

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय मोदी जी हमसे सेट हो जा रहे हैं, वह आपसे क्यों सेट नहीं हो पा रहे हैं?

श्री अमरजीत भगत :- आप माननीय मोदी जी को सेटिंगबाज बोल रहे हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं। यह हमने नहीं कहा।

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे तो माननीय मोदी जी ही कराते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- आप जल्दी उसराओ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय शिवरतन शर्मा जी ने कहा कि सेटिंग की बात है। माननीय अध्यक्ष जी यह रिकॉर्ड में आया है यह मोदी जी को सेटिंगबाज बोल रहा है। इनको मोदी जी पर भरोसा नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :-माननीय दादी, आप होली में क्या छूट देंगे, यह तो बता दीजिए?

श्री शैलेश पाण्डे :- सुनिये, सुबह से गुलाबी नोट, गांधी जी बांटने में लगे हुए हैं तो उनसे ही संपर्क करिये।

अध्यक्ष महोदय :- आपको सबका विश्वास प्राप्त हो गया है। आप जल्दी करवा दीजिए।

=डॉ. शिवकुमार डहरिया:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी कर देता हूँ। एमन जे बोले हे तेखर जवाब भी दे देथो। हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी बोल रहे थे कि पट्टा नहीं मिला।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोग जो बोले हैं उसका ही जवाब दे दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- माननीय अध्यक्ष महोदय, गोल बाजार का व्यवस्थापन नहीं हुआ। गोल बाजार के व्यवस्थापन के लिए, इन्हीं लोगों ने गोल बाजार को वर्ष 2012 में बेचने का प्लान बनाया था। हम पट्टा दे रहे है इन लोगों ने कहां पट्टा दिया? राजीव आश्रय योजना के तहत जो शहर में लोग रहते हैं, जिस स्थान में है उस स्थान में हम लोगों ने पट्टा दिया है। इन लोगों ने 15 सालों में पट्टा दिया हो तो बता दें । जो पट्टा पहले दिया गया था, उसका नवीनीकरण तक इन लोगों ने नहीं किया। इन लोग गरीब लोगों के साथ अन्याय करते हैं और यहां बड़ी-बड़ी भाषण देते हैं और सेटिंग तक पहुंच गए हैं। मोदी जी भी सेटिंग करते हैं, बोलते हैं। सर्वे तो मोदी जी कराते हैं, हम लोग थोड़ी सर्वे करते हैं।

श्री कवासी लखमा :- शिवरतन जी, मोदी जी सुन लेंगे तो क्या होगा ? अभी आपके प्रभारी यहीं घूम रहे हैं। सेटिंगबाज मत करना। बीजेपी कांग्रेस से सेटिंग कर रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहिरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी बोल रहे थे कि हमने टेंडर निकाला था, आपने निरस्त कर दिया, 15 साल खाली टेंडर ही निकालते रहे, कभी टेंडर पास नहीं कर सके। 15 साल क्या कर रहे थे ? खाली टेंडर-टेंडर करते रहे। आप लोगों ने दूसरा कुछ काम नहीं किया। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी नई राजधानी की बात कर रहे थे। इन लोगों ने 2012 में घोषणा और वादा किया। इनके मुख्यमंत्री जी किसानों के साथ बैठकर हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, सारी घोषणाएं इन लोगों ने की, उसको पूरा नहीं किए, नया राजधानी बसाए तो वर्ष 2012 से 2018 तक सो रहे थे क्या ? उनकी समस्या का समाधान आपको करना था। आपने नहीं किया। हमारी सरकार ने सुना, कमेटी बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उन लोगों की बातों को सुना और उनकी 8 में से 6 मांगों को हम लोगों ने पूरा किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग इनका पाप धो रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) पाप ये करेंगे और उसको ठीक करने का काम हमारा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, चुनाव के पहली सबे झन गे रेहेव। अऊ चुकता मांग पूरा करे के बात करे रेहेव। तो 6 ठिन ला काबर पूर करेव, पूरा ला पूरा करना रिहिस। अपन जबान ले तुमन पलटे हो, हमन नई पलटे हन।

डॉ. शिवकुमार इहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नया राजधानी में जो बसे हैं, उनको पट्टा देने की बात इन लोगों ने कही थी। वह पट्टा तक नहीं दिया। 1200 Squaire फीट भूमि देने की बात इन लोगों ने कही थी, इन लोगों ने नहीं दिया। हम लोगों ने यहां पर जो बसे हैं, उनको पट्टा देने का आदेश कर दिया। हम लोगों का पट्टा बन भी गया, हम लोग पट्टा बांटने वाले हैं। इन लोगों ने 1200 Squaire बोला था, उसको हम लोग 2500 Squaire फीट तक जमीन दे रहे हैं। जो आवासीय हैं, जहां कब्जा है, उसको हम लोग 2500 Squaire फीट तक जमीन दे रहे हैं, इन लोगों ने तो 1200 Squaire फीट ही बोला था, उसको भी नहीं दिए। दुकान शेड बनाए थे तो इन लोगों ने कहा था कि हम 70 प्रतिशत दुकान शेड और स्थानीय प्रभावित लोगों को देंगे। जितना बनाएं थे, एक भी नहीं दिया, इन लोगों ने बाहर-बाहर के लोगों को बेच दिया। वहां जो प्रभावित लोग हैं, उनको हम लोगों ने पूरा 100 प्रतिशत शेड और दुकान का आबंटन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदेश हो गया है। इन लोगों ने

वार्षिकी राशि का भुगतान नहीं किया। वार्षिकी राशि क्षितिपूर्ति के रूप में प्रतिवर्ष 15 हजार रूपए देना था, उनको नहीं दिया और यह फर्जी बना दिए। जो असिंचित थे, उनको सिंचित बनाकर दे रहे हैं। आडिट आपित लगा है। मान लो, 5500 लोगों में 285 लोगों की आडिट आपित है, हम लोग उसका भी निराकरण करके दे रहे हैं। सारे लोगों को मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने 15 साल तक उनकी जमीन की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस जमीन की जरूरत नहीं है, उसकी भी खरीदी बिक्री की अनुमित कलेक्टर से लो, एन.आर.डी.ए. में चक्कर लगाओ। लेयर वन, को छोड़कर सारी जगहों का 41 गांव में मात्र 14 गांव को छोड़कर सभी जगह खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया है। उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हो गया, पास करा लीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बता रहा हूं, बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी...।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी कह रहे हैं, अब हो गया, हम पास कर देते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, एमन थोड़ा सुनाय हे ता अपन बात ला सुन तो ले। अभी तो एक पाव नई होय है। सुनाहूं ता बहुत अकन है।

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, पूरा पांच घंटे सूने हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, पाव और बोतल हमारे पास नहीं है, उधर मिलती है। (हंसी) वहां से प्राप्त करो।

श्री शैलेश पाण्डे :- आज पूरा सुनने में पांच घंटा लगाया है, थोड़ा सा जवाब देने दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहिरया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके पूर्व मुख्यमंत्री और नेता जी भी बोल रहे थे, बृजमोहन भैया भी बोल रहे थे कि आपने बजट में राशि कम कर दी । हमने बजट में राशि कहां कम की है ? आप लोग जब आये उस समय 132 करोड़ का बजट था और आज हम लोगों ने श्रम विभाग का बजट 215 करोड़ रूपये बढ़ाया है । कितना बढ़ा है ? आपसे डबल । आप बोल रहे थे कि इस साल 50 करोड़ रूपये बजट में कम कर दिया गया । जो नियम है उस नियम का पालन ये लोग नहीं कर रहे थे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी बीमा सोसायटी का गठन इन लोगों के करने का था लेकिन इन्होंने नहीं किया । हमने उसको किया और कर्मचारी राज्य बीमा सेवा के अंतर्गत होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी बीमा सोसायटी करेगी । उसमें 59 करोड़ 71 लाख रूपये की बचत हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को होगी तो इसीलिये बजट कम कराया है, इसकी राशि उधर से मिलेगी । बृजमोहन जी से लेकर हमारे नेता यूजर चॉर्ज के बारे में भाषण दे रहे थे । यूजर चॉर्ज लेने का नियम किसने बनाया ? वर्ष 2017 में यूजर चॉर्ज लेने का नियम भारतीय जनता पार्टी ने

बनाया, उसकी सरकार ने बनाया और दर भी इन्हीं लोगों ने तय की और ये जो दर बनाये हैं, जो नियम बनाये हैं उसी का विरोध ये स्वयं कर रहे हैं। जो नियम बने हैं और दर भी इन्हीं लोगों ने तय की है। ये स्वयं यहां पर रोज उसी दर और उसी नियम का विरोध कर रहे हैं। इनके नगर-निगम, नगरपालिका में इनके महापौर और अध्यक्ष लोग कर रहे हैं तो विरोध तो इन्हीं का है न, हमने तो उसे नहीं बनाया। अभी हम बीच में इसे नहीं ले रहे थे लेकिन केंद्र की सरकार ने कहा, मोदी जी की चिट्ठी आयी कि अगर आप यूजर चॉर्ज नहीं लेंगे तो हम एस.बी.एम. का काम बंद कर देंगे, उसमें जो पैसा देते हैं उसको बंद कर देंगे तो भैया हमको तो लेना है, हमको तो अच्छा काम करना है तो इसलिये यूजर चॉर्ज लेने का प्रावधान तो पूरे देश में है। यह केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है और यूजर चॉर्ज के बारे में आपको बताउं तो यह मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ से ज्यादा है, इंदौर में सबसे ज्यादा है। आपके उत्तरप्रदेश में ज्यादा है, आपके भारतीय जनता पार्टी शासन में जहां-जहां है वहां सबसे ज्यादा यूजर चॉर्ज लिया जाता है, हमने छत्तीसगढ़ में यूजर चॉर्ज नहीं बढ़ाया। जो आपने नियम बनाया है हम उसी यूजर चॉर्ज को ले रहे हैं। ये यूजर चॉर्ज के बारे में बात करते हैं, सब इन्हीं का किया-धरा है और झंझट आयेगा तो हमारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनियमित निर्माण। बोलते हैं कि अनियमित निर्माण हो गया तो उसे तोइ दीजिए तो 15 सालों में अनियमित निर्माण किसने किया? बृजमोहन अग्रवाल जी शहर के विधायक हैं और वे बड़े मंत्री रहे हैं। सारा अनियमित निर्माण इन्हीं के समय में हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलत हंओं कि जोन अभी अनियमित निर्माण चलत हे ओला रोकओ । ओला काबर नइ रोकत हओ । मैं हा तोरे बर नइ बोले हंओं, मैं बोलत हंओं जो अनियमित निर्माण चलत है, रेगुलर आप कौन ला कर सकथओ ? विधानसभा मा कानून लात हओ उही ला कर सकथओ जो निर्माण होगे हे लेकिन अभी जो अनियमित निर्माण चलत हे ओला रोके बर मैं बोलत हंओं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अच्छा, जेन अनियमित वाला तें बनाये हस तें निर्माण बने रहय ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तोला तोड़ना हे ता तोड़ दे, तोला कौन रोकत हे ? तोला तोड़ना हे ता तोड़ दे न । मैं तोर पास नइ आहं कि एक भी निर्माण ला मत तोड़ । मैं तोर पास नइ आहं ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आपके बोलने से थोड़ी न तोड़ेंगे, नियम-कानून से तोड़ेंगे ।

🕶 खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- हमर सरकार हा तोड़े-फोड़े वाला नइ हे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अवैध निर्माण ला प्रोत्साहित मत करओ । जेन बनत हे न तो ओला वहीं रोक दओ ता अवैध रूक जही । सबसे बड़े बात ये है कि प्रभावशाली मन अवैध निर्माण करत हे । डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोगों ने जो अनियमित निर्माण करवाया है उसको भी हम लोग नियमित रोकेंगे । अभी इसमें बिल ला रहे हैं । हम लोग तोड़फोड़ करने वाले नहीं हैं । जो काम आप लोगों ने किया है उसका भुगतान हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, पता नहीं क्या-क्या किये हो ? आप लोग नक्शा पास करने की बात करते हैं कि नक्शा पास में ऐसा हो गया, वैसा हो गया । हमारे यहां 5000 स्क्वेयर फीट तक ऑनलाईन नक्शा पास हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि इसका पहले कर दिया, उसका बाद में कर दिया । कहां कर दिया ? क्या आपके पास एकाध उदाहरण है ? आप मुझे बता देना, मैं उसे देख लूंगा । नक्शा पास करने में एक मिनट नहीं लगता ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक नहीं सौ उदाहरण हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एक मिनट नहीं लगता और हम कितना पैसा लेते हैं ? हम एक रूपये नक्शा पास करने का लेते हैं । 5000 स्क्वेयर फीट तक का एक रूपये लेते हैं और आपके समय में क्या होता था ? उनको कुछ पता नहीं है। कितना-कितना लेते थे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रायपुर में पिछली 3 बार से आपके महापौर हैं। हमारे नहीं हैं। पिछले 15 साल से आपके महापौर हैं। तो लेते थे तो वही लेते थे। कांग्रेसी महापौर थे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये बोल रहे थे कि आर.आई. को प्रभारी बना देते हो। इंजीनियर नहीं है। 15 साल क्या कर रहे थे? आपने 15 साल में एक ठोक भर्ती किया। सारे सी.एम.ओ. रिटायर हो गये। इंजीनियर रिटायर हो गये।

श्री कवासी लखमा :- 15 साल किसका था?

डॉ. शिवकुमार डहिरया :- हमने 100 नये इंजीनियर लोगों को नियुक्ति दी है तो आज स्थिति ठीक है। सी.एम.ओ. है ही नहीं। हमने अभी किया है। पी.एस.सी. के माध्यम से कुछ लोगों की नियुक्ति की है और जो पद खाली हैं, उनको भी भरने की प्रक्रिया सरकार में चल रही है।

श्री कवासी लखमा :- क्यों नहीं किये?

डॉ. शिवकुमार इहिरया :- तो किये क्यों नहीं? आप लोगों को 15 साल का समय दिया गया था। 15 साल में कुछ नहीं किये। एक ठोक भर्ती नहीं । क्या कर रहे थे? सारे लोग रिटायर हो गये। वो तो गनीमत है कि हम और नीचे वाले को नहीं बनाये। तुम्हारे समय में है। सामुदायिक संगठक को जो प्लेसमेंट का कर्मचारी है, आप लोग उसे सी.एम.ओ. बनाते थे। सामुदायिक संगठक प्लेसमेंट का कर्मचारी है, उसे इन लोग सी.एम.ओ. का चार्ज देकर रखे हैं और हमें बोलते आ रहे हैं कि इन्हें बना दिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- इनकी सरकार में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी से नीचे को नहीं बनाये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, बोले बर तो अब्बड़ अकन हे। बोलहूं तो टाइम लग जाही, एखर मन सही बोलहूं तो।

अध्यक्ष महोदय :- 3 मंत्री और बचे हैं। आप बस समाप्त कर दो।

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- चल ठीक हे।

अध्यक्ष महोदय :- आज बह्त चर्चा हो गई।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी के ऊपर कुछ तरस खा लो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमर वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक में स्वीकृत राशि के अनुदान मांगों के बारे में जो हमारे विभाग का है, वह प्रस्ताव पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22, 69, 81 एवं 18 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

- मांग संख्या 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए- तेरह करोड़, पचहत्तर लाख, इकहत्तर हजार रूपये,
- मांग संख्या 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिये-आठ सौ अड़सठ करोड़, छियानबे लाख, बहत्तर हजार रूपये,
- मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये- दो हजार छ: सौ इकतालीस करोड़, सत्तावन लाख, बारह हजार रूपये तथा
- मांग संख्या 18 श्रम के लिये- एक सौ छप्पन करोड़, चार लाख, सत्रह हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। (मेजों की थपथपाट)

अध्यक्ष महोदय :- मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ताली बजाइए। (मेजों की थपथपाहट) उमेश पटेल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डहरिया जी बधाई हो। ग्लाबी गैंग की सेवा करो।

(2) मांग संख्या 47 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मांग संख्या 44 उच्च शिक्षा मांग संख्या 46 विज्ञान और टेक्नालॉजी मांग संख्या 43 खेल और युवक कल्याण

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए-तीन सौ इक्यासी
		करोड़, इकतीस लाख, चालीस हजार रूपये,
मांग संख्या	44	उच्च शिक्षा के लिये- आठ सौ सत्तावन करोड़, सत्तानबे लाख, नब्बे हजार रूपये,
मांग संख्या	46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिये-पचीस करोड़, पैंतीस लाख रूपये तथा
मांग संख्या	43	खेल और युवक कल्याण के लिये- सत्तर करोड़, अट्ठाईस लाख, पैंसठ हजार
		रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत् होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितिरत की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत् किये जाने हेतु सहमित देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत् हुए माने जाएंगे ।

मांग संख्या 47 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

1.	श्री धरमलाल कौशिक	5
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	9
3.	श्री अजय चन्द्राकर	7
4.	श्री शिवरतन शर्मा	15
5.	श्री धर्मजीत सिंह	1
6.	श्री नारायण चंदेल	1
7.	श्री रजनीश कुमार सिंह	2

8.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	5
9.	श्रीमती इंदू बंजारे	1
	मांग संख्या 44	
	उच्च शिक्षा	
1.	श्री धरमलाल कौशिक	3
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	4
3.	श्री पुन्नूलाल मोहले	1
4.	श्री अजय चन्द्राकर	2
5.	श्री धर्मजीत सिंह	1
6.	श्री शिवरतन शर्मा	9
7.	श्री डमरूधर पुजारी	2
8.	श्री रजनीश कुमार सिंह	2
9.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1
10.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	2
11.	श्रीमती इंदू बंजारे	2
	मांग संख्या 46	
	विज्ञान और टेक्नालॉजी	
1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	2
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री शिवरतन शर्मा	5
	मांग संख्या 43	
1.	खेल और युवक कल्याण श्री धरमलाल कौशिक	7
1. 2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	7
2. 3.	· ·	4
J.	श्री पुन्नूलाल मोहले	4

4.	श्री अजय चन्द्राकर	3
5.	श्री धर्मजीत सिंह	1
6.	श्री शिवरतन शर्मा	8
7.	श्री रजनीश कुमार सिंह	4
8.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साह	1

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत् हुए । अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी । श्री अजय चन्द्राकर (मेजो की थपथपाहट) ।

आज यह प्रदर्शित कर दीजिए कि उच्च शिक्षा विभाग में आप सबसे कम कितने मिनट में बोल सकते हैं, प्रदर्शित कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद):- आप जैसा कहें, जितने देर कहें, मैं उतनी देर बोल्ंगा । अध्यक्ष महोदय :- संक्षिप्तीकरण का उदाहरण प्रस्तृत् करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे स्बह भी कहा था कि केवल इस मंत्री के सामने ही मैं बोलने में असहज रहता हूं । इस निरंपराध, निर्दोष माननीय मंत्री जी ने प्रथम प्रयास में अपने पिताजी के नाम से विश्वविद्<mark>यालय बनाने</mark> की कोशिश की, मैं कोशिश कह रहा हूं । उसका वार्षिक प्रतिवेदन मेरे हाथ में है। इससे पहले मैंने ही प्रतिवेदन में चर्चा मांगा था। आज प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं मांग रहा हूं । इसलिए नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि यह चर्चा करने लायक प्रतिवेदन ही नहीं है । लेकिन आपको बता दूं कि दूसरी यूनिवर्सिटी आई है उसके भी अधिनियम में हमने मूल अधिनियम आपको कहा था, उसका प्रतिवेदन इन तीन सालों में एक भी दिन नहीं रखा गया है । जब हमने उसको विधान सभा में पास कर दिया, उसका प्रतिवेदन रखा जाना है । मैंने नहीं देखा कि वानिकी वाला प्रतिवेदन एक भी साल रखा गया होगा । मैं केवल कुछ चीजें आपके ध्यान में ला देता हूं । कहां से शुरू करूं, सबसे पहले उच्च शिक्षा की नीति आई 2020 में । माननीय मंत्री जी, मोदी सरकार ने 30 साल बाद नीति लाई । 30 साल के इस दौर में हम लोग उदारीकरण से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, बहुत सारी चीजों से हमारा नवाचार हो चुका था । आप मुझे यह जरूर बताइएगा कि नई शिक्षा नीति के प्रकाश में आप क्या कर रहे हैं ? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जैसे स्किल गैप छत्तीसगढ़ में कितना है ? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि पिछले सत्र में प्रेमप्रकाश पाण्डेय उच्च शिक्षा मंत्री थे । आप भी इस सत्र में कई बार कह चुके हैं, उस समय लगभग 910 पदों पर भर्ती होनी थी, अब वह लगभग 1300 पह्ंच गई । 3 सालों से आप कह रहे हैं कि पी.एस.सी. आज होगी, कल होगी, परसों होगी। उसमें कॉलेज ख्लती है तो पदों की संख्या उसमें घटते-बढ़ते रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरि अनंत हरि कथा अनंता। 13 हजार शिक्षकों की भर्ती हो गई। कितने की हो गई है, कितने की नहीं हुई है, यह आप जानेंगे। दूसरा,

एज्केशन क्वालिटी। न आपके पास फेकल्टी है और न ही आपके पास पैसे हैं। यदि आप काम करना चाहते हैं तो जहां पर एजुकेशन क्वालिटी Poor है, वहां आप क्या कदम उठा रहे हैं, खराब रोजगार क्षमता, जो कस्त्री गंगन कमेटी में जो प्रमुख बाते हैं। आपके पास 14 प्रतिशत एज्केशन संस्थाओं के पास पासिंग मैप मूल्यांकन हैं। मेरे पास काम किए ह्ए एक-दो अधिकारी उधर दिख रहे हैं। मैंने ब्रेन स्टार्मिंग करवायी थी कि उच्च शिक्षा क्या होनी चाहिये और उच्च शिक्षा को हम ले जाना चाहते हैं, कहां है और जो टीचर्स हैं, जो शिक्षाविद् हैं, वह हमारे पास वेतन विसंगति, स्नातकोत्तर प्राचार्य या यह गेप और वह गेप। मैं ऐसे शिखाविद् से मिलना चाहता हूं जो मुझे उच्च शिक्षा के बारे में बात करें। दुर्भाग्य है कि एक बादमी के छोड़ मुझे दूसरा आदमी नहीं मिला, जो अपनी समस्याओं से ग्रस्त न रहा हो। एक आदमी के छोड़। एक आदमी का नाम अकेले में बता दूंगा। कोर्स - तीन साल में आपने एक भी कोर्स नहीं खोले हैं। कोर्स, मतलब आप यह समझिये कि निजी विश्वविद्यालय को जिस दिन हमने रखा। मैं आपको बता दूं, आज मेरा आरोप-प्रत्यारोप का मूड नहीं है। मेरा दिमाग किसी दूसरी दुनिया में चल रहा है। 110 से लेकर 125 प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। एक लाख से ऊपर बच्चे थे। मैं उच्च शिक्षा मंत्री था। स्प्रीम कोर्ट ने टर्न आउट कर दिया। नया यूनिवर्सिटी बनाना है और एक लाख से ऊपर बच्चों का भविष्य भी स्रक्षित करना है। जो छत्तीसगढ़ का नया एक्ट बना। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकाश में वह आज पूरे देश में चल रहा है। यही से ही ले गये जो लोग ले गये वो। तो आप जो कोर्स खोल रहे हैं। आपने कमेटी बनाई होगी। आप आई.टी.आई. वाली जो रोजगार प्रशिक्षण देखते हैं उनसे पूछियेगा। मैं डॉ. रमन सिंह जी के पास एक एज्केशन मैप लेकर गया। बहुत खुश थे, मोहन मरकाम जी रहते तो मजा आता है स्नने में। बस्तर के वीर हैं। बस्तर नरेश। स्कमा, बीजाप्र, देवभोग, नारायणप्र, यह सब कॉलेज मेरे खोले हुए हैं। गरियाबंद, मैनपुर, आई. टी.आई. मैनपुर और सभी जगह जो दूरस्थ अंचल में हैं। मैंने एजुकेशन मैप में दिखाया, ये देखिये और आपने जो गवर्नर से जो भाषण पढ़वा दिया न, तीन से 18 परसेंट पहुंच गये हम लोग। आपको बह्त ईमानदारी से बता रहा हूं। आपकी सभा विद्वानों की सभा है। कुछ सभाएं जो बह्त विद्वान लोग बैठते थे। राजा जनक के सभा से अष्टावक्र गीता निकल गई। यहां ऐसे-ऐसे विद्वान लोग हैं । तो 3 प्रतिशत नहीं था जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री बना 15 परसेंट के अंदर जब रिसफर ह्आ तो मैंने यही पूछा जी.आई.आर. छत्तीसगढ़ में कितना है? तो आपको आश्चर्य होगा कि विभाग को मालूम नहीं था। आपको स्नकर आश्चर्य होगा और आप जो 3 प्रतिशत से 18 प्रतिशत बोले, तो 3 प्रतिशत नहीं था वह डेढ़ से दो प्रतिशत के बीच में था। अब आपने इसमें 18 प्रतिशत लिखवा दिया। यदि आप निजी को जोड़ोगे तो हम भारत के समकक्ष आजू बाजू पह्ंचेंगे। यदि निजी को जोड़ोगे तो। अब मैं इसको राजनीतिक रूप से ऐसा बोलता हूं। जब आप इसको गवर्नर साहब के एड्रेस में पढ़वाते हो। तो भूपेश बघेल जी ने शपथ लिया और सारी सृष्टि ज्ञानमय, विद्वानमय हो गई और अचानक छत्तीसगढ़ का जो जी.आई.आर. है, वह बढ़ गया। छत्तीसगढ़ म बोलबो तो हमन कांदा कोड़त रहेन।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष जी, यह बिना प्रोफेसर के कॉलेज खोले थे। यह जितने कॉलेज खोले थे, उनमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर ही नहीं थे। यह कॉलेज खोले थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं मैप लेकर दिखाया तो छत्तीसगढ़ की पहली समस्या थी, यहां क्षेत्रीय असंत्लन बह्त था। क्षेत्रीय असंत्लन में, मैंने कहा कि आप सोशल सेक्टर में काम ही नहीं कर रहे हैं। जब पूरी चीजें दिखाई तो रिकार्ड तोड़ कॉलेज, रिकार्ड तोड़ आई.टी.आई., रिकार्ड तोड़ इंजीनियरिंग कॉलेज, रिकार्ड तोड़ पॉलीटेक्निक और मैं अभी पॉलीटेक्निक में आता हूं। कितने सीटें बढ़ी हैं, उनको वह सब मालूम है। अब जो भी खुला, कोर्स नहीं होना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लाना। जहां से मैं बोल रहा था कि आप यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त दो। सरकार कोर्स नहीं है और जो डिमाण्ड ओरिएंटेड, मतलब जॉब ओरएंटेड कोर्स हो, आप उसको लाइये। 3 साल में कोई कोर्स आया ? मैं आई.आई.टी. रोजगार के प्रशिक्षण की बात कर रहा था। आप रायगढ़ में कौन-कौन से ट्रेड खोलेंगे? रायगढ़ में किस तरह के उद्योग हैं ? जितने ट्रेड हैं, यहां एक-दों अधिकारी बैठे हैं उनको मालूम है कि मिल ड्राइवर और बायलर अटेन्डेन्ट भी यहां पंजाब से आते थे। मैंने खड़कप्र आई.टी.आई. से उसके लिए एग्रीमेंट किया कि आप कोर्स बनाइये। यहां छत्तीसगढ़ के लोग रहने चाहिए। जब मैं बताया कि जी.आई.आर. डेढ़ से दो परसेंट के बीच है तो वह आज तक लेजिस्लेटिव इतिहास है। एक दिन में 3 यूनिवर्सिटी लेजिस्लेट हुईं और उसी दिन हमने 2 यूनिवर्सिटी की ऑफ कैम्पस खोलने की घोषणा की। क्शाभाऊ ठाकरे, स्वामी विवेकानंद, स्ंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी है। ऑफ कैम्पस ख्लेगा, आगे चलकर संसाधन होगा। हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जगदलप्र का ऑफ कैम्पस ख्ला। सरग्जा में ऑफ कैम्पस खुला। आप बोलते हैं 20 साल, मैं कांदा कोड़ने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आज दूसरी मानसिकता में था इसलिए। मैं सहिष्णुता की बात बता देता हूं। उस समय आपने नये जिले बना दिये। माननीय अधिकारी जो बैठे हैं मैं इन लोगों से पूछा था। तकनीकी शिक्षा रहित कितने जिले हैं?ये बोले 5 जिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आरोप लगाते हैं केंद्र ऐसा कर दिया, वह ऐसा कर दिया। केंद्र ने कूद दिया। जब छत्तीसगढ़ के हितों की बात आती है या तो आप हर बात में राजनीति कर लीजिए और यहां नहीं तो जहां जरूरत है, वहां पर सिहण्ण्ता, राजनीतिक सिहण्ण्ता दिखाइये। मैंने ग्रू जी से कहा कि ग्रू जी यदि आप नाराज हैं तो मैं उसके लिए आपको स्वारी बोलता हूं करके...।

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- एस.आई.आर.डी.। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वामी विवेकानंद यूनिवसिटीं को ओपन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को आमंत्रित किया और मुझे उनके साथ दुर्ग से रायप्र तक आने का मौका मिला। उस दिन घटना क्या घटी, मैं आज नहीं बता सकता। मेरे पास फोन आया कि प्रधानमंत्री जी जल्दी आना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में ह्ल्लड़ हो गया था। एक आदमी ने ह्ल्लड़ कर दिया था। दूसरी बात, जिससे मैं आपको अवगत करवाना चाहता हं, मैं उस दिन श्रद्धांजित में बताया था, मैं लता मंगेश्वर जी से संपर्क किया कि आपको डिलीट दिया है आप दीक्षांत समारोह में आइये। वह किन्हीं कारणों से नहीं आ पाईं। जो भी कारण था। जब मैं कैट की बैठक में गया, उसी दौरान मैंने अर्जुन सिंह जी से आग्रह किया किया आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। खरसिया से यदि चुनाव लड़े हैं तो आप छत्तीसगढ़ आइये। दीक्षांत समारोह में आपकी रूचि भी है, कला में। मेरी जो भी बात ह्ई, वह आये। मैंने जो-जो मांग की, वह मेरी सारी मांगों को पूरा किये। इसको इस बिल्डिंग को हैरीटेज स्टाइल में ही रखना है लेकिन मरम्मत करना है कितने पैसे का इस्टीमेट है ? मैं बोला कि साढ़े 10 करोड़ रूपये से कुछ ऊपर है, स्वीकृत। मैं बोला कि मेरा 5 जिला तकनीकी शिक्षा विहीन हैं, स्वीकृत। कोरिया, दंतेवाड़ा, आपका जांजगीर पॉलीटेक्निक कॉलेज, कांकेर का पॉलीटेक्निक कॉलेज उसी समय का है। मुझको टसल टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे उसमें आपकी केंद्रीय मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं फैकल्टी पैदा नहीं कर सकता। वहां के लिए टसल टैक्लोलॉ<mark>जी स्वी</mark>कृत, कि छत्तीसगढ़ के लिए तैयार हो। यहां तो राजनीतिक सहिष्ण्ता कहां है?यहां तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में जो कमियां बतायी गई है, यहां रिसर्च बिल्कुल नहीं है । यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अन-बैलेंस ठीक करेंगे, आपने भी दो यूनिवर्सिटी बनाईं तो यूनिवर्सिटी का मतलब परीक्षा लेने वाली संस्था । नवाचार के लिए कोई जगह नहीं है । माननीय मंत्री जी, मुझे क्षमा कर देना । आप खड़गप्र आई.आई.टी. को बोलिए कि चरवाहा का एक कोर्स यहां फ्रेम कर दें, पूरे छत्तीसगढ़ में उसकी जरूरत है । कैसा लौड़ी होगा, कैसा ठ्मरी होगा, बरसात में कैसे दिखेंगे, किस तरह से बरदी चराना है, क्या चराना है, उसको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, यह आप करवा लीजिए । इससे ज्यादा छत्तीसगढ़ की सोच नहीं है और इसलिए सोच नहीं है तो हमने क्छ नहीं किया । जितने राष्ट्रीय संस्थान् हमने बनाये हैं, जब सबसे पहले एन.आई.टी. बनी तो हमने सबसे पहले ए.पी.जे. अब्दुल कुलाम साहब को लाया था, हमने कहा कि आप आईए, आप एन.आई.टी. के दीक्षांत समारोह में भाषण दीजिए । उसी दौरान उन्होंने विधानसभा को संबोधित किया था । आई.आई.एम., ट्रिपल आई.टी., केन्द्रीय यूनिवर्सिटी, व्यापक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, सैनिक स्कूल, जितनी भी संस्थाएं आपको जोड़नी है, वह जोड़ लीजिए । सब भाजपा शासन और इसमें श्रूआत में आई.आई.एम. के लिए मैंने चिट्ठी लिखी थी । उस समय मैं सदन में नहीं था, लेकिन इन संस्थाओं में प्लेसमेंट आता है । प्लेसमेंट के लिए बाहर की कम्पनियां आती हैं या एडवांश कम्पनियां आ जाती हैं । ग्रूदेव, मैं आपके अवलोकनार्थ एक पेपर भेज रहा हूं, आप उसको अवलोकन कर लीजिएगा । मुख्यमंत्री रोजगार मिशन बनाये हैं और रोजगार दिए हैं, वह आज की परिशिष्ट में है । यह छत्तीसगढ़ के साथ मजाक है, यह रोजगार मिशन हमको बेवकूफ बनाने का तरीका है। किस संस्था में, किन पदों में रोजगार दिए हैं, अगर

आप इसे देखेंगे तो हसेंगे । क्या छत्तीसगढ़ के लोग नरवा, गुरुवा, गरुवा, बारी इसी नारा के लिए पैदा हुए हैं ? इससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि यहां के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कम्पनियां ही नहीं आती । आजतक अध्ययन नहीं किया िक कम्पनियां प्लेसमेंट के लिए क्यों नहीं आती? क्यों ? यहां का कोर्स, यहां के कॉलेज का कोर्स यूपीएससी का कोर्स करें या आई.आई.एम. का कोर्स करें । यहां के सिलेबश और उन संस्थाओं के सिलेबश में जमीन-आसमान का अंतर दिखेगा । विद्या परिशद नाम की संस्था कागज में है और यह एक जगह भी आज की जरूरत के हिसाब से कोर्स नहीं बना रहे हैं, केरिकूलम को नहीं बना रहे हैं और उसका परिणाम क्या है ? अध्यक्ष महोदय, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मैं आपकी ओर ध्यान दिलाऊंगा िक उमेश के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है । सहानुभूति इसलिए है कि मंत्री जी करना चाहते हैं । लेकिन प्राथमिकता में एजुकेशन नहीं है । छत्तीसगढ़ के लोग वैसे ही रहेंग, चरवाहा में 35 हजार रूपए मिलते हैं, यह पूरा देश जानता है, छत्तीसगढ़ के चरवाहा के 35 हजार रूपये से देश गौरवान्वित है तो हमको स्कूल-कॉलेज की क्या जरूरत है, जब चरवाहा बनाना है, गोबर थापना है । अब 15 लाख क्विंटल पैरा को तौलना है । कृषि मशीन के पास 15 लाख क्विंटल पैरा तौलने की क्षमता है । इंडस्ट्री के साथ उच्च शिक्षा का लिंक नहीं है । ऑनलाईन कोर्स, डिस्टेंस कोर्स के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना, फैकल्टी का शार्टज होना तो यहां की शाश्वत् समस्या है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, अब मैं रोजगार में भी थोड़ा सा बोल देता हूं । डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी धुव :- कम से कम 50 प्रतिशत हल कर दिए है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कहहूं त मीर ऊपर मत भड़कबे न । सुनथन नहीं । मैं बोल दूहूं तो एके लाईन में गड़बड़ हो जही । मैं ओकर खुद सम्मान करथौं, एकर सेती त नहीं बोलेव । दूसर टोकतिस त बोल देतेंव ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग सरकार में थे तो 130 से ऊपर सी.एस.एस.डी.एल. चलती थी। आज आपके यहां स्किल डेव्लपलमेंट की सिर्फ 30 संस्था चल रही हैं और केन्द्र सरकार के द्वारा 60 प्रतिशत राशि दी जाती है, यह आप जानते हैं, पर अभी तक उसका कोई भुगतान नहीं हुआ है। उसमें कितना प्लेसमेंट होना चाहिए, कितना प्रतिशत प्लेसमेंट होना चाहिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करूंगा कि यह भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन हमने जिस दिन से कौशल का अधिकार दिया या दिल्ली में स्किल डिपार्टमेंट बना, तब से दिल्ली और छत्तीसगढ़ के पैसे मिलाकर जितने लोगों को कौशल दिया गया, जितने लोगों को प्लेसमेंट दिया गया, उसकी जांच उच्चस्तरीय समिति से होनी चाहिए। दिख जायेगा कि कितना फर्जीवाड़ा है। जिन लोगों को प्रशिक्षण मिला है, आप उसमें से एकाध को बुलाकर देखिये और पूछिये कि आप कुकिंग जानते हो क्या ? यदि कुकिंग जानते हो तो दार-भात-साग भर जानते हो या इंटर कान्टीनेन्टल जानते हो, इंटर नेशनल फ्ड, साउथ फ्ड, वेस्ट फ्ड या सी फ्ड

को जानते हो ? या अमटहा दार-भात-साग रांधे भर ला आथे ? आपको वस्तुस्थिति की जानकारी मिल जायेगी। उसका कारण ये नहीं हैं, उसका कारण ये है, सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वह हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा नीति के लिए इन्टरेस्ट था। उच्च शिक्षा में कितने तैयार हैं और उसमें कितना बजट है ? यदि मैं उस दिन स्कूल शिक्षा में भी बोला होता, परन्तु दल के निर्देश में बंधा हुआ था। संविधान के आर्टिकल 21-ए में 8 से 14 वर्ष की ही शिक्षा है। 9वीं, 10वीं, 11वीं के लिए 6-7 सौ करोड़ रूपये चाहिए, जो फ्री शिक्षा दिया जाना है। दुर्भाग्य है कि मंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखा भी नहीं होगा, उतने बड़े आदमी ऊपर आरोप लगता है कि ये दक्षिणपंथी हैं, वामपंथी हैं, वह पंथी नहीं, देश के शीर्षस्थ वैज्ञानिक संस्था के अध्यक्ष रहे श्री कस्तूरी रंगन जी ने नई शिक्षा नीति बनाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा क्षमता विकास योजना के लिए 8 करोड़ 60 लाख रूपये रखा है। उसमें 20 लाख रूपये खर्च हुए, लेकिन जीरो लाभान्वित दिख रहे हैं। सेना भर्ती प्रशिक्षण योजना 1.52 करोड़ रखा, मात्र 15 लाख व्यय हुए हैं और इसमें भी जीरो लाभान्वित दिख रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मेरी चिंता, जो सबसे महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से अध्यक्ष जी की सुबह इस पर बात चल रही थी। राजकीय यूनिवर्सिटी या प्रायवेट हो, मैं प्रायवेट यूनिवर्सिटी की तो बात ही नहीं करता। क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रायवेट यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है ? छत्तीसगढ़ में 2 साल तक बच्चों का क्या हुअस होगा ? इतने वक्तव्य आये, इतनी चीजें आईं, इतने सुनने को मिले। मंत्री जी बैठे हैं, स्कूल शिक्षा में बोला होता, 38 लाख बच्चें गायब हैं, लाउड स्पीकर क्लास, उसको विधानसभा में कहा गया है। आनलाईन परीक्षा कैसे ली गई, आपको नहीं मालूम। उसको कौन किस तरह से पास करेगा, आफलाईन परीक्षा में कितने लोग बैठे, कितने कोर्स हुए, किसी को नहीं मालूम। कब रिजल्ट देंगे, कैसे देंगे, परीक्षा के लिए क्या नीति होगी, किसी को नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के लिए दूरदर्शी हैं। वह जान लिए कि छत्तीसगढ़ की यह स्थिति बनने वाली है, इसलिए हम प्राने धंधे वाले हैं, गोबर थोपो, यह सबसे श्रेष्ठ धंधा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब खेल विभाग में आ जाता हूं। मेरे पास खेल विभाग का कोई कागज नहीं है।

श्री चन्द्रदेव राय :- माननीय चन्द्राकर जी, आप फिर गोबर का अपमान कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अध्यक्ष जी से चर्चा करें या माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें, छत्तीसगढ़ का भविष्य खतरे में है और इस 3 साल में नस्ल खराब हो रही है। नशा, आत्महत्या, जो अवसाद है, वह इससे जुड़ा हुआ है। यह दुर्भाग्य है कि आपके पास इसके लिए बेस्ट काउंसर नहीं है। उस लेवल के सोचने वाले लोगों के सपने टूट रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। बहुत अच्छा भाषण है।

श्री अजय चन्द्रांकर :- एक मिनट में खत्म कर देता हूं। आप जब बोलेंगे, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- कोराना ना आपने लाया था ना हमने लाया था। कोरोना तो विश्वव्यापी है। जब पूरे देश और दुनिया में कोरोना आया तो कोरोना के दुष्प्रभाव से गाइडलाईन जारी हुआ। आप तो विद्वान है, इतना तो मालूम होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा तो सोचने का काम है विजन का काम है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी कब बनी, कहां बनी, यह भी बता दूंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी एक्ट कैसे आया, उसका भी मतलब नहीं है। मतलब हमको इतना है, कुलपित मेरा बनाना है और राज्यपाल के अधिकार को शून्य करना है, उच्च शिक्षा में मुझको राजनीति करनी है। राजनीति करनी है तो आप विद्या परिषद से करिकुलम बनाओ ना ? जैसे एस.आई.आर.टी. को बोला है कि सातवी कक्षा में राजीव गांधी जी की जीवनी पढ़ायेंगे, वैसा जयंती मनायेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- गलत क्या है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- चूंकि अध्यक्ष महोदय का निर्देश हो गया है...।

श्री शिवरतन शर्मा :- कुलपति बनाने में राजनीति वह नहीं कर रहे हैं, राजनीति यहां से हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा लड़का है, वह करना चाहता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रदेश के सारे बाहर से आप लोग बनायेंगे । यहां वालों का हक नहीं है । यहां के लोग पढ़े-लिखे नहीं है । यहां के लोग समझदार नहीं है । उनका अधिकार नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपकी ओर देखकर बोल रहा हूँ, उनके लिए मेरा दलीय अनुशासन है, मैं मुख्यमंत्री से हमेंशा छत्तीसगढ़ का परिभाषा पूछता हूँ, जब छत्तीसगढ़ी बोलते हैं और अंदर बाहर की बात करते हैं, मैं राष्ट्रीय दल से आता हूँ, आप भी राष्ट्रीय दल से आते हैं, यदि छोटी-मोटी चीजों को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में हम जिस पवित्र सदन में वोट देते हैं, उसमें मोहसिना किदवई और के.टी.एस.तुलसी भर आये हैं, बीस साल में और कोई नहीं आया है । भूपेश बघेल जी अकेले निर्णय करेंगे तो दूसरे को आने नहीं देंगे, मैं यह उसकी प्रशंसा कर देता हूँ । अभी राष्ट्रीय नेता बनना है, नये खुन की जरूरत है, सी.वी.सी. में अध्यक्ष के लिए उनका नाम चल रहा है । माननीय सभापित महोदय, हम लोगों ने विजन में कहा कि गोवा के बाद राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ में आयोजित होंगे । नैना धाकड़ ने हिमालय फतह किया, बस्तर की बेटी है, प्रशिक्षण के लिए क्या दिया, उसको क्या तकलीफें थी, कितने उनके अभिभावक के पास गये । मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख दिया, किसान की हत्या हो गई, उनके परिजनों से बात की । नैना धाकड़ का क्या हुआ ? जो नौकरी देने की व्यवस्था थी, एक भी कॉलम खत्म, कौन से स्तर की नौकरी पायेंगे । मैं तो साफ सुझाव दे देता हूँ, जो सबसे ज्यादा गोबर बिनेगा, सबसे ज्यादा

गोबर बेचेगा, उसको भी हम प्राथमिकता देंगे, खिलाडियों की प्राथमिकता को हम हटा देते हैं । अभी एक लड़की भिलाई की, साईना नेहवाल को हराई, साईना नेहवाल, पी.वी.संध् टॉपर बैडमिंटन खिलाड़ी है, टूर्नामेंट के हिसाब से रैंकिंग में 1-2 चलते रहते हैं, छत्तीसगढ़ की लड़की हराई । कोई प्रोत्साहन नहीं है । टेनिस एकाडमी का फोटो छप गया, मैं टेनिस नहीं जानता । यदि तत्कालीन मंत्री ने गोल्फ बनाया है, छत्तीसगढ़ में गोल्फ सिखाने वाला बनाना पड़ेगा, जो छत्तीसगढ़ में खेल होता है, छत्तीसगढ़ की अकादमी नहीं बना सकता, तीन-चार मैट दे जो मैट आता है, उसके लिए भी पैसा नहीं है । अब मैं म्ख्यमंत्री जी को कहुंगा, खेल संघ में जितने में अध्यक्ष बनाना है, एक दो बाकी हो तो अध्यक्ष म्ख्यमंत्री जी को बना दो, मैं भी फ्टबाल संघ का अध्यक्ष हुँ, जब बोलोगे, इस्तीफा देकर म्ख्यमंत्री जी को बना दूंगा । जो छत्तीसगढ़िया बोलते हो ना, जितने खेल हैं, ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं, वह लड़ाई लड़ें कि छत्तीसगढ़ के जितने खेल हैं, उसको ओलंपिंक में मान्यता दी जाये। चन्द्रशेखर चकोर जी को मैं भी जानता हूँ, एक जगह टूर्नामेंट कराया, जगह का नाम है पाटन । खेल डायरेक्टर भी गये थे । स्थानीय खेलों को हम बढ़ावा दे रहे हैं । स्थानीय खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं । क्रिकेट संघ खेल कैसा कराते हैं, रोज क्रिकेट टूर्नामेंट, म्ख्यमंत्री उसको करायेंगे । यहां से जितने लोग गये, सब के सब छत्तीसगढ़ को गाली दे रहे हैं, चाहे वह वीरेन्द्र सहवाग हो, चाहे भारत रत्न सचिन तेंद्लकर हो, क्यों कोरोना बायोबबल्स में थे, उसके बावजूद । जितने लोग आये थे, उतने खिलाड़ी । रोड सेफ्टी क्या हुआ, उसी दिन 12 लोग रोड एक्सीडेंट में मरे थे । रोड एक्सीडेंट के अलग-अलग विषयों में उसको स्वीकृति नहीं मिली । संकल्पों में, 139 में, प्रश्नों में, मैं रिकार्ड सहित बताऊंगा, सबसे ज्यादा मौत छत्तीसगढ़ में हुई है । दूसरा विषय इसलिए नहीं लगाता हूँ कि उसमें चार-पांच विभाग जरूरी है । उसका कोई को-आर्डिनेशन करने वाला नहीं है । आपकी शिक्षा में भी यह शामिल नहीं है, जिसमें हम मर रहे हैं...।

अध्यक्ष महोदय :- चिलये, धन्यवाद, समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको भगवान ने अवसर दिया है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा में दो छोटी सी बात बता दूं। तमिलनाडु, उड़ीसा की जो बेसिक शिक्षा है, एक बार आपको जाकर देखकर आना चाहिए। अखिल भारतीय परीक्षाओं के लायक preparation के लिए वहां का curriculum कैसा है, यदि नहीं है तो मुख्यमंत्री जी इनके पास और सलाहाकर की पोस्ट खाली है।

श्री अमरजीत भगत :- बहुत सिद्धांत की बात कर रहे हैं। आपने 15 साल में क्या किया, खोदा पहाड़, निकली चुहिया। आप 15 सीट में सिमट गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंबिकापुर में क्या-क्या खोला था, क्या मैं उसको बता दूं। अध्यक्ष महोदय :- चिलये, आप समाप्त कर दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- लेकिन 15 साल तक आप तमिलनाड्, उड़ीसा नहीं जा पाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अवसर मिला है। बेसिक शिक्षा के बाद हायर एजुकेशन को नई शिक्षा नीति के तहत जो कमजोरियां हैं, नई शिक्षा को जब तक आपको अपनाना है, आप समझ रहे हैं न। आप ओटो के लिए करें। शिक्षा, पर्यटन को या सी.जी.एम.एस.सी. का भी मैं नाम ले लेता हूं, ऐसे क्षेत्र को राजनीति से मुक्त रिखये। नौजवानों को अवसर दीजिए तािक वह अपने सपनों की उड़ान भर सकें। आप यह मत बताओं कि आपके जमाने में क्या था, इसके जमाने में क्या था, उसके जमाने में क्या था, उसके जमाने में क्या था, उसके जमाने में क्या था। मैं तो जिस दिन आप बोलो उस दिन 15 साल में चर्चा कर लूंगा। मैं अभी बोला कि यदि golf course बनाये हैं तो छत्तीसगढ़ के एक आदमी को golfer बनाने के लिए बाहर से आदमी लाना पड़ेगा, हमको golf खेलना नहीं आता। मैंने तो अपनी आलोचना की। लेकिन मेरी सद्भावनाएं हैं। मैं आरोप भी इसलिए नहीं लगाता। यदि गोबर आपका राजनीतिक विषय है, आपको जितना करना है, कर लीजिए, वह रोजगार का धंधा है, इतने लोग आत्मनिर्भर हो गये।

श्री अमरजीत भगत :- आपको गोबर से इतनी द्शमनी क्यों है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने अवलोकन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को जो पेपर दिया हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि दूसरे सदस्य के बोलते तक उसको अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवलोकन करवायें। वह रोजगार मिशन के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ में रोजगार के आंकड़े के बारे में बह्त बहस हो चुकी है। तीसरी और आखिरी बात कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी ने समाप्त करने के लिए कह दिया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को अवसाद से जोड़ लीजिए। लोगों के सपने टूटेंगे तो जिम्मेदार तो आप रहेंगे। 2500 रुपये क्विंटल के अतिरिक्त बह्त सारी चीजें समाज को चाहिए। आप समझ रहे हैं न। मैं उस आदमी को भी खोज रहा हूं जिन्होंने उस दिन मुख्यमंत्री जी को चिट दिया था, मींधु कुम्हार, आपके लोगों से मैं चर्चा करूंगा। यह राजनीति विषय बनेगा, मैं बनाना नहीं चाहता, छत्तीसगढ़ की जो 20 महाप्रूषों की हम जीवनी पढ़ायेंगे। मींध् क्म्हार के बारे में बोले तो कभी अवसर आयेगा तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। 20 लोगों में एक की तो पांड्लिपि मैंने देखी है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वह किताब जल्दी छपकर आये। राजनीति यह है। इन सबसे मुक्त होईये। छत्तीसगढ़ के लोगों का सपना पूरा करें। भगवान आपको स्वस्थ रखे, आप अच्छा काम करें। मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह कर देता हूं कि शिक्षा के जो संस्थान हैं, अध्यक्ष महोदय, एक लाईन भर बोल देता हूं। आप एक दिन अध्यक्ष जी के साथ, छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं न, मैं संस्कृति में तो नहीं बोलूंगा, आप समझ रहे हैं न कोई नहीं बोलेगा। मैंने एक मात्र हिन्दी ग्रंथ अकादमी बनाई थी, अध्यक्ष जी, एक दिन हिन्दी ग्रंथ अकादमी का दौरा कर लें, चलिये आपके साथ चलते हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, रायगढ़ से जुड़ा ह्आ है। वह

छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए क्या उर्वरा धरती है। ठाकुर जगमोहन सिंह जी का श्यामा स्पवन उपन्यास देखा।

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- संस्कृति के बारे में का जानथस, तेला बता।

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन आपके भाषण में सिर्फ गोबर ही आ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठाकुर जगमोहन सिंह का आधे इधर बैठे लोग नाम भी नहीं जानते हैं। तुम्हारा जिला कितना उर्वर है तीनों पांडे बंधु के ऊपर तो लक्ष्मी बरसती थी। एक तो 20 लोगों की जीवनी में नाम भी नहीं है, यह लोग जानते भी नहीं होगे कि उनका क्या योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं, वह रायल्टी के लिए वाणी प्रकाशन और राजकुमार प्रकाशन से लड़ रहे हैं। यदि हिन्दी ग्रंथ अकादमी होती तो 86 वर्ष की अवस्था में उसका रायल्टी के लिए लड़ना नहीं पड़ता। हिन्दी ग्रंथ अकादमी है। शनि की नजर बड़ी खतरनाक होती है। ओकर नजर नई पड़ना चाहिए, कहथे कि नीचे नजर करके दर्शन करना चाहिए। लेकिन तैं हमर शनि नई होस रे ददा, तोर निगाह पड़ही तो अकादमी ठीक हो जाही। वह अकादमी में नजर डाल ते तनिक तो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार मन ला प्रकाशन के अवसर मिलही। छत्तीसगढ़ के बहुत अकन चीज है। वीनु कुमार के बारे में एक-आत दिन और चर्चा करबो, यह होना चाहिये और आपने अवलोकन किया, आप ही के हाथ से यदि उसको अवलोकन के लिये मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे तो में हदय से आपकी कृतजता व्यक्त करते हूंये अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रीतम राम (लुण्ड्रा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड मेरे क्षेत्र की बात रखनी थी। मेरा विधान सभा क्षेत्र लुण्ड्रा, हमारी पूर्ववर्ती सरकार के 15 वर्षों के कारण बहुत ही उपेक्षित रहा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं है और इसकी वजह से क्षेत्र के छात्र-छात्राएं 45-50 किलोमीटर दूर अंबिकापुर जा कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस सदन में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी भी उपस्थित है। मैं आग्रह करता हूं कि धौरपुर में कॉलेज और इसी तरह से जो गरीमा एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पर भी एक कॉलेज की आवश्यकता है और साथ ही लुण्ड्रा में लवलीहुड कॉलेज की घोषणा कर दें, और अब पूर्ववर्ती सरकार ने तो हमारे क्षेत्र को हमेशा उपेक्षित रखा लेकिन अब उम्मीद है, कृपया मैं आग्रह करता हूं कि हमारे क्षेत्र के लिये कॉलेज की घोषणा करें, धन्यवाद।

🥦 ध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद, मंत्री जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको तीन साल में जितने पत्र भेजे हैं, वह उनको पढ़वा दें।(हंसी)

श्रीमती इंद् बंजारे (पामगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम था, पर मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, उसको रखना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- क्छ नहीं, एक-आत मांग मांगों। हां, कहां कॉलेज चाहिये, बताओ।

श्रीमती इंद् बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि मेरे पामगढ़ विधान सभा अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलौनी, सलखन, मुलमुला और ससहा में मैंने महाविद्यालय की मांग की थी, क्योंकि वहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है और खासकर के हमारी बेटियों के भविष्य को देखते हुये मैंने इन सभी जगहों पर महाविद्यालय की मांग की है और हमारे पामगढ़ में भी अगर कन्या महाविद्यालय स्थापित हो जाये तो और अच्छी बात है, क्योंकि बेटियों के भविष्य को देखते हुये बहुत जरूरी है और बेटियों की जनसंख्या बहुत बढ़ गयी है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद। उच्च शिक्षा मंत्री जी।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कोविड-19 के संक्रमण से श्रू करूंगा, आज जिसका प्रश्न भी था। कोविड-19 में समय-समय पर लॉकडाउन लगाये गये और इसका सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव शिक्षा विभाग को पड़ा। मैं इस सदन को यह अवगत कराते ह्ये बह्त संतोष व्यक्त करता हूं कि इस किठन समय में भी इस चुनौती का हमने डटकर सामना किया। वह समय ऐसा था, जब कॉलेज बंद किये गये, कॉलेज बंद ह्ये, कॉलेज के बाद परीक्षाएं आयोजित करने में समस्याएं आयीं, शिक्षा को संचालित करने में समस्याएं आयीं। लेकिन उस बीच में हमने न सिर्फ शिक्षा को संचालित किया, हमने परीक्षाएं भी आयोजित की और परीक्षा परिणाम भी जारी किये और लॉकडाउन के कारण हम जो एकेडमिक केलेण्डर में पीछे रह गये थे, हमने उसको भी कव्हर अप किया और इस बीच में हमने जो नियम प्रणाली जारी किये, जितने भी आदेश जारी किये परीक्षा लेने के, मैं सदन को और आपको आश्वस्त करता हूं कि वह सारे के सारे जो परीक्षा लेने के तरीके थे, वह यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी. के recommendation के अनुसार थी। हमको ए.आई.सी.टी. और यू.जी.सी. ने जो recommendation दिया था, हम उससे आगे पीछे नहीं ह्ये। तो पूरे देश के लिये यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी. ने जो गाइडलाईन जारी किया था, हम उस गाइडलाईन का पूरी तरह से अक्षरश: पालन करते ह्ये अपने यहां परीक्षाओं को आयोजित किया, यह जरूर कठिन समय था। माननीय अजय चंद्राकर जी बह्त वरिष्ठ सदस्य है और मैं उनका बह्त सम्मान करता हूं। जब वह बोल रहे थे तो मैंने उनकी कुछ प्वाइंट को नोट किया।

समय :

6.00 ਕਤੇ

उन्होंने skill gap की बात की। यह बिल्कुल सही बात है वर्ष 2018 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उन्होंने घोषणा की कि हम यहां पर 1300 पद नियुक्त करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में यह घोषणा हुई, वर्ष 2019 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और वर्ष 2022 जनवरी, फरवरी में हमने नियुक्तियां लगभग सभी विषयों में जितना भी police verification कर दिया है, अब कुछ

लोग बचे हैं जिनकी निय्क्तियां बह्त जल्दी हो जाएंगी। वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के बीच, इसमें 3 सालों का समय लगा। इस बीच में हमने उस समय को भी झेला जब कोविड के कारण लॉक डाऊन लगा, कोविड के कारण ऑफिसेस बंद थे, इन सब को झेलते हुए हमने 3 सालों के अंदर में नियुक्तियां दीं। हमारा छत्तीसगढ़ में ट्रेंड क्या रहा? जब इससे पहले सहायक प्राध्यापक के पद निकले तो कितना समय लगा ? माननीय चन्द्राकर जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप यह स्वयं जानते हैं। आप ख्द सरकार में रहे हैं। उस समय कोविड न रहते ह्ए भी, इन्होंने लगभग 4 सालों का समय लिया। हमने कोविड रहते हुए 3 सालों में नियुक्तियां दे रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या किया था। इन्होंने बिना police verification के नियुक्तियां जारी कर दी थी। आज भी बहुत सारे लोगों का police verification नहीं हुआ है और उसके कारण उनके प्रमोशन में समस्या आ रही है। हमने इसको समझते हुए police verification को अनिवार्य किया और उसके कारण से उनको आने वाले समय में तकलीफ नहीं होगी। police verification करते हुए, कोविड के संक्रमण को झेलते हुए और माननीय न्यायालय के द्वारा जो स्टे लगा था, उस समय को भी जोड़ते हुए, हमने सिर्फ 3 सालों के अंदर में प्रक्रिया शुरू की। हम प्रक्रिया समाप्त करने की तरफ हैं। हमने भारी संख्या में निय्क्तियां कीं। हम इसको छत्तीसगढ़िया सरकार क्यों कहते हैं ? मैं इसका श्रेय नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। आप मुझे मत टोकिएगा। मैं श्रेय नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की प्रतिभा किस तरह से बाहर आ रही है, इसमें इसका उदाहरण देखने को मिलेगा। जब 1300 की निय्क्तियां होती हैं जब हमें पता चलता है कि 90 से 92 प्रतिशत छत्तीसगढ़िया आदमी की नियुक्ति हुई है तब हमें लगता है कि छत्तीसगढ़िया आमदी बढ़ रहा है। (मेजों की थपथपाहट) आपके समय में कितना प्रतिशत था?

श्री अजय चन्द्राकर :- यह संवैधानिक संस्था है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर इस बार कटऑफ 65 प्रतिशत है। जो ज्यादा से ज्यादा 42, 43 प्रतिशत जाता था और इसका मतलब क्या है, आप समझ जाएंगे तो आप असली छत्तीसगढिया बन जाएंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले के समय में जो सहायक प्राध्यापक में भर्तियां हुईं, उसमें 40 प्रतिशत छत्तीसगढ़िया लोगों की नियुक्तियां होती थी, आज हमारे यहां हर विधायक की अनुशंसा मेरे पास है। यहां जितने लोग बैठे हैं और जो लोग उपस्थित नहीं है हर विधायक की अनुशंसा है कि यह मेरे क्षेत्र का है, आप मेरे क्षेत्र में पोस्टिंग कर दीजिएगा। एक-एक नहीं, दो-दो, तीन-तीन। इसका मतलब यही है कि आपके जान पहचान वाले लोगों की नियुक्तियां इस सहायक प्राध्यापक में हुई है। इससे पहले कभी भी जब सहायक प्राध्यापक की पोस्टिंग आती थी तो मंत्री जी की अनुशंसा की किसी विधायक को जरूरत नहीं पड़ती थी।

श्री रामकुमार यादव :- मोर गांव के ही दू ठोक हे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका श्रेय नहीं ले रहा हूँ।यह परीक्षा है और उन्होंने परीक्षा में अपनी प्रतिभा में लिया, लेकिन छत्तीसगढ़िया सरकार जो हम लोग कहते हैं, उसके पीछे कारण यह है। माननीय अजय भईया कह रहे थे सी.एस.एस.डी.ए. में जब हमारा समय था तो हम 130 थे अभी 30 भी संचालित नहीं हो रहे है। जब मैंने इस विभाग को देखना श्रू किया, मैंने इस पूरे संस्था को रिव्यू किया तो मुझे यह पता चला कि इस बात का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया था लेकिन आज इस सदन में इस बात को कहता हूं कि पिछले 15 सालों से नहीं, 10 सालों से कौशल विकास में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। हमको ऐसी संस्थाएं देखने को मिली जिसकी बिल्डिंग भी नहीं है और कोई आदमी भी नहीं है और ताला लगा हुआ है और इधर लिखा रहा है कि संस्था संचालित है। उनकी ट्रेनिंग हो गई है जब वहां मैंने अपने लोगों को देखने के लिए भेजा तो वहां कोई आदमी नहीं या कोई की जात नहीं थी। उनके पैसे बकायदा निकल रहे थे। ऐसी संस्थाएं चल रही थी । अध्यक्ष महोदय, यहां 2 हजार वीटीपीस रजिस्टर्ड थे, हमने दो हजार वीटीपीस को सिर्फ रिव्यू किया, सिर्फ इतना कहा कि आप फिर से रजिस्ट्रेशन कराईए और अपने सारे दस्तावेज प्रस्त्त करिए। अध्यक्ष महोदय, 2 हजार वीटीपीस खत्म होकर सीधा 100 के अंदर आ गए। बाकी वीटीपीस कहां थे और उनको हम भ्गतान करें, ऐसे लोगों को क्यों भ्गतान करें ? छत्तीसगढ़ को जिन लोगों ने लूटा है, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ को ट्रेनिंग देने के नाम से खराब किया है। हमारा विभाग ऐसी संस्थाओं को बिल्क्ल भ्गतान नहीं करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हैरान हो जाएंगे, एक ही मोबाईल नंबर पर 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन था, एक ही नाम का आदमी 50 जगह रजिस्टर्ड था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप अपने आप को पूछ लीजिए। क्या कौशल विकास में जो ट्रेनिंग हो रही थी वह सही से हो रही थी। कहीं नहीं हो रही थी।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्व :- नहीं हो रहा था।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग सही तरीके से काम करना चाहेंगे। हम लोगों ने इसकी पूरी गाईडलाईन को बदला, हम लोगों ने यह अनिवार्य किया कि आप सीसीटीव्ही कैमरा के अंदर में ट्रेनिंग देंगे, आपको जिस दिन यहां से चेक होने के लिए आदमी जाएगा, आपको उस दिन उसको लाईव रखना है, चेकिंग कहां हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है ? अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी कहा कि जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनको शुरू का पैसा तभी मिलेगा, जो इनिशियल फंडिंग है, वह होगा लेकिन उसके बाद की जो फंडिंग है, वह जॉब लगने के तीन महीने बाद मिलेगा। जब हमने यह स्ट्रीक्ट किया तो वह सारे फर्जी लोग आऊट हो गए और जो बचे हैं वह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको संख्या जरूर कम दिखेगी। संख्या कम हुई है लेकिन असली लोग बचे हैं। आप जांच के लिए कह रहे थे, मैं बिल्कुल तैयार हूं। जहां जिससे जांच कराना है, जिस संस्था से जांच कराना है, मैं उसके लिए तैयार हूं। क्योंकि निकलेंगे तो वही...।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने जांच की बात कैसे कही, उसको सुनिए। इस अविध में जितने लोग ट्रेंड होकर निकले और उसमें कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ। वह फर्जी थी, अच्छी थी, बुरी थी, आप सब जांच कराईए, वह आपका विषय है। लेकिन मैं रोजगार की बात कर रहा था, वह जो गैप है या नहीं है। अध्यक्ष जी के ध्यान में आ जाएगा, मैंने तो अध्यक्ष जी को कहा।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष जी, हमने इसी को ध्यान में रखते हुए उसका जो 60 प्रतिशत पेमेंट है, वह जॉब लगने के बाद और तीन महीने के वेरिफिकेशन के बाद ही उसको 60 प्रतिशत पेमेंट होगा। यह अनिवार्य कर दिया है, हमारे गाईडलाईन में हमने जारी किया है। आप कह रहे थे कि इन्होंने कोई नया कोर्सेस शुरू नहीं किया। हमने सिरगिट्टी जिला बिलासपुर में कोपा शुरू किया, परसदा तिल्दा नेवरा जिला रायपुर में ..।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने कॉलेज के लिए कहा था।

श्री उमेश पटेल :- आप सुन लीजिए, मैं पूरी सब जगह आऊंगा। नगरनार जिला बस्तर, टेकरी, जिला रायप्र, नेवरा जिला बिलासप्र में कोपा प्रांरभ किया, इस जगह पर हमने नया आई.टी.आई. प्रारंभ किया। अध्यक्ष महोदय, हमने जो नये ट्रेड प्रारंभ किए, वह राजनांदगांव पोड़ी में सोलर टेक्निशयन इलेक्ट्रिकल प्रारंभ किया। मैनपाट में स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रारंभ किया। धरसींवा में मोबाईल एप टेस्टर कम टेक्निशयन प्रारंभ किया है। हीरापुर में स्मार्ट हेल्थ केयर टेक्निशयन प्रारंभ किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत तीन वर्षों में जो नये पाठ्यक्रम शुरू हुए। स्नातकोत्तर, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने थर्मल एनर्जी इंजीनियरिंग प्रारंभ किया। हमने जगदलप्र इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और थर्मल इंजीनियरिंग चालू की है। विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकाप्र में हमने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, मशीन डिजाईन, पावर सिस्टम एंड कंट्रोल, कम्प्यूटर टेक्नोलाजी और माईनिंग इंजीनियरिंग वहां चालू की है। सीएसवीटीयू में हमने इनवायरमेंट वाटर रिसर्च, इंजीनियरिंग चालू की है। एनर्जी एंड इनवायरमेंट चालू की है। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग एंड इनफरमेट्रिक्स चालू की है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग चालू की है और माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स एंड वीएलएसआई नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। अध्यक्ष महोद्य, यह बात बिल्क्ल सत्य है कि सहायक प्राध्यापक की भर्ती और सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में जो समय लगता है, वह काफी समय लगता है और इस बीच में जो रिटायर होते हैं उनकी जगह नये लोगों की जो नियुक्ति होती है उसको गवर्नमेंट लेवल पर या किसी भी लेवल पर तुरंत करना पॉसिबल नहीं है इसलिये छत्तीसगढ़ ने जो सिस्टम बनाकर रखा है वह अतिथि व्याख्याताओं का बनाकर रखा है । अतिथि व्याख्याता उस जगह को भरते हैं और उस रिक्वॉयरमेंट को वे फ्लफील करते हैं । पिछले 10 वर्षों से और इस कालखण्ड में इनकी दर एक घंटे की 200 रूपये थी । जिससे प्रतिमाह इनको जो अधिकतम राशि मिल पाती थी वह 20,800 रूपये मिलती थी । जिसको बढ़ाकर हमारी सरकार ने इसको 300 रूपये कर दिया है इससे इनकी जो अधिकतम राशि होगी वह 31,200 रूपये होगी । लगभग

1600-1700 लोग इससे प्रभावित हुए और बहुत दिनों से लगातार वे इनसे भी मांग करते रहे तो जब ये हमारे पास आये थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियां जब पूरी हुई हैं उसके बाद हम लोगों ने यह बढ़ौत्तरी इसमें की है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जी.ई.आर. की बात कर रहे थे । मैं एक छोटी सी बात कह्ंगा कि वर्ष 2021-22 में हमने 26 नये शासकीय महाविदयालयों की स्थापना की है । शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में पूर्व में संचालित विषयों और पाठ्यक्रमों में 10763 अतिरिक्त सीट तथा नवीन विषयों के लिये 2365 सीट की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इसका परिणाम यह हुआ कि विगत् वर्षों से विद्यार्थियों की संख्या में इस साल 19 परसेंट की बढ़ौत्तरी हुई है तो यह आपके जी.ई.आर. को बढ़ायेगा । आपने कहा कि अगर हम जो प्राईवेट स्टूडेंट हैं यदि उनको इन्क्लूड कर देते हैं तो हम नेशनल लेवल से ऊपर चले जायेंगे । आपने कहा कि नेशनल लेवल के आसपास आयेंगे लेकिन मैं कहता हूं कि नेशनल लेवल से ऊपर चले जायेंगे । लेकिन चूंकि वे प्राईवेट परीक्षा में भागीदारी लेते हैं इसलिये हमने उसको जोड़ना उचित नहीं समझा इसलिये हमारा जो जी.ई.आर. का परसेंट है वह नेशनल लेवल से कम आता है। इसी तरह से रूसा में हमने 11 नवीन मॉडल कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति है । प्रथम चरण में हमने रायपुर, कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग के मॉडल कॉलेजों का निर्माण पूर्ण कर लिया है । द्वितीय चरण में 7 नये कॉलेजों के भवनों के निर्माण प्रगति पर है । इस बजट में हमने बस्तर जिला, बस्तर में माकड़ी में और बासीन में, विकासखंड गुरूर, जिला बालोद जैसे अन्सूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में नवीन विद्यालय खोलने के लिये 7 करोड़ 63 लाख रूपये का प्रावधान किया है । जन घोषणा-पत्र के अनुसार 25 जिला मुख्यालय में कन्या महाविद्यालय खोले जाने थे । इस वर्ष हमने नारायणप्र...।

श्री अजय चंद्राकर :- यह बहस का विषय है । सरकार का दृष्टिकोण क्या होगा यह मुझे बताईयेगा कि दुनिया में कहीं अब कन्या महाविद्यालय अलग से नहीं खुलते । जेंडर डिफरेंस माना नहीं जाता । सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं में को-एजुकेशन है तो क्या छत्तीसगढ सरकार, चिलये एकदम अंदर आदिवासी ईलाके को छोड़ दें तो क्या अभी भी गर्ल्स कॉलेज खोलने के बारे में आप सहमत हैं ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जहां खोले हैं आप उनके नाम पढ़ लीजिये । श्री अजय चंद्राकर :- मैंने आपका दृष्टिकोण भी पूछा कि सब जगह कन्या महाविद्यालय खोल रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- आप पहले इसको सुन लीजिये न फिर उसके बाद उसमें बहस भी कर सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और कोण्डागांव ये 4 जगह हमने नये कन्या महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिये रखा है । 16 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ करने के लिये 2 करोड़ रूपये का प्रावधान है । 23 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय

प्रारंभ करने के लिये 3 करोड़ रूपये का प्रावधान है । 7 महाविद्यालयों में विधि विषय हेतु सहायक प्राध्यापक के कुल 8 पद सृजित किये गये हैं । वर्ष 2022-23 में शासकीय लक्षमणेश्वर महाविद्यालय खरौद का उन्नयन करने हेतु स्नातकौत्तर महाविद्यालय का दर्जा प्रदान करने एवं शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय देवेन्द्र नगर रायपुर के प्राचार्य पद का सृजन किया गया है । सभी विधायकों का भवन निर्माण का विषय रहता है तो हमने इस साल नाबार्ड से पोषित योजना के तहत् कुल 18 जगह भवन निर्माण के लिये बजट में रखा है, उसमें शासकीय महाविद्यालय गोहारपदर जिला-गरियाबंद, शासकीय महाविद्यालय जगटा जिला कोरबा, शासकीय महाविद्यालय मनोरा जिला जशपुर, शासकीय महाविद्यालय कमलेश्वरपुर जिला सरगुजा, शासकीय महाविद्यालय सोनाखान जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, शासकीय महाविद्यालय तेंद्कोना जिला महासमुंद, शासकीय महाविद्यालय माहूद बी जिला बालोद, शासकीय महाविद्यालय पेण्डावन जिला दुर्ग, शासकीय महाविद्यालय गोबरा-नवापारा जिला रायपुर, शासकीय महाविद्यालय पेण्डावन जिला दुर्ग, शासकीय महाविद्यालय अमोरा जिला मारगुर, शासकीय महाविद्यालय सीनौटी जिला धमतरी, शासकीय महाविद्यालय अमोरा जिला मुंगेली, शासकीय महाविद्यालय बिर्रा, जांजगीर-चांपा, शासकीय महाविद्यालय रिसाली दुर्ग, शासकीय महाविद्यालय कुम्हारी जिला दुर्ग।

अध्यक्ष महोदय :- और कितना समय लेंगे?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, बस हो गया। जल्दी खत्म कर देता हूं। ये विधायकों के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए मैं बोल दूं सोचा। अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के लिए लगभग हमने 21 जगह अतिरिक्त कक्ष दिये हैं। महाविद्यालय नवागढ़ जिला बेमेतरा, महाविद्यालय धरसींवा जिला रायपुर, महाविद्यालय आरंग जिला रायपुर, महाविद्यालय अभनपुर जिला रायपुर, डी.के. सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलौदाबाजार, मिनीमाता महाविद्यालय बलौदाबाजार, महाविद्यालय गरियाबंद, स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, पी.जी. कॉलेज विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग, कन्या पी.जी. महाविद्यालय दुर्ग, क्रांतिकुमार महाविद्यालय सक्ती जिला जांजगीर-चांपा, शासकीय पी.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायगढ़, किरोड़ीमलनगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला रायगढ़, कन्या महाविद्यालय धमतरी, जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला रायगढ़, कन्या महाविद्यालय राजिम, राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय सराईपाली, भानुप्रतापपुर महाविद्यालय कांकेर, लाल साय महाविद्यालय मोहला और कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर। अध्यक्ष महोदय, जो नये यूनिवर्सिटी की बात अजय चन्द्राकर जी ने की थी, विश्वविद्यालय को अकादिमक मान्यता प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धारा 2 (एफ) की सूची में इसे शामिल कर लिया गया है और रायगढ़ के लिए 17 अशैक्षणिक पदों का मृजन करने हेतु 10 लाख का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। शासकीय महाविद्यालय पखांजूर कन्या एवं बालक छात्रावास के संचालन हेत्

10 पदों का सृजन किया गया है। शासकीय महाविद्यालय सीतापुर जिला सरगुजा में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, क्वालिटी की बात अजय चन्द्राकर भैया ने कही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा। नैक एक संस्था है जो मूल्यांकन करता है। जब मैंने ज्वाइन किया था और जब हमने रिव्यू किया कि हमारे यहां की कितनी संस्थाएं नैक में आती हैं तो उस समय टोटल 38 थे। जो या तो नैक मूल्यांकित थे या नैक मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में थे। टोटल 38। अध्यक्ष महोदय, जिसे बढ़ाकर हमने 53 शासकीय विद्यालयों को नैक से मूल्यांकित करा लिया है और 112 महाविद्यालय अभी प्रक्रिया में हैं, जिन्हें बहुत जल्दी नैक से प्राप्ति हो जायेगी। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो यह होता है 165। 40 से 165। अध्यक्ष महोदय, आप बढ़ोत्तरी का प्रतिशत देखिए। 300 प्रतिशत और नैक वही संस्था है जो बताता है कि आपके कॉलेज की क्वालिटी क्या है? कॉलेज की क्वालिटी के बारे में नैक अध्ययन करता है। यह ए.,बी.,सी. रैंकिंग देता है और इन्होंने नैक के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। 40 महाविद्यालय 265 में से और हम उसे 165 कर युके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि वर्ष 2023 मध्य तक हमें सारे कॉलेजों को नैक से मूल्यांकित करना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक सेकण्ड। माननीय अध्यक्ष महोदय, 45 हुआ, 265 का नैक मूल्यांकन हुआ, यह विषय नहीं है। मैंने बोला कि मैं शिक्षा में राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा। आज की तारीख में आपने बनाया हो, इनने बनाया हो, डॉ. रमन सिंह जी ने बनाया हो, हर नेचर की यूनिवर्सिटी है और कुछ चीजों को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय असंतुलन बिल्कुल नहीं है। जिस दिन हम लोग बने थे या वर्ष 2003 में आये थे। छत्तीसगढ़ में शून्य था, शून्य । अभी जी.ई.आर. का मैंने उल्लेख किया, वैसे ही और भी आंकड़े दे सकता था । मैंने इसीलिए कहा 2-3 संस्थाओं का नाम लिया, इसको आप राजनीति से मुक्त रखिये ओर आपका भाषण प्रतिवेदन पर आधारित है, हमने यह किया, हमने वह किया । यह शासकीय प्रक्रिया है । मैंने आपसे आग्रह किया था कि कोई किमटमेंट दिखना चाहिए । मान लीजिए शासकीय बोल रहे हो तो बोल लीजिए, औपचारिकता निभा लीजिए । मैं भी आपको 3 साल से चिट्ठी लिख रहा हं, उसका उल्लेख कर देना ।

श्री उमेश पटेल :- आपके यहां भी तो कॉलेज का भवन ह्आ है भइया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चलो हो गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हो गया पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री उमेश पटेल :- मैं ये सब नहीं पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- सब आपकी विद्वता को स्वीकार कर रहे हैं तो काहे को पढ़ रहे हो ।

श्री उमेश पटेल :- जी, जी । अध्यक्ष महोदय, अजय जी ने कमिटमेंट की बात की । मैं यही कहूंगा, हालांकि यह भविष्य की बात है । अध्यक्ष महोदय, नेश्नल लेवल पर हमारा जी.ई.आर. कम है ।

हमारे बहुत सारे स्टूडेंट प्रायवेट परीक्षा देकर पास होते हैं, इसकी वजह से हम उसको जी.ई.आर. में शामिल नहीं करते हैं । हमारे जो क्षेत्रीय बैलेंस की बात कर रहे हैं, हमारा क्षेत्रीय बैलेंस कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह भविष्य की बातें है जो आगे होंगी या नहीं होंगी, लेकिन हमारा विभाग काम कर रहा है कि किस तरह से नेश्नल शिक्षा नीति में जिस तरह से पीपीपी मॉडल की बात कही गई है, हम उसको छत्तीसगढ़ में किस तरह से कर सकते हैं, इस पर हमारा विभाग काम कर रहा है । हो सकता है हम बहुत जल्दी उस पॉलिसी के साथ आएं । अगर वह जारी होती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 100 से ऊपर सैनिक स्कूल खुलने वाले हैं । आप दिल्ली जाइए । मुख्यमंत्री जी तो जाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री जी की निगाहों में तो वहां सब गलत है । आप जाकर एक बार कोशिश कर लीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, अगर हम यह ले आते हैं तो उससे जी.ई.आर. बढ़ेगा और क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर कर सकते हैं और नेश्नल लेवल की पॉलिसी से हम मैच कर पाएंगे, यह हमारी कोशिश है । हालांकि उसको मैं कहना नहीं चाहता था, कयोंकि यह आगे होना है । चूंकि कमिटमेंट की बात हुई तो मैंने कह दिया । अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन से आग्रह करूंगा कि इसे सर्वसम्मित से पास किया जाए, धन्यवाद् ।

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि लोक सभा सदस्य, श्री दीपक बैज

अध्यक्ष महोदय :- बस्तर के लोक सभा सदस्य श्री दीपक बैज, अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं । मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उनका हार्दिक् अभिनंदन करता हूं । (मेजो की थपथपाहट)

वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 47, 44, 46 एवं 43 पर प्रस्तुत् कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत ह्ए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

मांग संख्या - 47 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए तीन सौ इक्यासी करोड़, इकतीस लाख, चालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 44 उच्च शिक्षा के लिये - आठ सौ सत्तावन करोड़, सत्तानबे लाख, नब्बे हजार रूपये,

मांग संख्या - 46 विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिये पच्चीस करोड़, पैंतीस लाख, रूपये,

मांग संख्या - 43 खेल और युवक कल्याण के लिये सत्तर करोड़, अट्ठाईस लाख, पैंसठ हजार रूपए तक की राशि दी जाए ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
(मेजो की थपथपाहट)

(3) मांग संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मांग संख्या 56 ग्रामोदयोग

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए - आठ सौ उनहत्तर करोड़, चौवन लाख, उन्यासी हजार रूपये, तथा

मांग संख्या - 56 ग्रामोद्योग के लिए - एक सौ सत्रह करोड़, इक्यासी लाख, चौंतीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितिरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमित देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या-20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिये

1.	डॉ. रमन सिंह	1
2.	श्री शिवरतन शर्मा	15
3.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	5
4.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1

मांग संख्या-56 ग्रामोद्योग के लिये

1.	श्री धर्मजीत सिंह	1
2.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1
3.	श्री डमरूधर पुजारी	1

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी शुरूआत करेंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- मैं मांग संख्या 20 और मांग संख्या 56 ग्रामोद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के विभागों की मांग का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात रखना चाहता हूं कि यह एक प्रशासनिक प्रतिवेदन है और इस प्रशासनिक प्रतिवेदन से विभाग की प्रगति दिखती है, यह विभाग के काम करने का भी आइना है और किस तरीके से विभाग अपने काम को अंजाम तक लेकर जाता है, उसका तुलनात्मक अध्ययन भी इसमें है।

समय :

6.27 बजे

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)

और इसमें हम लोग भी जानना चाहते हैं, हम लोग विधायक लोग हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि यह कैसे प्रगति है? पर जब प्रतिवेदन का ही स्वरूप अलग ढंग से बनेगा जिसमें कोई इन्फार्मेशन नहीं रहेगा, तो फिर इस प्रतिवेदन का कितनी वेल्यू रहेगी। मैं दो-चार उदाहरण बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बता देंगे कि इस प्रतिवेदन में पदों की संख्या दिखाया गया है। कितने पद स्वीकृत हैं, पर कितने कार्यरत् हैं? कितने रिक्त हैं? और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, जो गांवों में जिसकी जरूरत रहती है, हैण्डपंप मैकेनिक का। गांवों में हैण्डपंप मैकिनक मिलता नहीं है। आपकी करीब साढ़े आठ सौ, नौ सौ है हैण्ड पंप स्वीकृति है। लेकिन पद स्वीकृत हैं, कार्यरत् कितने हैं? कार्यरत् कितने हैं,

रिक्त कितने हैं? क्या इसकी जानकारी है? मंत्री जी, आप भी नहीं बतायेंगे कि कितना पद रिक्त हैं और कितना कार्यरत् हैं। क्योंकि आपके पास आंकड़े हैं यदि पढ़कर बतायेंगे तो। दूसरा, इस प्रतिवेदन का जो सबसे बड़ा महत्व है। हम बजटों का एक त्लनात्मक अध्ययन करते हैं, उससे आपकी प्रगति भी दिखती है। आपके देखेंगे कि आपके जो बजट हैं, उस बजट का भी त्लनात्मक अध्ययन में देखा कि वर्ष 2019-20 में क्या है और 2020-21 में क्या है? और इस पूरे बजट को जब हम देखते हैं तो आपका जो विभाग है, वह करीब 60-65 प्रतिशत ही बजट का उपयोग कर पाता है। अब इस उपयोग करने में देखियेगा मंत्री जी कि जब 60 प्रतिशत है तो श्द्ध पेयजल के लिए ग्रामीण में और शहरी में आज भी टैंकरों से पानी सप्लाई होता है। आज बजट में इतनी परिस्थितियां हैं कि टैंकरों में पानी पहूंचा रहे हैं। ग्रामीण अंचल में हालत खराब है। कई जगह किडनी का प्राब्लम चल रहा है और आपको जो इन समस्याओं से शुद्ध जल के लिए बजट एलॉट किया जाता है और उस बजट का उपयोग करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। 60-61 प्रतिशत ही उपयोग कर पा रहे हैं। तो आपकी योजना औसत से क्षमता कितनी है? दूसरा, आप मांग संख्या 20, मांग संख्या 80, 82 में विशेष अन्सूचित जाति घटक का पैसा उपयोग कर रहे हैं। आपने इन पैसों का भी व्यय का जो <mark>प्रतिशत</mark> बताया है, वह 68 परसेंट है अर्थात जितनी मांग संख्या- 20 के अंतर्गत जो होने वाले संचालित हैं माननीय मंत्री जी, उसकी भी प्रगति नहीं हुई है। शृद्ध पानी पीने के लिए तरस रहे हैं और आप पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लोग मांग करते हैं और आप दे नहीं पाते हैं तो ऐसा बजट देने से आपको क्या फायदा? आप जल की प्रदाय कहे, अभी तक की आपकी जो क्छ प्रगतिशील योजनाएं हैं, इस प्रगतिशील योजना में जो कोई वर्ष 2015 में स्वीकृत हुआ है, कोई वर्ष 2014 में स्वीकृत हुआ है, वर्ष 2017 में हुआ है, वर्ष 2013 में हुआ है आज तक वह जल प्रदाय योजना आज भी लंबित है। वह प्रगति की स्थिति में ही है और स्वीकृति हो गया। उस बजट में लगने वाली लागत का पता नहीं। उसकी प्रगति कब समाप्त होगी और वह कब पूर्ण होगा? आप अंदाज लगाइये कि वह कितने सालों में होगा ? अभी तक के आपका विभाग उसको समीक्षा करके, क्या करके किया है ? लेकिन यह अभी भी कार्यरत पड़ा हुआ है। जो सबसे बड़ा है, वह नल-जल मिशन का है। अब इस नल-जल योजना में आपने देखा होगा कि किस तरीके से खेला ह्आ है। उसमें कितना बड़ा खेला हुआ है कि हमने जो 10 हजार करोड़ रूपये का जो टेण्डर लगाया था, अब पता नहीं कैसे उसका बंदरबांट हुआ ? किस तरीके से हुआ। बंदरबांट नहीं, जैसा भी कुछ बांट हुआ है। एलार्टमेंट हुआ, जारी हुआ। केबिनेट से उसको कैन्सिल होना पड़ा। यह तो पहला उदाहरण है जो केबिनेट से कैन्सिल ह्आ। यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि केंद्र सरकार लोगों को जल देने के लिए, श्द्ध पेयजल व्यवस्था बनाने के लिए शहरी-ग्रामीण में व्यवस्था कर रही है और हम उसमें भी गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। बड़ा गुंजाइश ढूंढ रहे हैं और इतनी गुंजाइश कि जिन लोगों ने उस समय क्या-क्या लेन-देन किया ह्आ था, आज भी खोज रहे हैं। कैसे करे भैय्या, हमारा लेन-देन कैसे पूर्ण होगा? आज भी वह परेशान हैं और इस तरीके से

वह केबिनेट में भी लेकर के रदद किया गया और ठेकेदार आज भी परेशान है कि क्या उनके हितों का संरक्षण हो पाएगा? दूसरा है कि जिस तरीके से प्रगित है, वर्ष 2024 तक हम नल-जल जीवन मिशन को हम प्रगित में लेकर जाएंगे। आपके विभाग की कार्य-क्षमता, कार्य-प्रणाली इतनी सुस्त है कि उस समय तक के लक्ष्य के अनुसार आपकी सफलता नहीं दिख रही है। जो आप विभागीय आंकड़े बता रहे हैं, उसमें आपकी सफलती दिख नहीं रही है कि आप कितना प्रतिशत सफल हो पाएंगे। आपने जो सपने देखकर रखे हुए हैं कि हम सभी के लिए वर्ष 2024 तक के शुद्ध जल की व्यवस्था बना देंगे। इसमें विभाग की कार्य-क्षमता नहीं दिख रही है। अब वह क्यों है? कैसे, किस तरीके से वह प्रगित करेंगे? आप इसको भी देख लें। दूसरा है, ग्राम देवरी, गुण्डरदही ग्राम के बहुतुल्य जल प्रदाय योजना, 5 वर्ष हो गये हैं उसका करीब 85 प्रतिशत काम पड़ा हुआ है। इसी प्रकार ग्राम चोटिया में कोरबा अपूर्ण है। नल-जल योजना खरोरा, डबला, बिलाईगढ़, पलारी, घरघोड़ा आदि में कई वर्षों से अपूर्ण पड़े हुए हैं। आप उसको भी देख लीजिए। देख लीजिए कि यह हमारी कार्य-क्षमता है और हमको गांव के नामजद सहित बता रहे हैं। अभी जल-जीवन मिशन में लगभग 1 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान है लेकिन इन दो वर्षों में 50 परसेंट का भी आप उपयोग नहीं कर पाये और यह फिर से 1 करोड़ रूपये का प्रावधान है। अब आप इसमें कैसे जल पिला पाएंगे? यह जल पिलाना तो कम, थोड़ा-सा अष्टाचार का जरा अड्डा ज्यादा बन गया है। आप इसको ठीक कर लीजिए।

श्रममंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- क्यों बांधी जी, जल नहीं पीयोगे तो और क्या पीयोगे ? भैय्या। जल नहीं पीयोगे तो और क्या पीयोगे ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- क्या ? मेरे क्षेत्र में तो मैं बोल नहीं पाया। अभी तो आप बोल रहे हो देवरीखुर्द है, बिलासपुर का सबसे बड़ा गांव है। टैंकर में पानी जाता है। आप नगर-निगम में तो पानी पिला नहीं पा रहे हो। आप पैसे का उपयोग भी नहीं कर पा रहे हो। आपको 25 बार बोलने के बावजूद भी आप नहीं बोल पा रहे हो। मैं आपको ग्राम देवरीखुर्द के वार्ड नम्बर 42 और 43 का बता रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- [XX]13 ह लाईन ला काट दे रिहीसे, तोला पता नहीं हे का ।

- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अभी भी [XX]का नाम ले रहे हो ।
- डॉ. शिवक्मार डहरिया :- मोर जगह आके बोलथस कि [XX]ह काट दे रिहीसे, ओला जोड़वा दे ।
- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आपने क्या किया ? पानी तो पिला नहीं सकते हो ।
- डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोला पानी पिलावथव ।
- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अपने बजट पर बात भी नहीं कर सक रहे हो ।

सभापति महोदय :- जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसके नाम का उल्लेख न करें तो ज्यादा अच्छा होगा । उसको विलोपित कर दें ।

^{13 [}XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशान्सार विलोपित किया गया.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- व्यवस्था भी नहीं बना सकते और जो व्यवस्था बनाने के लिए जा रहा है, उसको व्यवस्था बनाने के लिए जानकारी दे रहे हैं । उसकी भी तुलना [XX]से कर रहे हो ।

सभापति महोदय :- देखिए, जो सदन का सदस्य नहीं है, उनका नाम लेने का औचित्य नहीं है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापित महोदय, नल-जल कनेकशन के लिए केन्द्र सरकार भी पैसा दे रही है, राज्य सरकार भी पैसा दे रही है, इन पैसों का भी उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं । किस तरीके से उपयोग होगा, क्या व्यवस्था बनेगी, उसका ढंग से उपयोग होगा । मंत्री जी, आप इस बात पर हमेशा जानकारी रखिए कि आपके पैसे का उपयोग हो, तभी शुद्ध जल की व्यवस्था बन पाएगी ।

माननीय सभापित जी, मैं खादी ग्रामोद्योग के बारे में, रेशम उद्योग के बारे में बोलना चाहता हूं। खादी ग्रामोद्योग में पांच विभाग हैं और इन पांच विभागों में भी जो रेशम है, हमारे प्रदेश के रेशम की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इस रेशम की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए आपके द्वारा क्या-क्या प्रयास किया जा रहा है, इसका पता नहीं है और प्रयासों को देखा जाएगा तो कुछ प्रगति नहीं है। आपके ही प्रतिवेदन में यह प्रगति दिखती है कि आपके द्वारा रेशम विभाग का जो बजट रखा गया है, उसका भी उपयोग नहीं कर पा रहे हो। इसमें प्रगति ही नहीं है। आपने अनुसूचित क्षेत्र में विकास कार्य के प्रेरक के रूप में कितने लोगों को दिया है, उसकी कोई संख्या ही नहीं बतायी है कि हमने इतने लोगों को प्रेरक दिया है, इतने लोगों को लाभ मिला है, यह इस प्रतिवेदन में है ही नहीं। क्योंकि आपने हिडन प्रतिवेदन बनाया है, छुपा हुआ प्रतिवेदन बनाया है। इससे हम जनप्रतिनिधियों को पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाएगी।

माननीय सभापित जी, आप विशेष घटक योजना का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें मशीन उपकरण देने का भी प्रावधान है, विकास कार्यों के लिए भी प्रावधान है। यही नहीं बता पा रहे हैं कि आपने कितने लोगों को कितना मशीन दिया ? रेशम के उत्पादन के लिए कितने लोगों को मशीन दिया, कितने लोग टसर के काम के विकास कार्यक्रम में प्रेरित होकर लोगों को लाभ मिला क्योंकि यह सीधे आम लोगों से, छोटे-छोटे लोगों के व्यवसाय से जुड़ा हुआ मामला है । आप बुनाई कला की बातचीत करते हैं । बुनाई कला में भी हमें लोगों के लिए परम्परागत समृद्धि बनानी है, इन परम्परागत लोगों को बनाने के लिए रोजगार से भी इनको जोड़ने का अवसर है, लेकिन आपने इनके लिए क्या प्रयास किया और कितना बजट रखा, उसका क्या रिजल्ट रहा, वह दिख नहीं रहा है ? आपने कितने लोगों को आर्थिक दृष्टि से प्रोत्साहन देकर लाभ अर्जित करने के लिए हाथकरघा में प्रयास किया है, कितने लोगों ने लाभ पाया है, यह आपका आंकड़ा दिख ही नहीं रहा है इसलिए आपका विभाग शून्य सी स्थिति में है, वह जानकारी देने की स्थिति में नहीं है । आप अपने जवाब में संख्या बता दीजिएगा । इन सब मामलों में कितना बजट उपलब्ध है ?

माननीय सभापित महोदय, अनुसूचित जाित उपयोजना की मांग संख्या 64 के उपयोग की बात है। इस मांग संख्या में जिन पैसां को हमने उनकी प्रगित के लिए बनाया, उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं और अनुसूचित जाित के बजट का पैसा भी उपयोग कर रहे हैं तो यह अनुसूचित जाित के साथ भी खिलवाइ है। यह बाजार अध्ययन एवं हाथकरघा प्रदर्शनी योजना में 11 लाख रूपये का बजट आवंटनहैं और 6 लाख 50 हजार खर्च हो रहा है। समग्र हाथकरघा विकास योजना में 60 लाख का बजट दिया था, 24 लाख रूपये खर्च कर रहे हैं। हाथकरघा बुनकर वर्कशेड सह-आवास योजना में उनके आवासों की व्यवस्था बनानी है। आवास योजना में भी 50 लाख रूपये का बजट दिये थे और 10 लाख रूपया खर्च कर रहे हैं। इस तरह से यह कोरम पूरा करने वाला बजट है। इस तरह से इस विभाग के माध्यम से कई लोगों को रोजगार के अवसर सृजन हो सकते हैं, उन लोगों को रोजगार मिल सकता है, आप केवल कोरम पूरा करने के लिए विभाग चला रहे हैं। आप राजस्व व्यय देखेंगे तथा हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ को भी देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। 25 प्रतिशत लाभार्थी पर खर्च हो रहा हैऔर 75 प्रतिशत राशि ऐसे ही खर्च हो रहा है।

माननीय सभापित महोदय, माटी कला बोर्ड के माध्यम से में जिन कुम्भकारों को जमीन देने की बात चली थी। सरकार ने अभी तक उन लोगों को जमीन देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। िकतने लोगों को जमीन दिया है, यह नहीं बताया गया है। माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्भकारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

माननीय सभापित महोदय, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसमें कुछ योजनाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, यह महत्वपूर्ण योजना है। इसमें लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत अवसर है। उनका बह्त विकास हो सकता है, रोजगार के अवसर चुन सकते हैं।

सभापति महोदय :- बांधी जी समाप्त कीजिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बस एक मिनट। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में सरकार का कितना लक्ष्य है, लोगों को कैसे स्वीकृत हो रहा है, कितने पापड़ बेलने में लग रहे हैं, सहज रूप में बोल रहा है। मंत्री जी, इसको जरा दिखवाईये, यह छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हितकर है। माननीय सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, मैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपका विभाग में हर साल बजट कम होते चला आया है। कार्यक्षमता कम होते जा रही है।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापित महोदय, बिल्हा के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी लिखकर देकर गये हैं। मदकू और अमलडीहा, शिवनाथ नदी पर सामुदायिक जल आवर्द्धन योजना है, जिससे लगभग 14-14 ग्राम पंचायत लाभान्वित होंगे और वह बजटेड भी है। लेकिन वह इस साल नहीं आया तो निरस्त होने की संभावना है। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की ओर से निवेदन कर रहा हूं कि बिल्हा विधानसभा के शिवनाथ नदी पर मदकू और अमलडीहा में सामुदायिक जल

आवर्द्धन योजना है। इससे 14-14 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा। यह योजना पहले से बजटेड है। लेकिन वह इस साल नहीं आया तो वह समाप्त हो जायेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि इन दोनों योजनाओं को स्वीकृत कर प्रारंभ करने का कष्ट करें। सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती इन्दू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापित महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत तोहर्सी में पानी टंकी निर्माण का कार्य है, वहां पाईप लाईन टूटकर गिर गया है। चूंकि इसमें रोड बनाया गया था और रोड बनाने वालों ने पाईप लाईन को तोड़ दिया है। मैंने इसके सम्बन्ध में एक साल पहले प्रश्न भी लगाया था। आपने जवाब भी दिया था कि जल्द से जल्द बनवाया जायेगा। लेकिन मंत्री जी, एक साल हो गया है और आज भी स्थिति जस की तस है। उसमें आज भी किसी प्रकार का सुधार नहीं आया है।

माननीय सभापित जी, दूसरा ग्राम पंचायत नेकी में पानी टंकी का निर्माण हो चुका है वह अभी हेण्ड ओव्हर भी नहीं हुआ है। टंकियों में दरारें आ गई हैं और पानी टंकी से पानी सीपेज हो रहा है। मैंने इसकी जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था। विशेष निवेदन है कि आप उसकी जांच कराकर निराकरण करें। साथ ही ग्राम पंचायत मुझ्पार-ब है, जहां पाईप लाईन बिछी हुई है लेकिन ग्रामवासियों को पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि उनके घरों तक पानी नहीं जा रहा है। तो जो तीनों ग्राम पंचायतों के लोगों को पानी के लिए तकलीफ हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि तीनों ग्राम पंचायतों की जांच कराकर कार्रवाई करे और उन ग्रामवासियों को पानी मिल सके, ऐसी निवेदन के साथ अपनी बातों को समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री प्रमोद शर्मा, सिर्फ क्षेत्र की बात रखेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- सभापित महोदय, मैं बहुत कम समय में अपने क्षेत्र के बारे में माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि आपके पी.एच.ई. आफिस से कोई शिकायत नहीं है ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी के कटौती प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये । वह अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा में सिमगा ब्लॉक के तिल्दा बांधा, सिनोधा, हिरमी से लगे हुये क्षेत्रों में पानी की बहुत किल्लत

है । आपसे सादर हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, अभी गर्मी आने वाला है, वहां ऐसी स्थिति है, वहां से ग्रामीणों को दो से तीन किलोमीटर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है । आपके विभाग वालों को दो या तीन बार, चार बार, पांच बार, हर बार बोलते हो गया, कम से कम कुछ समस्या का समाधान निकाल दीजिए । माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि उस गांव में बोर कराने से समाधान नहीं है । कुछ गांव का जल स्तर बहुत नीचे गिर चुका है, थोड़ा और दूर में जो बोर है, उस क्षेत्र में पानी लाने की ऐसी कुछ व्यवस्था करा दीजिए । सदन के माध्यम से, आपके क्षेत्र के माध्यम से विनम्न निवेदन कर रहा हूँ कि गरमी आने से पहले चार-पांच गांव में पेयजल की जो विराट समस्या है, उसको संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर समस्या को हल करा दीजिए । बाकी कोई शिकायत नहीं है । सब चीज बढ़िया है, मैं आपका बहुत समर्थन करता हूँ । दो-चार समस्या हल करा दीजिए, गुरूदेव । आपको सादर प्रणाम जी ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- सभापित महोदय, माननीय सभापित महोदय जी, शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही थी, रिनंग वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसमें जितने सरकारी स्थान थे, पी.एस.सी. है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, इन स्कूलों में वॉटर हार्वेस्टिंग रिनंग सिस्टम के माध्यम से, दूर से जहां से पानी सप्लाई करके पाईप लाईन लगानी थी । यह काम आपने युवा बेरोजगारों को कराया है । एक से डेढ़ वर्ष हो गये हैं, युवाओं को, बेरोजगार साथियों को पेमेंट नहीं हुआ है । सभापित महोदय जी, इलेक्ट्रानिक चॉक, लगभग डेढ़ से दो वर्ष हो गये हैं, अभी तक कुम्हार भाईयों को इलेक्ट्रानिक चॉक नहीं मिला है, कृपया कर इस विषय में ध्यान देवें ।

सभापति महोदय :- श्री प्न्नूलाल जी मोहले ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- जिले में निविदा 30 प्रतिशत तक हुई है । टेण्डर बहुत लो हुआ है । 20 प्रतिशत राशि बढ़ने के बाद टेण्डर प्रक्रिया को बढ़ाया गया । छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ कि 10 हजार करोड़ कैबिनेट द्वारा निरस्त किया है, किस कारण किया गया है, वह जानकारी दी जाये और लगभग 50 करोड़ का भुगतान नहीं है, जो ठेकेदार से लिये थे, भुगतान की व्यवस्था मंत्री जी कैसे करेंगे ? जल जीवन मिशन में 100 करोड़ का प्रावधान है, विगत दो वर्षों में 50 प्रतिशत की राशि खर्च की गई है । इस राशि को खर्च करने के लिए मंत्री जी और आगे बढ़ायेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ । बुनकरों का जो प्रोत्साहन राशि है, भुगतान नहीं किया गया है । बुनकरों के आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है । आवास के लिए मकान दिया जाता है, जिससे बुनकर उद्योग धन्धा करते हैं, इनको नहीं दिया गया है । ग्रामोद्योग विभाग में हैण्डलूम एक्सपों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, एक्सपों का आयोजन पिछले दो वर्षों से नहीं किया जा रहा है । भारतीय खाद्य औद्योगिक हथकरघा संस्थान, चांपा के भवन एवं अहाता निर्माण का कार्य भी अवरूद्ध है । अपने शासनकाल में पिछले समय दिया गया था । वहां के छात्रों को आवास एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी नहीं की गई है । माटी कला बोर्ड के विभागीय योजनायें बन्द है । माटी कला से बर्तन बनाते हैं, चाय की केतली वगैरह बनाते हैं, खाने का बर्तन बनाते हैं । रेशम उद्योग में भण्डार गृह में कैम्प लगाने की योजना बन्द है ।

सभापति महोदय :- क्षेत्र की बात है तो रख दीजिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभी क्षेत्र की बात बता रहा हूँ । चॉक का वितरण है, हथकरघा का वितरण है, हैण्डलूम का बर्तन है, मध्यप्रदेश से जो कपास आते हैं, कपड़ा पहनों खादी, मत करो बरबादी, तभी आपकी होगी अच्छी आदी, यानी इस बात को लाने की आवश्यकता है । टेराकोटा द्वारा मूर्ति का निर्माण करने वाले कलाकार को आवश्यक भुगतान भी नहीं हुआ है । जितने हथकरघा कलाकार हैं, टेराकोटा, साड़िया वगैरह हैं, उसको बेचने के लिए विदेश में व्यवस्था हुई थी और वह लोग गये थे। इससे जितने भी इन बुनकर, सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र और अन्य वस्तुओं को बनाने वाले लोग हैं, इनका भी उपयोग होने पर बाहर से आने वालो कलाकारों को लाभ मिलेगा। ऐसी मैं आशा करता हूं। हवाई अड्डे पर भी बांटने की व्यवस्था होती है, वहां क्रय किया जाता है जिससे लोगों को काम मिलता है। हमारे जितने हाथकरघा और अन्य करघा के कलाकार हैं, उनको ग्रामीण स्तर तक उतारने की आवश्यकता है। यदि जिले स्तर तक सुविधा है तो ब्लाक स्तर की सुविधा करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोद्य, मैं बह्त ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। माननीय मंत्री जी हमारे गुरूजी हैं और हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं। वह बहुत ही पढ़े-लिखे विद्वान आदमी हैं। मैं गुरूजी बस आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि लोरमी, तखतपुर और मुंगेली का जो पेयजल का प्रोजेक्ट है, उसमें यही धान खरीदी टाईप का हाल है। पेयजल की समस्या है। नगरपालिका और सिंचाई विभाग में वह मामला है तो आप तीनों बैठकर उसका हल कर दीजियेगा और उस प्रोजेक्ट को पूरा कराकर हमारे लोगों को पानी दिल<mark>वा</mark>ईये<mark>गा। य</mark>ह इधर-उधर के चक्कर में मामला मत अटके। दूसरे आप जब होली के बाद आयेंगे तो मैं 25 या 30 हैण्डपंप की सूची दूंगा, जहां पर मैं चाहता हूं कि आपके प्रभाव से वह खुद जाये। बहुत ट्राइवल इलाके के लोग हैं, गरीब लोग हैं। अगर उनके यहां हैंण्डपंप की जरूरत है। वहां बोलों तो समझ में आता नहीं है कि आखिर यह कैसे खुदेगा? अब आपका हथियार इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको उन हैण्डपंपों की सूची दूंगा तो आप कृपा करके उसको खुदवा दीजियेगा। मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि बैगा साड़ी जो हमारे यहां छत्तीसगढ़ में नहीं बनती, वह मंडला डिंडौरी में बनती है। उस साड़ी को कैसे यहां बनाकर उसको बेचा जाये, इसके बारे में आप वहां के अपने अधिकारियों को जरा भेजियेगा। बैगिन लोग एक घास का माला बनाती हैं, अकबर भाई को पहनाते होंगे, वह जानते हैं। वह सोने के छल्ले के सामान दिखता है, अगर उसको उनको प्रोत्साहन देंगे तो बह्त सी पैसे की राशि मिल सकती है। वह माला बह्त ही लोकप्रिय हो सकती है। इसलिए बैंगिन लोगों की जो माला है, जिसको घास से बनाते हैं, उसको भी आप अपने विभाग के द्वारा संरक्षण देने, बनवाने, उनको खरीदने और उसको बेचने का काम करियेगा। जहां पर भी क्म्हार लोग काम करते हैं, उनकी मिट्टी के लिये लीज या जमीन रिजर्व करने के लिए भी आप कृपा करके कार्यवाही करिये तभी ये होगा। पेयजल में

आप हमारे यहां जल जरूर खोदवा दीजियेगा। यही आपसे निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके धन्यवाद।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय सभापित महोदय, में माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र के बारे में मांग रखना चाहूंगा। मेरे यहां दो नदी हैं, एक मांड नदी नगर पंचायत धरमजयगढ़ में है। वहां से शहर में पानी सप्लाई के लिये पिछले वर्ष से तैयार है। गर्मी के दिन आ रहे हैं। इस वर्ष उसको माननीय मंत्री जी चालू करायें तािक नगरवािसयों को पानी मिल सके। मेरी दूसरी मांग है घरघोड़ा में कुरकुट नदी है, वहां से भी शहर में पानी की सप्लाई होना है, उसका भी कार्य लगभग पूर्णता की ओर है, उसको चालू करायेंगे। धरमजयगढ़ का पिछले वर्ष से चालू हो जाना चािहए था, उसको अधिकारी लोग चालू नहीं कर पाये हैं। इस बार अगर चालू नहीं करते हैं तो उनके उपर कार्यवाही की जाये। माननीय सभापित महोदय, मेरी यह दो विशेष मांग है, क्योंकि दोनों नगर से जुड़ा हुआ है, इनको चालू किया जाये। माननीय सभापित महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- चलिये, एक मिनट में रख दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापित जी, धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन किरहों कि मोर क्षेत्र में बंदोरा, खर्री गांव है। ये दोनो गांव में बहुत नीचे मा पानी के लेवल है। ओला आने गांव से लाने म लागही। विशेष करके एला नोट कर लिही तािक उहां गांव के गरीब आदमी, किसान मन ला पानी मिल जाये। दूसरा नगर पंचायत अड़भार है, वहां भी गरीब बस्ती में पानी के टंकी नई बने हे। बड़े आदमी मन तो अपन घर में बोर खना डालथे, गरीब मन, कमाये कोड़े वाला पानी की वजह से संषर्ध करेब लागै तो मोर आपसे निवेदन हे कि विशेष रूप से तीनों गांव ला आप नोट करके, बाकी जो बोर-बोरिंग रही तेला मैं गुरूदेव आप ला सूची दे देहीं, ओला तो आप करबे करथव, आपसे विशेष आग्रह हवै। माननीय सभापित महोदय, आप बोलै बर समय देव, ओकर बर बह्त-बह्त धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग विभाग (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- माननीय सभापित महोदय, आज हमारे विभाग में डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, श्री रजनीश जी, श्रीमती इंदू बंजारे जी, श्री प्रमोद शर्मा जी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी, श्री पुन्नूलाल मोहले जी, सम्माननीय धर्मजीत सिंह जी, श्री लालजीत सिंह राठिया जी, श्री रामकुमार यादव जी, आप सब के द्वारा विभाग के बारे में सब बातें आयी। अच्छी बातें भी आयी और यदि कुछ दिक्कतें आयी तो आपने वह भी बताया, मैं उसके लिये आप सबको धन्यवाद देता हूं और शुरू से लंबे समय से यह कहावत चली आ रही है, "जल ही जीवन है", पर मैं आज की स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुये यह कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जल का शोषण हो रहा है, उसका जो

दोहण हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे फायदे के लिये हो या कुछ लोगों के द्वारा उसकी बर्बादी भी की जा रही होगी, तो जल स्तर निरंतर नीचे गिरते जा रहा है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि "जल है तो कल है"। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी, इसके तहत जो नरवा प्रोजेक्ट है, इसमें इस प्रोजेक्ट के जिरये, नरवा का संग्रहण करते हुये, वॉटर लेवल को चार्जिंग करने का काम कर रहे हैं, वॉटर लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश में कई जगहों पर देखने को भी मिला है कि यह प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में नरवा के जिरये हमारे छत्तीसगढ़ की पानी की स्थिति, वॉटर लेवल, चाहे वह अंडरग्राउंड वॉटर हो या सर्फेस वाटर हो, उसकी स्थिति संभलेगी।

सम्मानीय सभापित महोदय, पी.एच.ई. विभाग के द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसके द्वारा लोगों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराया जाता है जैसे कि स्पॉट सोर्स योजना हो, नल जल योजना हो, चाहे बस्तर, सरगुजा जैसे इलाकों में, जहां बिजली की समस्या होती है, ऐसे जगहों पर सोलर बेस्ड नल जल योजना होती है। जहां पर पानी की दिक्कत हो, जैसे सफेंस वॉटर न हो या फिर फ्लोराईड वाटर हो, ऐसे जगहों पर ग्रुप वॉटर स्कीम बनाया जाता है और हमारे प्रदेश में ऐसी कई जगह हैं जहां पर फ्लोराइड युक्त वॉटर, आयरन युक्त वॉटर, इस तरीके से पानी की समस्या होती है। जहां पर फिल्टर लगा कर फ्लोराइड फिल्टर प्लांट लगा कर बोर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इन योजनाओं के बारे में छोटी-सी जानकारी देना चाहूंगा। जहां पर कोई भी योजना नहीं होती है, वहां पर, जैसे कि हमारे जन प्रतिनिधि है, उनकी मांग के अनुरूप वहां पर बोर कराया जाता है और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। मैं आपको बताना चाहंगा।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- सीधे बोलो न कि अनुमित दी जाए। आप जवान मंत्री हो, अच्छा काम कर रहे हो, उसमें समस्या नहीं है, न मुझे अपने क्षेत्र की..।

यह सूपेबेड़ा में ध्यान केंद्रित करके थोड़ा-सा बताईये कि सूपेबेड़ा कब शुरू हुआ है और कब पूरा होगा ? इसको भर बता दो, जनहित का विषय है। भाईसाहब ने उसको मुद्दा बनाया था, उसमें मेरे खिलाफ भारी बातें होती थी, तो आपने कुछ किया होगा तो बतायेंगे।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अजय जी, जब मैं ग्रुप वॉटर स्कीम की डीटेल्स बताउंगा तब उसमें भी आऊंगा।

सभापित महोदय :- संक्षेप में बता दीजिये, जो भी है सारा विषय संक्षेप में ही ले लीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बस इतना बोल दीजिये कि बजट पास किया जाये, आप इतना बोल दीजिये हम पास कर देते हैं।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूंगा तो बाकी जो माननीय विधायक इतनी आस के साथ जो बोले हैं, फिर वह घोषणा नहीं हो पायेगी। श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- गुरू जी सब संतुष्ट है, पिक्चर जाने का समय हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किये हैं, थोड़ा जल्दी करवा देते। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पॉप कॉर्न की घोषणा कर दीजिये, पिक्चर दिखाना है तो पॉप-कॉर्न खिला दीजियेगा।

श्री गुरू रूद्र :- अच्छा मैं शॉर्ट में ही आ जाता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- हां, आप सभी को फिल्म के लिये आमंत्रण है, और नेता प्रतिपक्ष जी तो नहीं है, आप सब लोगों को, जो हमारे दूसरे दल के नेता है, आप सब आमंत्रित है, 8.00 बजे, पी.वी.आर. में। आप सब आमंत्रित है।

श्री अजय चंद्राकर :- कौन से पी.वी.आर. में, कहां के पी.वी.आर में ?

श्री भूपेश बघेल :- मेग्नेटो मॉल में।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप जब तक टेक्स माफ नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपके साथ पिक्चर देखने नहीं जायेंगे। आप टेक्स माफ करने की घोषणा कर दीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- यह राजनीति कर रहे हैं, अब पता चला ये लोग राजनीति कर रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी से मांग कर लिये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप टेक्स माफ कर दीजिये, हम सब लोग आपके साथ में पिक्चर देखने चलेंगे। आप टेक्स माफ करने की घोषणा कर दीजिये।

समय:

7.00 बजे

श्री भूपेश बघेल :- जब आपके प्रधानमंत्री उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो हमने तो प्रधानमंत्री जी से मांग कर ली, हमने तो देखा ही नहीं। तो उन्हीं से मांग कर लिये कि आप टैक्स माफ कर दीजिए, पूरे देश में माफ हो जाएगा। हमने उनको टवीट भी कर दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम आपके सामने मांग कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- प्रधानमंत्री जी जब प्रशंसा करे तो देश की मांग करूंगा । मैं छत्तीसगढ़ की थोड़ी मांग करूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- में तो अभी भाषण में बोलेव कि दिल्ली में सब गलत। सी.वी.सी. में एक ही नाम चलत हे, में केहव या नइ कहेव?

श्री भूपेश बघेल :- तोर कहे से कुछ नइ होना हे, तें भड़का-वड़काबे ता फर्क नइ पड़े। आप सब आमंत्रित हैं, माननीय शर्मा जी, आपको वहां पॉपकार्न भी मिलेगा।(हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपको टिकट का पैसा नहीं देना पड़ेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अइसे हे सी.एम. साहब के सामने नहीं बोलत हों, लेकिन मैं बोल देता हूँ अभी हाऊस शिथिल चल रहा है। क्या है, आप बनोगे चन्नी। आप समझ रहे हो न, आपकी चन्नी बनने की पूरी संभावना है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय सभापित महोदय, इस साल हैण्डपम्प के लिए बजट में 69 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया स्पॉट सोर्स योजना, नल जल योजना में, स्पॉट सोर्स में पानी का स्त्रोत ढूंढकर, वहां पर बोर किया जाता है, पानी टंकी का निर्माण होता है और पाईप लाईन का विस्तार करते हुए लोगों के घरों में पानी उपलब्ध कराया जाता है। पूर्व के समय जब किसी भी गांवों में जब नल जल योजना लागू होती थी तो जो पैसे वाले लोग होते थे उन लोग निर्धारित शुल्क पटाकर, उस योजना का लाभ लेते थे और गरीब, बी.पी.एल. परिवार होता था, वह उस लाभ से वंचित हो जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब पहली बार मैंने बजट पेश किया था तब मिनी माता अमृत धारा योजना के अंतर्गत हमने उस समय मुफ्त में बी.पी.एल. परिवार को नल कनेक्शन देना शुरू किया। साथ ही साथ माननीय अजय जी आप जैसे बोल रहे थे मैं आपको बताना चाह्ंगा कि स्पेबेड़ा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वहां पानी नहीं मिल रहा है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैं बता रहा हूँ आप सुन तो लीजिए। मैं आपको पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ। सभापति महोदय :- आप उनको डिटेल प्रोजेक्ट की कॉपी भिजवा देना।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय सभापति महोदय, सुपेबेड़ा का टेण्डर लगने वाला है। मैं बता रहा हूँ आप सुन तो लीजिए। 9 गांवों को लेकर..।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम सवा तीन सालों से सुन रहे हैं।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैंने बोल दिया कि उसका सप्ताह भर में टेण्डर लगेगा। सुपेबेड़ा का भी लग रहा है जिसमें 9 गांव हैं तेल नदी से लेकर 9 गांवों को स्वच्छ पानी दिया जायेगा। इसके साथ ही साथ गिरौदप्री धाम में महानदी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी हा सुपेबेड़ा के बारे में बइठ के सुनत हे, हम आपके उत्तर से ओतकी में प्रसन्न हन।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय सभापित महोदय, इसके साथ ही साथ गिरौदपुरी धाम में हर साल तीन दिवसीय मेले में परम पूज्य बाबा गुरूघासीदास बाबा जी के दर्शन करने के लिए, वहां पर पूरे हिन्दुस्तान, विश्व से 20 से 22 लाख श्रद्धालु आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता को देखते हुए, वहां पर महानदी में इंटेकवेल का निर्माण कर रास्ते में जो 23 गांव आएंगे, वह उन 23 गांवों में भी स्वच्छ जल देते हुए, मेला स्थल तक स्वच्छ जल लाया जायेगा ताकि लम्बे समय तक वहां गिरौदपुरी

मेला स्थल में श्रद्धालुओं को पीने के पानी, नहाने के पानी इत्यादि चीजों की कमी न हो। आज की तारीख में मुझे यह बताते हुए भी खुशी होती है कि हमारे 18 ग्रुप वॉटर स्कीम बनकर तैयार हैं इनके टैण्डर भी लगने शुरू हो गये हैं। इसकी बहुत जल्द निविदा भी आ जाएगी और काम भी शुरू हो जाएंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब पास कर दीजिए।

समय :

6.04 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ चरण दास महंत) पीठासीन ह्ए)

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। जो विधायक लोग मांग किये थे, मैं उस पर बोल देता हूँ। आप सब के लिए घोषणा करने से पहले, मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। अभी माननीय बांधी जी बोल रहे थे और अक्सर जब भी प्रश्न लगता है तो इधर से आप लोगों के द्वारा बार-बार यह बोला जाता है कि यह केन्द्र की योजना है। ठीक है मैंने यह माना कि केन्द्र के द्वारा जे.जे.एम. योजना बनायी गई, पर इसमें हमारा भी 50 प्रतिशत हिस्सा है। अगर आपको उसको केन्द्र की योजना ही बोलना है तो मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे 2009 तक हमको केन्द्र से 75 प्रतिशत मिलता था और राज्य शासन का 25 प्रतिशत रहता था। अगर वैसा कुछ करते और तब आप बोलते तो फिर बात समझ में आती। लेकिन इन योजनाओं के लिए आज 50 प्रतिशत हमारा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, जो इस विषय को उठाते हैं। इसीलिए वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, चलिए।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- जी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी जो वर्कआर्डर के लिए बात कह रहे थे कि ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुआ है। मैं उसको निश्चित तौर पर दिखवा लूंगा, अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। अगर पूरा काम हो गया होगा तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से उसको पहले दिखवा लीजिएगा। फिर उनके पेमेट को आप...।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, आप सब कुछ दिखवा लीजिए लेकिन भागीरथ प्रयत्न नहीं होना चाहिए। भागीरथी जैसे विकास की गंगा वह स्थानीय शासन में ठीक है। आपके यहां ठीक नहीं है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि 10 करोड़ का टेंडर लगा था जिसको कैबिनेट ने निरस्त किया। मैं आप सबकी जानकारी में एक चीज लाना चाहता हूं। आप लोगों ने इस चीज का उल्लेख किया, अच्छा हुआ। जब जेजेएम लांच हुआ तो कम से कम कुछ महीनों तक नियम बनाने के लिए ही सेंट्रल से नियम बदलते रहे, जब नियम ही बनकर तैयार नहीं हुआ, जब टेंडर ही बनकर रेडी नहीं हुआ तो कहां से टेंडर होगा ? आप लोग बोलते हैं कि उसमें 10 हजार करोड़ रूपए का घपला हुआ है। पहले जानकारी तो ले लीजिए। बाकी रही बात कैबिनेट की, तो कैबिनेट का अपना फैसला

है। अगर किसी काम को सुचारू से चलाने के लिए नियम को बदलना चाहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वह चीज हो सकता है ताकि काम अच्छे से हो। हमारी जो मंशा है, 2023 के अंत तक मैं आपको गारंटी देता हूं, 2023 के अंत तक प्रत्येक गांव में...।

श्री अजय चंद्राकर :- आप वर्ष 2028 तक नहीं कर सकते।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूं, कर लेंगे। हमारे अधिकारी भी यहीं हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज पहली बार गुरू जी बोल रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अमिटमेंट है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आपको करके दिखायेंगे। मुख्यमंत्री जी सामने ही बैठे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- (व्यवधान) योजना के लिए आपके मंत्री लोग एक भी बजट नहीं रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय :- चलिए, डिस्टर्ब मत करिए।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैं तो आपको दे रहा हूं। मैं मेरे विभाग की बात कर सकता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप लोग उसका कितना सम्मान कर रहे हो, हम लोग देख रहे हैं ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो ग्रुप वाटर स्कीम पर मटकू के लिए बोले थे और दूसरा अमलडीहा के लिए बोले थे, इसको निश्चित तौर पर देख लीजिए और जल्द से जल्द करा दीजिए, मैं इसकी घोषणा करता हूं। इंदू बंजारे जी आपका प्रश्न लगा हुआ था। मैं निश्चित तौर पर इन तीनों गांवों का करा दूंगा। आप लोग दोबारा अच्छे से सर्वे करिए और ग्रामवासियों को जल्द से जल्द पानी मिलना शुरू हो जाना चाहिए। आप लोग इसको सुनिश्चित करें।

श्रीमती इंदू बंजारे :- धन्यवाद सर।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- प्रमोद जी, आप कौन सी तीन गांवों का बोले थे, मैं गांव का नाम नोट नहीं कर पाया।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- तिल्दाबांधा, हिरमीक्थरौद, सिलोदा, सिमगा ब्लाक में है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- यहां पर सर्वे करा लीजिए और अगर इसको ग्रुप वाटर स्कीम में लेना पड़ा तो इसके लिए अलग से ग्रुप वाटर स्कीम बनाकर दीजिए।

🗝 श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मंत्री महोदय, धन्यवाद।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र जी निश्चित तौर पर हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि स्कूल, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी केन्द्र में हम रिनंग वाटर सप्लाई करें तािक बच्चों को और वहां पर जो ईलाज के लिए आते हैं, उनको स्वच्छ जल मिल सके, उसके लिए विभाग कार्य कर रहा है और उसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मंत्री जी, काम जो गया है, डेड़ साल से पेमेंट नहीं हुआ है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- उसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का रहता है। उसको दिखवा लेते हैं, अगर उनका वर्क कम्प्लीट हो गया होगा तो बिल्कुल पेमेंट भी होगा। मोहले जी भी पेमेंट की बात कर रहे थे। मैं मुंगेली जिले का स्वयं प्रभारी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। मैं वहां आकर आप तीनों विधायकों के सामने अधिकारियों को बुलाकर निर्देशित कर दूंगा। माननीय धर्मजीत जी..।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इसी विषय में थोड़ी गंभीर बात है। हम लोग उद्योग नीति बनाते हैं, मैं पहले भी बोलता था, चूंकि आप उस दिशा में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कुटीर उद्योग के लिए या काटेज इंडस्ट्री के लिए फायनेंस के लिए, कच्चे माल के लिए, उसकी गारंटी के लिए, उसके किसी भी चीज के लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए। अभी ग्रामोद्योग में जो स्वसहायता समूह बनाते हैं, उसमें भी एक आदमी खोजता है। मैं नाम तो नहीं लेता। आप जानते हो, यह सर्वव्यापी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस पॉलिसी की जरूरत है और वह आप जैसा आदमी बना सकता है। यह मुझे विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसे लोगों को सर्वव्यापी नहीं सर्वजाता कहते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- सर्वज्ञाता।

अध्यक्ष महोदय :- हां, आपने सर्वव्यापी बोला 🖊

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनकी कुर्सी बदल देना । वह कुर्सी थोड़ी गड़बड़ है, ये बार-बार खड़े होते हैं ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वज्ञाता तो उधर दो ही लोग हैं । एक माननीय बृजमोहन जी और दूसरे माननीय अजय जी । अब यह किताब उन्हीं को मुबारक ।

अध्यक्ष महोदय :- चिलये, गुरू रूद्र जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- लेकिन आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं कि कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योगों के लिये नीति बननी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय :- सहमत हैं, सहमत हैं।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय धर्मजीत जी, आज ही आपने चर्चा भी की थी। मुझसे पहले नगरीय प्रशासन मंत्री जी का बजट था, यह तीनों प्रोजेक्ट उन्हीं के हाथ में है लेकिन फिर भी हम लोग मिल-जुलकर चर्चा करके इसमें अच्छे से अच्छे क्या हो सकता है उसको देख लेंगे। इसके साथ ही साथ हेण्डपम्प के लिये जितनी आवश्यकता रहेगी आप बता दीजियेगा, उसको मैं देख लूंगा। इसके अलावा बैगा साड़ी का आप जो जिक्र कर रहे थे, आपके अपने जिले में ही इसका उत्पादन भी किया जा रहा है। उसमें कुछ और अच्छा करना होगा तो आप बता दीजियेगा, उसको हम लोग देख लेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- कहां ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मुंगेली में । लालजीत सिंह जी मैं आपके धरमजयगढ़ की योजना को दिखवा लेता हूं, उसकी जानकारी मंगवा लेता हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप जिसको-जिसको दिखवायेंगे उसको सभी विधायकों के लिये कॉमन शब्द मान लेते हैं न । आप सभी विधायकों का दिखवा लेंगे ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैं तो बोल रहा हूं कि कर देंगे । आपने जो सुपेबेड़ा का बोला उसकी तो हम लोगों को सबसे ज्यादा चिंता है ।

श्री अजय चंद्राकर :- उसको छोड़ दीजिये, आप सबका दिखवा लेंगे ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- वह तो वर्ष 2023 तक मैं दिखवा ही लूंगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- तो इसलिये पारित कर दीजिये ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- बस रामकुमार यादव जी का बचा है । बलरो और चेलई गांव यह गांव है न ? आपने कौन-कौन सा गांव बोला था ?

श्री रामकुमार यादव :- कन्होरा, खर्री, अड़भार ये तीनों जगह नइ हे अऊ बाकी जगह बोरिंग वगैरह दे दिहा ।

अध्यक्ष महोदय :- यादव जी, आप लिखकर दे दीजिये । आप कागज में लिखकर दे दीजिये कि कौन-कौन से गांव हैं । कर देंगे ।

श्री रामक्मार यादव :- जी ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरा दूसरा विभाग है ।

श्री मोहित राम (पाली तानाखार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन था ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि अभी लॉकडाऊन होने के बावजूद भी ग्राम विद्युत विभाग के द्वारा साढ़े 4 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, मैं जिम्मेदारी के साथ यहां बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चिलये, आप पहले उनकी एक बात स्न लीजिये ।

श्री मोहित राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन था कि पाली तानाखार विधानसभा में करीब ढ़ाई साल होने जा रहे हैं । बांगो डेम के पुल के नीचे आपका वॉटर सप्लाई का टेंडर हुआ था अभी तक वह पूरा नहीं कर पाया और अभी जितनी टंकी बन चुकी है उसमें पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है । चोटिया में वहां ग्राम पंचायत बनिया है ऐसे ही मेरे यहां फ्लोराईड की भी समस्या बहुत ज्यादा है तो दोनों मातिनदाई पाली जनपद में, चैतमईजय में । माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन था कि उसको दिखवा लेते तो बड़ी कृपा होती ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अलग से आवेदन लिखकर देंगे, मंत्री जी दिखवा देंगे।

श्री मोहित राम :- जी, धन्यवाद ।

श्री अजय चंद्रांकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस सब चीज को थोड़ा स्पष्ट कर दीजिये कि आप क्या दिखवा देंगे ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिखवाकर, जानकारी मंगवाकर सम्माननीय विधायक जी को उपलब्ध करा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- बांगों बांध के नीचे दिखाने को बोला है, मैं इस बात को सुन रहा हूं । (हंसी) नीचे बह्त सारे गांव हैं जहां पानी नहीं आ रहा है ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दोनों विभाग सभी के लिये महत्वपूर्ण हैं । इनकी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं तो मैं आपके माध्यम से सभी से यह चाहूंगा कि दोनों विभागों की हमारी मांगों को सर्वसम्मति से पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा । प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 20 एवं 56 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें । कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिये- आठ सौ उनहत्तर करोड़, चौवन लाख, उन्यासी हजार रूपये

मांग संख्या - 56 ग्रामोद्योग के लिये-एक सौ सत्रह करोड़, इक्यासी लाख, चौंतीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। (मेजों की थपथपाहट)

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत भगत। (4) मांग संख्या 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय मांग संख्या 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

संस्कृति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रसताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- दो हजार पांच सौ अइतालीस करोड़, छियालीस लाख, अस्सी हजार रूपये,

मांग संख्या - 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिये-बावन करोड़, पैंतालीस लाख, नवासी हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिये- चौवन करोड़, छ: लाख, अनठानबे हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर.।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय मंत्री जी जो भी इस विभाग के हैं, उनके बहिष्कार का निर्णय पूरे सत्र भर के लिए लिया है, किन्हीं भी कारणों से, आप उस कारण से अवगत हैं। इसलिए हम इस विभाग की चर्चा में भाग नहीं लेंगे। आप चाहे तो प्रस्ताव सर्वसम्मत से उनसे पारित करवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- तो आपके कटौती प्रस्ताव भी न लिया जाये।

श्री अजय चन्द्रांकर :- जैसी आपकी मर्जी। चलो।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मैं मान लूं कि कोई कटौती प्रस्ताव नहीं आया है? मान लूं कि आप लोगों का कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

समय :

7.18 बजे

बहिष्कार

(श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा खाद्य मंत्री की चर्चा में भाग न लेने का उल्लेख करते हुए सदन का बहिष्कार किया गया।)

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा बहिष्कार किये जाने के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं ह्ए।)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- ये निर्णय लिये हो, तो फिर कटौती प्रस्ताव कैसे दिये थे? उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- इसके पहले नहीं सोचे।

अध्यक्ष महोदय :- मांगों पर कटौती प्रस्ताव तो खैर समाप्त हो गये हैं। अब मांगों पर चर्चा होगी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के भी कटौती प्रस्ताव हैं। अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, तुम शुरू कर लो न। आप चर्चा में भाग ले लीजिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अच्छा चर्चा। अध्यक्ष महोदय, जल्दी से पिक्चर जाना है। अभी ध्यान उधर ही है। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग भाग ही गये हैं। इन्हें भागने की आदत है। जिस दिन हमारा विधान सभा शुरू हुआ उसी दिन मध्यप्रदेश में भी हुआ और वहां 230 की संख्या है। आज उन्होंने सत्रावसान कर दिया।

अध्यक्ष महोदय :- वाह। मैं भी तो करना चाहता था। आपने नहीं करने दिया। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- हम तो चलाना चाहते हैं। यही लोग भागते हैं। देखिए, कैसे भाग रहे हैं ? और आपने कटौती प्रस्ताव दिया था क्या ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- हां।

अध्यक्ष महोदय :- हां तो आप बोलिए न 2 मिनट बोलिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं समर्थन करता हूं। कोई दिक्कत नहीं है। (हंसी) जो भी मांग होगी, उसे मैं आपको लिखित में दे दूंगा। आप उसे करवा लीजिएगा, लेकिन उसमें छपना चाहिए न कि कटौती प्रस्ताव दिया था।

अध्यक्ष महोदय :- चिलए, आपने कटौती प्रस्ताव दिया था। चिलए, मंत्री जी, आप भी खड़े होकर निवेदन कर दीजिए। सबको जल्दी जल्दी जाना है।

संस्कृति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष के दौरान किसानों के धान का समर्थन मूल्य में खरीदी, सभी को यूनिवर्सल पी.डी.एस. सिस्टम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने, साथ ही साथ प्रदेश के 25 जिलों में हितग्राहियों को अपनी पसंद की दुकान से राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करायी है। इस वर्ष कोविड 19 की तीसरी लहर के दौरान राज्य के गरीब राशनकार्डधारी परिवारों को 11 माह तक नि:शुल्क चावल भी प्रदाय किया गया है ताकि गरीब परिवारों को इस महामारी के दौरान राहत दी जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की पहचान धान के

कटोरा से है और यहां के मेहनतकश लोगों को उनके धान का सही दाम मिले, उसके लिए छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उनकी सरकार, छत्तीसगढ़ के किसानों को धान खरीदी में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में धान खरीदी केन्द्र और उनके सुचारू रूप से धान खरीदी का काम किया और इसके लिए प्रदेश में 19 हजार 36 करोड़ रूपये की राशि उन्हें सीधे भुगतान की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से भी लोगों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का काम चल रहा है । अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया गया है । सभी लोगों के लिए खाद्यान्न की प्रचुर व्यवस्था की गई है । वहीं संस्कृति विभाग से संबंधित यहां की संस्कृति, यहां की कला को संरक्षित करने के लिए विशेष काम चल रहे हैं । मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि विभाग की मांगों को सर्वसम्मित से पास करें ।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि कोई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः मैं मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

- मांग संख्या 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिये दो हजार पांच सौ अइतालीस करोड़, छियालीस लाख, अस्सी हजार रूपये,
- मांग संख्या 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिये बावन करोड़, पैंतालीस लाख, नवासी हजार रूपये,
- मांग संख्या 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिये चौवन करोड़, छः लाख, अनठानबे हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(मेजो की थपथपाहट)

(5) मांग संख्या 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

मांग संख्या - 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए तीन सौ पैंतालीस करोड़, चौरानबे लाख, पैंतीस हजार रूपए तक की राशि दी जाय । अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत ह्आ ।

अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमित देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे ।

मांग संख्या 11 वाणिज्य एवं उदयोग विभाग से संबंधित व्यय

श्री प्रमोद कुमार शर्मा

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए । अब मांग एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आबकारी विभाग नहीं लिखा है ।

श्री रामक्मार यादव :- महाराज, सोच समझकर बोलिहो, कटौती हो जाही ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ के लोगों को होली में डिस्काउंट मिलना चाहिए और आप नहीं दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आबकारी होली के बाद आएगा, चिंता मत करो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, अभी से होली चढ़ गई है ।

डॉ. शिवक्मार डहरिया :- पम्मू, अभी उद्योग में बोल ले, बाकी व्यवस्था बाद में हो जाही ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, होली के बाद आबकारी विभाग आएगा ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष जी, मैं शॉर्ट कट में बोल देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- केवल समर्थन कर दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उद्योग मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग हैं तो आप किसी दिन आकर निरीक्षण कर लें । गलत उद्योग नीति है, उसके लिए आकर घूम लेते, निरीक्षण कर लेते, जांच कर लेते । बस इतना कहना चाहता हूं, धन्यवाद् ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हमने तो एक का ही बहिष्कार किया था ।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप आए क्यों नहीं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- पास हो गया करके पता नहीं चला ।

अध्यक्ष महोदय :- चिलए, छोडिये अब हो गया । आप एक्साइज पर बात करेंगे, उद्योग पर तो आपको बात करना नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दो मिनट हमारी सुन लें ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 से 24 के बीच में, 1 नवम्बर 2019 से अब तक विगत् तीन वर्षों में कुल 1751 औद्योगिक इकाईयां स्थापित हुई हैं । जिनका कुल पूंजी निवेश राशि रूपए 19 हजार 550 करोड़ तथा 32 हजार 912 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है । अध्यक्ष महोदय, बाकी बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्यों के भी इसमें सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको सर्वसम्मित से पारित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

मांग संख्या - 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए तीन सौ पैंतालीस करोड़, चौरानबे लाख, पैंतीस हजार रूपए तक की राशि दी जाय ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । (मेजो की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2022 को 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित् |

(07 बजकर 25 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2022 (फाल्गुन 30, शक संवत् 1943) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

16 मार्च, 2022 रायपुर (छत्तीसगढ़) चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधन सभा